©

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

विधिक दस्तावेजों

के

मानक प्ररूप

STANDARD FORMS

OF

LEGAL DOCUMENTS

जिल्द VI

Vol. VI

1990

राजभाषा खंड

OFFICIAL LANGUAGES WING

प्राक्कथन

यह विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूपों के द्विभाषीय संकलन (हिंदी-अंग्रेजी) की शृंखला में छठी कड़ी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार यह आवश्यक है कि करार, संविदा, पट्टे, बंधपत्र, निविदा आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हों। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का पालन सुगमता से हो सके इस दृष्टि से विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने बार-बार प्रयोग में आने वाली दस्तावेजों के पांच संकलन द्विभाषीय रूप में क्रमशः जून 1978, जून, 1979 जनवरी, 1983, सितम्बर, 1983 और जनवरी, 1987 में प्रकाशित किए हैं। सातवां संकलन प्रेस में है और उसे शीघ्र ही प्रकाशित हो जाने की आशा है।

इन सभी संकलनों का भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों के अतिरिक्त, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में भी स्वागत हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में (1986 पैरा 17.6.2) मत व्यक्त किया है कि "..... विधायी विभाग द्वारा.....विधिक प्रकार के दस्तावेजों के मानक प्रारूप भी प्रकाशित किए गए हैं जो अनुवाद कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं।" इन संकलनों से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में सहायता मिली है।

भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय एक विशाल और महत्वपूर्ण स्थापन है। रक्षा मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राजभाषा खंड ने भी रक्षा मंत्रालय के लिए बड़ी मात्रा में विधिक सामग्री का अनुवाद तैयार किया है।

रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मानक विधिक दस्तावेजों के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ इस संकलन में सम्मिलित किए गए हैं। संकलन को अधिक उपयोगी तथा संदर्भ-कार्य सरल बनाने के लिए इसके अन्त में पैरा-वार अनुक्रमणिका भी जोड़ दी गई है।

आशा है कि यह संकलन भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए और विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों के लिए, उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

ब्रजकिशोर शर्मा,
अपर सचिव,
राजभाषा खंड, विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय।

नई दिल्ली,
अगस्त, 1990

87-M/P(N)227MofLJ&CA—1

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
1. घास-कटाई संविदा :	
—शर्तें	1
—पट्टा-अधिकारों के नीलाम की सूचना	2
—पट्टे के लिए करार	3
—निविदा-आमंत्रण के लिए सूचना	5
—निविदा प्ररूप	6
—साधारण शर्तें	7
—सफाई करार	9
2. सरकारी सामान का परिवहन (स्थानीय सेवा) :	
—निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश	14
—करार	18
—निविदा	22
—निविदा स्वीकृति	24
—स्वीकृति-प्राप्ति की रसीद	25
3. कूड़ा-कर्कट संग्रहण, हटाना और व्ययन :	
—सफाई करार	26
—स्थानीय निकायों के साथ सफाई करार का नमूना	29
—प्राइवेट ठेकेदार के साथ सफाई-करार का नमूना	32
4. जिल्द-साजी की संविदा	35
5. सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का 15) के अधीन विक्रय-विलेख :	
—विक्रय बिलेख	37
—अधिग्रहण सूचना	38
—कब्जा छोड़ने और उसके परिदान के लिए सूचना	39
—अधिकार समाप्ति की सूचना	40
6. बढ़ई-कार्य :	
—निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश	41
7. दर्जी की दुकान चलाने के लिए करार :	46
8. साइकिल स्टैंड चलाने के लिए करार :	50
9. जीवित पशु/प्रसाधित मांस के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें:	54
10. सामान की संभलाई और/या प्रवहण :	
—निविदा देने के लिए प्राधिकरण	61
—कार्य का वर्णन	62
—निविदा प्ररूप	65
—स्वीकृति	66
—संविदा की शर्तें	67
—संविदा का विस्तार	67
—संविदा का पालन	69

पृष्ठ संख्या

11. अधिशेष सरकारी भवनों का व्ययन :

—नीलामकर्ता नियुक्त करने का करार 76

—नीलाम की सूचना 85

12. सम्पत्ति विक्रय :

—नीलामकर्ता की नियुक्ति के लिए करार 86

13. यूनिट कल्याण केन्द्र क्लिनिक :

—करार 94

—क्षतिपूर्ति बंधपत्र 96

14. जलपान कैंटीन चलाना :

—यूनिट कैंटीन संविदा—करार 97

—यूनिट कैंटीन प्रबंध करार 99

—निबंधन और शर्तों का करार 102

—रेजीमेंट जलपान कैंटीन के लिए संविदा-करार 104

15. जलयान निर्माण-करार : 107

16. नौ सेना पोतों की मरम्मत के लिए संविदा की साधारण शर्तें : 113

17. विभिन्न सेवाओं के लिए करार :

—ठेकेदार का प्रस्ताव 122

—निविदा-अनुसूची 123

—जिल्द-साजी-कार्य के लिए करार 124

—निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश (जिल्द-साजी कार्य) 127

—रबड़ स्टाम्प के लिए दर-संविदा 129

अनुक्रमणिका 131

घास-कटाई संविदा की शर्तें

1. यह संविदा.....में केवल..... ,वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।

2. घास-कटाई ठेकेदार और उसके कर्मचारी कैम्प के उन्हीं क्षेत्रों के भीतर रहेंगे जो स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अभिहित किए जाएं।

3. घास-कटाई ठेकेदार और उसके कर्मचारी हर समय अपने पास सुरक्षा पास रखेंगे और वे उन द्वारों/उप गार्ड कक्षों से होकर प्रवेश करेंगे, जो स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अभिहित किए जाएं।

4. ठेकेदार, घास काटने वालों की एक सूची प्रारंभ में ही पेश करेगा। सुरक्षा पास, पुलिस सत्यापन के बाद केवल इन्हीं व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे।

5. सभी वन्य उपज और झाड़-झंखाड़, स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अभिहित रूप में, काट दिए जाएंगे और वहां से हटा दिए जाएंगे।

6. ठेकेदार/कर्मचारी उस घास को छोड़कर जो मै० इ० से० द्वारा अधिकथित सीमाओं तक रनवे के दोनों तरफ और टैक्सी पथ पर है, वायु सेना कैम्प के भीतर की सभी घास काट देंगे।

7. घास-कटाई ठेकेदार/श्रमिक सभी समय उन स्थानीय आदेशों का पालन करेंगे, जो उन्हें स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

8. कैम्प क्षेत्र के भीतर घास को 4 इंच से अधिक ऊंचाई तक बढ़ने नहीं दिया जाएगा।

9. ठेकेदार/उसके कर्मचारी कैम्प क्षेत्र में किसी भी पशु को नहीं आने देंगे।

10. ठेकेदार घास की कटाई और वन्य उपज (जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित हैं) हटाने का कार्य, स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिकथित पूर्विकताओं/कार्यक्रमों के अनुसार करेगा।

11. घास-कटाई ठेकेदार/उसके कर्मचारी भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम में अधिकथित सभी अनुदेशों का पालन करेंगे।

12. घास-कटाई ठेकेदार/श्रमिक, उनकी ओर से हुई त्रुटियों के संबंध में वायु कमान आफिसर द्वारा अधिरोपित जुर्माने/दण्ड को स्वीकार करेंगे।

13. ठेकेदार उन पर्यवेक्षकों और घास काटने वाले व्यक्तियों की, जो वायु सेना कैम्प के भीतर दिन प्रतिदिन घास काटने के लिए उपलब्ध होंगे, संख्या बताएगा।

नीलाम के निबन्धन

1. इस स्टेशन की घास-कटाई संविदा के लिए आरक्षित कीमत .....रुपए है।

2. सब से ऊंची बोली लगाने वाले को, स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, बोर्ड के अध्यक्ष के पास जमा करना होगा। अध्यक्ष यह रकम लेखा अनुभाग में जमा करेगा।

3. इस संविदा के लिए उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जाएगी जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई होगी। तथापि, यह हो सकता है कि स्टेशन प्राधिकारी/उच्चतर प्राधिकारी उसे स्वीकार न करे।

पट्टा-अधिकारों के नीलाम की सूचना

वायु सेना स्टेशन.....

"...से.....तक की अवधि के लिए कैम्प क्षेत्र के भीतर घास और वन्य वनस्पति काटनेऔर उन्हें हटाने के पट्टा-अधिकारों के संबंध में सार्वजनिक नीलाम.....को पूर्वाह्न.....बजे वायु सेना स्टेशन.....में किया जाएगा। पट्टे के निबन्धन और शर्तें तथा क्षेत्र की वास्तविक परिसीमाओं का निरीक्षण किसी भी कार्य-दिवस में पूर्वाह्न.....बजे से.....बजे के बीच भारसाधक अधिकारी, प्रशासन के कार्यालय में किया जा सकता है। सबसे ऊंची बोली अनन्तिम रूप से स्वीकार की जाएगी किन्तु वह प्रमुख कमान आफिसर (ए ओ सी-इन-सी) मुख्यालय, पश्चिमी वायु कमान के अनुमोदन के अधीन होगी। सब से ऊंची बोली लगाने वाले को घनपात होते ही बोली की रकम का 25 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगा। बोली की रकम करार पर हस्ताक्षर किए जाने के समय जमा करनी होगी।"

घास कटाई पट्टे के लिए करार

वायु सेना स्टेशन. . . .

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है (और जिसके अन्तर्गत , जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, उसके सिवाय, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री . . . . जो. . . . . का पुत्र/पुत्री और. . . . . के निवासी हैं तथा जिन्हें इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है (और जिसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो उसके सिवाय उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख. . . . . को किए गए करार का ज्ञापन ।

पक्षकारों द्वारा तथा उनके बीच निम्नलिखित रूप में पारस्परिक करार हुआ :–

1. एयर कमान आफिसर, वायु सेना स्टेशन. . . . . की मार्फत सरकार, ... के वायु सेना स्टेशन क्षेत्र. . . . . में (क्षेत्र का विस्तृत वर्णन) खड़ी घास को . . . से. . . . . तक अवधि के दौरान काटने और हटाने के अधिकारों का. . . . रुपए में विक्रय करने और ठेकेदार उन्हें क्रय करने के लिए सहमत है और यह कि उक्त प्रतिफल की 25 प्रतिशत रकम जो. . . . . रुपए होती है, ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संदत्त कर दी गई है जिसकी प्राप्ति इसके द्वारा स्वीकार की जाती है । उक्त प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त ठेकेदार, बोली की सम्पूर्ण रकम अर्थात, ... रुपए का, संदाय इस विलेख की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कर देगा ।

3. ठेकेदार अपना कार्य. . . . . से आरम्भ करके, इस करार के खण्ड 12 के अनुसार पूरा कर देगा ।

4. ठेकेदार घास काटने और हटाने तथा फसलों को तोड़ने का कार्य उन अनुदेशों के अनुसार करेगा जो वायु सेना स्टेशन. . . . . के एयर कमान आफिसर या उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किए जाएं ।

5. सभी सरकारी आवासीय क्षेत्रों में, जिनमें वायु सेना स्टेशन. . . . . क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, पशु चराना मना है ।

6. ठेकेदार सभी घास और अन्य झाड़ झंखाड़ को, वह पशुओं के चरने योग्य हो या नहीं, काटेगा और हटाएगा तथा भूमि पर से झाड़ियों, ठूंठों और अन्य झाड़ झंखाड़ को साफ करेगा ।

7. दिन में काटी गई घास सायंकाल उस क्षेत्र से हटा ली जाएगी और उसे वहां रात में पड़े नहीं रहने दिया जाएगा ।

8. अन्य कोई व्यक्ति उस क्षेत्र पर अतिक्रमण न करे, इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

9. यदि अधिक या कम वर्षा होने या बाढ़ आने के कारण या किसी भी अन्य कारणवश, घास या कोई अन्य फसल पैदा नहीं हो पाती है तो इसके लिए कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा ।

10. ठेकेदार किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने सेवकों या अभिकर्ताओं को, उनके पशुओं को घास चराने के प्रयोजन के लिए, बाड़े तक जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

11. ठेकेदार, उसके सेवक और अभिकर्ता, जब वे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, स्टेशन सुरक्षा, अग्नि और अन्य स्थायी आदेशों का सदैव पूर्वतः पालन करेंगे ।

12. घास काटने और उसे हटाने का कार्य. . . . . तक पूरा कर दिया जाएगा और उक्त तारीख तक न हटाई गई घास सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

13. इस करार के किसी भी निबन्धन के भंग किए जाने पर सरकार, एयर कमान आफिसर, वायु सेना स्टेशन . . . . . की मार्फत इस करार को, कोई प्रतिकर या पूर्व सूचना दिए बिना, समाप्त कर सकेगी और उस दशा में प्रतिभूति निक्षेप सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

14. यदि इस विलेख के अधीन या उसके संबंध में कोई विवाद या मतभेद (ऐसे किन्हीं मामलों को छोड़ कर जिनके विनिश्चय के लिए इस विलेख में विनिर्दिष्टतः उपबन्ध किया गया है:) उत्पन्न होता है तो वह उस अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसे प्रमुख एयर कमान आफिसर, मुख्यालय, पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए। यह आक्षेप नहीं किया जाएगा कि मध्यस्थ कोई सरकारी सेवक है, कि उसे ऐसे विषयों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी है जिनका संबंध इस विलेख से है या यह कि उसने सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

यदि मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या वह कार्य करने में उपेक्षा करता है या किसी कारणवश कार्य करने से इन्कार करता है या त्यागपत्र दे देता है अथवा कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो प्रमुख एयर कमान आफिसर मुख्यालय, पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे मध्यस्थ के स्थान पर पूर्वोक्त रीति से कोई अन्य मध्यस्थ नियुक्त करे।

मध्यस्थ, अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने का समय, इस लिखत के पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर बढ़ा सकेगा।

ऐसे प्रत्येक निर्देश और अधिनिर्णय का तथा उसके आनुषंगिक खर्च का निर्धारण मध्यस्थ स्वविवेकानुसार करेगा। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम और उनके कोई कानूनी उपान्तर, जो उस समय प्रवृत्त हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

15. आपात या अप्रत्याशित परिस्थितियों में, अर्थात् उस क्षेत्र या उसके किसी भाग को बाह्य व्यक्तियों के लिए "वर्जित क्षेत्र" घोषित कर दिए जाने अथवा "करन्तीन" निर्बन्धनों की दशा में, जब ठेकेदार और उसके कर्मचारी उस क्षेत्र में जाने से रोक दिए जाएंगे, ठेकेदार ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो एयर कमान आफिसर उस क्षेत्र को, जिसमें घास नहीं काटी गई है तथा संविदा की अनवसित अवधि को ध्यान में रखते हुए, विनिश्चित करे। उक्त एयर कमान आफिसर का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उपरलिखित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर किए।

उक्त ठेकेदार ने,

1. —————— } साक्षियों के नाम;
2. —————— } पते और हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

——————

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

पता——————

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

——————————ने,

हस्ताक्षर किए

1. —————— } साक्षियों के नाम,
2. —————— } पते और हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

——————

(हस्ताक्षर)

एयर कमान आफिसर...........वायु सेना

निविदा-आमंत्रण के लिए सूचना

"सफाई सेवाएं" प्रदान करने के लिए ख्याति प्राप्त ठेकेदारों से मुद्रावंद निविदाएं, जिनके लिफाफों पर "सफाई कार्य के लिए निविदा————————————" लिखा हो, आमंत्रित की जाती है। केवल अनुमोदित ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। यदि संविदा————रुपए से अधिक मूल्य की है तो ठेकेदार को आय-कर दाता होना चाहिए। आय-कर समाशोधन की मूल प्रति निविदा प्ररूप के साथ संलग्न की जाए। निविदा प्ररूप तथा संबद्ध ब्यौरे वायु सेना स्टेशन, ————से प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि कोई ठेकेदार अनुमोदित ठेकेदार के रूप में, रजिस्ट्रीकृत होना चाहता है तो उसे अपने व्यय पर वायु सेना स्टेशन————————में————————————को पूर्वाह्न————————बजे अधिकारियों के एक बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। वित्तीय स्थायित्व और पूर्व अनुभव का प्रमाण और अन्य निर्देश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। पूरी तरह से भरे गए निविदा प्ररूप मोहरबंद लिफाफों में रजिस्ट्रीकृत डाक से, "भारत के राष्ट्रपति, मार्फत वायु कमान आफिसर, वायु सेना स्टेशन,————————————" को इस प्रकार भेजे जाएंगे या निविदा पेटी में डाल दिए जाएंगे कि वे उक्त कार्यालय/पेटी में————————————को पूर्वाह्न————बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। सभी निविदाएं ————————————को पूर्वाह्न ————बजे खोली जाएंगी। कोट की गई सभी दरें उपस्थित निविदाकारों को पढ़ कर सुनाई जाएंगी। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार कर ली जाएगी उसे सफाई सेवाओं के उचित रूप से किए जाने के लिए (तत्समय लागू नियमों के अनुसार) प्रतिभूति निक्षेप के रूप में निविदत्त रकम का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। संविदा————————————तक की अवधि के लिए लागू वायु सेना स्टेशन नियमों के अधीन की जाएगी। संविदा की जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। वायु सेना प्राधिकारियों का विनिश्चय सभी निविदाकारों पर आबद्धकर होगा।

भारतीय वायु सेना

निविदा प्ररूप (स्थानीय) संविदाएं

भारत के राष्ट्रपति

महोदय,

हम (जिन्हें इसमें आगे 'ठेकेदार' कहा गया है) संलग्न अनुसूची 1 और 2 में वर्णित सेवाएं, जिनके सामने हमने दरें उल्लिखित की हैं और जिन पर यह निविदा स्वीकार की जा सकती है, उक्त दरों पर, तथा उन शर्तों के अधीन, जो इसमें दी गई हैं, ऐसे समय पर, जो एयर या अन्य कमान आफिसर या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी आफिसर द्वारा आदिष्ट किया जाए, ——————————से आरम्भ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए करने का प्रस्ताव करते हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर——————————

नाम——————————

पता——————————

साक्षी :

1. नाम——————उपजीविका ——————

पता——————————

हस्ताक्षर——————————

2. नाम——————उपजीविका——————

पता——————————

हस्ताक्षर——————————

निविदा देने वाले व्यक्तियों को सूचनाएं

निम्नतम निविदा का स्वीकार कर लिया जाना आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति किसी निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है।

2. इस निविदा में उल्लिखित कीमतों में परिवर्तन न किया जाए। यदि ऐसा परिवर्तन आवश्यक है तो वह सुपाठ्य रूप में किया जाए और निविदा देने वाले व्यक्ति अपने पूरे हस्ताक्षर करके ऐसे परिवर्तन को प्रमाणित करें।

3. निविदाएं तारीख——————————को पूर्वाह्न/अपराह्न——————बजे तक प्राप्त की जाएंगी। निविदा, सही तारीख वाले संलग्न लिफाफे में ही भेजी जाए।

4. **टिप्पण** :—निविदा खोले जाने की तारीख भी लिफाफे पर दर्शाई गई है। फर्मों को इस संबंध में सावधानी बरतना चाहिए कि सही तारीख वाला लिफाफा ही काम में लाया जाए।

5. ठेकेदार इस निविदा प्ररूप के साथ जारी की गई अनुसूची में परिवर्तन न करे। यदि ठेकेदार अनुसूची में कोई संशोधन करना अत्यावश्यक समझता है तो वह ऐसा संशोधन, एक पत्र में लिख कर, निविदा के साथ भेजे।

6. अपूर्ण निविदाएं—यदि निविदा देने के समय पूरी जानकारी नहीं दी जाती है या यदि अनुसूची में मांगी गई विशिष्टियां और तारीख, यदि कोई हो, नहीं दी जाती है तो निविदाएं स्वीकार नहीं की जा सकेंगी।

संविदा की साधारण शर्तें

1. **किया जाने वाला कार्य** :–इस संविदा के अधीन किया जाने वाला कार्य वह होगा जो विशेष शर्तों और अनुसूची में अभिकथित है और वह कुशल रीति में तथा एयर या अन्य कमान आफिसर या उसके स्थान पर कार्य कर रहे किसी आफिसर को समाधानप्रद रूप में, निष्पादित किया जाएगा। इस संविदा के संबंध में दिए गए सभी आदेश, भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाएंगे और भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए मौखिक आदेशों पर की गई सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

2. **नुकसान या हानि** :–ठेकेदार ऐसे सभी नुकसान या हानि की पूर्ति करेगा जो उसकी ओर से उसके अभिकर्ताओं या सेवकों की ओर से किए गए किसी कार्य या व्यतिक्रम से भारतीय वायु सेना की सम्पत्ति को हो, साथ ही भारत के राष्ट्रपति को यह विकल्प होगा कि ऐ ऐसे नुकसान या हानि की अन्य प्रकार से पूर्ति करा लें और उस पर किया गया व्यय ठेकेदार से वसूल कर लें।

3. **व्यतिक्रम** :–यदि ठेकेदार कोई व्यतिक्रम करता है तो, भारत के राष्ट्रपति अन्य पक्षकारों से ऐसी सेवाएं करवा सकेंगे और उस पर उपगत व्यय ठेकेदार से वसूल कर सकेंगे।

4. सभी संदाय भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या स्थानीय सरकारी खजाने में किए जाएंगे संदाय (10 रुपए से कम के स्थानीय संदायों को छोड़कर) प्रत्येक मास चैक द्वारा ठेकेदार को या ऐसे अभिकर्ता या अटर्नी को, जो ठेकेदार की ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, किए जाएंगे : **नियमतः संदाय, सही बिल प्राप्त होने के 16 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।** बिल उस मास के, जिस से सेवा की गई है, अन्तिम दिन के बाद से एक मास के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

संविदा पूरी हो जाने पर, ठेकेदार प्ररूप भा०वा०से० 451 में एक "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करेगा।

5. **भारत सरकार की सेवा में व्यक्तियों को भ्रष्ट उपहार** :– ठेकेदार, यह संविदा या "भारत सरकार" के लिए कोई अन्य संविदा प्राप्त करने या उसके निष्पादन के संबंध में कोई कार्य करने या करने से प्रविरत रहने या किए गए किसी कार्य या किसी कार्य के करने से प्रविरत हो जाने के लिए अथवा इस संविदा या भारत सरकार की सेवा के लिए किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति पर अनुग्रह या अननुग्रह दर्शित करने से प्रविरत रहने के लिए, भारत सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति को उत्प्रेरण या पारितोषिक के रूप में किसी प्रकार का दान या प्रतिफल देने का न तो प्रस्ताव करेगा, न देगा, न देने के लिए करार करेगा।

यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इस शर्त को, चाहे ठेकेदार की जानकारी से या उसके बिना, भंग करेगा तो भारत के राष्ट्रपति इस संविदा को रद्द करने और ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि की रकम की वसूली ठेकेदार से करने के हकदार होंगे।

यदि इस शर्त के निर्वचन, प्रभाव या लागू होने की बाबत या संविदा के रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उसके अधीन भारतके राष्ट्रपति द्वारा, ठेकेदार से वसूल किए जाने वाले नुकसान की रकम की बाबत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय भारत के राष्ट्रपति ऐसी रीति से और ऐसे साक्ष्य या जानकारी के आधार पर, जैसी राष्ट्रपति उचित समझें, करेंगे और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. **दिवालिया हो जाना** :–यदि किसी समय ठेकेदार को दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया जाता है या उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का आदेश कर दिया जाता है या उसकी सम्पदा के प्रशासन का आदेश कर दिया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति/ठेकेदार को लिखित रूप में सूचना देकर किसी भी समय इस संविदा को कोई प्रतिकर दिए बिना, संक्षिप्ततः समाप्त कर सकेंगे।

7. **संविदा की समाप्ति** :–दोनों में से कोई पक्षकार एक मास की सूचना देकर यह संविदा समाप्त कर सकेगा और यदि यूनिट या यूनिटों को उस परिक्षेत्र से बाहर किसी अन्य स्टेशन को प्रस्थान करने का आदेश मिल जाता है तो यह संविदा बिना किसी सूचना के पूर्णतः या भागतः स्वतः समाप्त हो जाएगी।

8. भारत के राष्ट्रपति, इस संविदा के किसी अन्य खण्ड के अधीन अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार की ओर से किसी शर्त के भंग किए जाने की दशा में, उक्त संविदा रद्द कर सकेंगे।

9. **अनुमानित संख्या या मात्रा** :–जब इस संविदा के अधीन संभावित अपेक्षाओं के अनुमान के रूप में कोई संख्याएं या मात्राएं बताई जाती हैं तो ऐसा अनुमान, उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य के आधार पर ठेकेदार की सहायता के लिए दिया गया माना जाएगा और वे भारत के राष्ट्रपति के लिए आबद्ध नहीं होंगी। वास्तविक अपेक्षाएं दिए गए अनुमान से बहुत अधिक या कम हो सकती हैं।

10. **शोध्य रकमों की वसूली** :–यदि इस संविदा के अधीन कोई रकम ठेकेदार से वसूल की जाती है या उसके द्वारा संदेय है तो ऐसी रकम की कटौती ठेकेदार को इस या भारत सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन तत्समय शोध्य या तत्पश्चात् किसी भी समय शोध्य होने वाली किसी रकम में से की जा सकेगी।

11. **विनिश्चय** :–इस संविदा की किसी शर्त या किन्हीं शर्तों के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला कोई विनिश्चय, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा, जिसे जिन्हें उस प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और उक्त विनिश्चय ऐसी रीति से और ऐसे समय या जानकारी के आधार पर किया जा सकेगा, जो ऐसा व्यक्ति उचित समझे।

12. **निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने की शक्ति**:–जबतक कि ठेकेदार ने अपनी निविदा में अभिव्यक्तत प्रतिकूल कोई बात अनुबंधित नहीं की है, भारत के राष्ट्रपति निविदा के किसी ऐसे भाग को, जिसे वे उचित समझें, स्वीकार कर सकते हैं।

13. **प्रतिभूति** :–ठेकेदार, अपेक्षा की जाने पर संविदा के समाधानप्रद रूप में पूरा किए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर रकम जमा करेगा।

14. **अग्रिम धन**–: ठेकेदार, निविदा प्ररूप प्रस्तुत करते समय अग्रिम धन के रूप में ——रुपए यूनिट के लेखा अधिकारी के पास जमा करेगा। निविदा के अस्वीकार कर दिए जाने की दशा में वह रकम, लौटा दी जाएगी किन्तु यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो उस उसके प्रतिभूति निक्षेप में समायोजित कर लिया जाएगा और यदि स्वीकृत निविदाकार संविदा करने से इंकार करता है तो उसका अग्रिम धन समपहृत कर दिया जाएगा।

15. **आयकर**:–ठेकेदार यह निविदा प्ररूप प्रस्तुत करते समय, अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी से प्राप्त किया गया आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। निविदा के साथ ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं कर दिया जाता कि फर्म अभी हाल में स्थापित की गई है।

16. **भाड़ा तथा विद्युत प्रभार** :–ठेकेदार, उसे आबंटित भवन (भवनों) पर सैनिक इंजीनियरी सेवा द्वारा प्रभारित भाड़ा प्रभारों और उपभोग की गई समस्त विद्युत के लिए संदाय करने के लिए दायी होगा। वह, उसे आबंटित भवन (भवनों) या-स्थान (स्थानों) को होने वाले किसी नुकसान के लिए भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

टिप्पण :—यदि यह निविदा पूर्णत :–या भागत: स्वीकार कर ली जाती है तो वह, राज्य के नियमानुसार अपेक्षित मूल्य के छपे स्टाम्प वाले न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर निष्पादित की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि लिखत समुचित रूप से स्टाम्पित है।

17. **उप संविदा करना**:–पूर्णत: या भागत: उप संविदा करना प्रतिषिद्ध है।

18. इस विलेख की विषयवस्तु या इस विलेख के अधीन या उसकी बाबत पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों, कतव्यों या दायित्वों के संबंध में या इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद या प्रश्न (जिनके संबंध में इसमें इसके पूर्व विशेष रूप से उपबंध न किया गया हो, प्रमुख एयर कमान आफिसर, पश्चिमी वायु कमान, भा०वा०से० द्वारा माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाएंगे और उस पर, उसका विनिश्चय अन्तिम और सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

अनुसूची सं० I

वर्ष 19————————के लिए सफाई संविदा की अनुसूची

1. क्या आप आय-कर दाता हैं ?

2. क्या आपने आय-कर का अद्यतन संदाय कर दिया है ?

3. क्या आपने अग्रिम धन के रूप में, . . . रुपए इस स्टेशन के ज्येष्ठ लेखा आफिसर के पास जमा कर दिए हैं (रसीद संलग्न कीजिए) ?

4. इस कार्य का आपको कितना अनुभव है ?

5. यदि आप ऊपर दी गई सभी शर्तें पूरी करते हैं तो कृपया निम्नलिखित के संबंध में अपनी दरें कोट करें :—

रु० पै०

(i) कचरा ढोने के लिए ट्रालीयुक्त प्रति ट्रैक्टर का मासिक प्रभार :————————

(ii) उपर्युक्त ट्रैक्टर का मासिक अवक्षयण प्रभार :————————

(iii) (क) चालकों की संख्या————————

(प्रति चालक दर सहित)————————

(ख) कुलियों/झाड़ूकशों की संख्या————————

प्रति कुली/झाड़ूकशों दर :————————

(iv) प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिमास तय की जाने वाली दूरी————————कि०मी०

(v) प्रतिमास लगने वाला पैट्रोल————————लीटर

प्रति खेप केहिसाब से————————लीटर

रुपए————————प्रति खेप के हिसाब से

(vi) प्रतिमास पैट्रोल प्रभार————————रु०

————————रुपए प्रति खेप के हिसाब से

(vii) वर्ष 19————————के लिए कुल प्रभार ————————

टिप्पणी: (क) कचरे का व्ययन विमानक्षेत्र की सीमा से कम———— मील दूर किया जाना है।

(ख) स्टेशन सम्पत्ति (अर्थात पात्रों) को हुए किसी नुकसान की पूर्ति, वायु कमान आफिसर स्टेशन कमाण्डर के विनिश्चय के अनुसार ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

————————

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

तारीख :

अनुसूची सं० 2

वर्ष 19————के लिए सफाई संविदा की अनुसूची

1. अपेक्षित पात्रों की कुल संख्या :	शून्य
2. इस स्टेशन में प्रयोग में आने वाले पात्रों का आकार और विनिर्देश :————————	——गेज के धातु के बने गोलाकार पात्र, जिनमें पात्रों के धातु के ढक्कन पैर से खोलने और बंद करने की व्यवस्था है। पात्रों का आकार लगभग——गैलन तथा कचराघर के रूप में निर्मित पात्र।
3. पात्रों की लागत	लागू नहीं होता
कुल प्रभार	लागू नहीं होता

तारीख————

————————————

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

वायु सेना स्टेशन, ---------सफाई करार 19-----------से 19-------------तक

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति और दूसरे पक्षकार के रूप में,-------------------------------- जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख-----------को किए गए करार का ज्ञापन।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :--

ठेकेदार बैरक क्षेत्रों और यूनिट लाइनों के भीतर सभी स्थानों से कूड़ा करकट, कचरा, मल-मूत्र और गंदा जल एकत्र करने, उसे हटाने और उसका व्ययन करने का करार निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर करता है, अर्थात् :--

1. ठेकेदार वायु कमान आफिसर, जिसे इसमें इसके आगे वायु कमान आफिसर कहा गया है, द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर, कचरा, कूड़ा-करकट और मलमूत्र के लिए, जिनके एकत्र किए जाने और हटाए जाने की व्यवस्था वायु कमान आफिसर द्वारा बताए गए रूप में की जाएगी, अनुसूची 2 के अनुसार पात्रों की व्यवस्था करने के लिए सहमत है। गंदे पानी के लिए मल-खड्ड की व्यवस्था एयर कमान आफिसर द्वारा की जाएगी।

2. वायु कमान आफिसर, कार्यालय--------- के बैरकों, आफिसरों के बंगलों और अन्य ऐसे भवनों और सम्पत्तियों के लिए, जिनका अनुरक्षण रक्षा प्राक्कलनों से होता है और जिनका ब्यौरा इससे संलग्न अनुसूची-1 में दिया गया है तथा जिन्हें इसमें आगे संयुक्ततः यूनिट क्षेत्र कहा गया है और ऐसे बैरकों, आफिसरों के बंगलों और अन्य भवनों और सम्पत्तियों के निकटस्थ सभी शौचालयों, मूत्रालयों, मल-खड्डों आदि के लिए, सफाई व्यवस्था करने का करार करता है।

3. वायु कमान आफिसर कूड़ा करकट, कचरा, मलमूत्र और गंदे पानी को उन स्थानों से ठेकेदार द्वारा व्यवस्था किए गए पात्रों और मल-खड्डों में एकत्र करने और हटाने की व्यवस्था करने का करार करता है।

4. ठेकेदार कूड़ा करकट, कचरा, मल-मूत्र और गंदा पानी उन पात्रों/मल-खड्डों में से जो उन्हें एकत्र करने और हटाने के लिए रखे गए हैं, संगृहीत करने और हटाने का करार करता है।

5. ठेकेदार इतने ड्राइवर, गाड़ियों, झाड़ूकशों, उपकरणों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेगा जितने वायु कमान आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर समस्त कचरे आदि को प्रतिदिन एकत्र करने, हटाने और उसके व्ययन के लिए पर्याप्त हों। ऐसे समय की लिखित सूचना वायु कमान आफिसर ठेकेदार को समय-समय पर देगा और ऐसी लिखित सूचनाएं जारी कर दी जाने पर, ठेकेदार पर आबद्धकर होंगी।

6. इस संविदा के पालन में ठेकेदार द्वारा हटाया गया सभी कचरा आदि उसकी सम्पत्ति हो जाएगा और उसका व्ययन वायु कमान आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के बाहर किया जाएगा।

7. ठेकेदार द्वारा सफाई सेवाएं किए जाने के प्रतिफलस्वरूप वायु कमान आफिसर ------------रु० वार्षिक का संदाय,-------------; -----रु० प्रति किस्त के हिसाब से, समान मासिक किस्तों में करेगा।

8. ठेकेदार वायु कमान आफिसर या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी आफिसर के ऐसे सभी अनुदेशों का, जो इस करार के संबंध में समय-समय पर दिए जाएं, पालन करेगा।

9. वायु कमान आफिसर ठेकेदार द्वारा व्यवस्था किए गए, यथास्थिति, ड्राइवरों, झाड़ूकशों, उपस्करों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की देखभाल या उनके रखे जाने के लिए दायी या जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार, यूनिट क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा लाए गए किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुए किसी नुकसान या हानि के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, इस करार के निबन्धनों के समुचित रूप से पालन के लिए-----रुपए की राशि प्रतिभूति के रूप में वायु कमान आफिसर के पास जमा करने का करार करता है। यह जमा रकम संविदा के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर लौटा दी जाएगी।

11. ठेकेदार यह भी करार करता है कि यदि इस करार के निबन्धनों के अधीन कभी कोई रकम उससे वसूलीय हो जाती है या उसके द्वारा सरकार को संदेय हो जाती है तो उसकी कटौती इसके खण्ड 10 में वर्णित प्रतिभूति निक्षेप में से या उस रकम में से की जा सकेगी, जो उस समय उसे शोध्य हो या जो इसके बाद इस या किसी अन्य करार के अधीन उसे शोध्य हो जाए।

12. ठेकेदार यह वचनबंध करता है कि यूनिट क्षेत्र के भीतर कोई भी ज्वलनशील वस्तु नहीं लाई जाएगी और यह कि उसके कर्मचारी यूनिट क्षेत्र के भीतर कूड़ा-करकट, कचरा आदि नहीं जलाएंगे और इसका व्यक्तिक्रम होने पर, वह वायु एयर कमान आफिसर द्वारा अधिरोपित जुर्माने का संदाय करेगा। यह प्रतिषेध वहां लागू नहीं होगा जहां कूड़ा-करकट, कचरा आदि का व्ययन, जलाकर किए जाने के लिए वायु कमान आफिसर ने लिखित रूप में अभिव्ययतः इसकी अनुज्ञा दे दी हो।

13. ठेकेदार यूनिट क्षेत्र के भीतर अपने कर्मचारियों के प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र या पास आदि दिए जाने के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगा जबकि वायु कमान आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञापत्र न दे या उसे निर्बंधित कर दे।

14. यदि ठेकेदार कूड़ा-करकट, कचरा, आदि प्रतिदिन या विनिर्दिष्ट समय के भीतर एकत्र करने, हटाने या उसका व्ययन करने में असफल रहता है तो वायु कमान आफिसर को यह अधिकार है कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना दिए बिना, स्वयं व्यवस्था करके कूड़ा करकट, कचरा आदि एकत्र करवा दे, हटवा दे या उसका व्ययन करवा दे और इस पर वायु कमान आफिसर द्वारा किया गया व्यय ठेकेदार के नामे डाल दिया जाएगा और उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

15. ठेकेदार, यूनिट क्षेत्र के भीतर वृक्षों, पौधों, पुलियों, भवनों, बगीचों या अन्य निर्मित क्षेत्र या किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, उसके द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा या यूनिट क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा लाए गए किसी पशु, यान या अन्य वस्तु द्वारा जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए किसी नुकसान के लिए प्रतिकर या संदय करने का दायी होगा। नुकसान के परिमाण या रकम का अवधारण एकमात्र वायु कमान आफिसर द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय ठेकेदार पर आबद्धकर होगा और ठेकेदार ऐसी नुकसानी का संदाय, वायु कमान आफिसर से लिखित सूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर करने के लिए दायी होगा।

16. यह करार————से————————तक की 12 मास की अवधि के लिए मान्य होगा जब तक कि इसे इस संविदा के उपबन्धों के अधीन पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता।

17. वायु कमान आफिसर, यह करार, यूनिट का स्थान परिवर्तन हो जाने की दशा में या इसके खण्ड 18 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, के अधीन, कोई सूचना दिए बिना, समाप्त कर सकता है। अन्य मामलों में यह करार किसी भी पक्षकार द्वारा 30 दिन की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त रूप में इस करार के समाप्त कर दिए जाने की दशा में, ठेकेदार इस करार की समाप्ति की तारीख तक इस करार के खण्ड 7 के अधीन देय रकम के संदाय का हकदार होगा किन्तु वह, इस प्रकार करार के ऐसे समाप्त कर दिए जाने के कारण उसके द्वारा किए गए किन्हीं व्ययों, या उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के संबंध में किसी प्रकार के प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

18. इस करार के किसी खण्ड या किन्हीं खण्डों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वायु कमान आफिसर, इस करार की शर्तों का ठेकेदार द्वारा भंग किए जाने की दशा में, इस करार को तुरन्त समाप्त कर सकेगा और ठेकेदार की ओर से हुए इस प्रकार के भंग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई किसी हानि या नुकसान की बाबत रकम की मांग, ठेकेदार से कर सकेगा और इस प्रकार मांगी गई रकम का संदाय, वायु एयर कमान आफिसर से इस आशय की लिखित सूचना की प्राप्ति से 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर, ठेकेदार द्वारा कर दिया जाएगा।

19. वायु कमान आफिसर, ऐसे सही और पूर्ण बिलों की, जो प्रत्येक मास की पहली तारीख को ठेकेदार द्वारा ठीक पिछले मास में उसके द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में प्रस्तुत किए जाएंगे, प्राप्ति के 20 दिन के भीतर ठेकेदार को प्रत्येक मास संदाय करने का करार करता है।

20. संदाय चैक द्वारा किए जाएंगे। चैक ठेकेदार को डाक से भेजी जाएगी और ठेकेदार ऐसी चैकों की, जिनमें अंतरिम संदाय की चैकें भी हैं, प्राप्ति की सूचना, उनकी प्राप्ति की तारीख से 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर, दे देगा। चैकों की प्राप्ति की सूचना देने में असफल रहने पर, उसे दी गई उक्त सुविधा वापस ली जा सकेगी। ऐसे व्यतिक्रम की दशा में, चैक जारी करने वाला उपयुक्त प्राधिकारी, प्राप्ति की ऐसे सूचना न देने के लिए ठेकेदार से स्पष्टीकरण देने की मांग कर सकेगा और डाक के चैक द्वारा संदाय तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब ठेकेदार से समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा अन्यथा उसे भावी संदायों के लिए चैकें संबंधित प्राधिकारी से, उचित रसीद देकर प्राप्त करनी होंगी।

21. ठेकेदार, वायु कमान आफिसर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना यह संविदा किसी व्यक्ति को उप-पट्टे पर नहीं देगा अन्यथा यह संविदा, कोई सूचना दिए बिना, रद्द की जा सकेगी। इस बात के होते हुए भी कि यह संविदा वायु कमान आफिसर की सहमति से ठेकेदार ने उप-पट्टे पर दी हो, प्रधान ठेकेदार, इस संविदा के निबंधनों और शर्तों के उप-ठेकेदार द्वारा, जो कि प्रधान ठेकेदार के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा या जो इस करार का एक पक्षकार होगा, पूर्णतः और समाधानप्रद ढंग से पालन किए जाने के संबंध में दायी और जिम्मेदार होगा।

22. यदि इस करार की विषय-वस्तु या इस विलेख के अधीन पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों से या उनके संबंध में, इसके पक्षकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद, उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय का इसमें इसके पूर्व विशेष रूप से उपबंध किया गया है, उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख वायु कमान आफिसर, पश्चिमी वायु कमान, भा०वा०से०के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। यह आपत्ति नहीं की सकेगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या यह कि उसे ऐसे विषयों के संबंध में कार्रवाही करनी पड़ी है जिनका उस विलेख से संबंध है तथा यह कि वह ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विवाद-ग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार प्रकट कर चुका है।

मध्यस्थ, अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने के समय में पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर वृद्धि कर सकेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

_____

(हस्ताक्षर)
वायु कमान आफिसर,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

साक्षी

1. _____ }
2. _____ } साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पते।

_____

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

पता_____

_____

साक्षी सं० 1_____ }
साक्षी सं० 2_____ } साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पते

अनुमोदित/अननुमोदित किया गया

वायु मार्शल
प्रमुख वायु कमान आफिसर, मुख्यालय,
पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

तारीख_____

निविदा सं०——————

निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश

——————————

तारीख——————

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

में,

——————————

——————————

विषय : सरकारी सामान का परिवहन (स्थानीय सेवा)।

महोदय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, एक वर्ष की अवधि तक सरकारी सामान के परिवहन (स्थानीय सेवा) के लिए आपसे निविदा-आमंत्रित करते हैं। किन्तु सरकार इस अवधि की समाप्ति के एक मास पूर्व, लिखित सूचना देकर, इस अवधि को तीन मास तक बढ़ा सकेगी। यदि सरकार इस अवधि को बढ़ाना चाहेगी तो उसके निबंधन पारस्परिक सहमति से तय किए जाएंगे। निबंधनों और शर्तों सहित निविदा प्ररूप, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, मु०प्र०अ० सी और एस–3 अनुभाग, कमरा सं०——— सी–II हटमेंटस (साउथ ब्लाक के पीछे), डलहौजी रोड, नई दिल्ली के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को 10.00 बजे और 17.00 बजे के बीच, प्रति सेट दस रुपए का संदाय करके, तारीख——————————तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. संपूर्ण संविदा-अवधि के दौरान परिवहन किए जाने वाले सामान का भार लगभग——————किलोग्राम होगा। उक्त भार की मात्रा अनुमानित है अतः मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उसमें किसी भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार को उस सभी सामान का परिवहन करना होगा जिसकी संविदा अवधि के दौरान, परिवहन की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाएगी।

3. विहित प्ररूप में निविदा, सभी प्रकार से सम्यक्तः भर कर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को तारीख——————को——————बजे तक पहुंच जानी चाहिए और निविदाएं खोली जाने की तारीख से——————————दिन की अवधि के लिए, जब तक कि यह अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई नहीं जाती, खुली रखी जानी चाहिए। निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए और उस पर निविदा सं० निविदाएं खोली जाने की तारीख तथा "सरकारी सामान के परिवहन के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए। लिफाफा ——————————, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, सी–II हटमेंटस, डी ह्यू आकबर, नई दिल्ली–110011 के पते पर, रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजा जाना चाहिए या निविदाओं की प्राप्ति के लिए नई दिल्ली में साउथ ब्लाक के पीछे सी–II हटमेंटस में कमरा सं०——————के बाहर रखे गए बक्से में नियत तारीख और समय के पूर्व डाल दी जानी चाहिए। वे निविदाएं, जो किसी भी कारणवश, विलम्ब से प्राप्त होंगी या जो अपूर्ण होंगी या जिनके साथ अग्रिम धन (इसमें नीचे पैरा 8 में उल्लिखित) नहीं होगा उन्हें नामंजूर किया जा सकेगा।

4. निविदाकारों को निविदा करने की अनुज्ञा उनके द्वारा स्पष्टतः यह समझ लिए जाने पर दी जा रही है कि वे अपनी प्रस्थापना से पीछे नहीं हटेंगे या उस तारीख तक, जिस तक उनसे उनकी कोटेशनें खुली रखने की अपेक्षा की गई है, निविदा के निबंधनों और शर्तों में उपान्तरण नहीं करेंगे। यदि निविदा उस तारीख के पूर्व वापस ले ली जाती है, उसमें संशोधन कर दिए जाते हैं या उसमें कोई शर्तें जोड़ दी जाती हैं तो निविदाकार का अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा और उसका/उनके नाम, निविदाकार की ओर से ऐसे भंग के लिए सरकार के किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से निकल दिया जाएगा/दिए जाएंगे। दरों को या निविदा की अन्य शर्तों को न तो परिवर्तित या उनमें उपरिलेखन किया जाए और न उन्हें मिटाया जाए। यदि दरों में कोई परिवर्तन आवश्यक हो जाता है तो वह सुपाठ्य रूप में किया जाए और निविदाकार उसे आद्यक्षरित करे। दरों में पैसे का भाग दर्शित न किया जाए। दरें शब्दों और अंकों, दोनों में, लिखी जाएं।

5. निविदाएं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, कमरा सं०————, सी–II हटमेंटस, डल्हौजी रोड, नई दिल्ली के कार्यालय में तारीख————को————बजे खोली जाएंगी और सभी निविदाकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऊपर उल्लिखित समय, तारीख और स्थान पर, निविदाएं खोले जाने के समय, उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित हैं। सरकार निविदाएं खोली जाने की तारीख बढ़ा सकती है। ऐसे बढ़ाई गई तारीख निविदाकारों को सूचित कर दी जाएगी।

6. यदि कोई व्यक्ति निविदा प्ररूप पर या किसी दस्तावेज पर, जो संविदा का भागरूप है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करता है तो यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे अन्य व्यक्ति को आबद्ध करने का प्राधिकार है और यदि जांच करने पर प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का कोई प्राधिकार नहीं था तो सरकार, अन्य सिविल और दांडिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा रद्द कर सकेगी और हस्ताक्षरकर्ता को खर्च और नुकसान के लिए दायी ठहरा सकेगी।

7. निविदाकारों को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि निविदा पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित बातों का विनिर्देश करे:—

(क) क्या उसने फर्म के "एकमात्र स्वत्वधारी" के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) क्या उसने फर्म के "रजिस्ट्रीकृत सक्रिय भागीदार" के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) क्या फर्म के लिए हस्ताक्षर किए हैं अर्थात् अभिहस्ताक्षर किए हैं?

(घ) कंपनियों और रजिस्ट्रीकृत फर्मों की दशा में, क्या सचिव, प्रबंधक, भागीदार, निदेशक आदि के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए किस प्रकार प्राधिकृत है? उस दस्तावेज की प्रति निविदा के साथ भेजी जानी चाहिए जिसके द्वारा उसे ऐसे प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) निविदा प्ररूप पर या किसी दस्तावेज पर, जो संविदा का भागरूप है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, अपने पक्ष में यह कथन करने वाला सम्यक्तः निष्पादित समुचित मुख्तारनामा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उसे, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्तियों या फर्म के सभी भागीदारों को, संविदा से संबंधित सभी विषयों में, जिनके अंतर्गत माध्यस्थम् खण्ड भी है, आबद्ध करने का प्राधिकार है। यदि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बाद में उचित समय के भीतर उक्त मुख्तारनामा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो सरकार, अन्य सिविल और दांडिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा रद्द कर सकेगी और हस्ताक्षरकर्ता को सभी खर्चों और नुकसान के लिए दायी ठहरा सकेगी।

8. निविदाकारों को, निविदा के साथ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में अग्रिम धन के रूप में 1000.00 रुपए (केवल एक हजार रुपए) देने होंगे। ये रकम भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांग पर जमा रसीद के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार जमा कराया गया अग्रिम धन (यदि वह उक्त खंड 4 के अधीन समपहृत नहीं किया जाता है) निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति के तत्काल बाद असफल निविदाकारों को वापस कर दिया जाएगा। अग्रिम धन पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. वह अग्रिम धन, जो किसी अन्य निविदा के लिए इस कार्यालय के पास जमा होगा, न तो विद्यमान निविदा के लिए समायोजित किया जाएगा और न ही नकद रूप में या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पक्ष में किसी बैंक द्वारा प्रत्याभूत चैक से, स्वीकार किया जाएगा। अग्रिम धन का समायोजन निविदाकार के उन बिलों से भी नहीं किया जा सकेगा, जो निविदाकार को संदाय के लिए इस कार्यालय के पास लंबित होंगे।

10. सरकार निम्नतम या सम्पूर्ण निविदा स्वीकार करने या किसी निविदा को अस्वीकार करने के लिए कारण बताने के लिए, आबद्ध नहीं है। सरकार को, संविदा एक या अधिक निविदाकारों में विभाजित करने का एकमात्र और आत्यंतिक अधिकार है और निविदाकारों को उसका पालन करना होगा।

11. सरकार द्वारा निविदा की स्वीकृति, सफल निविदाकार (ठेकेदार) को औपचारिक "निविदा स्वीकृति पत्र" द्वारा सूचित की जाएगी किन्तु यदि स्वीकृति तार या तुरन्त पत्र द्वारा पहले ही सूचित कर दी जाती है तो ठेकेदार को निविदा की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही ऐसी सूचना पर तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए।

12. ठेकेदार को सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना यह संविदा, किसी अन्य पक्षकार को उप-पट्टे पर देने समनुदिष्ट करने या न्यस्त करने का अधिकार नहीं है।

H-87-M/P(N)227MoDLJ&CA—3(a)

13. आय-कर प्राधिकारियों से आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र या इस आशय का एक व्यक्तिगत प्रमाणपत्र कि आय-कर विवरण निर्धारण के लिए पहले ही उन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है, निविदा के साथ संलग्न किया जाए, ऐसा करने में असफल रहने पर कोटेशनें स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। यदि ठेकेदार आय-कर के लिए निर्धार्य नहीं है तो इस आशय का लिखित रूप में एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है।

14. निविदाकार अपनी निविदाओं के साथ, मूल रूप में, निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे :—

(क) सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की बाबत उस बैंक से एक प्रमाणपत्र जिसमें उसका खाता हो।

(ख) उन दो या तीन संगठनों से एक प्रमाणपत्र जिनके लिए उसने पहले कभी ऐसा परिवहन-कार्य किया हो।

15. यदि ठेकेदार संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अपनी बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहता है तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगी और उस दशा में ठेकेदार सरकार द्वारा इस प्रकार उपगत अतिरिक्त व्यय, सरकार को संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसकी कटौती सरकार, अपने पास बकाया बिलों/प्रतिभूति निक्षेप से कर सकेगी।

16. ठेकेदार, निविदा की स्वीकृति के दस दिन के भीतर ——— रु० (——— रुपए) संविदा के समाधानप्रद निष्पादन के लिए, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेगा। ऐसा प्रतिभूति निक्षेप किसी भी डाकघर बचत बैंक खाते (प्रतिभूति निक्षेप) में जमा किया जाएगा और ऐसा खाता भारत के राष्ट्रपति के नाम गिरवी रख दिया जाएगा तथा उसकी पास बुक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द कर दी जाएगी। सरकार ऐसे निक्षेप पर कोई ब्याज देने के लिए दायी नहीं होगी।

17. ठेकेदार, निविदा स्वीकृति की प्राप्ति के ——————— दिन के भीतर, सरकार के साथ एक करार, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न है, निष्पादित करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर, सरकार संविदा, रद्द कर सकेगी और प्रतिभूति निक्षेप, सरकार के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समपहृत कर सकेगी।

18. सभी प्रकार से सरकार के समाधानप्रद रूप में संविदा का सम्यक पालन और पूर्ति कर दिए जाने पर प्रतिभूति निक्षेप, इस या किसी अन्य संविदा के अधीन सरकार को शोध्य किसी संदाय के समायोजन के पश्चात्, ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। यदि संविदा का पालन समय से या सरकार के समाधानप्रद रूप में नहीं किया जाता है तो सरकार, जैसा भी उचित समझे, प्रतिभूति निक्षेप की रकम पूर्णतः या भागतः समपहृत करने की हकदार होगी। यदि ठेकेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति निक्षेप देने में असफल रहता है तो संविदा भंग हो जाएगी और सरकार, ठेकेदार की जोखिम और व्यय पर, कोई अन्य व्यवस्था करने की हकदार होगी।

19. ये शर्तें, (जिनके अन्तर्गत संविदा करार भी है) दो प्रतियों में, उसके हिन्दी रूपान्तर सहित भेजी जा रही हैं। निविदाकार अपनी स्वीकृति के रूप में, प्रत्येक की (अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर की) एक प्रति नीचे दिए गए अनुसार सम्यक्तः हस्ताक्षर करके अपनी निविदा के साथ भेज दे और दूसरी प्रति अपने निर्देश के लिए रख ले।

भवदीय,

(   )

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

टेलीफोन :———————

———————————

(निविदा आमंत्रित करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

[illegible] संविदा करार में उल्लिखित शर्तों सहित उपर्युक्त शर्तें, मुझे/हमें स्वीकार हैं और मैं/हम उनका पालन करने का करार [illegible]/करते हैं।

———————————

निविदाकार के हस्ताक्षर
(वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है, अर्थात्, एकमात्र स्वत्वधारी आदि के रूप में)

पता———————————

साक्षी :—

हस्ताक्षर———————————

नाम———————————

पता———————————

उपजीविका———————————

करार

ठेकेदार के एकमात्र स्वत्वधारी होने की दशा में

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री————————————, जो एकमात्र स्वत्वधारी के रूप में ————————————के नाम और अभिनाम से कार्य कर रहे हैं और जिन्हें इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ से ऐसा अपवर्जित वा उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख————————————को किया गया।

या

ठेकेदार के भागीदारी फर्म होने की दशा में

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में, मैसर्स ———————————— जो एक भागीदारी फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय————————————में स्थित है तथा जिसे इस में आगे "ठेकेदार" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उक्त फर्म के भागीदार, उनके उत्तरजीवी और उनके अपने-अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख————————————को किया गया।

सरकार ने सामान के परिवहन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी और ठेकेदार ने निविदा प्रस्तुत की थी, जो इस औपचारिक करार के किए जाने के अधीन रहते हुए, सरकार ने स्वीकार कर ली है।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित पारस्परिक करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

1. ठेकेदार, सैनिक प्रत्यय पत्र के साथ सरकार से अनुदेश प्राप्त होने के पश्चात्, सामान सहित सभी पैकजों को, जो संबद्ध सेक्शनों के बाहर वाले स्टेशनों को प्रेषण के लिए आशयित हैं, एकत्र करेगा और उन्हें यथास्थिति, नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली-छावनी आदि रेल स्टेशनों को तत्काल पहुंचाएगा। इस संबंध में सभी अन्य औपचारिकताएं ठेकेदार द्वारा पूरी की जाएंगी। उन भिन्न-भिन्न स्टेशनों के बारे में, जिनके लिए बुकिंग अस्थायी रूप से बन्द कर दी गई हो किन्तु जिनको पैकेज प्रेषित किए जाने हैं, रेल प्राधिकारियों से इस बारे में कि कब उन स्टेशनों के लिए बुकिंग खोली जाएगी, सम्यक् पूछताछ करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार इसके अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में किसी भी रूप में कोई विलंब नहीं होने देगा।

2. ठेकेदार पूर्वोक्त पैकेजों को अविलम्ब बुक करेगा और परेषितियों को आगे प्रेषण के लिए रेल रसीदें सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को यथासंभव उसी दिन या अधिक से अधिक आगामी दिन, सुपुर्द कर देगा। यदि किसी प्रेषित किए जाने वाले माल से प्रेषण में सैनिक प्रत्ययपत्र के जारी किए जाने की तारीख से सात दिन से अधिक विलंब होता है तो ठेकेदार को ऐसे विलंब की अवधि के लिए कोई संदाय नहीं किया जाएगा और ठेकेदार ऐसे विलंब की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए, परेषण के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से, करार पाई गई परिनिर्धारित नुकसानी का संदाय करेगा। पैकेजों के मूल्य, उनके प्रेषण में दिए गए विलंब और विलंबित प्रेषण के संबंध में उदग्रहणीय कुल परिनिर्धारित नुकसानी की मात्रा के बारे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। करार का एक निबंधन यह भी है कि यथापूर्वोक्त उद्गृहीत परिनिर्धारित नुकसानी का आधार शास्ति न होकर ठेकेदार द्वारा करार पाई गई राशि है।

3. ठेकेदार बाहर के स्टेशनों से बुक किए गए उन पैकेजों के बारे में जो रेल प्राधिकारियों/परिवहन कंपनियों से एकत्र किए जाने हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय से प्रतिदिन रेल/परिवहन कंपनियों की रसीदें एकत्र करेगा। रेल/परिवहन कंपनी रसीदें, माल या पार्सल कार्यालयों/परिवहन कंपनियों के कार्यालयों में प्रतिदिन प्रस्तुत की जाएंगी और पैकेजों के पहुंचते ही परिदान प्राप्त किए जाएंगे। यदि ठेकेदार की ओर से अपेक्षा और/या लापरवाही के कारण पैकेजों का परिदान लेने में कोई विलंब होता है तो वह सभी डेमरेज/स्थान-भाड़ा प्रभारों का संदाय करेगा।

4. ठेकेदार उन पैकजों के पहुंचने के बारे में, जिनकी रेल/परिवहन कंपनी रसीदें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं और परिदत्त नहीं की गई हैं, नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली-छावनी और अन्य स्थानीय रेल स्टेशनों (माल/पार्सल कार्यालयों) और परिवहन कंपनियों के कार्यालयों से पूछताछ करने के संबंध में अत्यधिक सतर्क रहेगा और क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करके उनका परिदान लेगा। ठेकेदार ऐसे मामलों में तत्परता बरतने के लिए सभी संभव प्रयत्न करेगा।

5. ठेकेदार अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी पैकेजों को उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन संबद्ध सेक्शनों को दे देगा। उन पैकेजों की भी, जो स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं हैं, उन सेक्शनों का, जिनके लिए वे आशयित हैं, पता लगाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकासी कराएगा। ठेकेदार सरकार द्वारा विहित रीति में सेक्शनों से रसीदें प्राप्त करेगा और जो अभिस्वीकृत नहीं की जाती हैं उनके लिए ठेकेदार लेखादायी होगा। उस प्रेषण के बारे में ठेकेदार को कोई संदाय नहीं किया जाएगा जिसके ठेकेदार द्वारा परिदान में, रेल/परिवहन कंपनियों से उसके एकत्र किए जाने की तारीख से, तीन दिन से अधिक का विलंब होता है, और ठेकेदार ऐसे तीन दिन के आगे वाली विलंब की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए प्रेषण के मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से, करार पाई गई परिनिर्धारित नुकसानी का संदाय करेगा। पैकेजों के मूल्य, पैकेजों के परिदान में किए गए विलंब और विलंबित परिदान के संबंध में उद्ग्रहणीय कुल परिनिर्धारित नुकसानी की मात्रा के बारे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। करार का एक निबंधन यह भी कि यथापूर्वोक्त उद्गृहीत परिनिर्धारित नुकसानी का आधार शास्ति न होकर, ठेकेदार द्वारा करार पाई गई राशि है।

6. यदि ठेकेदार किन्हीं कारणवश, जो उसके नियंत्रक में हों समय से पैकेज एकत्र नहीं करता है और उससे सरकार को कोई हानि या नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे पूरा करेगा। यदि सरकार के सामान को, ठेकेदार के कब्जे में होने के दौरान या रेल स्टेशनों/परिवहन कंपनियों से कार्यालयों को या कार्यालयों से रेल स्टेशनों/परिवहन कंपनियों को उनके परिवहन के दौरान कोई हानि या नुकसान पहुंचाता है तो ठेकेदार उसे पूरा करेगा।

7. इसके अधीन की गई सेवाओं के लिए ठेकेदार को निम्नलिखित दरों पर प्रभारों का संदाय किया जाएगा :—

	(प्रति दस कि०ग्रा० दर)	
	रु०	पै०
1.		
2.		
3.		

8. ठेकेदार सभी प्रभारों के लिए एक समेकित बिल प्रस्तुत करेगा और बिल में सभी विशिष्टियां (अर्थात्, रेल/परिवहन कंपनी रसीदें, पैकेजों का वास्तविक भार और वह सेक्शन, जिसमें वे परिदत्त किए जाने हैं) दी जाएंगी। ठेकेदार को संदाय, रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्यालय), नई दिल्ली से चैक प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाएगा। सभी संदाय भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थानीय शाखा से किए जाएंगे। बिल उस मास के अन्तिम दिन के पश्चात् एक मास के भीतर दे दिए जाएंगे, जिसमें सेवाएं की गई हैं। अग्रिम रूप में कोई संदाय नहीं किया जाएगा। यदि इसके अधीन ठेकेदार से कोई धनराशि वसूलीय या उसके द्वारा संदेय हो जाती है तो ठेकेदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी धनराशि अपने किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को इस करार या सरकार के साथ ठेकेदार के किसी अन्य करार के अधीन, उस समय शोध्य या किसी समय शोध्य होने वाली राशि में से काट ले।

9. ठेकेदार ने प्रतिभूति के रूप में———————रुपए (केवल———————रुपए) की राशि डाक घर में जमा कर दी है और प्रतिभूति निक्षेप लेखा, सरकार के पक्ष में गिरवी कर दिया है तथा पास बुक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को दे दी है। यदि ठेकेदार इस करार के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है या यदि इसके अधीन ठेकेदार का कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है तो उसके बारे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है तो सरकार इस करार को तुरन्त समाप्त करने की हकदार होगी और इस निमित्त सरकार के किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभूति निक्षेप पूर्णतः या भागतः जैसा सरकार विनिश्चय करे, सरकार को समपहृत हो जाएगा। ऐसे पर्यवसान पर या अन्यथा सरकार ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, इस करार के अधीन कार्य पूरा करा सकेगी।

10. यदि सरकार किसी समय, ऊपर पैरा 9 में निर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारणवश इस संविदा को समाप्त करना चाहती है तो सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की तीन मास की सूचना देकर वह संविदा समाप्त कर सकेगी : परन्तु ठेकेदार सूचना की अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए दायी होगा और सरकार उस मद में ठेकेदार को कोई प्रतिकर, चाहे वह जो भी हो, देने के लिए दायी नहीं होगी।

11. ठेकेदार सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को यह या कोई अन्य संविदा प्राप्त करने या उसके निष्पादन के संबंध में कोई कार्य करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या किए गए या किए जाने से प्रविरत रहने के लिए या इस या किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति को अनुग्रह या अनुग्रह दिखाने या दिखाने से प्रविरत रहने के लिए कोई दान या उत्प्रेरण के रूप में किसी प्रकार के प्रतिफल या इनाम की न तो प्रस्थापना करेगा, न देगा और न देने के लिए सहमत होगा।

12. यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या ठेकेदार की जानकारी में उसके बिना उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति, उपर्युक्त खंड 11 में दी गई शर्त भंग करता है तो सरकार अपने किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, इस करार को तुरन्त समाप्त करने और ऐसी समाप्ति से होने वाली किसी हानि या नुकसान की रकम ठेकेदार से वसूल करने की हकदार होगी।

13. ठेकेदार उन सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी नियमों का अनुपालन करेगा जो सशस्त्र बलों के मुख्यालयों को लागू हैं और सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रवृत्त किए जाते हैं। साथ ही यदि सुरक्षा भंग होती है तो सरकार को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, यह संविदा समाप्त की जा सकेगी। इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

14. यह करार, इसमें इसके पूर्व उल्लिखित निबंधनों के अधीन रहते हुए, एक वर्ष की अवधि के लिए, जो——————————से आरंभ होगी, प्रवृत्त रहेगा। किन्तु सरकार इसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर ही एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से एक मास पूर्व इस आशय की ठेकेदार को रजिस्ट्रीकृत रसीदी लिखित सूचना देकर एक वर्ष की इस अवधि को तीन मास तक की अवधि के लिए और उसके पश्चात् यदि बढ़ाई गई अवधि तीन मास से कम की है तो बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से दस दिन पूर्व लिखित सूचना देकर, बढ़ा सकेगी। यदि सरकार उक्त वैकल्पिक अवधि के आगे भी इस करार को बढ़ाना चाहती है तो ठेकेदार उसके लिए कोई आक्षेप नहीं करेगा।

15. यदि इसके पक्षकारों के बीच, इस करार में उल्लिखित किसी भी बात के संबंध में कोई विवाद, प्रश्न या मतभेद (उन विवादों, आदि को छोड़कर जिनके अंतिम रूप में विनिश्चय के लिए इस करार में विशेष रूप से उपबंध किया गया है) उत्पन्न होता है तो वह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्था०) को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, निर्देशित किया जाएगा। ऐसा किसी नियुक्ति के बारे में यह आक्षेप नहीं किया जाएगा कि इस प्रकार नियुक्त किया गया मध्यस्थ सरकारी सेवक है या यह कि उसे ऐसे विषयों में कार्रवाई करनी पड़ी है जिससे यह करार संबंधित है और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने ऐसे विवाद या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उक्त मध्यस्थ का विनिश्चय निश्चायक और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। मध्यस्थ, अधिनिर्णय देने और प्रकाशित करने के समय को पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर बढ़ा सकेगा। माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली होगा। ऊपर जैसा कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उसके कानूनी उपान्तरण, जो उस समय प्रवृत्त हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

16. इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् इस करार के अधीन सरकार द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाहियां मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएंगी और ठेकेदार उससे संबंधित सभी मामलों में सीधे उससे पत्र व्यवहार करेगा।

17. सरकार की ओर से दी या ली जाने वाली सभी सूचनाएं या किए जाने वाले सभी निदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी या ली या किए जा सकेंगे, जिसे तत्समय उक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों। इस करार के निबंधनों के अधीन ठेकेदार को दी गई कोई सूचना या निदेश, सम्यक्तः तामील किया गया समझा जाएगा, यदि वह ठेकेदार के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया जाता है। इसी प्रकार सरकार को दी जाने वाली कोई सूचना सम्यक्तः तामील की गई समझी जाएगी यदि वह उक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को परिदत्त कर दी जाती है, उसके पास छोड़ दी जाती है या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाती है। इस प्रकार डाक से भेजी गई कोई सूचना उस समय की समाप्ति पर, जिसमें डाक के सामान्य अनुक्रम में वह उस पते पर जिस पर वह भेजी गई है, पहुंच जाती, तामील की प्रथमदृष्टया सबूत होगी।

18. इस करार पर उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी ।

साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री————————में, उसमें
का प्रयोग करते हुए, और ठेकेदार ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस करार पर अपने-अपने हस्ताक्षर

————के लिए

————

के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

————

(हस्ताक्षर)

साक्षी:—

1.

2.

तार सं०——————————

ठेकेदार का तार का पता——————

टेलीफोन सं०——————————

सामान के परिवहन के लिए निविदा

(स्थानीय सेवा)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली के माध्यम से

महोदय,

मैं/हम (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है) ——————————के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए, जो—————————— से या निविदा स्वीकृति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो आरंभ होगी, इसमें कथित दरों पर संलग्न अनुसूची में प्रगणित सेवाएं करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं। मैंने/हमने "निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश" में यथा उल्लिखित संविदा के अनुदेशों और शर्तों का तथा करार प्ररूप में जिनका एक नमूना "निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश" के साथ (परिशिष्ट "क" के रूप में) संलग्न है, उल्लिखित सभी निबंधनों और शर्तों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है और उन्हें समझ लिया है और मैं/हम पूर्वोक्त "निविदा आमंत्रण और निविदाकारों के अनुदेश" के उपबंधों और पूर्वोक्त करार प्ररूप में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूं/हैं।

2. मैं/हम निविदाओं के खोले जाने की तारीख से——————दिन के लिए यह प्रस्थापना खुली रखने और उक्त अवधि के दौरान उसे वापस न लेने, उस में संशोधन या उपान्तरण न करने का करार करता हूं/करते हैं। मैं/हम विहित समय के भीतर प्रेषित की गई किसी स्वीकृति संसूचना से आबद्ध हूंगा/होंगे। मैंने/हमने अग्रिम धन जमा करा दिया है। मैंने/हमने समझ लिया है कि मेरी/हमारी ओर से इस अनुबंध के प्रतिफल स्वरूप मुझे/हमें निविदा दस्तावेज जारी किए गए हैं और निविदा करने की अनुज्ञा दी जा रही है कि निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं/हम निविदाओं के खोले जाने की तारीख से 90 दिन तक अपनी प्रस्थापना से पीछे नहीं हटूंगा/हटेंगे या उसके निबंधनों और शर्तों में उपान्तर नहीं करूंगा/करेंगे और यदि मैं/हम पूर्वगामी अनुबंध का पालन और अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो उक्त अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा।

3. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि यदि मैं/हम स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तारीख से——————दिन के भीतर संविदा के अधीन कार्य स्वीकार करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा।

भवदीय,

तारीख————

——————————
निविदाकार के हस्ताक्षर और वह हैसियत जिसमें उसमें हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात्, एकमात्र स्वत्वधारी, आदि के रूप में

पता——————————

——————————

साक्षी :–

1. हस्ताक्षर———————————

नाम———————————

पता———————————

उपजीविका———————————

2. हस्ताक्षर———————————

नाम———————————

पता———————————

उपजीविका———————————

महत्वपूर्ण अनुदेश

यदि निविदाकार कोई व्यक्ति है तो निविदा दस्तावेजों पर वह व्यक्तिगत रूप में, या उसका सम्यक् रूप से नियुक्त अटर्नी हस्ताक्षर करे। यदि वह कोई भागीदारी फर्म है तो सभी भागीदार या उनके सम्यक् रूप से नियुक्त ऐसा कोई अटर्नी हस्ताक्षर करे, जिसे संविदा से संबंधित सभी विषयों में, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् खंड भी हैं, सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अभिव्यक्त रूप से प्राधिकार हो। यदि निविदाकार कोई लिमिटेड कंपनी है तो इन दस्तावेजों पर वह व्यक्ति हस्ताक्षर करे, जो अपने हस्ताक्षरों से कंपनी को आबद्ध कर सकता हो।

87-M/P(N)227MofLJ&CA—4(a)

निविदा-स्वीकृति

सं०————————————

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय,
रक्षा मंत्रालय डाकखाना, नई दिल्ली–
110001

तारीख————————

सेवा में,

————————————
————————————
————————————

विषय : वर्ष ——————————के दौरान सरकारी सामान के परिवहन के लिए संविदा स्वीकृति।

प्रिय महोदय,

मुझे अनुसूची के अनुसार सेना मुख्यालय के सेक्शनों और अन्तर सेवा संगठनों के कार्यालय परिसरों से दिल्ली राज्य में स्थित रेल स्टेशनों तक और रेल स्टेशनों, परिवहन कंपनियों से पूर्वोक्त कार्यालयों तक सरकारी सामान के परिवहन के लिए आपकी कोटेशनों के साथ आपकी तारीख————————की निविदा सं०————————के प्रति निर्देश करने और आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आपकी कोटेशनें "निविदा आमंत्रण और निविदाकारों के लिए अनुदेश" और उससे उपाबद्ध प्ररूप करार में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर ली हैं।

2. आपसे अनुरोध है कि आप, इस संविदा को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर किसी डाक खाने में प्रतिभूति निक्षेप लेखा में जो भारत के राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखा गया हो ————————रु० (केवल————————रुपए) की राशि जमा करा दें। ऐसा करने में असफल रहने पर सरकार संविदा के निबंधनों के अधीन उसे उपलब्ध कोई अन्य उपचार करने के अतिरिक्त, यह संविदा रद्द कर सकेगी और आपकी जोखिम और खर्च पर कोई अन्य व्यवस्था कर सकेगी तथा अग्रिम धन समपहृत कर सकेगी।

3. आपसे अनुरोध है कि आप यथासंभवशीघ्र, किन्तु अधिक से अधिक ————————तक, संविदा करार निष्पादित कर दें अन्यथा सरकार आपका अग्रिम धन समपहृत कर लेगी और इस संविदा को रद्द कर देगी तथा आपकी जोखिम और खर्च पर अन्य व्यवस्था कर लेगी।

4. कृपया इस 'निविदा स्वीकृति पत्र' की पावती संलग्न प्रोफार्मा में तुरन्त सूचित करें।

5. 'निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश' और उसके संलग्नक, निविदा स्वीकृतिपत्र और निष्पादित करार संविदा के निबंधनों के एकमात्र आधार होंगे और सभी भावी पत्र-व्यवहार में केवल इसी पत्र का हवाला दिया जाए।

भवदीय,

उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

सं०————————

भारत के राष्ट्रपति,

... के प्रशासनिक अधिकारी,

... मंत्रालय,

नई दिल्ली के माध्यम से ।

... सरकारी सामान का परिवहन—वर्ष————————के लिए संविदा ।

... आपके "निविदा स्वीकृति" पत्र सं०————————————तारीख————————की ... स्वीकार की जाती है । हम उसमें और करार में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार उक्त कार्य को करने का करार करते हैं ।

भवदीय,

————————

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मुद्रा ————————

तारीख————————

सन् 19————से 19————के लिए सफाई करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में छावनी बोर्ड, ...(जिसे इसमें आगे "बोर्ड" कहा गया है) के बीच आज तारीख .....को किया गया।

..... छावनी बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि वह कमान आफिसर (जिसे इसमें आगे "कमान आफिसर" कहा गया है) के नियंत्रण के अधीन .....छावनी के भीतर बैरक क्षेत्रों तथा यूनिट लाइनों के सब स्थानों में कूड़ाकरकट गंदगी, मल तथा गन्दा पानी इकट्ठा करने, हटाने और उसका व्ययन करने के लिए विशेष व्यवस्था करे।

छावनी विनियम, 1924 की धारा 98 में यह उपबन्ध है कि उसके लिए आवधिक संदाय किए दरें, तारीखें और अन्य निबन्धन तथा शर्तें उक्त पक्षकारों के बीच लिखित करार द्वारा अधारित की जाएंगी ;

अतः उक्त दोनों पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

1. कमान आफिसर, कार्यालयों, बैरकों, आफिसरों के बंगलों तथा ..... द्वारा अनुरक्षित अन्य भवनों और सम्पत्ति तथा ऐसे बैरकों, बंगलों, अन्य भवनों तथा सम्पत्ति के पास स्थित सभी शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों आदि की सफाई व्यवस्था के लिए करार करता है।

2. कमान आफिसर, उक्त स्थानों से गंदगी, कूड़ा करकट, मूत्र, मल और गन्दा पानी इकट्ठा करके उसे छावनी बोर्ड द्वारा रखे गए पात्रों, मलकूपों में डलवाने की व्यवस्था करने का भी करार करता है।

3. बोर्ड, कमान आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थानों पर उस गंदगी, कूड़ाकरकट, मूत्र और मल, जिसको इकट्ठा करने और हटाने की कमान आफिसर ने व्यवस्था की है, डालने के लिए पर्याप्त संख्या में उचित माप के पात्रों की व्यवस्था करने का करार करता है। गन्दे पानी के लिए मलकूपों की व्यवस्था कमान आफिसर करेगा। पात्रों के लिए पक्के चबूतरों की व्यवस्था छावनी बोर्ड स्वयं अपने खर्च पर करेगा।

4. बोर्ड इस प्रयोजन के लिए रखे गए पात्रों/मलकूपों से गंदगी, कूड़ाकरकट, मूत्र, मल और गन्दा पानी इकट्ठा करके उसे हटाने का करार करता है। इस संविदा के पालन में बोर्ड द्वारा हटाए गए सब पदार्थ (कूड़ाकरकट, मल तथा गन्दा पानी, आदि) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 108(घ) के अनुसार बोर्ड की सम्पत्ति हो जाएंगे।

5. बोर्ड, उपरोक्त कूड़ाकरकट आदि हटाने के लिए कमान आफिसर के अनुमोदन से ऐसे स्थापनों और अन्य साधनों को लगाएगा जैसे और जितने वह आवश्यक समझे तथा वह उक्त कमान आफिसर के परामर्श से यह नियत करेगा कि किस समय किन स्थानों पर, मल आदि को फेंकने और हटाने के लिए ऐसे साधन मौजूद हों।

6. छावनी बोर्ड द्वारा सफाई सेवाओं के लिए वचनबंध किए जाने के प्रतिफलस्वरूप कमान आफिसर उसे .....रु० की समान बारह मासिक किस्तों में .....रु० का वार्षिक संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय मार्च के दौरान की गई सेवाओं के लिए अप्रैल में किया जाएगा तथा पश्चात्वर्ती संदाय संबंधित मास की समाप्ति के 30 दिन के भीतर, बकाया के रूप में, किए जाएंगे। यदि उक्त किस्तों का संदाय 30 दिन की नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो बोर्ड एक सप्ताह की सूचना देने के पश्चात् सेवाओं को निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसे प्रभार और प्रतिकर का दावा कर सकेगा जो परस्पर तय पाया जाए और जिसे कमान का जी० ओ० सी० इन चीफ अन्तिम रूप से अनुमोदित करे: परन्तु छावनी बोर्ड सफाई सेवाओं के खर्च के लिए संबंधित वर्ष के दौरान वस्तुतः उपगत व्यय से अधिक का कोई दावा नहीं कर सकेगा और यदि ऐसी सेवाओं के लिए कमान आफिसर से प्राप्त रकम कम है तो उसके लिए दावा करके और यदि अधिक है तो उसे लौटा कर, फरवरी .....के दावे में समायोजित किया जाएगा।

7. यदि कमान आफिसर बोर्ड से, इस करार के अन्तर्गत न आने वाली कोई सेवाएं करने की अपेक्षा करता है और बोर्ड ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है या यदि गैरिसन में वृद्धि हो जाने के कारण सफाई-सेवाओं पर व्यय में वृद्धि आवश्यक हो जाती है या गैरिसन में कमी हो जाने के कारण खर्च में कमी करने का औचित्य हो जाता है तो इस करार के खण्ड 6 में वर्णित उस राशि में, जो कमान आफिसर द्वारा देय है, उपयुक्त परिवर्तन कर दिया जाएगा। संविदाकारी पक्षकारों ने जिस रकम के लिए करार किया है उसमें कितनी वृद्धि या कमी की जानी है और ऐसा परिवर्तन किस तारीख से प्रभावी होगा यह बात संबंधित कार्य-भार में वृद्धि या कमी पर आधारित होगी।

8. छावनी बोर्ड, कमान आफीसर से या करार-क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से कोई भी सफाई-कर, भवन आदि की बाबत सम्पत्ति या अन्य करों में सम्मिलित करके, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्गृहीत तथा वसूल नहीं करेगा। करार-क्षेत्र में रहने वाले गैर हकदार व्यक्ति भी, जो भौगोलिक या सुरक्षा संबंधी कारणों से उसकी परिधि से बाहर नहीं किए जा सकते हैं, इस करार के अधीन नियत एक मुश्त संदाय करने के लिए दायी होंगे। कमान आफिसर, ऐसे गैर हकदार व्यक्तियों की बाबत अपने द्वारा संदत्त की गई रकम उनसे वसूल करके राज्य सरकार के खाते जमा कर देगा।

9. छावनी बोर्ड यह वचनबंध करता है कि वह इस बात का ध्यान रखेगा कि यूनिट लाइन्स के भीतर कोई भी ज्वलनशील वस्तु न लाई जाए या उसके कर्मचारी वहां गंदगी, कूड़ाकरकट आदि न जलाएं। जहां गंदगी, कूड़ाकरकट आदि को जला कर राख कर देने का तरीका प्रचलित है वहां यह निषेध उसके इस प्रकार व्ययन को लागू नहीं होगा।

10. छावनी बोर्ड, करार-क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र या पास दिए जाने के लिए लिखित रूप आवेदन करेगा और कमान आफिसर ऐसे अनुज्ञापत्र या पास जारी करेगा। यदि कमान आफिसर को, करार-क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर कोई आक्षेप है तो वह छावनी बोर्ड को इस तथ्य की सूचना देगा और ऐसा व्यक्ति उस स्थापन से हटा दिया जाएगा जो इस करार के प्रयोजन के लिए नियोजित है।

यदि किसी दुर्घटना के कारण कोई पासधारक कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है तो कार्यपालक आफिसर को "आपात" अनुज्ञापत्र जारी करने का अधिकार होगा और ऐसे अनुज्ञापत्र संबंधित यूनिट द्वारा तब तक स्वीकार किए जाते रहेंगे जब तक नियमित अनुज्ञापत्र जारी नहीं कर दिए जाते।

11. यदि छावनी बोर्ड, प्रतिदिन या उतने समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट है या तय हुआ है, गंदगी, कूड़ाकरकट आदि हटाने में या उसका व्ययन करने में असफल रहता है तो कमान आफिसर, छावनी बोर्ड को कम से कम 12 घंटे की लिखित सूचना देगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर छावनी बोर्ड इस करार के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने में असफल रहता है तो कमान आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह छावनी बोर्ड को कोई और सूचना दिए बिना गन्दगी, कूड़ाकरकट, मूत्र, मल और गन्दे पानी के हटाए जाने या व्ययनित किए जाने की स्वयं अपनी व्यवस्था कर ले और ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उपगत व्यय, बोर्ड से वसूल कर ले, किन्तु ऐसी वसूली किसी अन्य अभिकरण द्वारा की गई सेवाओं के लिए कमान आफिसर द्वारा उपगत वास्तविक खर्च से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसी असफलता ऐसे कारणों से है जिन पर छावनी बोर्ड का नियंत्रण नहीं है तो बोर्ड कोई भी प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं होगा। परन्तु यदि इस बाबत विवाद उत्पन्न होता है कि असफलता ऐसे कारणों से हुई है या नहीं जिन पर छावनी बोर्ड का नियंत्रण नहीं था तो इस पर जनरल आफिसर कमांडिंग का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

12. छावनी बोर्ड ऐसे किसी नुकसान की बाबत प्रतिकर देने के लिए दायी होगा जो उसके कर्मचारियों या अभिकर्ताओं द्वारा, जिनके अन्तर्गत यूनिट परिसरों के भीतर लाए गए वाहन भी हैं, यूनिट क्षेत्र के भीतर के किसी वृक्ष, पौधे, पुलिया, भवन, उद्यान या अन्य निर्मित क्षेत्र या किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक पहुंचाया जाता है। नुकसान कितना और कितनी रकम का हुआ है इसका अवधारण संविदाकारों के बीच पारस्परिक करार द्वारा तय किया जाएगा और वह कमान के जी० ओ० सी०-इन-चीफ के अन्तिम अनुमोदन के अधीन होगा।

13. यदि यह करार इसमें अन्यत्र उपबंधित रूप में समाप्त नहीं कर दिया जाता है तो यह तारीख .....से .....तक की एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

14. यदि.....को किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है या खण्ड 16 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो कमान आफिसर एक मास की लिखित सूचना देकर यह करार समाप्त कर सकेगा।

15. अन्य दशाओं में दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में तीन मास की पूर्व सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। यदि संविदा इस प्रकार समाप्त कर दी जाती है तो बोर्ड उस अवधि के लिए, जिसमें वस्तुतः सेवाएं की गई हैं अथवा सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए, दोनों में से जो भी अधिक हो, इस करार के खण्ड 6 के अधीन देय धन के भुगतान का हकदार होगा और वह संविदा के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने के कारण उपगत किसी व्यय, हानि या नुकसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

16. इस करार के किसी खण्ड या कि हीं खण्डों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि छावनी बोर्ड की ओर से इस करार की किसी शर्त का भंग किया जाता है तो कमान आफिसर एक मास की सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा और ऐसे भंग के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि या नुकसान के लिए बोर्ड से प्रतिकर का दावा कर सकेगा। ऐसे प्रतिकर की रकम का अवधारण पारस्परिक सहमति से किया जाएगा और वह कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के अनुमोदन के अधीन होगी, जिसका विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

17. बोर्ड, कमान आफिसर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी अन्य पक्षकार को यह संविदा उप-पट्टे पर नहीं देगा और यदि इसमें व्यतिक्रम होता है तो संविदा रद्द की जा सकेगी।

18. इस करार में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए, सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और की जाने वाली सभी कार्रवाइयां, कमान आफिसर द्वारा या ऐसे किसी आफिसर द्वारा दी या की जा सकेंगी जिसे तत्समय उक्त कमान आफिसर के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां सौंपी गई हों।

19 (i) जब यंत्र नोदित यानों के पुस्तक-मूल्य, स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों से अवक्षयण प्रभारों की वसूली के परिणामस्वरूप अन्तिम रूप से शून्य हो जाता है तब छावनी बोर्ड ऐसे यानों के विक्रय-आगम या निर्धारित मूल्य सरकार के खाते जमा करेगा।

(ii) यदि यंत्र नोदित यान सफाई सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तो पैट्रोल, तेल आदि के वास्तविक खर्च तथा अवक्षयण प्रभार का हिसाब, उपयोग में लाई गई मात्रा तथा वस्तुतः दी गई कीमत के आधार पर तथा खण्ड 19(i) में यथा उपदर्शित यंत्र नोदित यानों के विक्रय आगम या निर्धारित मूल्य, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के अन्त में या करार की समाप्ति पर, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, लगाया जाएगा और उनका पुनः समायोजन यथास्थिति, फरवरी, में या उससे पहले किया जाएगा।

(iii) छावनी बोर्ड, अनन्य रूप से सैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए यंत्र नोदित यानों के पुस्तक-मूल्य पर, अर्थात् पूंजी मूल्य में से अवक्षयण प्रभार घटा कर जो रकम आए उस पर, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा। इस प्रकार दावाकृत ब्याज को पेट्रोल आदि के प्रभार जैसे वार्षिक प्रभारों में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

20. इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी विवाद या मतभेद, जो इस करार की विषयवस्तु या इस विलेख के अधीन पक्षकारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित हैं, तथा जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन चीफ के एक मात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

21. पक्षकार करार करते हैं कि इस पर देय स्टाम्प-शुल्क का संदाय सरकार करेगी।

'इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें, ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .... ने तथा .. .ने, जो ... .छावनी बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्य हैं, इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए और ... .बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगाई है।'

स्थानीय निकायों के साथ सफाई करार का नमूना प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . . के कमान आफिसर के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "पक्षकार सं० 1" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में, यथास्थिति, *अपने अध्यक्ष/सचिव/आयुक्त/सभापति/प्रशासक/कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से कार्यरत नगरपालिक समिति/बोर्ड/निगम/परिषद् (जिसे इसमें आगे "पक्षकार सं० 2" कहा गया है) के बीच तारीख . . . . . को . . . . . किया गया।

पक्षकार सं० 1 इसके उपाबंध "क" में उल्लिखित क्षेत्रों से कचरा, कूड़ाकरकट, गन्दगी, मलमूत्र और गन्दा पानी प्रतिदिन इकट्ठा करने, हटाने और उसका व्यय न करने (जिसे इसमें आगे "सफाई कार्य" कहा गया है) की व्यवस्था करना चाहता है;

और पक्षकार सं० 2 इसमें आगे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर उक्त सफाई कार्य करने के लिए तैयार हो गया है।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

1. पक्षकार सं० 2 उक्त सफाई कार्य के लिए पर्याप्त और समुचित पात्रों की व्यवस्था उन निदेशों के अनुसार करेगा जो पक्षकार सं० 1 द्वारा या उसकी ओर से दिए जाएं।

2. पात्रों के स्थानों और कचरा, कूड़ाकरकट, गन्दगी, मलमूत्र और गन्दा पानी एकत्र करने के स्थानों को पक्षकार सं० 1 को समाधानप्रद रूप में सदैव स्वच्छ और स्वास्थ्यकर अवस्था में रखा जाएगा।

3. सफाई कार्य करने में पक्षकार सं० 2 द्वारा हटाए गए सब पदार्थ पक्षकार सं० 2 के होंगे।

4. पक्षकार सं० 2, पक्षकार सं० 1 के परामर्श से आवश्यक और पर्याप्त कर्मचारी नियोजित करेगा और पक्षकार सं० 1 को समाधान प्रद रूप में उक्त सफाई कार्य दक्षता पूर्वक और उचित रूप में किये जाने के लिए, अन्य आवश्यक और पर्याप्त साधनों का प्रयोग करेगा तथा ऐसा/ऐसे समय और स्थान भी नियत करेगा जब और जहां प्रतिदिन ऐसे कर्मचारी और साधन उपलब्ध होंगे।

5. यह करार उस दशा में के सिवाय जब उसे इसमें आगे उपबन्धित रूप में पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, तारीख . . . . . से . . . . . तक की एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और तत्पश्चात् वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उसकी अवधि पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से और बढ़ा नहीं दी जाती। दोनों में से किसी भी पक्षकार को यह हक है कि वह, दूसरे पक्षकार को एक कलैण्डर मास की लिखित सूचना देकर, यह करार किसी भी समय समाप्त कर दे। यदि पक्षकार सं० 2 की ओर से इस करार की कोई शर्त भंग की जाती है तो पक्षकार सं० 1 एक मास की सूचना देकर यह करार समाप्त कर सकेगा और ऐसे भंग के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि या नुकसान के लिए पक्षकार सं० 2 से प्रतिकर की मांग कर सकेगा। ऐसे प्रतिकर की रकम पारस्परिक सहमति से अवधारित कीजाएगी किन्तु यह संबंधित कमान के ए० ओ० सी० इन० सी० ए० ओ० ए०, वायुसेना मुख्यालय के अनुमोदन के अधीन होगी। इस बाबत ए० ओ० सी०-इन०-सी०, ए० ओ० ए० वायु सेना मुख्यालय का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

6. पक्षकार सं० 2 द्वारा उक्त सफाई कार्य करने के लिए वचनबद्ध किए जाने के प्रतिफलस्वरूप, और पक्षकार सं० 2 द्वारा पक्षकार सं० 1 को शोध्य किसी संदाय के समायोजन के अधीन रहते हुए, पक्षकार सं० 1, पक्षकार सं० 2 को कुल ——————रु० (——————रुपए) का वार्षिक संदाय जिसका ब्यौरा इस करार के उपाबंध 'ख' में दिया गया है, ... रु० (. . . . . रुपए) की समान मासिक किस्तों में, करेगा। सामान्यतया ऐसा संदाय पक्षकार सं० 2 से बिल की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर कर दिया जाएगा।

7. यदि पक्षकार सं० 2 प्रतिदिन सफाई कार्य समाधानप्रद रूप में और करार किए गए समयों के भीतर और स्थानों पर करने में असफल रहता है तो पक्षकार सं० 1 संबंधित सफाई कार्य के लिए अधिसूचित समय से दो घंटे पश्चात् पक्षकार सं० 2 को उसकी बाबत कोई सूचना दिए बिना, सफाई कार्य अपनी कोई व्यवस्था करके या किसी अन्य पक्षकार से, करा लेगा और उसके परिणामस्वरूप उपगत वास्तविक खर्च पक्षकार सं० 2 से वसूल करेगा : परन्तु यदि उक्त असफलता पक्षकार सं० 2 के नियंत्रण से परे कारणों से (जैसे कि हड़ताल से) होती है तो ऐसी असफलता की तारीखों के लिए पक्षकार सं० 2 से कोई संदाय नहीं कराया जाएगा, तथा पक्षकार सं० 1 द्वारा उपगत अतिरिक्त व्यय दोनों पक्षकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। पक्षकार सं० 1 का इस बाबत कि उक्त कारण पक्षकार सं० 2 के नियंत्रण से परे थे या नहीं और उपगत व्यय की रकम की बाबत, विनिश्चय अन्तिम और पक्षकार सं० 2 पर आबद्धकर होगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

8. पक्षकार सं० 2 सफाई कार्य, पक्षकार सं० 1 की लिखित पूर्व सहमति के बिना, किसी अन्य पक्षकार को उप पट्टे पर नहीं देगा। यदि पक्षकार सं० 1 उप पट्टे के लिए सहमत हो जाता है तो उस दशा में भी पक्षकार सं० 2 इस करार के समाधानप्रद रूप में निष्पादन के लिए पक्षकार सं० 1 के प्रति दायी बना रहेगा।

9. उक्त खण्ड 6 में वर्णित वार्षिक संदाय में, उक्त क्षेत्र की बावत संदेय सभी सफाई-कर सम्मिलित हैं और पक्षकार सं० 2 सम्पत्ति-कर या भवन आदि की बावत करों में सम्मिलित करके उस पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, कोई सफाई-कर, उदगृहीत नहीं करेगा और या उसके कोई वसूली पक्षकार सं० 1 से या उक्त क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों से (चाहे वे उसके हकदार हो या नहीं) नहीं करेगा। करार-क्षेत्र में निवास कर रहे वे गैर-हकदार व्यक्ति भी, जो भौगोलिक या सुरक्षा संबंधी कारणों से उसके कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किए जा सकते हैं, इस करार के अधीन नियत एकमुश्त संदाय करने के लिए दायी होंगे : कमान आफिसर, ऐसे गैर हकदार व्यक्तियों की बावत अपने द्वारा संदत्त रकम, उनसे वसूल करके राज्य के खाते जमा करेगा।

10. पक्षकार सं० 2 यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ज्वलनशील वस्तु या सामग्री इस क्षेत्र के भीतर न लाई जाए या कि किसी भी कचरे, कूड़ाकरकट आदि का उसके कर्म चारियों द्वारा व्ययन, इस प्रयोजन के लिए रखे गए निर्दाहक में जलाकर ही किया जाए, अन्यथा नहीं। पश्चात्‌कथित दशा में भी अग्नि संबंधी ऐसी सभी सावधानी बरती जाएंगी जो पक्षकार सं० 1 द्वारा बताई जाए।

11. पक्षकार सं० 2 उक्त क्षेत्र में स्थित पक्षकार सं० 1 की सम्पत्ति को जानबूझकर और उपेक्षापूर्व क किए गए अथवा पक्षकार सं० 2 के कर्मचारियों या कर्मकारों द्वारा किए गए किसी नुकसान के लिए पक्षकार सं० 1 को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा। इस बात का अवधारण कि नुकसान कितना और कितनी रकम का हुआ है, संविदा कारी पक्षकारों के बीच पारस्परिक करार द्वारा किया जाएगा और वह कमान के ए० ओ० सी०-इन०-सी०, ए० ओ० ए० वायुसेना मुख्यालय के अन्तिम अनुमोदन के अधीन होगा।

12. पक्षकार सं० 1 पक्षकार सं० 2 के लिए किसी परिवहन या किन्हीं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का जिम्मेदार नहीं है और उक्त सफाई कार्य के लिए अपेक्षित सभी व्यवस्था पक्षकार सं० 2 अपने लेखे करेगा।

13. पक्षकार सं० 1, पक्षकार सं० 2 के कर्मचारियों या कर्मकारों को, सफाई कार्य के सम्पादन में हुई क्षतियों, दुर्घटनाओं और/या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

14. सफाई कार्य के लिए पक्षकार सं० 2 द्वारा अपने कर्मचारियों या कर्मकारों को किए जाने वाले संदाय के लिए या किसी अन्य विषय में उनके कल्याण संबंधी देखभाल के लिए पक्षकार सं० 1 जिम्मेदार नहीं होगा।

15. यदि पक्षकार सं० 1, पक्षकार सं० 2 से यह अपेक्षा करता है कि वह इस करार के अन्तर्गत न आने वाले किसी कार्य को करे और पक्षकार सं० 2 ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा यदि उस क्षेत्र में या उसमें रह रहे व्यक्तियों की संख्या में कोई स्थायी वृद्धि हो जाती है जिसके कारण सफाई कार्य के व्यय में कोई वृद्धि न्यायोचित हो जाती है या सफाई कार्य के व्यय में कोई स्थायी कमी हो जाती है तो इसके खंड 6 में उल्लिखित धनराशि में ऐसा समायोजन किया जाएगा जिसके लिए परस्पर सहमति हो जाए।

16. यदि उपर्युक्त खंड 15 में यथा अनुबंधित सफाई कार्य में कमी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप पक्षकार सं० 2 द्वारा कुछ कर्मचारियों या कर्मकारों को उनकी संविदा-अवधि के पूर्व सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है, अथवा संविदा अवधि के दौरान सामग्री आदि के प्रदाय के लिए उसके द्वारा की गई संविदाएं समाप्त हो जाती हैं तो पक्षकार सं० 1, पक्षकार सं० 2 को उतना प्रतिकर देगा जितने के लिए उनके बीच पारस्परिक सहमति होती है।

17. पक्षकार सं० 2, पक्षकार सं० 1 के स्थान और उसके कर्मचारियों की संख्या आदि के बारे में सभी जानकारी पूर्णतया गुप्त रखेगा और उसे अन्य पक्षकार या व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा।

18. यदि इस करार के निर्वचन या उससे संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में कोई प्रश्न, मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर कमान के ए०ओ०सी०-इन-सी०/ए०ओ०ए वायु सेना मुख्यालय या उसके द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

19. इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् पक्षकार सं० 1 की ओर से——————— और पक्षकार सं० 2 की ओर से———————————इस करार के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे और वे करार संबंधी सभी पत्राचार परस्पर करेंगे।

' No. 1.

20. इस करार पर देय स्टाम्प शुल्क पक्षकार सं० 1 देगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

....

————नगरपालिका समिति/बोर्ड/

गम/परिषद् के लिए————ने

ho

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

————————

1. ———— } साक्षियों के नाम, पते,

2. ———— } व्यवसाय और हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

1. ———— } साक्षियों के नाम, पते,

2. ———— } व्यवसाय और हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

सफाई करार का नमूना

(प्राईवेट ठेकेदार के साथ)

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री————————————— ी———————————का पुत्र और—————————— का निवासी है तथा जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" गया है (इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख———— किए गए करार का ज्ञापन ।

रार निम्नलिखित का साक्षी है :—

ठेकेदार निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, यह करार करता है कि वह बैरक क्षेत्रों और यूनिट लाइनों भीतर सभी स्थानों से प्रतिदिन कचरा, कूड़ा-करकट, गन्दगी, मूत्र और गन्दा पानी इकट्ठा करने, उसे हटाने और उसका न करने के लिए जिम्मेदार है, अर्थात् :—

1. ठेकेदार कमान आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थानों पर उस गन्दगी, कूड़ाकरकट, मूत्र और मल को जिसको इक्ट्ठा करने और हटाने की कमान आफिसर ने व्यवस्था की है, रखने के लिए पर्याप्त संख्या में उचित माप के पात्रों की व्यवस्था करने का करार करता है। गन्दे पानी के लिए मलकूपों की व्यवस्था कमान आफिसर करेगा। पात्रों के लिए पक्के चबूतरों की व्यवस्था ठेकेदार करेगा और उसका खर्च केन्द्रीय सरकार, जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, देगी ।

2. कमान आफिसर ——————————प्राक्कलनों से अनुरक्षित कमान आफिसर कार्यालयों बैरकों, आफिसरों के बंगलों तथा अन्य भवनों और सम्पत्ति में जिनका वर्णन इससे उपाबद्ध अनुसूची में ब्यौरेवार किया गया है, तथा जिन्हें इसमें आगे संयुक्त रूप से "यूनिट क्षेत्र" कहा गया है और ऐसे बैरकों, आफिसरों के बंगलों, अन्य भवनों तथा सम्पत्ति के पास स्थित सभी शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों आदि में, सफाई व्यवस्था करने का करार करता है।

3. कमान आफिसर उक्त स्थानों से गन्दगी, कचरा, कूड़ाकरकट, मूत्र, मल और गन्दा पानी इकट्ठा करके उसे ठेकेदार द्वारा रखे गए पात्रों, मलकूपों में डलवाने की व्यवस्था करने का करार करता है।

4. ठेकेदार इस प्रयोजन के लिए रखे गए पात्रों, मलकूपों से गंदगी, कचरा, कूड़ा करकट, मूत्र, मल और गन्दा पानी इकट्ठा करके उसे हटाने का करार करता है ।

5. ठेकेदार जिन बैलों, चालकों, गाड़ियों, झाड़ूकशों, उपस्करों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेगा उनकी संख्या उतनी होगी जो कमान आफिसर विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उससे पूर्व प्रतिदिन सभी मल आदि को इकट्ठा करने, हटाने और उसका व्ययन करने के लिए पर्याप्त समझे । ये समय कमान आफिसर द्वारा समय-समय पर ठेकेदार को लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और लिखित सूचनाएं दे दी जाने पर ऐसे विनिर्दिष्ट समय ठेकेदार पर आबद्धकर होंगे।

6. इस संविदा के पालन में ठेकेदार द्वारा हटाए गए सब पदार्थ (कूड़ाकरकट, मल तथा गंदा पानी आदि) उसकी सम्पत्ति हो जाएंगे और उनका व्ययन कमान आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के बाहर किया जाएगा ।

7. ठेकेदार द्वारा सफाई सेवाओं के लिए वचनबंध किए जाने के प्रतिफलस्वरूप कमान आफिसर उसे————रु० की——————समान किस्तों में ————रु० का वार्षिक संदाय करेगा ।

8. ठेकेदार इस करार के संबंध में कमान आफिसर या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य आफिसर द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी अनुदेशों का पालन करने का करार करता है ।

9. कमान आफिसर, उन बैलों, चालकों, गाड़ियों, झाड़ूकशों, उपस्करों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की, जिनकी व्यवस्था ठेकेदार करेगा, यथास्थिति, देखरेख, उनके भोजन या आवास के लिए न तो दायी होगा और न जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, उसके द्वारा यूनिट क्षेत्र में लाए गए किसी व्यक्ति, पशु या सम्पत्ति को हुए किसी नुकसान या हानि के कारण, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

10. ठेकेदार इस करार के निबन्धनों के समुचित पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में कमान आफिसर के पास—————————रु० जमा करने का करार करता है। संविदा की सफलतापूर्वक समाप्ति पर उसे, उक्त जमा रकम, लौटा दी जाएगी ।

11. ठेकेदार यह भी करार करता है कि इस करार के किसी निबन्धन के अधीन सरकार को उससे वसूलीय या उसके द्वारा सरकार को देय कोई भी धन-राशि, इसके खंड 10 में वर्णित प्रतिभूति निक्षेप में से या किसी ऐसी राशि में से जो ठेकेदार को इस करार के अधीन या किसी अन्य करार के अधीन तत्समय शोध्य हो या तत्पश्चात् शोध्य हो जाए, काटी जा सकेगी।

12. ठेकेदार, यह वचनबंध करता है कि वह इस बात का ध्यान रखेगा कि यूनिट क्षेत्र के भीतर कोई भी ज्वलनशील वस्तु न लाई जाए और उसके कर्मचारी यूनिट क्षेत्र के भीतर गन्दगी, कूड़ाकरकट आदि को न जलाएं अन्यथा उसे ————————रु० जुर्माना देना होगा। यह प्रतिषेध कूड़ा-करकट, गन्दगी आदि को जला कर राख कर देने को उस दशा में लागू नहीं होगा जब कमान आफिसर ने व्ययन की इस रीति के लिए लिखित रूप में स्पष्ट अनुज्ञा दे दी हो।

13. ठेकेदार यूनिट क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र या पास दिए जाने के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगा और कमान आफिसर उसमें से किसी या किन्हीं के अनुज्ञापत्र बिना कोई कारण बताए, निर्बन्धित कर सकेगा अथवा रोक सकेगा।

14. यदि ठेकेदार प्रतिदिन या विनिर्दिष्ट समय के भीतर गन्दगी, कूड़ाकरकट, आदि इकट्ठा करके उसे हटाने या उसका व्ययन करने में असफल रहता है तो कमान आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को कोई लिखित सूचना दिए बिना गन्दगी, कूड़ाकरकट आदि को, स्वयं कोई व्यवस्था करके इकट्ठा करवाए हटवाए या उसका व्ययन करवाए तथा ऐसा करने में कमान आफिसर द्वारा उपगत व्यय ठेकेदार के नामे डाला जाएगा और वही उसे वहन करेगा।

15. ठेकेदार ऐसे किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए दायी होगा जो यूनिट क्षेत्र के भीतर के किसी वृक्ष, पौधे, पुलिया, भवन, उद्यान या अन्य निर्मित क्षेत्र या किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को उसके द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा या उसके द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा यूनिट क्षेत्र के भीतर लाए गए किसी पशु या वाहन या अन्य वस्तु द्वारा जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक पहुंचाया जाता है। नुकसान कितना और कितनी रकम का हुआ है इसका अवधारण एकमात्र कमान आफिसर करेगा जिसका इस बारे में विनिश्चय ठेकेदार पर आबद्धकर होगा और ठेकेदार कमान आफिसर से लिखित सूचना मिलने के दस दिन के भीतर नुकसान की ऐसी रकम का संदाय करेगा।

16. यह करार, जब तक कि संविदा के उपबन्धों के अधीन पहले की समाप्त नहीं कर दिया जाता तारीख ———— से ————तक की 12 मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

17. यूनिट के किसी अन्य स्थान पर ले जाए जाने की दशा में या इसके खण्ड 18 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, कमान आफिसर सूचना दिए बिना इस करार को समाप्त कर देगा। अन्य दशाओं में यह करार दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को 30 दिन की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। करार के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार इस करार के खंड 7 के अधीन करार के समाप्त किए जाने की तारीख तक उसे शोध्य धन के संदाय के लिए हकदार होगा किन्तु वह ऐसी समाप्ति के कारण उसके द्वारा उपगत किसी व्यय या उठाई गई हानि या क्षति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

18. कमान आफिसर, ठेकेदार की ओर से इस करार की शर्तों के किसी भंग की दशा में इस करार को उसके किसी खंड या खण्डों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तुरन्त समाप्त कर सकेगा और ठेकेदार की ओर से किए गए ऐसे भंग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए ठेकेदार को प्रभारित कर सकेगा और ठेकेदार, इस प्रकार प्रभारित रकम कमान आफिसर के उस आशय की लिखित सूचना की प्राप्ति से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर संदत्त करेगा।

19. कमान आफिसर ठेकेदार को, प्रतिमास ठीक और पूर्ण बिलों की प्राप्ति से 20 (बीस) दिन के भीतर संदाय करने का करार करता है। ये बिल ठेकेदार प्रत्येक मास की पहली तारीख को, पिछले मास में अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए, प्रस्तुत करेगा।

20. संदाय चैक द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को चैक डाक से भेजी जाएंगी और ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चैक प्राप्त करने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर उन चैकों को, जिनमें अंतरिम संदाय का चैक भी सम्मिलित हैं, प्राप्ति अभिस्वीकार करें। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका उक्त विशेषाधिकार समाप्त किया जा सकेगा ऐसे व्यतिक्रम की दशा में, चैक जारी करने वाले समुचित प्राधिकारी ठेकेदार से कह सकेंगे कि वह अभि-स्वीकृति न देने का स्पष्टीकरण दे। डाक से चैक द्वारा आगे संदाय ठेकेदार से समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर ही पुनः प्रारम्भ किया जाएगा यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह संबंधित संविदा के संबंध में भावी संदायों के लिए चैक उचित रसीद देकर, समुचित प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करे।

21. ठेकेदार इस संविदा को कमान आफिसर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को उप-पट्टे पर नहीं देगा अन्यथा यह संविदा, कोई सूचना दिए बिना रद्द की जा सकेगी। इस बात के होते हुए भी कि संविदा कमान आफिसर की सहमति से ठेकेदार ने उप-पट्टे पर दी है प्रधान ठेकेदार उप ठेकेदार द्वारा इस संविदा के निबन्धनों और शर्तों के पूर्ण और समाधानप्रद रूप में पालन के लिए सदैव दायी ठहराया जाएगा। उप ठेकेदार प्रधान ठेकेदार के जो इस करार का एक पक्षकार है एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा।

22. इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी विवाद या मतभेद उनको छोड़कर जिनके विनिश्चयों के लिए इसमें इसके पूर्व विशेष रूप से उपबंध किया गया है जो इस करार की विषय वस्तु या इस विलेख के अधीन पक्षकारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित हैं, कमान के ए० ओ० सी० इन० सी० (वायु सेना मुख्यालय के अधीन यूनिटों के मामले में वायु सेना मुख्यालय में प्रशासन का भारसाधक एयर आफिसर) के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे और उन पर ऐसे ए०ओ०सी०-इन०-सी० का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि मध्यस्थ कोई सरकारी सेवक है और उसने संविदा से संबंधित विषयों के संबंध में कार्रवाई की है या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं।

मध्यस्थ अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने के समय को पक्षकारों की सम्मति से, समय-समय पर बढ़ा सकेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

_____

हस्ताक्षर

कमांड आफिसर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

ह०

ठेकेदार

साक्षी सं० 1_____

_____

साक्षी सं० 2_____

_____

स्थान :_____

तारीख :_____

अनुसूची 1

ऐसी यूनिटों, बिरचनाओं (फार्मेशनों) और लाइनों तथा अन्य सरकारी सैनिक भवनों की सूची जो सभी उन बैरक क्षेत्रों पर यूनिट लाइनों के भीतर स्थित हैं जहां से गन्दगी और कूड़ा करकट हटाया जाना है :—

_____

_____

_____

वायु सेना प्रतिष्ठान 119/71 के अनुसार जिल्दसाजी की संविदा

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ——————————, जो श्री का पुत्र और——————————का निवासी है और जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है, (इसके अन्तर्गत, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख——————————को किए गए करार का ज्ञापन।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच परस्पर निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. ठेकेदार, इस करार के संबंध में ——————————(यूनिट) के कमान आफिसर (जिसे इसमें आगे "कमान आफिसर" कहा गया है) या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य आफिसर या जहां कोई कमान आफिसर नहीं है वहां स्क्वाड्रन लीडर या विंग कमाण्डर के रैंक के किसी आफिसर द्वारा या उसके माध्यम से समय-समय पर मौखिक अथवा लिखित रूप में किए गए/जारी किए गए या समय-समय पर किए जाने/जारी किए जाने वाले सरकार के सभी अनुदेशों का पालन करने का करार करता है।

2. ठेकेदार इस करार के निबन्धनों और शर्तों के समुचित पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में कमान आफिसर के पास——————रु० (——————रु०) जमा करने का करार करता है। कमान आफिसर के पूर्णतः समाधानप्रद रूप में संविदा के सफलतापूर्वक पूरे हो जाने पर उक्त जमा रकम लौटा दी जाएगी।

3. सरकार को ठेकेदार से वसूलीय या ठेकेदार द्वारा सरकार को देय कोई भी रकम, इसके खण्ड 2 में वर्णित प्रतिभूति में से, या किसी ऐसी राशि में से, जो ठेकेदार को इस करार के अधीन या किसी अन्य करार के अधीन तत्समय शोध्य हो जाए, काटा जा सकेगा या ऐसी प्रतिभूति या राशि को उसके लिए रोका जा सकेगा।

4. ठेकेदार यूनिट क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र या पास दिए जाने के लिए लिखित आवेदन करेगा और कमान आफिसर उनमें से किसी या किन्हीं के अनुज्ञापत्र बिना कोई कारण बताए, निर्बन्धित कर सकेगा अथवा रोक सकेगा।

5. ठेकेदार ऐसे किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देने का दायी होगा जो यूनिट क्षेत्र के भीतर ठेकेदार, उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा यूनिट क्षेत्र में की किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को कारित हो। ठेकेदार सभी सुरक्षा विनियमों का पालन करेगा। यह बात कि नुकसान कितना हुआ है और कितनी रकम का हुआ है, एकमात्र कमान आफिसर अवधारित करेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। ठेकेदार ऐसी नुकसानी का संदाय, उस आशय की लिखित सूचना की प्राप्ति से, 10 दिन के भीतर कर देगा।

6. ठेकेदार जिल्दसाजी के प्रयोजन के लिए पुस्तकें, प्रकाशन और अन्य अभिलेख अपने ही खर्च पर प्राप्त और परिदत करेगा। ठेकेदार जिल्दसाजी के लिए ली गई पुस्तकों, प्रकाशनों आदि को हुई हानि या नुकसान के लिए या उनकी चोरी आदि के लिए जिम्मेदार होगा। गोपनीय सामग्री की जिल्दसाजी का कार्य यूनिट-परिसर में ही किया जाएगा।

7. ठेकेदार यह संविदा, उक्त कमान आफिसर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को उप पट्टे पर न तो देगा और न सौंपेगा अन्यथा यह संविदा, कोई सूचना दिए बिना, रद्द की जा सकेगी। इस बात के होते हुए भी कि संविदा उक्त कमान आफिसर की सहमति से ठेकेदार द्वारा उप पट्टे पर दी गई है या सौंपी गई है, ठेकेदार इस संविदा के निबन्धनों और शर्तों के पूर्ण और समाधानप्रद रूप में पालन के लिए सदैव दायी और जिम्मेदार होगा।

8. उक्त कमान आफिसर ठेकेदार को प्रतिमास उन चालू और पूर्ण बिलों की, जो उक्त कमान आफिसर को स्वीकार्य हैं, प्राप्ति से बीस दिन के भीतर, उनका भुगतान करने का करार करता है। ये बिल ठेकेदार प्रत्येक मास की पहली तारीख को, ठीक पूर्ववर्ती मास में अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए, प्रस्तुत करेगा।

9. संदाय, पाने वाले के खाते में देय चैकों द्वारा, किया जाएगा। ठेकेदार को चैक डाक से भेजी जाएगी और ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह चैक की (जिनमें अन्तरिम संदाय की चैक भी सम्मिलित हैं) अभिस्वीकृति, उससे प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर भेज दे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका उक्त विशेषाधिकार समाप्त किया जा सकेगा। ऐसे व्यतिक्रम की दशा में, चैक जारी करने वाले समुचित प्राधिकारी ठेकेदार से कह सकेंगे कि वह अभिस्वीकृति न देने के लिए स्पष्टीकरण दे। चैक द्वारा आगे संदाय उससे समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर ही पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह भावी संदायों के लिए चैक, उचित अग्रिम रसीद देने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करे।

10. यह करार, जब तक कि वह संविदा के उपबन्धों के अधीन पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता, 1 अप्रैल, ——————से 31 मार्च,——————————————तक की 12 मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

11. यदि यूनिट किसी अन्य स्थान को ले जाई जाती है या वह भंग कर दी जाती है तो, अथवा इसके खंड 7 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, उक्त कमान आफिसर कोई सूचना दिए बिना, इस करार को समाप्त कर देगा। अन्य दशाओं में यह करार दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को 30 दिन की लिखित सूचना देकर, समाप्त किया जा सकेगा।

12. उक्त कमान आफिसर इस करार को, ठेकेदार की ओर इस की शर्तों के किसी भंग की दशा में इस करार के किसी खंड या खंडों पर कोई प्रभाव डाले बिना, तुरन्त समाप्त कर सकेगा और ठेकेदार की ओर से किए गए ऐसे भंग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए ठेकेदार को प्रभारित कर सकेगा और ठेकेदार इस प्रकार प्रभारित रकम का संदाय, कमान आफिसर से उस आशय की लिखित मांग की प्राप्ति से, 15 दिन के भीतर कर देगा।

13. ठेकेदार पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की जिल्दसाजी, सरकार द्वारा उसके लिए निम्नलिखित दरों पर संदाय किए जाने पर करने का करार करता है :—

(क) कार्य का नाम	आकार	दर				
		पूरा चमड़ा/ रेक्सीन	पूरा कैलिको	आधा कैलिको	गत्ता	कागज आवरक
पुस्तक/पत्रिकाओं की जिल्दसाजी	$10'' \times 8'' \times 1\frac{1}{2}''$					
यथोक्त	$9'' \times 8'' \times 1''$					
यथोक्त	$7'' \times 5'' \times 2\frac{1}{2}''$					

(ख) पुस्तकों/पत्रिकाओं के नाम पीठ (स्पाइन) पर समुद्भृत किए जाएंगे।

14. इस करार की विषय-वस्तु या इस विलेख के अधीन पक्षकारों के अधिकारी तथा कर्तव्यों के संबंध में इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी विवाद और मतभेद, उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विशेष रूप से उपबंध किया गया है, कमान के ए०ओ०सी०-इन-सी०/वायु सेना मुख्यालय में ए०ओ०ए० या सीधे वायु सेना मुख्यालय के अधीन यूनिटों के संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आफिसर के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे, जिसका उनके बारे में विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

15. इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

ठेकेदार के हस्ताक्षर————————————

पता————————————

साक्षी सं० 1————————————

साक्षी सं० 2————————————

स्थान————————————

तारीख————————

ह०————————————

कमान आफिसर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

साक्षी सं० 1————————————

साक्षी सं० 2————————————

स्थान————————————

तारीख————————

विक्रय विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "विक्रेता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री————————————, जो श्री————————————का पुत्र है और ————————————का निवासी है (जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है) के बीच आज तारीख————को किया गया।

विक्रेता ने क्रेता के साथ इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि, विरासत योग्य सम्पत्ति और परिसर का और उसमें अपने अधिकार, हक और हित का————————————रुपए मूल्य पर विक्रय करने का करार किया है (देखिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का तारीख————————————का पत्र सं०————————————)।

यह करार इस बात की साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और क्रेता द्वारा विक्रेता को————————रुपए की रकम का संदाय (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) किए जाने के प्रतिफलस्वरूप विक्रेता इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि, विरासत योग्य सम्पत्ति और परिसरों में और उसमें अपने सभी अधिकार, हक और हित, भवनों, नालियों, पथों, मार्गों, कुओं, जलसरणियों सहित तथा उक्त परिसरों से संबद्ध सभी सुखाचार और अनुलग्नक क्रेता को अन्तरित करता है :

परन्तु क्रेता इस विलेख के अधीन सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक नालियों, सड़क के किनारे के वृक्षों, पानी के पाइपों (यदि कोई हों) पर जो उक्त परिसर में या उसके नीचे हों, कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगा और विक्रेता उक्त परिसर में और उसके नीचे की सभी प्रकार की खानों और खनिजों को इस विक्रय में सम्मिलित नहीं करता है तथा उन्हें अपने लिए आरक्षित करता है। इसके लिए विक्रेता, उसके अभिकर्ताओं और कर्मकारों को हर समय उक्त परिसर या उसके किसी भाग में प्रवेश करने, उक्त वृक्षों, पाइपों और नालियों की देखभाल करने या हटाने और उक्त परिसर या विक्रेता की पार्श्वस्थ भूमि में और उनके नीचे स्थित सभी प्रकार की खानों और खनिजों को निकालने, पाने, विक्रेय बनाने और ले जाने और उक्त परिसर के सभी या किसी भाग के तथा उस पर अभी या इसके बाद बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों के तल को गिराने और उससे होने वाले नुकसान के लिए क्रेता को उचित प्रतिकर देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

क्रेता उक्त परिसर को अपने प्रयोग के लिए रखेगा और धारण करेगा किन्तु यह तब जब क्रेता उक्त परिसर की बाबत भू-राजस्व का या ऐसे अन्य अधिरोपणों का, जो विधिपूर्ण रूप से संदेय हैं या हो जाएं, संदाय करे। यह विक्रय उक्त परिसर को प्रभावित करने वाले सभी लोक अधिकारों या सुखाचारों के अधीन होगा और विक्रेता क्रेता के साथ प्रसंविदा करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है या ऐसा कुछ नहीं होने दिया है जिससे उक्त परिसर किसी रूप में विल्लंगमित या प्रभावित हुए हों और यह प्रसंविदा भी करता है कि विक्रेता, समय-समय पर और इसके पश्चात् हर समय, क्रेता के अनुरोध और व्यय पर, ऐसी सभी कार्य और बातें करेगा/करवाएगा और विलेख निष्पादित करेगा/करवाएगा जो उक्त विरासत योग्य संपत्ति और परिसर, पूर्वोक्त रीति में क्रेता को और उसके उपयोग के लिए यथा अपेक्षित और पूर्ण रूप से हस्तान्तरित करने के लिए आवश्यक होंगे। यह घोषणा की जाती है कि यह अन्तरण सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का 15) के प्रयोजनों के लिए किया गया है।

इसके साक्ष्यस्वरूप श्री————————————, उप निदेशक, सैनिक भूमि छावनी (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) ने इसमें ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

इससे उपाबद्ध रेखांक या नक्शे में अंकित और लाल रंग से दर्शित वह सम्पूर्ण भूमि खंड जो ग्राम————————में या उसके आस पास स्थित है और जिसका खसरा संख्यांक————————है, और जिसके :—

उत्तर में————————————है
दक्षिण में————————————है
पूर्व में————————————है
पश्चिम में————————————है

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
श्री————————, उप निदेशक,
सैं० भू० और छावनी मुख्यालय————————
कमान————————————ने,
श्री————————————सहायक
निदेशक, सैं० भू० और छा० मुख्यालय
————————कमान————————
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————————————
(हस्ताक्षर)
उप निदेशक, सैं० भू० और छा०
मुख्यालय————————कमान

————————————
(हस्ताक्षर)
सहायक निदेशक, सैं० भू० और छा०
मुख्यालय,————————कमान

संख्या————————

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(एम०/एल०/एंड०/सी०/निदे०)
नई दिल्ली–11

तारीख————19———

सूचना

सेवा में,

वह भूमि, जिसका सर्वेक्षण संख्यांक————————(बंगला सं०————) छावनी————————
है तथा जिसका क्षेत्रफल————————एकड़ है, और जिसके—

उत्तर में————————है :
दक्षिण में————————है :
पूर्व में————————है :
पश्चिम में————————है :

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) को है और जिसे आप गवर्नर जनरल के आदेश संख्यांक————तारीख————के अधीन उस "पुराने अनुदान" के निबन्धनों पर धारण किए हुए हैं, जिसके अधीन सरकार उक्त भूमि पुनर्ग्रहण करने की हकदार है।

2. वह सम्पत्ति जिसमें उक्त भूमि और उस पर निर्मित भवन है/हैं, अधिगृहीत कर ली गई है/किराए पर दे दी गई है और वह सरकार के अधिभोग में है।

3. सरकार ने गवर्नर जनरल के पूर्वोक्त आदेश के निबन्धनों के अधीन उक्त सम्पत्ति के पुनर्ग्रहण का विनिश्चय किया है।

4. अतः सरकार इसमें इसके पूर्व उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देती है कि इस सूचना की तामील हो जाने की तारीख से एक मास की समाप्ति पर, पूर्वोक्त भूमि में और उस पर निर्मित भवनों में आपके सभी अधिकार, सुखाचार और हित उस तारीख से समाप्त हो जाएंगे।

5. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार आपको उक्त भूमि पर निर्मित प्राधिकृत परिनिर्माणों के मूल्य के रूप में ————————रु० (केवल————————रुपए) की रकम का संदाय करने के लिए तैयार है और उसकी प्रस्थापना करती है। इस रकम का चैक इसके साथ संलग्न है।

(हस्ताक्षर)
उप निदेशक,
सैनिक भूमि और छावनी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी
ओर से।

H-87-M/P(N)227MofLJ&CA—6

संख्या————————

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली

तारीख————19——

सूचना

वह भूमि जिसमें बंगला संख्यांक————————स्थित है तथा जिसका सा०अनु०र० सर्वेक्षण संख्यांक————————छावनी है और जिसका क्षेत्रफल————————एकड़ है तथा जिसके :—

उत्तर में————————है :

दक्षिण में————————है :

पूर्व में————————है :

पश्चिम में————————है :

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) की है और जिसे आप गवर्नर जनरल के आदेश संख्यांक 179, तारीख 12 सितम्बर, 1836 के उस "पुराने अनुदान" के निबन्धनों के अधीन धारण किए हुए हैं, जिसके अधीन सरकार उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण की हकदार है।

2. सरकार ने उक्त भूमि और उस पर निर्मित भवन/भवनों के पुनः ग्रहण का विनिश्चय किया है।

3. अतः सरकार इसमें इसके पूर्व उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देती है कि आप, इस सूचना की तामील हो जाने की तारीख से एक मास की समाप्ति पर, पूर्वोक्त भूमि को छोड़ दें और उस पर निर्मित भवनों सहित भूमि का कब्जा सरकार के अभिकर्ता (सैनिक सम्पदा अधिकारी,————————छावनी) को सौंप दें। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस सूचना की तामील की तारीख से एक मास की समाप्ति पर उक्त भूमि और उस पर निर्मित भवनों में आपका अधिभोग और सभी अधिकार, सुखाचार और हित, उस तारीख से समाप्त हो जाएंगे।

4. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार आपको उक्त भूमि पर निर्मित प्राधिकृत परिनिर्मितियों के मूल्य के रूप में————————रु० (केवल————————रुपए) की रकम का संदाय करने के लिए तैयार है और उसकी प्रस्थापना करती है। उक्त रकम का चैक इसके साथ संलग्न है।

————————

(हस्ताक्षर)
उप निदेशक,
सैनिक भूमि और छावनी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

H-87-M/P(N)227MoflJ&CA—6(a)

संख्या——————

भारत सरकार,

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली

तारीख———— 19———

सेवा में,

सूचना

वह भूमि, जिसका सर्वेक्षण संख्या————————(बंगला संख्यांक———— ———)छावनी है तथा जिसका क्षेत्रफल————————एकड़ है और जिसके :—

उत्तर में————————है;

दक्षिण में————————है;

पूर्व में————————है;

पश्चिम में————————है।

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) की है और जिसे आप गवर्नर जनरल के तारीख———— के आदेश सं०————————के अधीन उस "पुराने अनुदान" के निबन्धनों पर, धारण किए हुए हैं, जिसके अधीन सरकार उक्त भूमि के पुन:ग्रहण की हकदार है।

2. उक्त सम्पत्ति के उस भाग का जिसमें उक्त भूमि और उस पर निर्मित भवन है/हैं अधिग्रहण कर लिया गया है/किराए पर ले लिया गया है और वह सरकार के अधिभोग में है।

3. सरकार ने गवर्नर-जनरल के पूर्वोक्त आदेश के निबन्धनों के अधीन उक्त सम्पत्ति के पुनर्ग्रहण का विनिश्चय किया है।

4. अत: सरकार, इसमें इसके पूर्व उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप को यह सूचना देती है कि इस सूचना की तामील हो जाने की तारीख से एक मास की समाप्ति पर, पूर्वोक्त भूमि और उस पर निर्मित भवनों में आपके सभी अधिकार, सुखाचार और हित, उस तारीख से समाप्त हो जाएंगे।

5. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार आपको उक्त भूमि पर निर्मित प्राधिकृत परिनिर्माणों के मूल्य के रूप में————————रु० (केवल————————रुपए) की रकम का संदाय करने के लिए तैयार है और उसकी प्रस्थापना करती है। इस रकम का चैक इसके साथ संलग्न है।

————————

(हस्ताक्षर)

उप निदेशक,

सैनिक भूमि और छावनी,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश

रजिस्ट्री डाक से

सं०————————

भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय,
कार्यालय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मुख्यालय डाकखाना, नई दिल्ली–110011.

तारीख————

प्रेषक :

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली–110011
(भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

सेवा में,

सर्वश्री————————
————————
————————

प्रिय महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में तारीख————————से या दरों के स्वीकार किए जाने की तारीख से, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो उससे, एक वर्ष की अवधि के लिए, इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथादर्शित बढ़ई का काम करने के लिए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में और इसमें अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, आपसे, निविदा आमंत्रित करता है।

2. किए जाने वाले कार्य का अनुमानित मूल्य लगभग ————————रु० (केवल————————रु०) प्रति वर्ष है। इस रकम में, संविदा अवधि के दौरान, वृद्धि या कमी की जा सकती है और निविदाकार को समय-समय पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश किए गए बढ़ई के सभी काम उक्त अवधि के दौरान पूरे करने होंगे।

3. निष्पादित किए जाने वाले करार के प्ररूप सहित निविदा प्ररूप, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के कार्यालय से, जो कमरा सं०————————सी–2 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली–110011 पर स्थित है, निविदा प्ररूप के प्रत्येक सैट के लिए————————रु० (केवल————————रुपए) का नकद संदाय करके कार्य के समय के दौरान किसी भी कार्य-दिवस को तारीख————————के अपराह्न 3.00 बजे तक, प्राप्त किया जा सकता है।

4. सभी तरह से सम्यक् रूप से भरी गई निविदाएं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पास तारीख ————————को अपराह्न 3.00 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। निविदाएं सीलबंद लिफाफे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, सी–2 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली के पते पर भेजी जानी चाहिए और उस पर "बढ़ई के काम के लिए निविदा की तारीख————————को खोली जानी है" लिखा होना चाहिए। दिल्ली से बाहर की सभी निविदाएं रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती हैं और स्थानीय निविदाएं कमरा नं० 216, सी–2 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली–110011 के बाहर रखी गई निविदा पेटी में, अनुबंधित तारीख और समय के पूर्व, डाली जा सकती हैं। तार द्वारा भेजी गई कोटेशनें किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं की जाएंगी। अनुबंधित समय और तारीख के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर या किसी भी दृष्टि से अपूर्ण निविदाओं पर या सशर्त निविदाओं पर, विचार नहीं किया जाएगा। कीमतों या निविदा की किन्हीं शर्तों में फेरबदल या उपरिलेखन या उन्हें मिटाना अनुज्ञात नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से ऐसे फेरबदल अपरिहार्य हैं तो वे पठनीय रूप में किए जाएं और निविदाकार उन पर आद्यक्षर करें।

5. निविदाएं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में, तारीख————————को अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएंगी और खोले जाने के समय उपस्थित होने के लिए सभी निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि आमंत्रित हैं। सरकार की निविदाएं खोली जाने की तारीख बढ़ा सकती है और निविदाकारों को ऐसे बढ़ाई गई तारीख की सूचना दे दी जाएगी।

6. दी गई कोटेशनें संलग्न अनुसूची के अनुसार विनिर्दिष्ट काम के लिए होंगी। सरकार विक्रय कर के संदाय से छूट प्राप्त नहीं है। दिल्ली और दिल्ली के बाहर की फर्मों को विक्रय-कर अलग से दर्शित करना चाहिए।

7. कोटेशनों में सभी प्रभार सम्मिलित होंगे और सरकार किसी मदें किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों का संदाय नहीं करेगी। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय को प्रस्थापनाएं प्राप्त हो जाने के पश्चात् निविदाकारों को अपनी प्रस्थापनाओं से पीछे हटने या उनके निबंधनों और शर्तों में उपांतरण करने का हक नहीं होगा। यदि निविदाकार उस तारीख के पूर्व, जिस तक उसने अपनी प्रस्थापना खुली रखी है, निविदा वापस ले लेता है या उसे संशोधित कर देता है या कोई और शर्त जोड़ देता है तो निविदाकार द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा और निविदाकार की ओर से ऐसे भंग के लिए सरकार के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निविदाकार का नाम, इस कार्यालय द्वारा रखी गई ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से निकाल दिया जाएगा।

8. निविदा पर ऐसा कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा जो ऐसा करने के लिए विधिक रूप में सक्षम है। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से निविदा या ऐसे संविदा से भागरूप किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, यह प्रमाणित समझा जाएगा कि उसे ऐसे अन्य व्यक्ति को आबद्ध करने का प्राधिकार है और यदि जांच की जाने पर यह पता चलता है कि निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं था, तो सरकार अपने अन्य सिविल और दांडिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा रद्द कर सकती है और ऐसे हस्ताक्षरकर्ता को उतने खर्च और नुकसान के लिए दायी ठहरा सकती है जितना सरकार आवश्यक समझे।

9. निविदाकार अग्रिम धन के रूप में————————रु० (केवल————————रु०) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक से मांग पर निक्षेप रसीद के रूप में जमा करेगा और ऐसी रसीद अपनी निविदा के साथ भेजेगा। उक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को हक होगा कि वह ऐसी निविदाओं पर, जो उक्त रूप में अग्रिम धन जमा किए बिना प्राप्त होती हैं, विचार न करे। इस निविदा के लिए अपेक्षित अग्रिम धन के लिए, न तो निविदाकार द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को अपने द्वारा दी गई किसी अन्य निविदा के लिए जमा किए गए अग्रिम धन को समायोजित किया जाएगा और न ही उक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पास उसके बिलों की बकाया रकम को समायोजित किया जाएगा। सफल निविदाकार का अग्रिम धन, इसमें आगे उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप दे दिए जाने के तुरन्त पश्चात् ही, वापस कर दिया जाएगा। असफल निविदाकारों का अग्रिम धन, उनकी निविदाएं नामंजूर कर दिए जाने के पश्चात् तुरन्त वापस कर दिया जाएगा। सरकार उक्त अग्रिम धन पर किसी ब्याज की हानि या मंजूरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

10. सरकार निम्नतम या कोई निविदा स्वीकार करने या उसके लिए कोई कारण बताने के लिए आबद्ध नहीं है और उसे निविदा पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने का अधिकार है तथा निविदाकार, अपने द्वारा कोट की गई दरों पर, उसे निष्पादित करेगा। सरकार अपने एकमात्र विवेकानुसार एक या एक से अधिक व्यक्तियों से संविदा कर सकती है।

11. सरकार, निविदा स्वीकार कर लिए जाने की सूचना निविदाकार को, एक औपचारिक निविदा-स्वीकृति-पत्र द्वारा देगी।

12. निविदाकार, सरकार से निविदा स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिन की अवधि के भीतर, संविदा के निविदा-मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में डाकखाने में जमा करेगा और उसे मुख्य प्रशासन अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखते हुए पास बुक ऐसे अधिकारी को सौंप देगा। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पूर्णतः समाधानप्रद रूप में सभी प्रकार से संविदा का सम्यक् पालन और पूर्ति होने पर, प्रतिभूति निक्षेप, इस या किसी अन्य संविदा के अधीन सरकार को देय किन्हीं संदायों का समायोजन करने के पश्चात्, निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यदि संविदा का पालन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पूर्ण समाधानप्रद रूप में नहीं किया जाता है (इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा) तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रतिभूति निक्षेप, अंशतः या पूर्णतः जो वह उचित समझे, समपहृत करने का हकदार होगा। यदि निविदाकार अनुबंधित अवधि के भीतर उक्त प्रतिभूति निक्षेप की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का भंग माना जाएगा और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निविदाकार को कोई और सूचना दिए बिना, उसकी जोखिम और खर्च पर, कोई अन्य व्यवस्था करने का हकदार होगा।

13. काम के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी सामग्री उच्च क्वालिटी की होगी और वह उन वस्तुओं के जिनके लिए सेवा ली जाती है, विनिर्देशों के अनुरूप होगी। कोट की गई दरों में संबंधित काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित सामग्री की लागत भी सम्मिलित है।

14. निविदा के साथ आय-कर प्राधिकारियों से आय-कर समाशोधन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. संविदा का उप-पट्टे पर दिया जाना अनुज्ञात नहीं है।

16. निविदा की गई दरें उस तारीख से, जिसको निविदाएं खोली जाती हैं छह मास की अवधि के लिए लागू रहेंगी।

17. सफल निविदाकार को, निविदा-स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर सरकार के साथ उपाबंध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में एक करार निष्पादित करना होगा अन्यथा संविदा रद्द कर दी जाएगी और सरकार निविदाकार की जोखिम और व्यय पर अन्य व्यवस्था करने की हकदार होगी।

18. संविदा——————————से या निविदा-स्वीकृति-पत्र की तारीख से, दोनों से जो भी पश्चातवर्ती हो उससे, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। किन्तु सरकार इस एक वर्ष की मूल अवधि को, इसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। सरकार ऐसी वृद्धि, तीन वर्ष की मूल अवधि की समाप्ति के एक मास पूर्व और 3 मास से कम की वृद्धि की जाने की दशा में, ऐसे वर्धित अवधि की समाप्ति के दस दिन पूर्व, इस आशय की रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा लिखित सूचना देकर, कर सकेगी। यदि सरकार इस करार को उक्त तीन मास की अवधि से आगे भी बढ़ाना चाहती है और ठेकेदार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है तो वह ऐसा कर सकेगी किन्तु ऐसी बढ़ाई गई अवधि को लागू निबंधन और शर्तें वे होंगी जो परस्पर तय पाई जाएं।

19. ये शर्तें, दो प्रतियों में, भेजी जा रही हैं। आप इन शर्तों के स्वीकार किए जाने के प्रतीक स्वरूप उसकी एक प्रति नीचे बताए गए अनुसार सम्यक्तः हस्ताक्षर करके, इस निविदा के साथ वापस कर दें।

20. बढ़ई का काम करने के लिए जिस पक्षकार की निविदा स्वीकार कर ली जाएगी उसे कार्यस्थल निःशुल्क उपलब्ध किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)
उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

प्रोफार्मा

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की मार्फत,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली–110011 के माध्यम से।

महोदय,

आपके तारीख——————————के स्वीकृति पत्र सं०——————————की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

हम उसके निबंधनों के अनुसार बढ़ई का काम करने के लिए सहमत है।

भवदीय

निविदा सं०——————

तारीख——————

निविदा अनुसूची

1. निविदा किसे संबोधित की जाएगी : भारत के राष्ट्रपति, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से।

2. निविदा किसे प्रस्तुत की जाएगी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

3. निविदा प्राप्त की जाने की अंतिम तारीख और समय : ——————को अपराह्न 3 बजे तक

4. निविदा खोली जाने की तारीख, समय और स्थान : ——————को अपराह्न 3 बजे कमरा सं०——————

5. निविदा स्वीकृति के लिए कब तक खुली रहेगी : निविदा खुलने की तारीख से 6 मास तक

6. निविदा-दरें जो दिए जाने वाले सभी आदेशों को लागू होंगी : —————— से या दरें, स्वीकार की जाने की तारीख से, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो उससे, एक वर्ष की अवधि के लिए—

7. निविदा किस कार्य के लिए है :

अपेक्षित काम	अनुमानित अपेक्षाएं (मोटे तौर पर बताई जाएं)	काम के लिए निविदत्त करें
जैसा उपाबंध में उपवर्णित है	विभिन्न प्रकार के बढ़ई के काम	कृपया संलग्न उपाबंध देखें।

8. निविदा पर किस हैसियत में हस्ताक्षर किए गए हैं

9. अग्रिम धन ——————

रसीद सं०——————

तारीख——————

10. संविदा की शर्तें, जो निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश तथा करार प्ररूप में दी गई हैं। स्वीकार हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

तारीख——————

साक्षी : ——————

——————

निविदा सं० ———————————

निविदाकार का तार का पता ———————

निविदाकार का टेलीफोन सं० ————————

प्रेषक :

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की मार्फत
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।

महोदय,

मैं/हम———————————— (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है)——————के दौरान से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए संलग्न अनुसूची में प्रगणित सेवाएं, उसमें कथित दरों पर करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं। मैंने/हमने निविदा आमंत्रण की शर्तों तथा करार प्रारूप में दिए गए सभी निबंधनों और शर्तों को भी, जिनका नमूना निविदा आमंत्रण और निविदकारों को अनुदेश के साथ संलग्न है, पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम पूर्वोक्त निविदा आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश में दिए गए उपबंधों और पूर्वोक्त करार प्रारूप में दिए गए निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होने का करार करता हूं/करते हैं।

2. मैं/हम इस प्रस्थापना को————————————तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, खुली रखने और उक्त अवधि के दौरान उसे वापस न लेने अथवा संशोधित या उपांतरित न करने का करार करता हूं/करते हैं। मैं/हम विहित समय के भीतर प्रेषित की गई स्वीकृति-सूचना-पत्र से आबद्ध हूंगा/होंगे। मैंने/हमने अग्रिम धन जमा कर दिया है। मैंने/हमने यह समझ लिया है कि मेरी/हमारी ओर से इस अनुबंध के प्रतिफलस्वरूप मुझे/हमें निविदा दस्तावेजें जारी की गई हैं और निविदा करने की अनुज्ञा दी गई है कि निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं/हम तक प्रस्थापना से पीछे नहीं हटूंगा/हटेंगे या उसके निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन नहीं करूंगा/करेंगे और यदि मैं/हम पूर्वगामी अनुबंध का पालन और अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो मेरा/हमारा अग्रिम धन सरकार समपहृत कर लेगी।

3. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा-स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर संविदा के अधीन कार्य स्वीकार करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो मेरा/हमारा अग्रिम धन सरकार समपहृत कर सकेगी।

भवदीय,

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

तारीख ——————————

पता ——————————

——————————

पदनाम ——————————

साक्षी के हस्ताक्षर :

नाम ——————————

पता ——————————

——————————

तारीख ——————————

दर्जी की दुकान चलाने के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री . . . . . जो श्री . . . . . का पुत्र है और . . . . . दिल्ली/नई दिल्ली का निवासी है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी परिसर और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख . . . . . को किया गया ।

सरकार के पास दर्जी की दुकान खोलने और चलाने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में साउथ ब्लाक के निचले तल (स्टेबल कोर्ट) में (जिसे इसमें आगे "परिसर" कहा गया है) स्थान उपलब्ध है ।

सरकार ने साउथ ब्लाक में सिलाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए उक्त दुकान खोलने और चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए इसमें उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर सिविदाएं आमंत्रित की थीं ।

सरकार ने उक्त आमंत्रण के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्थापना स्वीकार कर ली थी और अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिभूति के रूप में . . . . . रुपए (. . . . . रुपए केवल) की राशि रक्षा मुख्यालय डाकघर, नई दिल्ली में जमा करा दी है पास बुक, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अधीन अपेक्षित रूप में, भारत के राष्ट्रपति के नाम सम्यक्त: गिरवी कर दी

उक्त निबन्धन और शर्तों में एक उपबन्ध यह भी है कि अनुज्ञप्तिधारी इसमें आगे बताई गई रीति से एक करार निष्पादित

अत: इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

1. यह करार प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा परन्तु सरकार को यह हक होगा कि वह इस करार को, इसमें नीचे उपबंधित रूप में सम्यक् सूचना देकर, किसी भी समय समाप्त कर दे । सरकार अपने विकल्पानुसार वर्तमान करार/अवधि की समाप्ति पर इस अनुज्ञप्ति को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ा/नवीकृत कर सकेगी ।

2. अनुज्ञप्तिधारी इस करार की अवधि के दौरान सभी सिविलियन और सेना अधिकारियों, सशस्त्र बल, मुख्यालय, अन्तर सेना संगठनों में कार्यरत सेना कार्मिकों और अन्य हकदार व्यक्तियों का सभी सिलाई संबंधी कार्य करने का करार करता है ।

3. कपड़ों के सिलाई–प्रभार वे होंगे जो इस करार से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । अनुज्ञप्तिधारी दर-अनुसूची को उक्त परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर दर्शित करेगा ।

4. संविदा के अधीन कार्य के निष्पादन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) रक्षा मंत्रालय, मासिक अनुज्ञप्ति फीस और सरकार द्वारा नियत किए जाने वाले अन्य सहबद्ध प्रभारों पर केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में साउथ ब्लाक के निचले तल (स्टेबल कोर्ट) में स्थान उपलब्ध करेगा । अनुज्ञप्तिधारी सभी कार्य उक्त परिसर में निष्पादित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, इस संविदा के निबन्धनों के अधीन उसे सौंपे गए कार्य से भिन्न कार्य उक्त परिसर में नहीं करेगा । उक्त परिसर पूर्ण रूप से सरकार की सम्पत्ति है । सरकार उक्त परिसर अनुज्ञप्तिधारी को, सम्पदा निदेशालय द्वारा अनुज्ञप्ति फीस के रूप में समय-समय पर नियत की गई राशि का संदाय किए जाने पर, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त दुकान खोलने और उसे चलाने के लिए अनुज्ञप्ति देती है ।

5. अनुज्ञप्तिधारी, ग्राहकों द्वारा उसे सिलाई आदि के लिए दिए गए वस्त्रों, कपड़ों और अन्य सामग्री की हानि के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी हानि, नुकसान आदि को वह प्रचलित बाजार दर पर पूर्ण रूप से पूरा करेगा ।

6 सरकार, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो उक्त दुकान से सिलाई संबंधी सुविधाएं प्राप्त करता है, शोध्य राशि वसूल करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी । यदि अनुज्ञप्तिधारी उधार देता है तो वह ऐसा जोखिम पर करेगा और सरकार किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर देने के लिए आबद्ध नहीं होगी ।

7. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) रक्षा मंत्रालय (जिसे इसमे आगे "उप मु० प्र० अ० (क्यू)" कहा गया है) को अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिभूति निक्षेप से निम्नलिखित दावों सह कटौती करने की पूर्ण शक्ति होगी :—

(i) सरकार को शोध्य फीस और अन्य धनराशि;

(ii) ऐसे कपड़ों या सामग्री के खो जाने या नुकसानग्रस्त हो जाने आदि की बाबत ग्राहकों के दावे, और

(iii) इस अनुज्ञप्ति करार की शर्तों के अनुपालन के लिए उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना ।

8. अनुज्ञप्तिधारी, ऊपर खण्ड 4 में उल्लिखित रूप में प्रतिमास ..... रु० (..... रुपए) की अनुज्ञप्ति फीस का सदाय, प्रत्येक मास की दस तारीख तक, अग्रिम रूप में करेगा ।

9. अनुज्ञप्तिधारी, जल, विद्युत और अभिरक्षा प्रभारों का संदाय उन दरों, पर जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित की जाएं, अग्रिम रूप में करेगा : परन्तु यदि जल और विद्युत के लिए अलग-अलग मीटर लगा दिए जाते हैं तो उक्त प्रभार मीटरों के किराए सहित वास्तविक खपत के अनुसार लिए जाएंगे और अनुज्ञप्तिधारी उनका संदाय, स्थानीय नगरपालिका के सम्बद्ध प्राधिकारियों को, उनके बिलों के अनुसार, सीधे करेगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर और उसके आसपास के स्थान को सदैव साफ सुथरा रखेगा । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त परिसर के भीतर ऐसी सभी पूर्वावधानियां बरती जाएं, जिससे कि वहां आग न लगे । वह परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा या उसमें ऐसी कोई बात नहीं होने देगा जिससे कि दुकान या पार्श्वस्थ भवन के लिए खतरा उत्पन्न हो या उन्हें आग आदि से कोई नुकसान पहुँचे और वह इस करार की समाप्ति पर उक्त परिसर सरकार को अच्छी दशा में सौंपेगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी, नगरपालिका उपविधियों का पालन करेगा ।

12. अनुज्ञप्तिधारी उन आदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा जो उसे उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए जाएं ।

13. अनुज्ञप्तिधारी इस करार के प्रवृत्त रहने के दौरान, उक्त परिसर के किसी सहजादृश्य स्थान पर एक शिकायत पुस्तक रखेगा जिसमें शिकायतें लिखी जा सकें और वह सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से अनुदेश प्राप्त होने पर तत्काल शिकायत दूर करेगा अन्यथा उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

14. अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों से विनम्र व्यवहार करेगा ।

15. अनुज्ञप्तिधारी, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की मुद्रित या लिखित सूचनाएं या विज्ञापन, उनको छोड़कर जिनका संबंध उसके व्यापार से है जो इस करार के निबन्धनों के अधीन अन्यथा अपेक्षित है, उक्त परिसर में प्रदर्शित नहीं करेगा ।

16. सरकार, उक्त परिसर में रखे गए किसी माल सामान या वस्तुओं को, किसी भी कारण होने वाली हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

17. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर या उसके किसी भाग को या इस विलेख के अधीन किसी फायदे को न तो उप पट्टे पर देगा और न उसका अन्यथा अन्तरण करेगा । वह उक्त परिसर का न तो इस करार के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगा और न उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन करेगा ।

18. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर के भीतर सरकारी सम्पत्ति को हुई सभी नुकसानों या हानियों के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी हानि या नुकसान की, उनको छोड़कर जो उचित उपयोग और टूट-फूट अथवा आंधी, भूकम्प या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण हों, प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा ।

19. अनुज्ञप्तिधारी, सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उक्त परिसर में न तो नियोजित करेगा और न नियोजित करने की अनुज्ञा देगा । वह ऐसे व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश करने या रहने की अनुज्ञा भी नहीं देगा ।

20. अनुज्ञप्तिधारी के सभी कर्मचारी सदैव साफ सुथरे रहेंगे और उचित पोषाक पहनेंगे ।

21. परिसर का उपयोग रहने या सोने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।

22. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, या व्यक्तियों को किसी भी समय, कोई सूचना दिए बिना, उक्त परिसर में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

23. अनुज्ञप्तिधारी ने संविदा के समाधानप्रद रूप में पालन किए जाने के लिए ..... रुपए (..... रुपए केवल) की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में डाकखाने के प्रतिभूति निक्षेप खाते में जमा कर दी है और उक्त खाते की पास बुक उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) को सौंप दी है। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी कारणवश इस करार की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या सरकार ऐसे पालन से सन्तुष्ट नहीं है, तो यह रकम, सरकार के विवेकानुसार, जो अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा, भागत: या पूर्णत: सरकार को समपहृत हो जाएगी। इस करार की समाप्ति के पश्चात् और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समाधानप्रद रूप में कार्य कर दिए जाने तथा इस आशय का "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर दिए जाने पर कि अनुज्ञप्तिधारी से सरकार को कोई धनराशि शोध्य नहीं है, प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या इसके उपबंधों के आधार पर समपहृत राशि काट कर, अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी। संविदा का पालन समाधानप्रद रूप में किया गया है या नहीं, इसके बारे में सरकार का विनिश्चय अन्तिम और अनुज्ञप्ति-धारी पर आबद्धकर होगा। प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि पर सरकार द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

24. यदि अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इस करार का कोई निबन्धन या शर्त भंग की जाती है या वह अन्यथा अन्तोषजनक साबित होता है (जिसके बारे में उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चिय अन्तिम होगा) तो सरकार अपने विधिक अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारी को सात दिन की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगी और ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर सकेगी। यदि इस अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कोई उपचारी उपाय नहीं करता है तो ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी का, अपने द्वारा संदत्त फीस वापस किए जाने के लिए कोई दावा नहीं होगा।

25. इसमें किसी बात के होते हुए भी, सरकार की ओर से उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को छह मास की लिखित सूचना देकर, कोई कारण बताए बिना, इस अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दे। अनुज्ञप्ति इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी करार की अनवसित अवधि के लिए फीस के आनु-पातिक प्रतिदाय का हकदार होगा।

26. अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को परिसर का निरीक्षण करने और उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन करने अथवा भवन, विद्युत, जल और सफाई संबंधी फिटिंग की मरम्मत करने या उसकी पुनर्सज्जा करने के लिए, जो समय-समय पर आवश्यक पाई जाए, परिसर में प्रवेश करने देगा। अनुज्ञप्तिधारी की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अधिकारी इस प्रयोजन के लिए समय और तारीख नियत करेगा।

27. इस करार के अधीन सरकार की ओर से प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग उप मुख्य प्रशास-निक अधिकारी (क्यू) या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी इससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में उसी से पत्र व्यवहार करेगा।

28. इस संविदा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को शोध्य और संदेय कोई राशि (जिसमें उसे वापस किए जाने योग्य प्रतिभूति निक्षेप भी सम्मिलित है) का, सरकार या सरकार के माध्यम से संविदा करने वाला/वाले व्यक्ति विनियोजित करके, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ की गई किसी अन्य संविदा से या उसके अधीन सरकार या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को देय किसी धनराशि के संदाय के लिए मुजरा कर सकेंगे।

29. सरकार की ओर से दी जाने वाली या ली जाने वाली सभी सूचनाएं उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिस उक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कृत्य, कर्त्तव्य और शक्तियां तत्समय सौंपी गई हों, ली और दी जाएंगी। यदि इस करार के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली कोई सूचना अनुज्ञप्तिधारी के अन्तिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है, इसी प्रकार यदि सरकार को दी जाने वाली कोई अन्य सूचना उक्त उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पते पर परिदत्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है। इस प्रकार डाक से सूचना का भेजा जाना, उस समय की समाप्ति पर, जिसके भीतर कोई सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में उस पते पर पहुँच जाती है जिस पर वह भेजी गई है, उसके तामील किए जाने का प्रथम दृष्टया सबूत होगा।

30. यदि इस करार या उसके संबंध में कोई विवाद, प्रश्न और मतभेद (उसको छोड़कर जिसके विनिश्चय के लिए इसमें पहले विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है), उत्पन्न होता है तो वह ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यमस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में पूल-आवास के तत्समय भारसाधक संयुक्त सचिव द्वारा नियुक्त किया जाए। ऐसी किसी नियुक्ति के बारे में यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, कि उसे उन विषयों संबंध में कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों में अपने विचार व्यक्त कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबन्धन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ, जिस मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थान्तरित हो जाता है या अपना पद त्याग देता है या वह किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद त्याग या असमर्थता कि समय रक्षा पूल आवास का ऐसा संयुक्त सचिव किसी अन्य व्यक्ति को इस करार के निबन्धनों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को हक होगा कि वह निर्देश में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही प्रारंभ करे जिस पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा है। इस करार का एक निबन्धन यह भी है कि रक्षा पूल आवास के भारसाधक संयुक्त सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो मामला माध्यस्थम् के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए नियमों के उपबन्ध, उसके कानूनी उपान्तर या पुन: अधिनियमितियां ऐसे माध्यमस्थम् को लागू होंगी। मध्यस्थ अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने की अवधि को, पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर बढ़ा सकेगा। माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली होगा।

31. यदि अनुज्ञप्तिधारी इस करार की प्रति को मांग करता है तो वह, उसे, पांच रुपए का संदाय कर दिए जाने पर, दे दी जाएगी।

32. इस करार की अवधि समाप्त हो जाने या पहले ही समाप्त कर दिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर को शान्तिपूर्वक खाली कर देगा और उसे सरकार को उसी हालत में लौटा देगा जिसमें वह उसे मिला था।

33. यदि ऊपर खण्ड 32 में उपबंधित रूप में अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर खाली करने में असफल रहता है तो उसके प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जा सकेगा और वह ऐसे नुकसान के लिए दायी होगा जो सरकार निश्चत करे, और सरकार उसके विरुद्ध ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जो सरकार परिसर खाली कराने के लिए आवश्यक समझे।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय ने और अनुज्ञप्तिधारी ने ऊपर लिखी सर्वप्रथम तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू),
रक्षा मंत्रालय ने :—

1.....

2.....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

अनुज्ञप्तिधारी ने :—

1. .....

2. .....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

साइकिल स्टैण्ड चलाने के लिए

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री————————————, जो श्री————————————का पुत्र और————————————का निवासी है (जिसे इसमें आगे 'ठेकेदार' कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी वारिस और अनुज्ञात समनुदेशित भी है) के बीच आज तारीख ———————————— को किया गया।

सरकार के पास साइकिल स्टैण्ड चलाने और इसके अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए ———————————— में ऐसे साइकिल स्टैण्ड के लिए स्थान उपलब्ध है।

सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों और अधिकारियों की साइकिलों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों की सुरक्षित अभिरक्षा के प्रयोजन के लिए इसमें आगे वर्णित निबन्धनों और शर्तों पर उक्त साइकिल स्टैण्ड के उपयोग, उसे चलाने और उसके अनुरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं और ठेकेदार ने उक्त आमंत्रण के अनुसरण में प्रस्थापना की थी जो सरकार ने स्वीकार कर ली है। उक्त निबन्धनों और शर्तों में यह उपबन्ध है कि ठेकेदार इसमें आगे दी गई रीति से एक करार निष्पादित करेगा।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. यह करार, उसके प्रवृत्त होने की तारीख से तीस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा परन्तु सरकार को यह हक होगा कि वह करार को, कोई कारण बताए बिना, एक मास की सूचना देकर किसी भी समय समाप्त कर दे। वर्तमान करार की समाप्ति पर सरकार, अपने विकल्पानुसार इस अनुज्ञप्ति के समय को बढ़ा सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी।

2. उक्त साइकिल स्टैण्ड पूर्ण रूप से सरकार की सम्पत्ति है। सरकारी कर्मचारियों की साइकिलों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सरकार ठेकेदार को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्टैण्ड चलाने और उसके अनुरक्षण के लिए फीस के रूप में ————————रुपए का संदाय किए जाने पर तथा इस करार के निबन्धनों और शर्तों पर अनुज्ञप्ति मंजूर करती है।

3. ठेकेदार इसमें उक्त खण्ड 2 में वर्णित————रुपए की फीस का अग्रिम संदाय प्रत्येक मास की 10 तारीख तक, 36 समान किस्तों में, करेगा और ऐसा प्रथम संदाय————————की 10 तारीख को कर दिया गया है।

4. यदि जल और विद्युत की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है तो ठेकेदार सरकार को जल और विद्युत प्रभारों की बाबत निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप में संदाय करेगा :—

(क) जल प्रभार : ————रुपए प्रति मास प्रति टैप

(ख) विद्युत प्रभार :—

(i) प्रकाश प्वाइंट—प्रति मास————रुपए प्रति प्वाइंट;

(ii) साधारण पावर प्लग प्वाइंट—प्रतिमास————रुपए प्रति प्वाइंट :

परन्तु जहां जल और विद्युत के लिए अलग-अलग मीटर हैं वहां प्रभार, मीटर का किराया जोड़कर वास्तविक खपत के अनुसार लिए जाएंगे और ठेकेदार उनका संदाय, संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों को उनके बिलों के अनुसार, सीधे करेगा।

5. ठेकेदार, उक्त स्टैण्ड को साफ-सुथरा रखेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा अथवा उसमें ऐसी कोई बात नहीं होने देगा जिससे कि उस स्टैण्ड को या उससे लगे हुए भवनों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। उन्हें आग आदि से भी कोई नुकसान नहीं होने देगा और वह इस करार की समाप्ति पर उक्त स्टैण्ड को अच्छी हालत में सरकार को सौंप देगा।

6. ठेकेदार नगरपालिक उपविधियों का पालन करेगा।

7. ठेकेदार रक्षा मंत्रालय के उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जिसे इसमें आगे उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहा गया है) या इस निमित्त लिखित रूप में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

8. ठेकेदार इस करार के प्रवृत्त रहने के दौरान उक्त स्टैण्ड के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक शिकायत पुस्तक रखेगा जिसमें शिकायतें लिखी जा सकें और जो सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों, को उनके निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। ठेकेदार, उपमुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) से अनुदेश प्राप्त होने पर शिकायतों को तत्काल दूर करेगा अन्यथा उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे।

9. ठेकेदार, करार के उचित क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक टोकन नम्बरों, रजिस्ट्रों और कर्मचारियों की व्यवस्था अपने खर्च पर, करेगा।

10. ठेकेदार, साइकिल स्टैण्ड केपरिसर में अपने खर्च पर एक सूचना पट्ट की व्यवस्था करेगा जिस पर निम्नलिखित सूचना लिखी होगी :— 'टोकन लिए बिना साइकिल स्टैण्ड पर रखी कोई साइकिल रखी जाए और टोकन के लौटाए जाने पर ही, साइकिल वापस की जाएगी'।

11. ठेकेदार का ग्राहकों के साथ व्यवहार अत्यन्त विनम्र होगा।

12. ठेकेदार, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की मुद्रित या लिखित सूचनाएं या विज्ञापन, उनको छोड़कर जिनका संबंध उसके व्यापार से है या जो इस करार के निबन्धनों के अधीन अन्यथा अपेक्षित है,उक्त स्टैण्ड में प्रदर्शित नहीं करेगा।

13. सरकार उक्त स्टैण्ड में किसी माल या सामान या वस्तुओं को होने वाली हानि या नुकसान के लिए किसी भी लेखे जिम्मेदार नहीं होगी।

14. ठेकेदार, उक्त स्टैण्ड को न तो उप पट्टे पर देगा, न इस करार के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग करेगा और न सरकार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन करेगा।

15. ठेकेदार, उक्त स्टैण्ड के परिसर के भीतर वाली सरकारी सम्पत्ति को हुए सभी नुकसानों या हानियों के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी हानि या नुकसान को, उसको छोड़कर जो उचित उपयोग या टूट-फूट अथवा आंधी, भूकम्प या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण हों, प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा।

16. सरकार कुछ साइकिल स्टैण्ड ठेकेदार को सौंप देगी और वह स्थान बताएगी जहाँ ऐसे हटाए जा सकने वाले स्टैण्ड, यदि कोई हों, रखे जाएंगे।

17. ठेकेदार साइकिल स्टैण्ड के लिए पर्याप्त संख्या में और विश्वसनीय तालों की व्यवस्था, अपने खर्च पर, करेगा और उनकी चाबी या चाबियां अपने पास रखेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो अपनी साइकिलें या मोटर साइकिलें संरक्षण के लिए ठेकेदार को सौंपना चाहते हैं, कार्यालय पहुंचने पर अपनी साइकिलें या मोटर साइकिलें ठेकेदार को सौंप देंगे और उससे उस स्टैण्ड के नम्बर वाला एक टोकन प्राप्त करेंगे जिस पर साइकिल या मोटर साइकिल रखी गई है। कार्यालय छोड़ते समय वे टोकन वापस करेंगे और अपनी-अपनी साइकिल या मोटर साइकिल वापस ले लेंगे और यदि उन्हें कोई शिकायत है तो उसे वे उस शिकायत पुस्तक में लिखेंगे, जिसे ठेकेदार उस प्रयोजन के लिए रखेगा।

18. ठेकेदार को, साइकिल स्टैण्ड से या साइकिल के स्वामी से टोकन खो जाने की जैसी ही जानकारी होती है वैसे ही वह उसकी सूचना उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) और संबद्ध पुलिस स्टेशन को देगा।

19. साइकिल या मोटर साइकिल के स्वामी द्वारा ठेकेदार को संरक्षण के लिये सौंपी गई सभी साइकिलों या मोटर साइकिलों के लिये मासिक प्रभार का संदाय, सीधे ठेकेदार को उस दर पर किया जाएगा जो इसमें नीचे खण्ड 26 में दी गई है और इस निमित्त संदाय न किये जाने के लिये या अन्यथा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20. ठेकेदार स्टैण्ड पर रखी गई साइकिल या मोटर साइकिल के पुर्जों के खो जाने के लिये जिम्मेदार होगा किन्तु उन वस्तुओं के लिये जिम्मेदार नहीं होगा जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे असंबद्ध टोकरी, साइकिल लैम्प, घंटी के ढक्कन आदि और साइकिल के स्वामियों को चाहिये साइकिलें या मोटर साइकिलें स्टैण्ड पर रखते समय उपरोक्त वस्तुओं को साइकिल से निकाल कर अपने साथ ले जाएं।

21. यदि ठेकेदार की अभिरक्षा के दौरान कोई साइकिल या मोटर साइकिल या उसके औजार या पुर्जे, चोरी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो ठेकेदार उनके बाजार-मूल्य का संदाय करेगा जब तक कि ऐसी हानि किसी आंधी, भूकम्प या मानव नियंत्रण से परे किसी अप्रतिरोध्य बल के कारण न हुई हो। ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये भी दायी होगा जो किसी साइकिल या मोटर साइकिल को उसकी अभिरक्षा, भारसाधन या नियंत्रण में रहते हुए होता है। साइकिल के बाजार-मूल्य का अवधारण, उसी मेक वाली साइकिल के विद्यमान मूल्य में से अवक्षयण कम करके, किया जाएगा। यदि इस खण्ड के अधीन संदेय किसी रकम के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) तय करेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

22. ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 500 रु० (पांच सौ रुपये केवल) या प्रस्थापित अनुज्ञप्ति फीस की छह गुनी राशि, दोनों में से जो भी अधिक हो वह, संविदा के समाधानप्रद रूप में निष्पादित किये जाने के लिये प्रतिभूति धन के रूप में, रक्षा मुख्यालय डाकखाने में प्रतिभूति निक्षेप खाते जमा करेगा और उसकी पास बुक उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को देगा।

23. सरकार प्रतिभूति निक्षेप की रकम ऐसी किन्हीं हानियों की बाबत, जो स्वामियों को उनकी साइकिलों या मोटर साइकिलों या उनके पुर्जों के उस समय खो जाने या उनको नुकसान पहुंचने से हो जब वे साइकिलें या मोटर साइकिलें ठेकेदार की अभिरक्षा, भारसाधन या नियंत्रण में हों, संदाय के लिये या इसमें दिये गये किसी निबन्धन के भंग किये जाने पर ठेकेदार द्वारा संदेय किसी धनराशि के संदाय के लिये विनियोजित कर सकेगी। प्रतिभूति निक्षेप में इस प्रकार हुई कमी को ठेकेदार उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर पूरा करेगा जिस तारीख को उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। संविदा की समाप्ति पर प्रतिभूति की रकम वापस कर दी जाएगी, परन्तु यह तब जब साइकिल या मोटर साइकिल या उसके किसी पुर्जे की किसी हानि के कारण या उसमें अन्तर्विष्ट किन्हीं निबन्धनों के भंग के कारण, ठेकेदार द्वारा कोई राशि देय न हो।

24. यदि इस करार के किसी निबन्धन या शर्त को भंग किया जाता है या यदि ठेकेदार अन्यथा असमाधानप्रद साबित होता है [जिसके बारे में उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) का विनिश्चय अन्तिम होगा] तो सरकार, अपने अन्य विधिक अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा समाप्त कर सकेगी और ठेकेदार को सात दिन की लिखित सूचना देकर उक्त खण्ड 22 में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर सकेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार का, संदत्त फीस की वापसी के लिए, किसी प्रकार का दावा नहीं होगा।

25. इसमें किसी बात के होते हुए भी, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) को सरकार की ओर से यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को एक मास की लिखित सूचना देकर, कोई कारण बताए बिना, यह संविदा समाप्त कर दे। यदि संविदा इस प्रकार समाप्त कर दी जाती है तो ठेकेदार किसी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा किन्तु वह संविदा के निबन्धनों की अनवसित अवधि के लिए, फीस की आनुपातिक वापसी का हकदार अवश्य होगा।

26. ठेकेदार को संदेय दरें, जो उक्त खण्ड 19 में निर्दिष्ट हैं, निम्नलिखित हैं :—

(क) साइकिल—काम के घंटों के दौरान, अर्थात् 8.30 बजे पूर्वाह्न से 6.30 बजे अपराह्न तक——पैसे प्रति साइकिल प्रति मास। इसमें ट्यूब में निःशुल्क हवा भरना सम्मिलित है। मरम्मत और सफाई आदि के प्रभार अलग से संदेय होंगे।

(ख) मोटर साइकिल और स्कूटर—काम के घंटों के दौरान——————रुपए प्रति यान प्रति मास।

(ग) काम के घंटों के पूर्व या पश्चात् तथा रात्रि के समय साइकिलों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों की अभिरक्षा के लिए प्रभार की दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए——————पैसे होगी।

ठेकेदार अभिरक्षा के लिए कभी-कभी आने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे सौंपी गई साइकिलों या मोटर साइकिलों के लिए, प्रति साइकिल प्रतिदिन या उसके भाग के लिए——————पैसे और प्रति मोटर साइकिल प्रतिदिन——पैसे की दर से प्रभार लेने के लिए भी प्राधिकृत है।

27. चपरासियों द्वारा लाई गई सभी सरकारी साइकिलों को अभिरक्षा प्रभार से छूट प्राप्त होगी।

28. ठेकेदार, अपनी अभिरक्षा में रखी गई साइकिलों में, कोई अतिरिक्त प्रभार लिए बिना, हवा भरने की व्यवस्था करेगा और साइकिल स्टैण्ड पर इस आशय का सूचना पट्ट लगाएगा।

29. गर्मी और बरसात के दिनों में ठेकेदार उतनी साइकिलों और मोटर साइकिलें रखेगा जितनी प्रांगण में खाली स्थान या ऐसे मोटर गैरजों या ढके हुए बरामदों में, जिनमें मोटर कारें खड़ी नहीं की गई हैं, रखी जा सकती हैं। सरकार ऐसे स्थान ठेकेदार को सूचित करेगी। उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) इन स्थानों को वापस ले सकेगा या उनमें वृद्धि कर सकेगा।

30. यदि साइकिल 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए रखी जाती है तो ठेकेदार को पूरे मास का और 15 दिन से अनधिक की अवधि के लिए आधे मास का प्रभार संदत्त किया जाएगा।

31. आपातकाल जैसे विशेष अवसरों पर सकार द्वारा आदेश दिए जाने पर, छुट्टियों में भी साइकिल स्टैंड खुला रहेगा और इसके लिए मासिक ग्राहकों से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

32. यदि स्टैण्ड पर रखी गई ऐसी किसी साइकिल या मोटर साइकिल और पुर्जे के लिए उनके स्टैण्ड पर रखे जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कोई दावा नहीं किया गया है, यदि उसका दावेदार नहीं आता है, तो उन्हें सरकार को सौंप दिया जाएगा।

33. यदि टोकनधारक टोकन खो देता है तो ठेकेदार प्रभार के रूप में———— रुपए लेकर नया टोकन जारी कर सकेगा।

34. इस करार के अधीन सरकार की ओर से प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और अधिकार का प्रयोग उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकेगा।

35. यह करार————से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

36. यदि इस करार से या उसके संबंध में कोई विवाद, प्रश्न या मतभेद (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप मे उपबंध किया गया है) उत्पन्न होता है तो वह ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा पूल आवास के उस भारसाधक संयुक्त सचिव से नियुक्त किया हो जो ऐसी नियुक्ति के समय उस हैसियत में कार्यरत हो। ऐसी किसी नियुक्त के बारे में यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, यह कि उसे उन विषयों के संबंध में कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मत-भेद वाले किसी या सभी विषयों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबन्धन यह है कि यदि वह मध्यस्थ, जिसे मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरित हो जाता है या अपना पद त्याग देता है या किसी कारण कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसे स्थानान्तरण, पदत्याग या असमर्थता के समय रक्षा पूल वास-सुविधा का उक्त संयुक्त सचिव किसी अन्य व्यक्ति को इस करार के निबन्धनों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को हक होगा कि वह निर्देश संबंधी कार्य उस प्रक्रम से प्रारम्भ करे जिस पर उसके पूर्वाधिकारी से उसे छोड़ा है। इस करार का एक निबन्धन यह भी है कि रक्षा पूल वास-सुविधा के भारसाधक संयुक्त सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ का कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण यह संभव नहीं है तो मामला माध्यस्थम् के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए नियमों तथा उसके कानूनी उपान्तर या पुनः अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे। मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति से, अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने की समयावधि का विस्तार समय-समय पर कर सकेगा। माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली होगा।

37. ठेकेदार, कर्मचारिवृन्द की किसी एक शिकायत या इस करार के किसी नियम या शर्त के उल्लंघन के मामले में————रुपए (.....रुपए) का संदाय करने के लिए दायी होगा। ऐसी जांच उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) द्वारा की जाएगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। यदि ऐसी रकम ठेकेदार सात दिन के भीतर नहीं भेजता है तो वह उसके प्रतिभूति निक्षेप से वसूल कर ली जाएगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने और ठेकेदार ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

हू०————

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) रक्षा मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

1. ————
2. ————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हू०————

श्री————ठेकेदार ने,

1. ————
2. ————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

जीवित पशु/प्रसाधित मांस (झटका/हलाल) के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि :—

1. मैं/हम भेड़ों/बकरों का प्रदाय, पशुधन के लिए सं० सै को० के विनिर्देश सं० 103 के अनुसार, करूंगा/करेंगे और प्रसाधित मास सं०सै० को० के विनिर्देश सं० 115क के अनुसार निविदत्त किया जाएगा। गर्भित पशु या मैमने स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. मैं/हम प्रतिदिन जीवित या वध किए गए पशुओं के रूप में दिए गए पशुओं की औसत संख्या के आधार पर———— से————————तक पशुओं (भेड़/बकरों) का कम से कम चार दिन का प्रदाय सदैव रिजर्व रखूंगा/रखेंगे।

3. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि ऐसा सभी पशु-धन पूर्ति अधिकारी या उसके प्रतिनिधि अथवा पशु-चिकित्सक या उसके प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन होगा और मैं/हम ऐसे पशुओं पर संबद्ध पूर्ति अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट रूप में ऐसी मोहर लगाऊंगा/लगाएंगे जो सरकार देगी।

4. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि संविदा प्रवर्तन अधिकारी अपने द्वारा नियत दिन और समय पर, या तो प्रतिदिन या अधिक अन्तराल पर, किन्तु सप्ताह में कम से कम दो बार, पशुओं का निरीक्षण और उन्हें स्वीकार कर सकेगा। पश्चात्कथित मामले में, मैं/हम यह भी जानता हूं/जानते हैं कि मुझे/हमें निरीक्षण की दो अवधियों के बीच प्राक्कलित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रिजर्व में अतिरिक्त पशु रखने होंगे जिससे कि रिजर्व में पशुओं की संख्या किसी भी समय चार दिन के लिए अपेक्षित पशुओं की संख्या से कम न रहे।

5. यदि विशेष शर्त सं० में बताया गया रिजर्व किसी समय विहित सीमा से कम रह जाता है तो पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर, उतने पशु क्रय कर सकेगा जितनों से उक्त रिजर्व में हुई कमी पूरी हो जाए और मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर इस प्रकार क्रय किए गए पशुओं का पोषण, अनुरक्षण और देखभाल मैं/हम उसी रीति से करूंगा/करेंगे जिस रीति से इस संविदा के अधीन मेरे/हमारे द्वारा लाए और दिए जाने वाले पशुओं का किया जाता है।

6. यदि किसी विशिष्ट मामले में, प्रदाय केन्द्र पर वध किए जाने के लिए पशु उपलब्ध नहीं हैं तो संविदा प्रवर्तन अधिकारी के लिए यह न्यायोचित होगा कि वह किन्हीं बाहरी स्रोतों से पशु क्रय करके उन्हें प्रदाय केन्द्र पर पहुंचवा दे। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्रय के लिए सरकार द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय और परिवहन प्रभार तथा अन्य आनुषंगिक व्यय मुझसे/हमसे वसूल किए जा सकेंगे।

7. इस प्रकार क्रय किए गए पशु मेरी/हमारी संपत्ति होंगे और क्रय के पश्चात् उनकी मृत्यु या उनके अवक्षयण के लिए मैं/हम जिम्मेदार होऊंगा/होंगे। अवक्षयण के कारण बाद में रद्द किए गए पशुओं को मैं/हम तुरन्त हटाऊंगा/हटाएंगे और उन्हें सरकारी परिसर में नहीं रखा जाएगा (देखिए शर्त सं० 10)।

8. रिजर्व के रूप में लाए गए सभी पशु, संबद्ध संविदा प्रवर्तन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन होंगे।

9. प्रतिदिन वध किए जाने के लिए अपेक्षित पशु, रिजर्व से स्वीकार किए जाएंगे और इस कारण उक्त न्यूनतम रिजर्व में होने वाली कमी को मैं/हम निरन्तर पुनः पूरा करते रहने का करार करता हूं/करते हैं। मैं/हम अस्वीकार किए गए सभी बकरे और भेड़ हटा लूंगा/लेंगे और वे सरकारी परिसर या आबंटित क्षेत्र में नहीं रखे जाएंगे।

10. यदि विशेष शर्त सं० 2 में बताया गया रिजर्व विहित सीमा से कम रह जाता है तो पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी पशुओं के भेजे जाने/वध किए जाने को तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक कि पशुओं के रिजर्व में पशुओं की संख्या विहित सीमा तक नहीं पहुंच जाती और इस अवधि के दौरान पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर अनूसूची (आई०ए०एफ०जेड० 2121) में यथा उल्लिखित प्रतिस्थापी पशु उपलब्ध कर सकता है। मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस लेखे किसी भी प्रतिकर का/के, चाहे वह जो भी हो, हकदार नहीं होऊंगा/होंगे।

11. स्थानीय पशु चिकित्सक और/या पूर्ति अधिकारी या उसका प्रतिनिधि पशुओं का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है और उन्हें अस्वीकार कर सकता है।

12. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त शर्तों के अधीन रखे जाने वाले सभी पशु सरकारी परिसर य ऐसे परिसर में रखे और पोषित किए जाएंगे जो पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी आबंटित करे या स्वीकार करे। इस प्रकार रखे गए पशु पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण के अधीन होंगे। यदि सरकारी परिसर से समुचित दूरी के भीतर कोई चरागाह नहीं है तो संबद्ध क्षेत्रीय/प्रभागीय कमांडर ठेकेदार को, किसी या सभी पशुओं को, ऐसे कमांडर द्वारा पहले से अनुमोदित स्थान पर, रखने की अनुज्ञा दे सकता है।

13. मैं/हम चराई खर्च या किसी अन्य लेखे किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों का/के हकदार नहीं होऊंगा/होंगे। आशय यह है कि मैं/हम इस संविदा के सम्यक् पालन के लिए रखे जाने के लिए अपेक्षित पशुओं के, जिनके अन्तर्गत रिजर्व भी है, रखे जाने का संपूर्ण खर्च वहन करूंगा/करेंगे।

14. रिजर्व में प्रत्येक पशु को स्वस्थ, उपयुक्त और सुपोषित रखा जाएगा। यदि कोई पशु अस्वस्थ, रुग्ण, कुपोषित या वध किए जाने के लिए अनुपर्युक्त पाया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्रास ब्रांडिंग द्वारा बांड चिन्ह रद्द कर दिया जाएगा और पशु को रिजर्व स्टाक से निकाल दिया जाएगा। ऐसे पशु के स्थान पर दूसरा पशु ठेकेदार शीघ्र लाएगा या पूर्ति/प्रवर्तन अधिकारी, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, उसे प्राप्त कर सकेगा।

15. ठेकेदार किसी वर्ग/किन्हीं वर्गों की भेड़ों या बकरों के क्रय और निरीक्षण के बारे में सिविल या सैनिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर लगाए गए निबन्धनों का पालन करेगा।

16. ठेकेदार बिना ब्रांड लगी या अस्वीकृत की गई भेंड़/बकरियों को निरीक्षण से पूर्व या उसके पश्चात् सरकारी क्षेत्र या परिसर में नहीं रखेगा। रखेगा ठेकेदार ऐसे किन्हीं पशुओं को तुरन्त हटाने और बदलने के लिए सहमत है जिसे, ब्रांड चिन्ह लगाए जाने और स्वीकृत किए जाने के पश्चात् किसी समय, संविदा प्रवर्तन, अधिकारी या उसका प्रतिनिधि रखे जाने के लिए अनुपयुक्त समझता है। ऐसे पशुओं का ब्रांड चिन्ह उनके हटाए जाने से पूर्व रद्द कर दिया जाएगा।

17. भेंड़ों और बकरियों के ऊपर खण्ड 2 में निर्दिष्ट रिजर्व से ठेकेदार किसी ऐसी बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करेगा जिसकी पूर्ति के लिए आदेश, संबद्ध संविदा प्रवर्तन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, दे। भेड़ों और बकरों के इस प्रकार दे दिए जाने से उनकी संख्या में हुई कमी की पूर्ति शीघ्र, किन्तु किसी भी परिस्थिति में पांच दिन के अपश्चात् कर दी जाएगी।

18. भेजे जाने/वध किए जाने के लिए चुने गए पशुओं को अलग कर दिया जाएगा। और उन्हें, यूनिट/बूचड़खाने भेजने के लिए उनके स्वीकार किए जाने से पूर्व, पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपेक्षित रूप, कम से कम 12 घंटे पहले से पानी के सिवाय कोई भोजन नहीं दिया जाएगा।

19. मैं/हम पूर्णतः जानता हूं/जानते हैं कि जीवित पशु के रूप में दिए जाने वाले पशुओं की खाल और मांसावशिष्ट सरकार की संपत्ति होंगे।

20. उस स्टाक की, जिसे पास कर दिया जाता है और जिस पर ब्रांड लगा दी जाती है या जिसे खण्ड 12 के अधीन सरकारी बूचड़खाने से बाहर रख दिया जाता है, देखभाल करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा नियोजित कार्मिक और उक्त सरकारी बूचड़खाने में या उसके लिए मेरे/हमारे द्वारा नियोजित सभी कार्मिक, स्वयं को और अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखेंगे। ऐसे काम पर नियोजित सभी कार्मिकों की ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा और उपचार किया जा सकेगा तथा ऐसे टीके लगाए जा सकेंगे जैसे चिकित्सक प्राधिकारी/आवश्यक समझे और यदि वे ऐसा न करना चाहते हों तो उन्हें मैं/हम अपने नियोजन में नहीं रखूंगा/रखेंगे।

21. मैं/हम सरकारी बूचड़खाने और परिसर के उपयोग के लिए निम्नलिखित सपाट दरों पर संदाय करने का करार करता हूं/करते हैं। इस संदाय के अन्तर्गत सहबद्ध प्रभार तथा जल और विद्युत प्रभार भी हैं :—

(क) प्रसाधित मांस के लिए वध किए गए पशु ——————————पैसे प्रति पशु

(ख) जीवित पशुओं के रूप में दिए गए पशु ——————————पैसे प्रति पशु

मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि ऊपर यथा कथित किराया मेरे/हमारे द्वारा किए गए प्रदायों के लिए पाक्षिक/मासिक आधार पर, संबद्ध रक्षा लेखा नियंत्रक को मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए मेरे/हमारे बिलों से कटौती करके मुझसे/हमसे वसूल किया जा सकता है।

22. जमा किए गए एक मास के किराए के अतिरिक्त एक मास का अग्रिम किराया जिसकी गणना पिछले तीन मास की खपत के आधार पर की जाएगी, संविदा के प्रारम्भ पर मेरे/हमारे द्वारा तुरन्त संदेय होगा।

23. यदि मैं/हम सरकार को शोध्य राशियों के संदाय में लगातार व्यतिक्रम करता हूं/करते हैं तो मुझे/हमें, एक मास (30 पूर्ण दिन) की सूचना देकर संक्षेपतः बेदखल किया जा सकेगा।

24. मैं/हम यह भी जानता हूं/जानते हैं कि यदि संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी कारणवश किराए की दरों में परिवर्तन करके उनमें वृद्धि कर दी जाती है तो मैं/हम इस प्रकार नियत किए गए किराय का संदाय करूंगा/करेंगे।

25. मैं/हम, छावनी के सरकारी बूचड़खानों में और कैंपों या मार्च-लाइन में मांस के प्रदाय को बाबत होने वाले सभी आकस्मिक प्रभार, जिनके अन्तर्गत, उनको छोड़कर जिनकी बाबत संविदा में अन्यथा विनिर्देश किया गया है, झाड़ुओं और विसंक्रामकों का प्रदाय भी है, वहन करूंगा/करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं/हम अपने कसाइयों के लिए, जब वे सरकारी बूचड़खाने और राशन स्टैंड में कार्य करेंगे, अपने खर्च पर साफ वस्त्रों की व्यवस्था करूंगा/करेंगे और उनमें से प्रत्येक के लिए, मरम्मत अपेक्षित होने पर उपयोग के लिए, एक अन्य सूट की भी निःशुल्क व्यवस्था करूंगा/करेंगे जिससे कि वे हर समय साफ-सुथरे और भद्र दिखाई दें।

26. यदि सकारी बूचड़खाने में विद्युत बत्तियां लगाई जाती हैं तो मैं/हम सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों पर सै०ई०से० उपक्रम से अभिप्राप्त विद्युत करेंट के लिए या सै०ई०से० उपक्रम से अभिप्राप्त विद्युत करेंट का प्रदाय करने वाली फर्म द्वारा प्रभारित दरों पर या जनता को विद्युत करेंट का प्रदाय करने वाली फर्म द्वारा प्रभारित दरों पर, जहां प्रदाय किसी प्राइवेट कम्पनी से या सै०ई०स० से निम्न किसी अभिकरण से अभिप्राप्त किया जाता है, संदाय करूंगा करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं/हम तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन विद्युत के आन्तरिक प्रतिष्ठापन के किराए का संदाय करने का भी करार करता हूं/करते हैं।

27. मैं/हम यथास्थिति, छावनी/नगरपालिक प्राधिकारियों द्वारा उद्गृहीत दरों पर सफाई प्रभारों का संदाय करूंगा/करेंगे और प्रदाय के स्रोतों के अनुसार, सै० ई० से० या छावनी/नगरपालिक प्राधिकारियों द्वारा नियमों के अधीन नियत की गई दरों पर जल प्रभारों का संदाय करूंगा/करेंगे। ये प्रभार संविदा के पालन के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्रयुक्त सरकारी बूचड़खाने, सरकारी भवन और अन्य परिसर की बाबत मुझसे/हमसे वसूलीय होंगे।

28. मैं/हम सरकारी बूचड़खाने में शैडों के बाहर मेरे/हमारे पशुओं द्वारा प्रयुक्त सभी अस्थायी नादों की पूर्ण मरम्मत कराऊंगा/कराएंगे। (मैं/हम, इस संविदा के संबंध में मुझे/हमें किराए/भाड़े पर दिए गएस रकारीप रिसर या संपत्ति को, मेरे/हमारे द्वारा या मेरे/हमारे कर्मचारियों द्वारा पहुंचाए गए नुक्सान के लिए संदाय (अपने प्रतिभूति निक्षेप से या ऐसी राशियों से जो मुझे/हमें शोध्य हों अथवा अपने बिलों से) करने के लिए जिम्मेदार हूं/हैं।

29. मैं/हम प्रत्येक स्टैंड पर (जहां मांस का परिदान किया जाता है) प्रदाय किए जाने वाले सभी मांस को ढकने के लिए उपयुक्त आकार की पर्याप्त संख्या में साफ अतिरिक्त चादरों की व्यवस्था करूंगा/करेंगे और साथ ही पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त चादरों की भी व्यवस्था करूंगा/करेंगे जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें धोया जा सके और प्रयोग के लिए वे सदैव उपलब्ध रहें। ठेकेदार परिदान के स्थान से चादरें वापस लाने की स्वयं व्यवस्था करेगा।

30. मैं/हम प्रत्येक सरकारी बूचड़खाने और आवश्यकतानुसार प्रत्येक राशन स्टैंड पर वध करने, खाल उतारने और मांस प्रसाधित करने और जोड़ काटने के लिए अपने-अपने स्थापन के प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में गंडासों, चाकुओं और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करूंगा/करेंगे। ऐसे उपकरण सदैव साफ और काम में आने वाली दशा में रखे जाएंगे।

31. सरकारी बूचड़खाने में पशुओं के शवों को लटकाने के लिए रस्सों के प्रयोग का प्रतिषेध है। इस प्रयोजन के लिए केवल जस्तेदार मास बूक्ष, हुकों या जंजीरों का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रयोग की जा रही किसी वस्तु को वापस ले लिया जाता है तो मैं/हम अपने खर्च पर उनके बदले ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था करूंगा/करेंगे जैसे संविदा प्रवर्तन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि आवश्यक या उपयुक्त समझें।

32. मैं/हम इस संविदा की पूर्ति के लिए मुझे/हमें किराए पर दिए गए सरकारी बूचड़खाने, भवनों, परिसर और उपस्करों के लिए जिम्मेदार होंऊगा/होंगे और यदि सामान्य टूट-फूट के अतिरिक्त उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ति मुझे/हमें शोध्य रकमों में से की जा सकती है।

33. मैं/हम बूचड़खाने से, जहां आवश्यक हो, रक्त और छीछड़े हटाने के लिए अपने खर्च पर बैलगाड़ी और चालक की व्यवस्था करूंगा/करेंगे।

34. मैं/हम प्रसाधित मास का परिदान, अनुसूची में उल्लिखित स्थान (स्थानों) पर पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार करूंगा/करेंगे।

35. पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी या पशु चिकित्सक या किसी चिकित्सा अधिकारी को, जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय ऐसे कच्चीं पशु-शवों का निरीक्षण करने और किसी पशु शव या उसके किसी भाग या छीछड़ों को अस्वीकार करने का, हक होगा जो उसकी राय में रूग्ण, अस्वास्थ्यकर, हानिकर या सैनिकों को भेजे जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त न हो ।

36. यदि उन पशुओं के, जो रक्षा सेवाओं के लिए मास का प्रदाय करने के प्रयोजन से वध किए गए हैं या दिए गए है, शवों या उनके किसी भाग या छीछड़ों की पश्चात्वर्ती परीक्षा में सेना पशु चिकित्सा सेवाओं के किसी अधिकारी द्वारा या सेना चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध न होने की दशा में किसी राजपत्रित पशु चिकित्सक द्वारा, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है तो मैं/हम उसे सेना प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन, नष्ट कर दूंगा/देंगे और मैं/हम इस प्रकार नष्ट किए गए पशु-शवों या छीछड़ों के लिए किसी संदाय या प्रतिकर का दावा नहीं करूंगा/करेंगे । यदि मैं/हम ऐसी उचित व्यवस्था नहीं कर पाता हूं/पाते हैं तो मैं/हम उनके हटाए और नष्ट किए जाने का, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथा आदिष्ट खर्च वहन करूंगा/करेंगे ।

37. सेना के हित में और आवश्यकता होने पर, सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कैंपों में सैनिकों के उपभोग के लिए छावनी /में स्थित बूचड़खाने से मांस भेज दे और इस लेखे ठेकेदारों का प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं होगा ।

38. यदि पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी की राय में, किसी दिन प्रसाधित मांस (झटका) की अपेक्षित मात्रा के लिए बूचड़खाने में पशुओं का वध किया जाना न्यायोचित नहीं है तो मैं/हम पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पहली ही अनुमोदित स्रोत से सं०से०को० विनिर्देश के अनुसार भेड़ का मांस या प्रसाधित मांस (झटका) क्रय करने का करार करता हूं/करते हैं और उसका प्रदाय, पूर्ति/संविदा प्रवर्तन अधिकारी के निदेशानुसार करूंगा/करेंगे । ऐसे मांस पर छावनी या नगरपालिक प्राधिकारियों की मोहर लगी होगी और म/हम ऐसे मांस के लिए कीमत, बूचड़खाने में परिदान के लिए नियत की गई कीमत के अनुसार, प्राप्त करूंगा/करेंगे ।

39. आपवादिक परिस्थितियों में के सिवाय, सभी प्रदाय पूर्ति/ संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किए जाएंगे ।

40. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि आवश्यक परीक्षण के पश्चात् मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाए गए लिवर, यदि सैनिकों को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है तो, मुझे/हमें लौटा दिए जाएंगे । अनुपयुक्त लिवर सैनिक व्यवस्था के अधीन नष्ट कर दिए जाएंगे ।

41. मैं/हम पशुओं के वध की स्वयं व्यवस्था करूंगा/करेंगे और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थापन की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने की बाबत कि पशुओं का वध सबंद्ध सैनिकों की धार्मिक रूढ़ियों के अनुसार किया जाए, सभी छावनी या नगरपालिक आदेशों का पालन करूंगा/करेंगे । इस प्रयोजन के लिए, मैं/हम, यदि वांछा की जाती है तो, संबद्ध यूनिटों के प्रतिनिधियों को, पशुओं का स्वयं वध करने या उनके वध किए जाने के समय वहां उपस्थित रहने की, अनुज्ञा दूंगा/देंगे ।

42. मैं/हम जानता हूं/जानते हैं कि सैनिक प्रसाधित (झटका) मास या जीवित पशुओं को मांग कर सकते है और मैं/हम किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे यदि प्रसाधित मांस (झटका) की या जीवित पशुओं की मांग पर्याप्त रूप से कम/अधिक हो जाती है ।

43. कोई राजपत्रित या अराजपत्रित सिविल पशु चिकित्सा प्राधिकारी, उपर्युक्त किसी विनिर्दिष्ट के अधीन वाले किसी विशिष्ट पशु के वध किए जाने पर आक्षेप करने के लिए सक्षम होगा । इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी को, बूचड़खाने के भारसाधक अधिकारी को सूचित करके, सैनिक बूचड़खाने/बाड़े में प्रवेश करने का अधिकार होगा । ऐसे किसी पशु का, जिस पर ऐसे पशु चिकित्सा प्राधिकारी ने आक्षेप किया हो, वध नहीं किया जाएगा परन्तु यदि पशु चिकित्सा अधिकारी कोई राजपत्रित अधिकारी है तो, बूचड़खाने के भारसाधक अधिकारी को, स्थानीय सिविल राजपत्रित अधिकारी को निर्देश करने का हक होगा और ऐसे सिविल राजपत्रित अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

44. मैं/हम यह स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें यह चेतावनी दे दी गई है और मैं/हम पूर्णतः यह भी जानता हूं/जानते हैं कि सेना को प्रदाय किया जाने वाला मास उत्तम किस्म का होने पर ही स्वीकार किया जाएगा । मझे/हमें इस बात की जानकारी है कि संविदा दस्तावेजे के निबन्धनों के प्रवर्तन में हस्तक्षेप के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

45. मैं/हम इस संविदा के अधीन प्रसाधित मांस (झटका) के प्रदाय के लिए भेड़/बकरे वध करने के लिए हिन्दू/सिख कसाइयों को नियोजित करूँगा/करेंगे मैं/हम यह भी जानता हूँ/जानते हैं कि यदि मैं/हम पूर्वोक्त बात का पालन नहीं करता हूँ/करते हैं तो संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी, मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर, उन्हें नियोजित कर सकेंगे।

46. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सं० से० को० विनिर्देश सं० 115 के अनुसार प्रसाधित मांस (झटका/हलाल) का प्रदाय करूँगा/करेंगे। ऐसे मांस के अन्तर्गत वे क्लेजी, गुर्दे और अंड-ग्रंथियां भी हैं जिन्हें चिकित्सा अधिकारी/संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी ने पशु शवों से कुल प्राप्तियों के और ऐसे मांस के भाग के रूप में पास किया हो। यह प्रदाय प्रसाधित मांस (झटका/हलाल) की दर पर, अनुसूची में दिए गए भार के अनुसार, किया जाएगा। संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी किन्हीं अन्य छीछड़ों, टुकड़ों और पशु-शवों के मांस को स्वीकार नहीं करेगा। उसे मैं हम अपने खर्च पर हटाकर किसी भी रीति में, व्ययनित कर दूंगा/देंगे।

मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि अतिरिक्त अपेक्षा की जाने पर मैं हम गुर्दे और क्लेजी (मांस रहित भार के अनुसार) का प्रसाधित मांस के रूप में प्रदाय उन्हीं दरों पर, जो अनुसूची में प्रसाधित मांस (झटका/हलाल) के लिए दी गई है, तथा संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी द्वारा की गई मांग के अनुसार, करूँगा/करेंगे।

47. (क) ऐसे स्थान पर, जहां ताजे मांस (हड्डी सहित) के प्रदाय के लिए संविदा नहीं की गई है या प्रसाधित मांस के लिए जाने के लिए संविदा विद्यमान नहीं है, जीवित पशु, प्रति 100 ग्राम ताज़ मांस (हड्डी सहित) के बदले 250 ग्राम के हिसाब से, दिए जाएंगे। यदि प्रसाधित मांस की संविदा में जीवित पशुओं के लिए अलग से दरें नहीं दी गई हैं (या जीवित पशुओं के लिए अलग से संविदा नहीं की गई है) तो जीवित पशुओं के लिए संदाय प्रसाधित मांस के आधार पर किया जाएगा। जीवित पशुओं के भार का, प्रसाधित मांस के साथ अनुपात 5 : 2 निर्धारित किया जाएगा, उदाहरणार्थ; यदि किसी जीवित भेड़ या बकरे का भार 100 कि० ग्रा० है तो प्रसाधित मांस की दृष्टि से उसका भार 40 कि० ग्रा० माना जाएगा और तद्नुसार संदाय किया जाएगा। जीवित पशुओं की दशा में खाल और छीछड़े सरकार की संपत्ति होंगी।

(ख) केवल प्रसाधित मास की संविदा होने की दशा में, जहां यूनिटें धार्मिक या अन्य आधार पर ताजे मांस (हड्डी सहित) के बदले जीवित पशु लेना चाहें वहां, प्रति 100 ग्राम ताजे मांस (हड्डी सहित) के बदले 200 ग्राम जीवित पशु लिए जाएंगे। यदि प्रसाधित मांस की संविदा में जीवित पशुओं के लिए अलग से दर का उल्लेख नहीं किया गया है (या जीवित पशुओं के लिए कोई अलग से संविदा नहीं की गई है) तो पशुओं के लिए संदाय प्रसाधित मांस के आधार पर किया जाएगा। जीवित पशुओं के भार का प्रसाधित मांस के आधार पर किया जाएगा। जीवित पशुओं के भार का प्रसाधित मांस के साथ अनुपात क्रमशः 2 : 1 के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा, उदाहणार्थ, यदि जीवित भेड़ या बकरे का भार 100 कि०ग्रा० है तो उसे 50 कि० ग्रा० प्रसाधित मांस माना जाएगा और तद्नुसार उसके लिए संदाय किया जाएगा। जीवित पशुओं की दशा में खाल और छीछड़े सरकार की संपत्ति होंगी।

48. यदि जीवित पशुओं/प्रसाधित मांस के लिए अलग-अलग संविदाएं की जाती है तो इन शर्तों में से जो भी शर्तें लागू होंगी वे मुझे पर आवद्धकर होंगी।

चमड़े और खालों के क्रय के लिए विशेष शर्तें

1. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट खालें (भेड़/बकरे की), क्रय की जाने के लिए उपलब्ध की जाएंगी। मैं/हम खालें (भेड़/बकरे की) पूर्ति डिपो/पूर्ति केन्द्र/यूनिट से, जहां कहीं वे उपलब्ध होंगी, अपने परिवहन द्वारा एकत्र करने की व्यवस्था करूँगा/करेंगे। संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि मुझे/हमें वह नियत स्थान सूचित करेगा जहां से (भेड़/बकरों की) खालें एकत्र की जाएंगी।

2. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम पूर्ति केन्द्र/यूनिट से (भेड़ों/बकरों की) खालें एकत्र करने के बारे में संविदा प्रवर्त्तन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर प्रतिदिन पूछताछ करने की अपनी व्यवस्था करूँगा/करेंगे।

3. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि (भेड़ों/बकरों की) खालें एकत्र करते समय, मैं/हम (भेड़ों/बकरों की) उन सभी खालों की बाबत रसीद दूंगा/देंगे जो पूर्ति डिपो/पूर्ति केन्द्रों/यूनिट से एकत्र की जाएंगी।

4. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि मैं हम सभी खालों/चमड़ों को, उनके उपलब्ध कर दिए जाने के 24 घंटे के भीतर, एकत्र कर लूंगा/लेंगे। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहता हूँ/रहते हैं तो सरकार मेरे/हमारे जोखिम और खर्च पर, उनका व्ययन कर सकती है या यदि कोई ठेकेदार उन्हें क्रय करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें नष्ट कर सकती है। ऐसे व्ययन पर उपगत सभी खर्च और विक्रय कीमत तथा संविदागत कीमत के बीच अन्तर और/या ऐसी किसी हानि की, जो सरकार को उठानी पड़े, वसूली मुझसे/हमसे की जाएगी।

5. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि यदि उसी स्टेशन पर प्रसाधित मांस के लिए मेरी/हमारी कोई संविदा चालू है तो मेरे/हमारे द्वारा स्वीकृत (भेड़ों/बकरों की) चमड़े/खालों की कीमत प्रसाधित मांस के लिए मेरे/हमारे बिलों से काट ली जाए।

6. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि यदि प्रसाधित मांस के लिए उसी स्टेशन पर मेरी/हमारी कोई संविदा चालू नहीं है तो इस प्रकार (भेड़ों/बकरों की) एकत्र की गई सभी खालों की कीमत मैं/हम सेना प्राप्त आदेश भा० वा० से० आ० 2705 पर, संबंधित मास के पहले पन्द्रह दिन के दौरान प्राप्त (भेड़/बकरों की) चमड़ों/खालों के लिए उस मास की 20 तारीख तक और मास के शेष दिनों के दौरान प्राप्त (भेड़/बकरों की) चमड़ों/खालों के लिए ठीक आगामी मास की 5 तारीख तक सरकारी खजाने/भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दूंगा/कर देंगे। खजाना/बैंक रसीदें संविदा प्रवर्तन अधिकारी को या तो दस्ती रूप में या रजिस्ट्री डाक से तुरन्त भेज दी जाएंगी। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो संविदा प्रवर्तन अधिकारी मुझे/हमें (भेड़ों/बकरों की) खालें देने से इंकार कर देगा और ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो संविदा प्रवर्तन अधिकारी मेरे/हमारे विरुद्ध करना आवश्यक समझे, मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर उनका व्ययन कर देगा या उन्हें क्रय करने के लिए कोई ठेकेदार उपलब्ध न होने पर, उन्हें नष्ट कर देगा, यदि मैं/हम एकत्र की जा चुकी (भेड़ों/बकरों की) खालों का लेखा तब तक तय नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं अथवा उनकी कीमत मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप से या मुझे/हमें सरकार से शोध्य किसी अन्य राशि से वसूल नहीं कर ली जाती है।

7. मैं/हम करार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे कर्मचारी इस संविदा के संबंध में संविदा प्रवर्तन अधिकारी के सभी उचित अनुदेशों का पालन करेंगे।

8. यदि मेरे/हमारे और संविदा प्रवर्तन अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, स्टेशन कमान आफिसर का या मामले की जांच करने के लिए उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम और मुझ पर/हम पर आबद्धकर होगा।

बूचड़खाने में सफाई की मानक न्यूनतम अपेक्षाएं

बूचड़खाने में सफाई का मानक सुनिश्चित करने के लिए, न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:—

(क) बूचड़खाना साफ-सुथरा हो और उसमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो तथा अपशिष्ट पानी की ठीक प्रकार से निकासी के लिए अच्छी नालियां हों।

(ख) फर्श, दीवारें और लटकाने की छड़ें, पूर्णत: स्वच्छ हों।

(ग) दरवाजे और खिड़कियां ऐसी हों कि मक्खियां अन्दर बिल्कुल न आ सकें।

(घ) पशुविष्टा और कूड़े के व्ययन की उचित व्यवस्था हो।

(ङ) वध करने, शवों से खाल उतारने और उन्हें साफ करने की संपूर्ण प्रक्रिया बूचड़खाने के कमरे में, न कि लटकाने वाले कमरे में की जाए।

(च) पर्याप्त रोशनदान और प्रकाश (प्राकृतिक और कृत्रिम) हो।

(छ) शवों को लटकाने के लिए गेलवनीकृत लोहे के हुक और चैनों का प्रयोग किया जाए। ये हुकें प्रयोग करने के पश्चात् प्रतिदिन पूरी तरह से साफ की जाए।

(ज) चाकू, गंडासे, आरे और अन्य उपकरणों को प्रतिदिन, प्रयोग से पहले, जीवाणु रहित किया जाए।

(झ) कटाई वाले ब्लॉकों को पूर्णत: साफ रखा जाए और उन पर पर्याप्त मात्रा में नमक छिड़का जाए तथा उन्हें टिन आवरण से ढक कर रखा जाए।

बूचड़खाने और लटकाने वाले कमरे के फर्श, दीवारें, नालियां और होदें प्रतिदिन पूर्णतः साफ की जाएं ।

(ट) नालियों के गड्ढों में मक्खी न पहुंच सकें ।

हस्ताक्षरित

एन०जी० ए०एस०सी० मुख्यालय, उत्तरी कमान

. . . .

(आफिसर के हस्ताक्षर)

पदनाम . . . .

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

स्टेशन . . . .

तारीख . . . .

. . . .

[निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर]

(नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में)

. . . .

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में)

सभी प्रकार के समान की संभलाई और/या प्रवहण के लिए निविदा और संविदा

[आई० ए० एफ० डब्ल्यू० 2320 (पुनरीक्षित 1964)]

सैनिक इंजीनियर सेवा

. . . . . .का कार्यालय निर्देश सं० . . . . . .

तारीख . . . . . स्टेशन . . . . . .

. . . . . .से प्रारंभ होने वाली . . . . . वर्ष की. . . . . .

अवधि के दौरान. . . . . .कमान/संकर्म के . . . . . .स्थित. . . . . .

. . . . . .के मैसर्स/श्री. . . . . .को

उक्त कार्य के लिए निविदा देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। निविदा . . . . . .

. . . . . .के कार्यालय में . . . . . .को. . . . . .बजे तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए और उस पर बाहर "निविदा सं० . . . . . ." लिखा होना चाहिए।

चाहे निविदा की जाए या नहीं, सभी दस्तावेज लौटा दिए जाएं।

इस निविदा से संबंधित सभी पत्र व्यवहार, उक्त को निर्देश कोट करते हुए, ऊपर बताए गए पते पर भेजा जाना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति निम्नतम या किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं हैं।

. . . . . .

दस्तावेज जारी करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

पदनाम . . . . . .

तारीख . . . . . .

अनुसूची "क"

निष्पादित किए जाने वाले कार्य का वर्णन

इस अनुसूची में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों/पदों का निर्वचन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) "उतारना", "चढ़ाना", "हटाना", "चट्टे लगाना" शब्द/पदों से क्रेन या अन्य साधित्रों की सहायता के बिना, शारीरिक श्रम से की जाने वाली संक्रियाएं अभिप्रेत हैं।

(ख) "चट्टे लगाना" पद से विशिष्टतः किन्हीं वस्तुओं को, चाहे उनका कुछ भी आकार हो, सफाई या क्रम से व्यवस्था (जैसा निदेश किया जाए) करना अभिप्रेत है। इसमें वस्तुओं की शैल्फों में, कक्षों में या खानों या अन्य खुले पात्रों में व्यवस्था करना सम्मिलित है। इस पद के अन्तर्गत दक्षतापूर्वक चट्टे लगान को सुकर बनाने के लिए स्थिति अनुसार आवश्यक निभार लगाना भी है।

(ग) "वैगन" से बन्द या खुला वैगन अभिप्रेत है। "वैगन भार" से ऐसे वैगन में लादी जाने वाली वस्तु का भार अभिप्रेत है जिसकी अभिलिखित भार वहन क्षमता 15 टन से अधिक, किन्तु 25 टन से अधिक नहीं है।

उक्त और अन्य प्रकार के वैगनों में लादे जाने वाले सामान के लिए प्रभार निम्नलिखित अनुसार दिए जाएंगे, अर्थात् :—

वैगनों की अभिलिखित भार वहन क्षमता (टनों में)	प्रति वैगन निर्धारित पूरा वैगन भार :
15 टन तक	$\frac{1}{2}$
15 से अधिक किन्तु 25 टन से अनधिक	1
25 टन से अधिक किन्तु 35 टन से अनधिक	$1\frac{1}{2}$
35 टन से अधिक किन्तु 45 टन से अनधिक	2
45 टन से अधिक किन्तु 56 टन से अनधिक	$2\frac{1}{2}$

(घ) "लारी भार" से 3 टन भार वहन क्षमता वाली लारी पर रखा माल अभिप्रेत है। डेढ टन भार वहन क्षमत वाले ट्रक को आधार लारी भार माना जाएगा। अन्य प्रकार के यांत्रिक यानों के लिए भुगतान उक्त प्रकार से आनुपातिक रूप में किया जाएगा। यांत्रिक यान की क्षमता उसकी अभिलिखित भारवहन क्षमता है। यह क्षमता या तो लारी निर्माता मूलतः नियत करता है या यान की अपर्याप्त शक्ति, बुरी सड़कों या ऐसे ही अन्य कारणों से, जिनके लिए कमान अधिकारी सहमत हो, प्राधिकृत रूप में निर्बन्धित कर दी जाती है।

यदि किसी ऐसे वर्ग के माल को, जो 0.75 टन भारवहन क्षमता वाले ट्रक में ले जाया जाना चाहिए, 0.75 टन भारवहन क्षमता वाला ट्रक न मिलने के कारण अधिक भारवहन क्षमता वाले ट्रक में ले जाया जाता है तो लदाई/उतराई आदि के लिए भुगतान 0.75 टन वाले ट्रक के लिए अनुज्ञेय दरों के हिसाब से ही किया जाएगा। 0.75 टन वाले ट्रक में क्या माल ले जाया जाना चाहिए, इसका विनिश्चय कमान अधिकारी गैरिसन इंजीनियर ही करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। 0.75 टन भार वहन क्षमता वाले ट्रक को 1/4 लारी भार के बराबर माना जाएगा। 20 टन भार वाले टैंक वाहक को चार (4) लारी भार के बराबर माना जाएगा।

(ङ) "गाड़ी भार" से ऐसी किसी गाड़ी की अन्तर्वस्तु अभिप्रेत है जिसकी (स्थानीय सरकार, नगरपालिका आदि द्वारा) विहित भार वहन क्षमता 0.75 टन है। अन्य विहित आकार (भार वहन क्षमता) वाली गाड़ियों के लिए भुगतान आनुपातिक रूप में किया जाएगा। यदि स्थानीय सरकार, नगरपालिका आदि ने ऐसा कुछ विहित नहीं किया है तो "गाड़ी भार" से 0.75 टन अभिप्रेत है और भुगतान इस आधार पर किया जाएगा कि गाड़ी द्वारा वस्तुतः कितना माल ढोया गया है।

अनुसूची "ब"

मद सं०	कार्य का वर्णन	गणना की इकाई	भुगतान की दर	अनुमानित खर्च (रु०)
1.	रेल वैगन या सड़क पर चलने वाले यानों से किसी भी प्रकार का माल, बताए गए रूप में, उतारना, उसे डिपो में किसी स्थान को ले जाना, और भवनों के बाहर या भीतर सफाई से उसके चट्टे लगाना।	वैगन भार लारी भार गाड़ी भार	रु० रु० रु०	
2.	किसी भी प्रकार के माल को, बताए गए रूप में, डिपो के किसी स्थान से या किसी भवन के भीतर या बाहर से हट कर रेल वैगन या सड़क पर चलने वाले यानों में लादना, और	वैगन भार लारी भार गाड़ी भार	रु० रु० रु०	
3.	किसी भी प्रकार के माल को, बताए गए रूप में, रेल वैगन से रेल साइडिंग पर उतारना, जांच के लिए बताए गए रूप में, उसके चट्टे लगाना, सड़क पर चलने वाले यानों में उसे लादना, भवन के बाहर या भीतर अपेक्षित स्थान पर उसे उतारना और सफाई से उसके चट्टे लगाना, (परिवहन प्रभार दर में सम्मिलित नहीं है उसका भुगतान नीचे मद 10 के अनसार किया जाएगा)।	वैगन भार	रु०	
4.	किसी भी प्रकार के माल को भवनों के भीतर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना सड़क पर चलने वाले यानों में उसे लादना, रेल साइडिंग पर उसे उतारना, जांच के लिए अपेक्षित रूप में उसके चट्टे लगाना और उसे रेल वैगन में लादना (परिवहन प्रभार उक्त दर में सम्मिलित नहीं है उसका भुगतान नीचे मद 10 के अनुसार किया जाएगा)।	वैगन भार	रु०	
5.	कैसों, पीपों, क्रेटों, बोरों या अन्य डिब्बों जैसे सभी प्रकार के पैकिंग से माल को बाहर निकालना, उन्हें बताए गए रूप में छांटना, रखना और दोहरे या तिहरे टाट के (या बालू के) बोरों में भरना और बोरों के मुंह सिलना और अपेक्षित रूप में उनके चट्टे लगाना। (बोरे सिलने के लिए रस्सी और सूआ सरकार निःशुल्क देगी)।	टन		

1	2	3	4	5
6.	बताए गए रूप में छांटना, बंडल बनाना और तार, या अन्य सामग्री अथवा 25.4 मि० मी० तक व्यास वाली धातु की छड़ों या पाइपों से बांधना और सफाई से चट्टे लगाना (बांधने के लिए तार या अन्य सामग्री सरकार निःशुल्क देगी)।	टन	रु०	
7.	बताए गए रूप में धातु की चादरों की सतहों पर तेल लगाना जिसमें चट्टे हटाना, बन्डल खोलना और पुनः बंडल बनाना और पुनः चट्टे लगाना सम्मिलित है (सरकार तेल निःशुल्क देगी)।	तेल लगाई गई 10 वर्ग मीटर सतह	पैसे	
8.	धातु के पाइपों की सतहों पर तेल लगाना जिसमें चट्टे हटाना, बन्डल खोलना और पुनः बन्डल बनाना और पुनः चट्टे लगाना सम्मिलित है (तेल और बन्डल बांधने के लिए सामग्री सरकार निःशुल्क देगी)।	तेल लगाई गई 10 वर्ग मीटर सतह	पैसे	
9.	बताए गए रूप में बोल्टों, नटों, लोह-मोंगरी, पानी प्रदाय फिटिंग या धातु की अन्य वस्तुओं पर, जिनमें से किसी का भार 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, तेल लगाना, जिसमें चट्टे हटाना, पुनः लगाना सम्मिलित है (तेल सरकार निःशुल्क देगी)।	टन	रु०	
10.	किसी भी प्रकार के माल को किसी भी साधन द्वारा कितनी ही दूर ले जाना।	टन किलोमीटर	रु०	

ध्यान दें :—एक किलोमीटर से कम किन्तु आधे किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए भुगतान एक टन किलोमीटर मान कर किया जाएगा और आधे किलोमीटर और उससे कम की दूरी के लिए भुगतान आधाटन किलोमीटर मान कर किया जाएगा। आधे किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान प्रति टन किलोमीटर दर के आधे के हिसाब से किया जाएगा।

कुल अनुमानित खर्च (मोटे तौर पर)

....रुपए

....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तारीख .....

कमान आफिसर/गैरिसन इंजीनियर के हस्ताक्षर

तारीख .....

संविदा सं०

निविदा

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति;

मैंने/हमने (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है) संलग्न अनसूची 'क' और संविदा की शर्तों का अवलोकन कर लिया है और उन्हें समझ लिया है। मैं/हम उक्त अनुसूची में उल्लिखित किसी भी प्रकार के समान को तारीख..... ..... से प्रारंभ होने वाली .....की अवधि के दौरान संभालने और /या लाने ले जाने का कार्य, इसमें वर्णित शर्तों और या निबन्धनों पर.....सेना/कमाण्ड/जिला/इलाके में स्थित और.....में दर्शित क्षेत्र के भीतर उक्त अनुसूची में दर्शित दरों से .....†प्रतिशत कम/अधिक पर जैसी.....द्वारा अपेक्षा की जाए, करने का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं। (जिसकी यथा अनुमानित अपेक्षाएं.....रुपए की हो सकती हैं किन्तु यह रकम मार्गदर्शन मात्र के लिए हैं और वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार घट/बढ़ सकती हैं)। मैं/हम समान संभालन लाने ले जाने से संबंधित ऐसा सभी या कोई अतिरिक्त कार्य, जिसकी समय-समय पर अपेक्षा की जाएगी, इस संविदा अवधि के दौरान, ऐसी दर या दरों पर जो संलग्न संविदा की शर्तों के खण्ड 32 के अनुसार अवधारित की जाएंगी, मात्रानुपाती आधार पर (उक्त शर्तों और निबन्धनों पर करने का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके आगे "सरकार" कहा गया है) के इस बाबत सहमत हो जाने के परिणाम स्वरूप कि उक्त अवधि तक और जब तक ठेकेदार इस संविदा का पालन करता रहता है और वह प्रवर्तन में रहती है, केवल ठेकेदार को ही उक्त कार्य, इससे संलग्न संविदा की शर्तों की शर्त 5 में उपबंधित कार्य को छोड़कर, करने के लिए नियोजित किया जाएगा, ठेकेदार करार करता है कि वह निविदत्त दरों का और यथासंभव संविदा की उक्त शर्तों के निबन्धनों और शर्तों का, जहां तक वे लागू होती हैं, पूर्णतः अनुसरण करेगा, अन्यथा संविदा की उक्त शर्तों में उल्लिखित धनराशि सरकार समपहृत कर सकेगी और वह उसका संदाय सरकार को करेगा। साथ ही संविदा भंग की बाबत नुकसानी का दावा करने के सरकार के अधिकार पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ध्यान दें :—यदि ठेकेदार द्वारा शब्दों और अंकों में कोट किए गए वर्णन में कोई अन्तर है तो शब्दों में किया गया वर्णन ही लागू होगा।

*यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो अग्रिम धन के रूप में भेजी जा रही .....रुपए (शब्दों में लिखें) की राशि या तो प्रतिभूति निक्षेप लेखे जमा कर ली जाएगी अथवा इससे संलग्न शर्त 9 में उल्लिखित समय के भीतर प्रतिभूति निक्षेप के बराबर रकम सरकार को प्राप्त हो जाने पर, लौटा दी जाएगी।

.....
ठेकेदार के हस्ताक्षर

साक्षी .....

पता .....

(हस्ताक्षर का नाम)

पता ..... तारीख ....

† शब्दों और अंकों में एक ऐसा समग्र प्रतिशत लिखिए जो अनुसूची में उल्लिखित सभी दरों को लागू हो।

* यदि लागू न होता हो तो काट दें।

(संविदा की शर्तों के अन्तिम पृष्ठ पर भी हस्ताक्षर किए जाएं)

ध्यान दें:—यदि निविदाकार कोई भागीदारी फर्म है तो उसके प्रत्येक भागीदार को पृथकतः या सभी भागीदारों की ओर से ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे ऐसा करने के लिए मुख्तारनामा दिया गया हो, इस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि कोई भागीदार उपस्थित नहीं है तो हस्ताक्षर ऐसे किसी व्यक्ति को करने चाहिए जिसे उसकी ओर से मुख्तारनामा दिया गया हो। (मुख्तारनामे द्वारा इस बाबत विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को, माध्यस्थम् खण्ड सहित संविदा से संबंधित सभी विषयों की बाबत, यथास्थिति, सभी भागीदारों या फर्म को आबद्ध करने के लिए, प्राधिकृत किया गया है)। कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लिमिटेड कम्पनी के मामले में, निविदा पर हस्ताक्षर, ऐसी कम्पनी के संगम अनुच्छेद के संबंधित उपबन्धों के अनुसार किए जाएंगे या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे जिसे कम्पनी को आबद्ध करने के लिए स्पष्टतः प्राधिकृत किया गया हो।

स्वीकृति पत्र

इस दस्तावेज में .....*परिवर्तन किए गए हैं। वे सब सही हैं, इसके साक्ष्यस्वरूप ठेकेदार और .....† ने उन पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

मैं, उक्त निविदा .....*परिवर्तनों सहित भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूं।‡

हस्ताक्षर .....

(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)

पदनाम .....

तारीख .....

---

* यहां परिवर्तनों की संख्या लिखें।

† यहां परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम लिखें।

‡ यहां स्वीकृति देने वाला हस्ताक्षर करें और पदनाम लिखें।

संविदा की शर्तें

अध्याय 1

परिभाषाएं

1. **परिभाषाएं आदि**--(क) "संविदा" से निविदा और उसकी स्वीकृति, उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज, ये शर्तें, निविदा प्ररूप से संलग्न अनुसूची 'क' और रेखाचित्र (यदि कोई है) अभिप्रेत है और इन सब दस्तावेजों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मिलकर एक संविदा गठित करती हैं और वे एक दूसरे की पूरक हैं ।

(ख) "निर्माण-कार्य" से किसी एक निर्माण-कार्य" आदेश में वर्णित निर्माण-कार्य अभिप्रेत है ।

(ग) "ठेकेदार" से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों से गठित कोई भागीदारी फर्म, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या अरजिस्ट्रीकृत या कोई ऐसी लिमिटेड कम्पनी अभिप्रेत है जो कम्पनियों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित है और कार्य करती है तथा इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों या ऐसे भागीदारों के जिनसे मिलकर ऐसी फर्म गठित हुई है, विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी कम्पनी के उत्तराधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं।

(घ) "सरकार" से भारत के राष्ट्रपति, उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती अभिप्रेत हैं तथा "स्वीकार करने वाला अधिकारी" से संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति पर हस्ताक्षर करता है ।

(ङ) "क० नि० ई० से संविदा का प्रशासन और निदेशन करने वाला कमाण्डर निर्माण--कार्य इंजीनियर अभिप्रेत है तथा क० आ०/गै० ई० से कमान आफिसर/गैरिजन इंजीनियर अभिप्रेत है ।

(च) "भारसाधक इंजीनियर" से निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य के किसी भाग का पर्यवेक्षण करने के लिए गैरिजन इंजीनियर द्वारा नियुक्त सहायक गैरिजन इंजीनियर (स०गै०इं०) या बैरक तथा स्टोर आफिसर या अधीक्षक, ग्रेड 1 या पर्यवेक्षक बी/एस ग्रेड 1 अभिप्रेत है।

(छ) "सै०इं०से०" से सैनिक इंजीनियरी सेवा अभिप्रेत है ।

(ज) "पूर्ति की तारीख" से ऐसी तारीख या तारीखें अभिप्रेत हैं जो सम्पूर्ण निर्माण-कार्य या उसके किसी भाग की पूर्ति के लिए किन्हीं निर्माण-कार्य आदेशों या उनके पश्चात्वर्ती संशोधनों में उल्लिखित हैं या जो उनके अनुसार तैयार की जाएं ।

(झ) "अन्तिम राशि" से ऐसी कोई राशि अभिप्रेत है जो किसी निर्माण-कार्य आदेश के पूर्णतः निष्पादन और पूर्ति के लिए इस संविदा के अधीन सरकार द्वारा ठेकेदार को देय है ।

(ञ) "सप्ताह" से इस बात को ध्यान में लिए बिना कि किस दिन कितने घंटे कार्य किया गया है या नहीं किया गया है, सात दिन अभिप्रेत हैं ।

(ट) "दिन" से इस बात को ध्यान में लिए बिना कि उस दिन कितने घण्टे काम किया गया है या नहीं किया गया है, चौबीस घण्टे का दिन अभिप्रेत है ।

(ठ) "कार्य-दिवस" से परक्राम्य लिखत अधिनियम में छुट्टी के रूप में विहित दिन से भिन्न कोई भी दिन अभिप्रेत है । कार्य-दिवस में उतने घण्टे होते हैं जितनों को, उस जिले में, जहां काम किया जा रहा है, व्यापार करने वाले अच्छे नियोजकों ने सामान्यतः मान्यता दी है ।

अध्याय 2

संविदा का विस्तार

2. **शर्तों के शीर्षक**—शर्तों के शीर्षकों का उनके निर्वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

3. **गोपनीयता**—ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि संविदा के संबंध में किसी कार्य के लिए नियोजित सभी व्यक्तियों को यह सूचना है कि उन्हें भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) लागू होता है और संविदा के अधीन सम्बन्धित निर्माण-कार्य के निष्पादन के पश्चात् भी वह इस प्रकार लागू बना रहेगा।

4. **स्थल-निरीक्षण**—ठेकेदार उक्त कमान/क्षेत्र (जिसे इसमें आगे "निर्माण-कार्य क्षेत्र" कहा गया है) के स्थल रेखाचित्र में दर्शित क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के सामान को संभालने और, या/लाने ले जाने का कार्य करेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे स्थल या स्थलों की प्रकृति के बारे में अपना समाधान कर लिया है जहां कार्य निष्पादित किया जाना है और स्थल तक पहुंच से संबंधित सभी स्थानीय सुविधाओं तथा कार्यकरण परिस्थितियों को समझ लिया है तथा ऐसे सभी विषयों को भी समझ लिया जो ऐसे सामान की संभलाई और/या लाने ले जाने को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। समझने में कोई भूल के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार मंजूर नहीं किया जाएगा।

5. **आरक्षित कार्य**—सरकार को विभागीय श्रमिकों से या अन्य अभिकरण से किसी भी समय ऐसा कोई भी कार्य कराने का अधिकार होगा जिसमें क्रेन या अन्य यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग अपेक्षित है अथवा विशेष परिस्थितियों में या तुरन्त आवश्यक होने पर, ऐसा कोई कार्य कराने का अधिकार होगा जिसमें सामान की सम्भलाई अपेक्षित है। ऐसी विशेष परिस्थितियों या तुरन्त आवश्यकता के बारे में अथवा इस बारे में कि क्रेन या अन्य यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता है या नहीं, तत्समय कमान आफिसर/गैरिजन इंजीनियर————————(जिसे इसमें आगे क०/आ० गै० इं० कहा गया है और जिसमें, यदि संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है तो, उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य आफिसर भी है) ही एकमात्र और अन्तिम निर्णायक होगा और इस लेखे ठेकेदार का प्रतिकर के रूप में या अन्यथा किसी संदाय के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस बाबत क० आ०/गै० इं० का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

यदि क० आ०/गै० इं० ऐसा कोई कार्य, जिसमें क्रेन या अन्य यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है (जिसके बारे में क० आ०/गै० इं० एकमात्र निर्णायक होगा) करने की ठेकेदार को अनुज्ञा दे देता है तो ठेकेदार से क्रेन (या अन्य यांत्रिक उपकरण) के प्रयोग या उसके कर्मीदल के मजदूरी-खर्च के लिए कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे।

यदि उक्त उपपैरा के अनुसार ठेकेदार को कोई क्रेन या अन्य यांत्रिक उपकरण दिया जाता है तो सम्बन्धित निर्माण-कार्य आदेश में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि संदाय, संविदा की शर्त 32 के अनुसार मंजूर की गई अनुसूचित दर के हिसाब से किया जाएगा। अनुसूचित दर के अन्तर्गत, ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों की स्थानीय दैनिक दर पर मजदूरी तथा अन्य सभी उपरिव्ययों और लाभों को पूरा करने के लिए उसके दस प्रतिशत के बराबर रकम भी है।

6. **समय**—ठेकेदार संविदा के अधीन अपेक्षित सभी कार्य, निर्माण-कार्य आदेशों में उल्लिखित समय के भीतर करेगा और समय को संविदा का मर्म माना जाएगा।

यदि क० आ०/गै० इं० की राय है कि युद्ध, संघर्ष, लोक शत्रु कार्य, तोड़फोड़, अग्नि, बाढ़, भूकम्पों, विस्फोटों, महामारी, करन्तीन निर्बन्धनों; दैव-कृत्यों, सिविल उपद्रवों, कर्मकारों के स्थानीय गठबन्धन, हड़ताल या तालाबन्दी के, जिससे कार्य के लिए नियोजित व्यवसायों में से कोई भी प्रभावित होता है, कारण कार्य में विलम्ब होगा, तो ऐसी दशा में क० आ०/गै० इं० कार्य की भिन्न-भिन्न मदों की पूर्ति के समय में उचित वृद्धि अनुज्ञात कर सकेगा। ऐसी वृद्धि की क० आ०/गै० इं० ठेकेदार को लिखित सूचना देगा। जो अन्तिम और आबद्धकर होगी। इस सम्बन्ध में प्रतिकर या अन्यथा के लिए कैसा भी अन्य दावा, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विलम्ब करने वाली किसी घटना के घटने पर, ठेकेदार उसकी लिखित सूचना क० आ०/गै० इं० को तुरन्त देगा, किन्तु विलम्ब रोकने या उसकी पूर्ति के लिए अपनी ओर से निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो क० आ०/गै० इं० को समाधानप्रद रूप में कार्य के निष्पादन के लिए उचित रूप में अपेक्षित हों।

7. **उपस्कर**—ठेकेदार सम्पूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए, अपने खर्च पर, सभी औजारों, संयंत्रों और उपस्करों को, जैसे लारी वाहन, मोटर ट्रक आदि की, व्यवस्था करेगा।

8. **कार्य-आदेश**—ठेकेदार को सभी कार्य-आदेश लिखित में दिए जाएंगे और उन पर क०आ०/गै०इं० द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। कार्य-आदेश में कार्य से सम्बन्धित सभी बातों का विस्तारपूर्वक स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। उसमें कार्य प्रारम्भ करने की तारीख और समय तथा उसकी पूर्ति के लिए अनुज्ञात समय उल्लिखित किया जाएगा।

कार्य-आदेश, निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार (या उसके अभिकर्ता को) को दे दिए जाएंगे और स्वीकृति स्वरूप ठेकेदार उन पर हस्ताक्षर करेगा।

ठेकेदार (या उसके अभिकर्ता को) को दिए गए मौखिक आदेशों की बाबत कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

संविदा पालन

9. **प्रतिभूति निक्षेप**—यदि ठेकेदार ने स्थायी प्रतिभूति बन्धपत्र निष्पादित नहीं किया है और स्वीकार करने वाला अधिकारी उसकी निविदा स्वीकार करने का विनिश्चय करता है तो ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में सम्बन्धित रक्षा लेखा नियंत्रक के पास, विहित प्ररूप में अग्रिम धनराशि (जो मूलत: उसने विनिदा के साथ जमा की थी) के बराबर रकम अपनी निविदा स्वीकृति की अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करेगा।

अथवा

यदि सम्भव है तो ठेकेदार द्वारा जमा किए गए अग्रिम धन को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकता है।

यदि ठेकेदार ने स्थायी प्रतिभूति बन्धपत्र निष्पादित किया है किन्तु निविदा रकम ठेकेदार की वित्तीय सीमा से अधिक है, और स्वीकार करने वाला अधिकारी उसकी निविदा स्वीकार करने का विनिश्चय करता है तो ठेकेदार सम्बन्धित रक्षा लेखा-नियंत्रक के पास, स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा सूचित किए गए रूप में, अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा। वह यह अतिरिक्त निक्षेप अपनी निविदा-स्वीकृति प्राप्त करने से तीस दिन के भीतर करेगा अन्यथा यह राशि उसके प्रथम अन्तिम बिल से वसूल कर ली जाएगी। यदि प्रथम अन्तिम बिल की रकम पर्याप्त नहीं है तो शेष रकम की पूर्ण वसूली ठेकेदार के पश्चात्वर्ती बिलों से की जाएगी।

ऐसी राशि उस समय प्रवृत्त सैनिक इंजीनियरी सेवा के विनियमों के अनुसार, ऐसी राशि के बराबर बाजार मूल्य की प्रतिभूतियों के रूप में, जमा की जाएगी और इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूतियां उस समय प्रवृत्त सरकारी प्रतिभूति निर्देशिका के अनुसार पृष्ठांकित की जाएंगी और यदि प्रतिभूतियां ठेकेदार के नाम में हैं, तो वे ऐसी रीति में सम्बन्धित रक्षा लेखा नियंत्रक को अन्तरित की जाएंगी कि वे ठेकेदार को निर्देश किए बिना, वसूल की जा सकें।

इस संविदा या सरकार के साथ की गई किसी अन्य संविदा के निबन्धनों के अधीन सरकार को ठेकेदार द्वारा संदेय सभी प्रतिकरों या अन्य धन-राशियों की कटौती प्रतिभूति निक्षेप से की जा सकती है या उसके पर्याप्त भाग को बेचकर या उस पर लगाए गए ब्याज से या किन्हीं ऐसी राशियों से की जा सकती है जो किसी भी लेखे सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हों या देय हो जाएं, और यदि यथापूर्वोक्त किसी कटौती या विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप में कमी हो जाती है तो ठेकेदार उसके पश्चात् दस दिन के भीतर, ऐसी किसी राशि या राशियों की, जो उसके प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग से काटी गई हों या उसके विक्रय से वसूल की गई हों, नकद या पूर्वोक्त रूप में पृष्ठांकित प्रतिभूतियों के रूप में, पूर्ति करेगा।

यदि प्रतिभूतियां, सरकार के भारसाधन में होने के दौरान, खो जाती हैं या उनके मूल्य में कोई अवक्षयण हो जाता है या उन पर ब्याज की हानि हो जाती है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

10. **प्रतिभूति निक्षेप का लौटाया जाना**—ऊपर शर्त 9 में उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप, सम्यकत: संविदा पूरी हो जाने के तीन मास बाद ठेकेदार को लौटाया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि ठेकेदार के अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया गया हो और उसने बेबाकी प्रमाणपत्र पेश कर दिया हो।

11. **अभिकर्ता और कर्मचारी**—ठेकेदार या उसका प्रत्यायित अभिकर्ता (जो क० आ०/गै० इं० द्वारा अनुमोदित होना चाहिए) विभागीय अनुदेश और आदेश प्राप्त करने के लिए क० आ०/गै० इं० द्वारा बताए गए अनुसार उसके कार्यालय में या कार्य स्थल पर उपस्थित होगा। ठेकेदार के अभिकर्ता को दिए गए आदेशों के बारे में यह समझा जाएगा मानो वे स्वयं ठेकेदार को दिए गए हों। क० आ०/गै० इं० ठेकेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह संविदा के सम्बन्ध में नियोजित ऐसे अभिकर्ता, सेवक, कर्मचारी या श्रमिक को, जिसका नियोजन में बने रहना क० आ०/गै० इं० की राय में अवांछनीय है, नियोजन से निकाल कर उसे कार्यक्षेत्र से तुरन्त बाहर कर दे।

12. **दैनिक विवरणी**—ठेकेदार को इस संविदा के सम्बन्ध में नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में प्रति दिन प्रात: दस बजे तक एक दैनिक विवरणी क० आ०/गै० इं० को प्रस्तुत करना होगी।

ठेकेदार को इस संविदा के अधीन अपने द्वारा नियोजित सभी यांत्रिक परिवहन के बारे में क० आ०/गै० इं० के समक्ष प्रतिदिन प्रात: दस बजे तक एक दैनिक विवरणी (दो प्रतियों में) भी पेश करनी होगी। इसमें प्रत्येक परिवहन यान की अभिलिखित भारवहन क्षमता दर्शित की जाएगी।

13. जल–ठेकेदार से, काम करने वाले उसके श्रमिकों द्वारा, कार्यक्षेत्र में उपलब्ध साधन से, लिए गए पेय जल के लिए प्रभार नहीं लिया जाएगा किन्तु सरकार से ऐसे श्रमिकों के लिए पीने के जल की कोई विशेष व्यवस्था करने की अपेक्षा नहीं होगी।

14. **पर्यवेक्षण, नुकसान आदि के बारे में ठेकेदार की जिम्मेदारी**––ठेकेदार काम के पर्यवेक्षण के लिए ऐसी पर्याप्त व्यवस्था करेगा जैसी क० आ०/गै०इं० आवश्यक समझे। यदि ठेकेदार ऐसी पर्यवेक्षण व्यवस्था करने में असफल होता है तो क० आ०/गै०इं० तब तक के लिए कार्य का निष्पादन निलम्बित कर सकेगा जब तक कि उसकी राय में ऐसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर दी जाती और इस कारण होने वाले विलम्ब के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार, सरकार के विरुद्ध या किसी सरकारी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध अथवा सरकार के विरुद्ध उस दशा मे जब वह प्राइवेट व्यक्ति होती, प्रवर्तनीय ऐसे सभी दावों की बावत सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा जो इस संविदा से या उसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी क्षति या नुकसान के सम्बन्ध में उत्पन्न हों। इन दावों में ऐसे सभी दावे सम्मिलित हैं जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हों, जिसे ठेकेदार ने काम पर नियोजित किया है।

ठेकेदार अपने अभिकर्ताओं, सेवकों या श्रमिकों की लापरवाही, उपेक्षा, उनके द्वारा चोरी या बेईमानी के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दावों के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूरित करेगा और सरकार द्वारा उठाए गए नुकसान की पूर्ति करेगा।

15. **काम के घण्टे**––ठेकेदार इस संविदा के अधीन अपेक्षित कार्य क०आ०/गै०इं० द्वारा आदिष्ट रूप में किसी भी समय दिन में या रात्रि में करेगा। सभी कार्य निविदा की गई दरों पर ही किया जाएगा। भले ही ऐसा कार्य दिन में या रात्रि में किया जाए या रविवारों या अन्य छुट्टियों के दिन किया जाए।

रात्रि में किए जाने वाले सभी काम को सैनिक या सिविल विनियम, जो सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवृत्त हों, लागू होंगे और क० आ०/गै०इं० रात्रि में किए जाने वाले कार्य के लिए प्रर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेगा।

रविवार और छुटि्टयों के दिन कार्य-दिवस माने जाएंगे।

16. **परिदान और चट्टे लगाना**––ठेकेदार सामग्री का परिदान ऐसे स्थानों पर लेगा जो सम्बन्धित कार्य-आदेशों में उल्लिखित किए जाएं और समाग्री के चट्टे ऐसे स्थलों पर लगाए जाएंगे जो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार को बताए।

17. **टूट-फूट और हानियां**––ठेकेदार अभिवहन के दौरान, निम्नलिखित को छोड़कर, होने वाली सभी टूटफूट और हानियों के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात् :––

*समाग्री की किस्म	*हानि का अनुज्ञेय प्रतिशत
1.	
2.	
3.	
4.	

इस बारे में क० आ०/गै० इं० का विनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

18. **रेल वैगनों में समान की लदाई और उतराई**––यदि ठेकेदार आदिष्ट समय में या निर्माण कार्य-आदेश में अनुज्ञात समय के भीतर कोई कार्य करने में असफल रहता है और उस कारण वैगन रुक जाते हैं तो वह सभी डेमरेज और स्थान-भाड़े के लिए जिम्मेदार होगा।

इस बारे में क० आ०/गै० इं० का विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

19. **सामान ठेकेदार की जोखिम पर रहेगा**––सम्भालने/अभिवहन के लिए ठेकेदार को सौंपा गया सामान उसकी जोखिम पर उस समय तक रहेगा जब तक कि उसका अन्तिमतः परिदान नहीं कर दिया जाता और क० आ०/गै० इं० उसे स्वीकार नहीं कर लेता।

यदि ठेकेदार की अभिरक्षा में होने के दौरान सामान की कोई मद खो जाती है तो ऐसे मद के लिए वसूली, बाजार दर पर या स्टाक-बुक दर पर, इसमें से जो भी अधिक हो, की जाएगी और साथ ही ऊपरिव्यय खर्च भी वसूल किया जाएगा। ठेकेदार से इस प्रकार वसूली की दर की बाबत कमान आफिसर/गैरिजन इंजीनियर का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

*इसे निविदा आमंत्रण से पूर्व क. अ./गै. इं. भरेगा।

20. **श्रम और मजदूरी**—ठेकेदार पन्द्रह वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक नियोजित नहीं करेगा। वह अपने श्रमिकों को या तो ऐसी मजदूरी देगा जो सामान कार्य के लिए आसपास के क्षेत्र में दी जाती हो या शर्त 29 में यथा परिभाषित उचित मजदूरी देगा। इनमें से जो भी अधिक हो, वही देगा। स्त्री-श्रमिक नियोजित किए जा सकते हैं।

21. **स्वच्छता**—संविदा के अधीन आने वाले क्षेत्र में वस्तुतः नियोजित श्रमिकों के प्रयोग के लिए शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था सरकार करेगी। यदि आवश्यक होगा तो गै० इं०/क० आ० यह तय करेगा कि किस हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाए।

22. **विलम्ब के लिए प्रतिकर**—यदि ठेकेदार संविदा पूर्ति के लिए नियत तारीख तक काम पूरा करने में असफल रहता है तो वह, ऐसे भंग की बाबत सरकार को उपलब्ध किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकर के रूप में ऐसे अवधि के प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान सम्पूर्ण कार्य अपूर्ण रहता है, निर्माण-कार्य आदेश के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर राशि देने के लिए दायी होगा : परन्तु इस शर्त के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि सम्पूर्ण निर्माण-कार्य आदेश के अनुमानित मूल्य के दस प्रतिशत से कमी भी अधिक नहीं होगी। ऐसी रकम का समायोजन या मुजराई इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन ठेकेदार को देय किसी राशि से किया जा सकेगा।

23. **संविदा को लागू होने वाली विधियां**—इस संविदा को तत्समय प्रवृत्त भारतीय विधियां लागू होंगी।

24. **ठेकेदार के व्यतिक्रम पर संविदा का पूर्णतः या भागतः रद्द किया जाना**—यदि ठेकेदार—

(क) निर्माण-कार्य आदेश की तारीख से उचित समय के अन्दर निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने में व्यतिक्रम करता है और क० आ०/गै० इं० से उचित सूचना मिलने पर भी ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है;

अथवा

(ख) क० आ०/गै० इं० की राय में, किसी भी समय, चाहे कार्य पूरा करने की तारीख या बढ़ाई गई किसी तारीख से पूर्व या पश्चात्, सम्यक् तत्परता से निर्माण कार्य चालू रखने में व्यतिक्रम करता है और क० आ०/गै० इं० से उचित सूचना मिलने पर भी ऐसा व्यतिक्रम चालू रखता है;

अथवा

(ग) संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का या लिखित रूप में उचित सूचना मिलने पर भी, उनके अधीन जारी किए गए आदेशों का, अनुपालन करने में असफल रहता है;

अथवा

(घ) निर्माण-कार्य पूरा करने की तारीख को या उससे पूर्व सम्पूर्ण निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य आदेश/आदेशों को पूरा करने में असफल रहता है,

तो स्वीकार करने वाला अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो सरकार को प्रोद्भूत हो गया हो या तत्पश्चात् प्रोद्भूत हो, सम्पूर्ण संविदा को या उसके ऐसे कार्य-आदेश (आदेशों) को, जिसकी (जिनकी) बाबत संविदा के अधीन व्यतिक्रम किया गया है, रद्द कर सकता है। यदि स्वीकार करने वाला अधिकारी इस शर्त के अधीन संविदा को पूर्णतः या भागतः रद्द करने के अपने प्राधिकार का प्रयोग करता है तो वह ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, किसी भी स्रोत से कार्य पूरा करा सकेगा: परन्तु यदि इस प्रकार पूर्ति की लागत (जिसे क० आ०/गै० इं० प्रमाणित करेगा और ऐसा प्रमाणन अन्तिम और निश्चायक होगा) संविदा-लागत से कम होती है तो लाभ सरकार का होगा। यदि कार्य पूरा करने की लागत इस संविदा के अधीन ठेकेदार को देय रकम से अधिक होती है तो ठेकेदार या तो क० आ०/गै० इं० द्वारा आदेश की गई ऐसी अधिक रकम का संदाय करेगा या वह किसी अन्य रूप में ठेकेदार से वसूल की जाएगी यदि सरकार इस शर्त के उपबंधों के अधीन कार्य या उसका कोई भाग पूरा करा लेती है, तो ऐसी पूर्ति की लागत में, जो इस शर्त के अधीन ठेकेदार से प्रभारित की जाने वाली लागत तय करने में हिसाब में ली जाएगी, परिवहन खर्च और/या श्रम के लिए सरकार द्वारा किया गया खर्च, और अधीक्षण तथा स्थापन प्रभारों की पूर्ति के लिए ऐसा अतिरिक्त प्रतिशत सम्मिलित होगा जो कमांडर निर्माण इंजीनियर विनिश्चित करे और इस बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा।

25. दिवालिया हो जाने, संविदा के उपरांत पर दे दिए जाने, मृत्यु हो जाने आदि के कारण संविदा की समाप्ति— स्वीकार करने वाला अधिकारी, उपरोक्त किसी भी उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना, निम्नलिखित दशाओं में, संविदा समाप्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) (क) यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है तो स्वयं और यदि कोई फर्म है तो उसका कोई भागीदार किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या अपने विरुद्ध कोई प्रापक आदेश या अपनी संपदा के प्रशासन के लिए कोई आदेश करा लेता है या तत्समय प्रवृत्त दिवाला विषयक किसी अधिनियम के अधीन समापन या प्रशासन के लिए कोई कार्यवाही करता है या अपनी चीजबस्त का हस्तान्तरण या समनुदेशन करता है या अपने लेनदारों से कोई प्रशमन या ठहराव करता है या संदाय निलम्बित कर देता है, या

(ख) यदि ठेकेदार कोई कम्पनी है और अपने कामकाज के समापन के लिए के लिए कोई संकल्प पारित करता है या न्यायालय उसके कामकाम के समापन के लिए कोई आदेश करता है या डिबेन्चरधारकों की ओर से कोई रिसीवर या प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि न्यायालय या डिबेन्चरधारक रसीवर या प्रबन्धक नियुक्त करने के हकदार हो जाते हैं, या

(ii) यदि व्यष्टि ठेकेदार की मृत्य हो जाती है या ठेकेदारी फर्म का विघटन हो जाता है या ठेकेदारी कम्पनी का परिसमापन हो जाता है; या

(iii) यदि ठेकेदार संविदा का समनुदेशन कर देता है या उसे उप-पट्टे पर दे देता है, या

(iv) यदि ठेकेदार इस संविदा को ऐसे भंग करता है जिसके लिए इसमें विशिष्टतः कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

26. **पूर्ति से पहले संविदा की समाप्ति**—कोई भी पक्षकार संविदा प्रारम्भ होने के दो मास पश्चात् उसे समाप्त कर सकता है परन्तु यह तब जब इस बाबत सम्बन्धित पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को छह सप्ताह की लिखित पूर्व सूचना दे दी हो।

27. **रिश्वत और भ्रष्टाचार**—यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी लोक अधिकारी को या सरकार के नियोजन में के किसी व्यक्ति को उसके पद या नियोजन के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, ईनाम या फायदा, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, देता है, देने का वचन देता है या उसका प्रस्ताव करता है या यदि ऐसा कोई अधिकारी या व्यक्ति किसी भी प्रकार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस ठेके से हितबद्ध हो जाता है अथवा यदि यह पता चलता है कि ठेकेदार किसी ऐसे अन्य ठेकेदार के साथ संयुक्ततः कारबार कर रहा है या वह ऐसी किसी फर्म या फर्मों का भागीदार है जो अनुमोदित ठेकेदारों की सैनिक इंजीनियरी सेवा सूची में सम्मिलित है/हैं तो स्वीकार करने वाला अधिकारी लिखित सूचना देकर संविदा विखण्डित कर सकेगा और ऐसे विखण्डन की स्थिति में ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप समपहृत हो जाएगा तथा वह पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन हो जाएगा और ठेकेदार से ऐसी कोई रकम वसूल करने के, जो कार्य पूरा करने के लिए निविदा किए गए खर्च के आधिक्य में खर्च की गई है, सरकार के अधिकार पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. **स्थल की सफाई**—कोई भी निर्माण-कार्य आदेश तब तक पूर्ण हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि ठेकेदार कार्य स्थल से सभी सामग्री हटा कर क० आ०/गै० इं० को समाधानप्रद रूप में भूमि व्यवस्थित नहीं कर देता।

29. **उचित मजदूरी**—ठेकेदार निर्माण-कार्य पर अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को "उचित मजदूरी" से कम मजदूरी या उक्त शर्त 20 में निर्दिष्ट मजदूरी, इनमें से जो भी अधिक हो, देगा। "उचित मजदूरी" से ऐसी मजदूरी अभिप्रेत है जो कार्य, चाहे वह कालानुपाती कार्य है या मात्रानुपाती कार्य, के लिए निविदा आमंत्रण के समय अधिसूचित की गई है और यदि ऐसी कोई मजदूरी इस प्रकार अधिसूचित नहीं की गई है, तो ठेकेदार ऐसी मजदूरी देगा जो उस स्टेशन का जिसमें काम किया जाता है मुख्य इंजीनियर विहित करे।

अध्याय 4

मूल्यांकन और संदाय

30. **अभिलेख और माप**—वित्तीय मूल्य वाली सभी मदें, सैनिक इंजीनियरी सेवा की माप पुस्तक, आई०ए०एफ० डब्ल्यू-2261 में प्रविष्ट की जाएंगी जिससे कि संविदा के अधीन किए गए समस्त कार्य का पूरा अभिलेख उपलब्ध हो सके।

कार्य को वस्तुतः ब्यौरेवार मापा जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रचलित स्थानीय रूढ़ि के प्रति निर्देश नहीं किया जाएगा। माप सै० इं० से० द्वारा और ठेकेदार द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति मिल कर करेंगे।

भारसाधक इंजीनियर माप करने की तारीख की बाबत ठेकेदार को उचित रूप में लिखित सूचना देगा।

ठेकेदार, माप लेने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और अन्य वस्तुओं की व्यवस्था किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना करेगा।

ठेकेदार अपने कार्य की माप का पूरा खर्च स्वयं उठाएगा।

प्रत्येक दिन माप पूरी हो जाने के बाद वह सै० इं० से० माप पुस्तिका (आई० ए० एफ० डब्ल्यू-2261) में, स्थल पर ही प्रविष्ट की जाएगी और उस पर दोनों पक्षकार तारीख सहित अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। यदि ठेकेदार सै० इं० से० की ओर से अभिलिखित किसी भी माप पर आक्षेप करता है तो उस बाबत टिप्पण, सै० इं० से० माप पुस्तिका में सम्बन्धित मद, मदों के सामने किया जाएगा, और ऐसे टिप्पण पर माप में लगे दोनों पक्षकार तारीख सहित हस्ताक्षर करेंगे।

यदि ऐसे आक्षेप के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण निर्माण-कार्य का या उसके किसी भाग का पुनः मापा जाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी पुनः माप का खर्च वह पक्षकार उठाएगा जो पुनः माप की अपेक्षा करता है परन्तु यह तब जब कि पुनः माप के पश्चात् निकली भूल प्रथम माप के पश्चात् अभिलिखित आंकड़ों के मूल्य के पांच प्रतिशत से कम हो। किन्तु जहां शुद्ध भूल उस मूल्य के पांच प्रतिशत या उससे अधिक है तो सम्पूर्ण खर्च दूसरा पक्षकार उठाएगा। किन्तु यदि भूल का शुद्ध मूल्य पांच सौ रुपए से अधिक है तो पुनः माप का खर्च दूसरा पक्षकार ही उठाएगा।

अपेक्षा की जाने पर यदि ठेकेदार का प्रतिनिधि उपस्थित होने में असफल होता है तो भारसाधक इंजीनियर स्वयं माप कार्य प्रारम्भ करेगा और उस दशा में उसके द्वारा की गई माप को ठेकेदार अन्तिम मान कर स्वीकार करेगा।

31. **प्रवहण के प्रयोजन के लिए माप की रीति**—प्रवहण की गई विभिन्न समाग्री की माप, माप पुस्तिका (आई०ए०एफ० डब्ल्यू-2261) में अभिलिखत की जाएगी और ऐसी सामग्री का भार पहले से ही व्यवस्थित आधार पर, निर्माण-कार्य आदेश में बताई गई रीति में निकाला जाएगा। ठेकेदार को सामग्री कितनी दूर तक प्रवहण करनी है, इसका उल्लेख प्रत्येक निर्माण कार्य आदेश में किया जाएगा और भुगतान के प्रयोजन के लिए उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। मार और दूरी के सम्बन्ध में क० आ०/गै० इं० का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

32. **अतिरिक्त कार्य के लिए दरों का अवधारण**—यदि सरकार उक्त अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी अतिरिक्त कार्य की ठेकेदार से अपेक्षा करती है तो ऐसे अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान की दर, स्वीकार करने वाला अधिकारी नियत करेगा। ऐसा अधिकारी, क० आ०/गै० इं० द्वारा अनुमोदित निर्माण-कार्य आदेश (जिसका निर्देश इसके खण्ड 8 में किया गया है) की प्रति प्राप्त होने से तीस दिन के अन्दर, ऐसे कार्य के लिए नियत की गई दर ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करेगा।

33. **बिलों का भुगतान**—ठेकेदार प्रमाणित अन्तिम लेखा, प्ररूप आई० ए० एफ० डब्ल्यू०-2262 पर, दो प्रतियों म भेजेगा। ऐसा लेखा भारसाधक इंजीनियर को समाधानप्रद रूप में पूरे किए गए निर्माण-कार्य के संबंध में क० आ०/गै० इं० द्वारा बताए गए अनुसार, प्रतिमास एक बार या दो बार भेजा जाएगा। उसके साथ उसके समर्थन में सभी उद्धरण, निर्माण-कार्य आदेश वाउचर आदि भी भेजे जाएंगे और यह लेखा क० आ०/गै० इं० द्वारा विहित रीति में तैयार किया जाएगा।

अन्तिम बिल प्राप्त हो जाने के पश्चात् कोई दावे ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

क० आ०/गै० इं० द्वारा अन्तिम बिलों के प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् ठेकेदार निर्माण-कार्य आदेश को पूरी माप के अनुसार मूल्य पाने का हकदार होगा।

अन्तिम बिल तैयार करने के लिए ठेकेदार को कोई प्रभार नहीं दिया जाएगा।

इस संविदा के अधीन देय सभी संदाय, क० आ०/गै० इं० द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् उचित समय के भीतर ठेकेदार को 'केवल आदाता खाते देय' क्रास चैक द्वारा ऐसे स्टेशन पर स्थित खजाने से किए जाएंगे जहां काम निष्पादित किया गया हो या सेवाएं की गई हों अथवा ऐसे स्टेशन के निकटतम किसी खजाने से किए जाएंगे जहां क० आ०/गै० इं० का कार्यालय स्थित हो।

ठेकेदार अपने पक्ष में जारी किए गए सभी चैकों की प्राप्ति की रसीद देगा। डाक से ठेकेदार को भेजी गई चैकों के बारे में प्राप्ति-रसीद, चैक प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर देगा। यदि ठेकेदार ऐसी रसीद देने से में असफल रहता है तो डाक से चैक प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी और जब तक ठेकेदार इस बारे में अपने व्यतिक्रम के लिए संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दे देता तब तक डाक से चैक भेजकर संदाय फिर से आरम्भ नहीं किया जाएगा और ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह भविष्य में इस संविदा के अधीन संदाय के लिए चैक, उचित रसीद देने के पश्चात् क० आ०/गै० इं० के कार्यालय से प्राप्त करे।

34. **ठेकेदार से वसूली**—यदि इस संविदा से या इसके अधीन किसी धनराशि के संदाय के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई दावा उत्पन्न होता है तो उसकी रकम इस संविदा के अधीन या सरकार के साथ हुई किसी अन्य संविदा के अधीन ठेकेदार को उस समय देय होने वाली किसी राशि से या उसके प्रतिभूति निक्षेप से या प्रतिभूति बंधपत्र की रकम से काटी जा सकती है, अथवा मांगकी जाने पर उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा। इस संविदा के अधीन ठेकेदार को देय किसी रकम का समायोजन उस संविदा के अधीन सरकार को उस समय देय किसी रकम में या सरकार के साथ होने वाली उसकी किसी अन्य संविदा के अधीन भविष्य में सरकार को किसी भी समय देय होने वाली किसी रकम में, समायोजित किया जा सकता है।

सरकार को, प्रदायों और सभी समर्थक वाउचरों, उद्धरणों, आदि सहित अन्तिम बिलों की, उनके भुगतान के बाद भी लेखा परीक्षा और तकनीकी परीक्षा कराने का अधिकार होगा। इस बात के होते हुए भी कि अन्तिम बिल की रकम किसी भी पक्षकार द्वारा संविदा के माध्यस्थम खण्ड के अधीन नियुक्त किसी मध्यस्थ के समक्ष विवाद में उसकी एक मद के रूप में, सम्मिलित कर दी गई है और वह मध्यस्थ के अधिनिर्णय में उल्लिखित है, सरकार को इसमें इसके पूर्व वर्णित जांच पड़ताल करने और पता चलने पर उसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

यदि ऐसा लेखा परीक्षा और तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप, संविदा के अधीन ठेकेदार द्वारा परिदत्त या उसके द्वारा परिदत्त किए गए अभिकथित किन्हीं प्रदायों के बारे में किसी अतिसंदाय का पता चलता है तो सरकार उसकी वसूली ठेकेदार से, ऊपर बताए गए किसी या सब ढंगों से, करेगी और यदि किसी कम संदाय का पता चलता है तो वह उसका भुगतान ठेकेदार को सम्यक् रूप से करेगी :

परन्तु इसमें इसके पूर्व उल्लिखित कोई भी बात, निर्धारण के ऐसे ढंग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित परिस्थितियों में सरकार को क० आ०/गै० इं० और ठेकेदार के बीच तय हुई किसी कीमत के बारे में कोई अतिसंदाय वसूल करने या कम संदाय पूरा करने की हकदार नहीं बनाती है। अतिसंदाय या कम संदाय के समायोजन की बाबात सरकार के उक्त अधिकार का प्रयोग अन्तिम राशि संदत्त कर देने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

35. **सूचना देना**—यदि इस संविदा में कोई अन्य बात कही गई है तो उसके अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाइयां उनकी ओर से क०आ०/गै०इं० द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा दी या की जा सकेंगी, जिसे उस समय ऐसे क० आ०/गै० इं० के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों।

36. **माध्यस्थम्**—यदि इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन या उनसे या उनके सम्बन्ध में या उनके अर्थान्वयन, अर्थ, प्रवर्तन या प्रभाव के सम्बन्ध में या उसमें उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में या इसके पक्षकारों के अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों के सम्बन्ध में या अन्यथा इस संविदा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद (उनको छोड़कर जिनकी बाबत क० नि० इं० या किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय को इस संविदा द्वारा अभिव्यक्ति रूप में अन्तिम और आबद्धकर बना दिया गया है) उत्पन्न होता है तो वह संविदा के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित सूचना दी जाने के पश्चात्[1] . . . . . .द्वारा नियुक्त किए जाने वाले इंजीनियर अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ऐसी नियुक्ति पर यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवक है अथवा उसे संविदा से संबंधित विषयों की बाबत कार्रवाई करनी पड़ी है और उसने ऐसे विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी विषय या सभी विषयों की बाबत अपना मत ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान व्यक्त किया है।

यदि पक्षकारों के बीच अन्यथा करार नहीं होता है तो ऐसा कोई निर्देश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्माण-कार्य पूरा नहीं हो जाता, अभिकथित रूप में पूरा नहीं हो पाता या त्याग नहीं दिया जाता या संविदा समाप्त नहीं कर दी जाती।

यदि किसी कारणवश इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपना पद त्याग देता है या उसे रिक्त कर देता है या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या कार्य करना नहीं चाहता है तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए कोई अन्य मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा।

मध्यस्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने निर्देश की बाबत उस तारीख से कार्य प्रारम्भ किया है जिस तारीख को वह सुनवाई की तारीख नियत करने की सूचना दोनों पक्षकारों को देता है।

मध्यस्थ अधिनिर्णय देने के समय में, पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर वृद्धि कर सकेगा।

---

1. यदि संविदा मुख्य इंजीनियर ने की है तो प्रमुख इंजीनियर और यदि क० नि० इं० या गै० इं० ने की है तो मुख्य इंजीनियर लिखिए।

मध्यस्थ, उसे निर्देशित सभी विषयों में, अपना अधिनिर्णय /अधिनिर्णय में वह विवाद की प्रत्येक मद की बात अपने निष्कर्ष और अधिनिर्णीत राशियों का उल्लेख करेगा।

माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लिए मध्यस्थ अपने विवेकानुसार स्थान नियत करेगा।

मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और संविदा के दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पता

तारीख

साक्षी

पता

अधिशेष भवनों के नीलाम के लिए नीलामकर्ता नियुक्त करने का करार

(आई० ए० एफ० डब्ल्यू 2353)

यह करार, एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है (जिसमें, यदि संदर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल नहीं है, उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में * . . . , जो . . . का निवासी तथा . . . . का पुत्र है और जिसे इसमें आगे "नीलामकर्ता" कहा गया है (जिसमें, यदि संदर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल नहीं हैं, उसके वारिस, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी है **

1.—————————— 2. ——————————

3. —————————— 4. —————————— जो

मैसर्स————————————के नाम और अभिनाम से——————

————————में भागीदारी कारबार कर रहे हैं, जिन्हें इसमें आगे "नीलामकर्ता" कहा गया है (जिसमें, यदि संदर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल नहीं है, उक्त फर्म के सभी भागीदार और उनके क्रमशः वारिस, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं); ***————जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय————————में स्थित है, जिसे इसमें आगे "नीलामकर्ता" कहा गया है (जिसमें, यदि संदर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल नहीं है, उसके उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख————————को किया गया।

इसके द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है, अर्थात् :—

1. **विक्रय-क्षेत्र और विक्रय विस्तार**—नीलामकर्ता को————से————तक के लिए (यदि यह करार इसमें आगे बताए गए रूप में पहले ही समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी समाप्ति तक के लिए) नीलामकर्ता-सूची का सदस्य नियुक्त किया जाता है। नीलामकर्ता ऐसी सभी सरकारी सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा विक्रय करेगा जो उसे ****——— (जिसे इसमें आगे "नियुक्ति आफिसर" कहा गया है जिसके अन्तर्गत, यदि संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है, उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्त्ता भी हैं) अपने विवेकानुसार समय-समय पर सौंपे। नीलामों का संचालन या तो नीलामकर्ता स्वयं करेगा या उसके स्थायी कर्मचारिवृन्द का कोई व्यक्ति करेगा किन्तु नियुक्ति आफिसर की लिखित अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति भी नीलाम का संचालन कर सकता है। ऐसे सभी नीलामों में गैरिजन इंजीनियर या उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहेगा। यदि गैरिजन इंजीनियर या उसका प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी चाहे तो नीलामों के पर्यवेक्षण और उच्चतम बोली मौके पर ही स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में विनिश्चय करने के लिए स्टेशन कमाण्डर द्वारा किसी अन्य स्थानीय यूनिट या संगठन या कर्मचारिवृन्द का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी भी नीलामों में उपस्थित रहेगा।

2. **विक्रय-विज्ञापन**—नीलामकर्ता, अपने खर्च पर, उसे सौंपे गए नीलाम-विक्रय का विज्ञापन पत्रों द्वारा तथा ऐसी सभी अन्य रीतियों से इस प्रकार करेगा कि नीलाम-विक्रय का भली प्रकार प्रचार हो जाए और [illegible] विक्रय का संचालन सभी दृष्टियों से ऐसी रीति से करेगा जो सरकार के लिए अधिकतम हितकर हो। यदि नियुक्ति आफिसर उचित समझे तो वह सरकारी खर्च पर ऐसे विक्रयों को समाचार पत्रों में भी अधिसूचित करा सकेगा।

3. **विक्रय की शर्तें तय करना**—नीलामकर्ता उसे सौंपे गए सभी विक्रयों का संचालन [illegible] के विक्रय और विक्रय की उन शर्तों के, यदि वे लागू हों तो, जो इस करार की तीसरी अनुसूची के खण्ड 1 और 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नियत की गई हैं, तथा ऐसी अतिरिक्त शर्तों के, जो समय-समय पर नियुक्ति आफिसर विहित करे, अनुसार करेगा।

वह नीलाम-विक्रय आरम्भ करने से पूर्व आशयित क्रेताओं को अंग्रेजी और स्थानीय आधुनिक भारतीय भाषाओं में विक्रय की शर्तें घोषित करेगा और बताएगा। गैरिजन इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि विक्रय-स्थल और समय तय करेगा। नीलामकर्ता सम्पत्ति का नीलाम गैरिजन इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा बताए गए अनुदेशों के अनुसार करेगा। यदि गैरिजन इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि नीलामकर्ता को यह अधिसूचित करता है कि विक्रय की जाने वाली किसी सम्पत्ति के लिए आरक्षित कीमत नियत कर दी गई है तो नीलामकर्ता उसका विक्रय उस कीमत से कम पर नहीं कर सकेगा। आरक्षित कीमत नीलामकर्ता को तभी अधिसूचित की जाएगी जब नियुक्ति आफिसर या उसका प्रतिनिधि स्वयं नीलामकर्ता को, किसी अवसर पर अपने अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत करेगा

*यदि नीलामकर्ता कोई व्यक्ति है तो इसे भरें।

**यदि नीलामकर्ता कोई फर्म है तो इसे भरें।

***यदि नीलामकर्ता कोई कम्पनी है तो इसे भरें।

****यहां संबंधित मुख्य इंजीनियर/कमाण्डर निर्माण कार्य इंजीनियर लिखें।

4. **अग्रिम धन एकत्र करना**—नीलामकर्ता धनपात होते ही, बोली लगाने वाले से प्रत्येक स्वीकृत बोली या अनुमोदन के लिए खुली रखी गई प्रत्येक बोली के लिए, उसके सद्भाव के साक्ष्यस्वरूप, बोली की रकम के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर राशि नकद या मांग-राशि के रूप में एकत्र करेगा। यदि बोली लगाने वाला अग्रिम-धन देकर अपनी बोली पुष्ट करने में असफल रहता है तो बोली तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और सम्पत्ति पुनः नीलाम की जाएगी। यदि नीलामकर्ता अग्रिम-धन लिए बिना कोई बोली अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेता है तो वह गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के प्रति उतनी ही रकम के लिए दायी होगा। इसका ऐसे भंग के कारण सरकार को उपलब्ध किन्हीं उपचारों पर, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.(क) **विक्रय-आगम एकत्र करना**—नीलाम समाप्त होने पर या यदि नीलाम एक दिन में पूरा नहीं होता है तो प्रत्येक दिन का विक्रय समाप्त होने पर, नीलामकर्ता गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को स्वीकृत बोलियों की एक सूची और विक्रय तथा क्रेताओं की बाबत अपेक्षित जानकारी देगा। नीलामकर्ता जो अग्रिम-धन प्राप्त करेगा उसे वह गैरिज़न इंजीनियर द्वारा या उसके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा जारी किए जाने वाले प्रापक आदेश द्वारा या अपेक्षा की जाने पर किसी खजाना चालान द्वारा किसी सरकारी खजाने में उसी दिन या अगले कार्य दिन को जमा करेगा।

(ख) **बोली मूल्य का अतिशेष**—नीलामकर्ता स्थल पर स्वीकार की गई बोलियों के मुल्य की शेष रकम, गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा जारी किए जाने वाले प्रापक आदेश द्वारा या अपेक्षा की जाने पर किसी खजाना चालान द्वारा, नीलाम की तारीख से सात दिन के अन्दर किसी सरकारी खजाने में जमा करेगा अन्यथा वह गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को, इस रकम के बकाया रहने की अवधि के प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, एक प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देने के लिए दायी होगा।

(ग) गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा बोलियों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए —

(i) यदि बोली गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के विनिश्चय के लिए खुली रखी जाती है तो नीलामकर्ता विक्रय आगम, ऐसी स्वीकृति की सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के अन्दर, गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा जारी किए जाने वाले प्रापक आदेश द्वारा या अपेक्षा की जाने पर किसी खजाना चालान द्वारा जमा करेगा।

(ii) यदि नीलामकर्त्ता पूर्वोक्त अवधि के भीतर पूरा संदाय करने में असफल रहता है तो नीलामकर्ता, गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को ऐसी अवधि के, जिसके दौरान खजाने में इस रकम का संदाय बकाया रहता है, प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देने के लिए दायी होगा। उक्त खण्डों में विनिर्दिष्ट समय सीमा में रविवार और लोक-अवकाश-दिन सम्मिलित नहीं है।

(iii) ब्याज देने के दायित्व को तभी प्रवर्तित किया जाएगा जब यह विनिश्चित कर दिया जाएगा कि क्रय, नीलामकर्ता की उपेक्षा के कारण 15 दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ है। नीलामकर्ता ने उपेक्षा की है या नहीं, इस बारे में विनिश्चय नियुक्ति आफिसर करेगा और इस बाबत उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. **नीलामकर्ता की कमीशन और संदाय का ढंग**—(क) नीलामकर्त्ता नीलाम पूरा हो जाने के बाद, गैरिज़न इंजीनियर को प्रत्येक नीलाम-विक्रय के विक्रय-आगम और ऐसे विक्रय के संबंध में समपहृत किए गए अग्रिम धन पर देय कमीशन के लिए बिल देगा। कमीशन गैरिज़न इंजीनियर या उसका स्थानीय प्रतिनिधि विनिश्चित करेगा। कमीशन पृथकतः संदेय तभी होगा जब नीलाम पूरा हो जाएगा और नीलामकर्ता विक्रय किए गए लाटों के विक्रय-मूल्य की खजाना रसीदें गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को दे देगा।

(ख) नीलामकर्ता शुद्ध विक्रय-आगमों पर कमीशन इसकी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से पाने का हकदार होगा, परन्तु यदि बोली स्वीकार कर ली जाती है और अग्रिम-धन सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है किन्तु संदाय पूरा नहीं होता है तो नीलामकर्ता सरकार के खाते जमा अग्रिम-धन की कुल रकम पर ही कमीशन पाने का हकदार होगा। नीलामकर्ता ऐसी किसी सम्पत्ति पर कमीशन पाने का हकदार नहीं होगा जो किसी समय किसी भी कारणवश विक्रय नहीं की गई है या विक्रय रद्द कर दिया गया है: परन्तु यदि नीलामकर्ता ऐसी किसी सम्पत्ति का नीलामोत्तर विक्रय, नीलाम की अन्तिम तारीख से दस दिन के अन्दर कर देता है तो ऐसा नीलामोत्तर विक्रय नीलाम की तारीख को किया गया माना जाएगा और नीलामकर्ता उस पर कमीशन, उपरोक्त रूप में, पाने का हकदार होगा।

(ग) नीलामकर्ता, नीलाम करने के लिए की गई यात्राओं के लिए गैरिज़न इंजीनियर द्वारा प्रमाणित रूप में वास्तविक यात्रा व्यय या दो सौ रुपए दोनों में से जो भी कम होगा, पारिश्रमिक के रूप में पाने का हकदार होगा।

7. **नीलामकर्ता बोली नहीं लगाएगा**—नीलामकर्ता, इस करार के अधीन उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नीलामों में स्वयं या किसी व्यक्ति की मारफत किसी भी सम्पत्ति के लिए न तो बोली लगाएगा और न उसे क्रय ही करेगा ।

8. **प्रतिभूति और उसके समपहरण की शर्तें**—(क) नीलामकर्ता, इस करार के अधीन अपनी सभी बाध्यताओं की पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के पास इसकी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में,————————रुपए की प्रतिभूतियां जमा करेगा और वे————————कमान के रक्षा लेखा नियंत्रक को पृष्ठांकित की जाएंगी ।

(ख) यदि नीलामकर्ता इस करार के अधीन अपनी किसी बाध्यता की पूर्ति नहीं करता है तो सरकार, अपने किसी अन्य उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त निक्षेप पूर्णतः या भागतः विनियोजित करने और ऐसे सभी सरकारी वचनपत्र जो ऐसी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके भागरूप हो, विक्रय या रद्द करने की हकदार होगी । यह कार्य गैरिज़न इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नीलामकर्ता को लिखित सूचना देकर, कर सकेगा । इस सूचना को नीलामकर्ता इस खण्ड के अधीन भारत के राष्ट्रपति की आरक्षित शक्ति का विधिमान्य प्रयोग मानेगा । इस करार की समाप्ति पर और नीलामकर्ता द्वारा इसकी सम्यक् पूर्ति के पश्चात् और उसके द्वारा बेबाकी प्रमाणपत्र दे दिए जाने पर, गैरिज़न इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने पर कि नीलामकर्ता से कोई धनराशि शोध्य नहीं है, सम्पूर्ण प्रतिभूति या इसके अधीन समपहृत की गई कोई राशि काट कर शेष प्रतिभूति उसे लौटा दी जाएगी :

परन्तु सरकार की अभिरक्षा में उसके होने की अवधि के बाबत उस पर ब्याज के लिए या किसी हानि या अवक्षयण के लिए सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं हो सकेगा ।

9. **संविदा की समाप्ति**—(क) नियुक्ति आफिसर नीलामकर्ता को, कोई कारण बताए बिना एक मास की हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर, इस करार को समाप्त कर सकेगा । ऐसा प्राधिकारी इस करार को कोई पूर्व सूचना दिए बिना भी समाप्त कर सकेगा किन्तु यह तब जब कि नीलामकर्ता, उसे सौंपे गए कारबार का संचालन गैरिज़न इंजीनियर के पूर्णतः समाधानप्रद रूप में नहीं करता है अथवा नीलामकर्ता दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है या वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए किसी न्यायालय को आवेदन कर देता है या वह अपने लेनदारों से प्रशमन हर लेता है या न्यायालय द्वारा अथवा उसकी इच्छा से उसका समापन कर दिया जाता है या वह न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन हो जाता है । नीलामकर्ता भी स्वीकृति आफिसर को एक मास की हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा । यदि यह करार उपरोक्त किसी रूप में समाप्त कर दिया जाता है तो————————रुपए (शब्दों में) का उक्त निक्षेप (इसके खण्ड 8 के अधीन रहते हुए) नीलामकर्ता को उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर, लौटा दिया जाएगा ।

(ख) यदि संविदा-अवधि के दौरान उपरोक्त स्वत्वधारी या किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है या भागीदार का विघटन हो जाता है तो स्वीकृति आफिसर या उसका स्थानीय प्रतिनिधि स्वविवेकानुसार संविदा को ऐसी किसी तारीख से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, समाप्त कर सकेगा और संविदा की ऐसी समाप्ति के कारण हुई हानि के लिए या किसी भी अन्य आधार पर स्वीकृति आफिसर के विरुद्ध कोई दावा न हो सकेगा । यदि स्वीकृति आफिसर या उसका स्थानीय प्रतिनिधि संविदा को विशेष रूप से समाप्त नहीं करता है तो वह, इसकी सभी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बनी रहेगी ।

(ग) मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, उसके सह स्वामी या सह-भागीदार, गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को स्वत्वधारी या किसी भागीदार की मृत्यु की सूचना, मृत्यु होने की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर, देंगे ।

10. **रिश्वत, कमीशन, आदि का दिया जाना**—यदि नीलामकर्ता या उसके भागीदार, अभिकर्ता या सेवक द्वारा या उसकी ओर से अथवा उनमें से किसी अपनी या उनकी ओर से, नीलामकर्ता की जानकारी से या उसके बिना, गैरिज़न इंजीनियर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के साथ इस या किसी अन्य करार के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी सरकारी अधिकारी, सेवक, प्रतिनिधि या अभिकर्ता को और/या किसी बोली लगाने वाले या संभावित क्रेता को रिश्वत, कमीशन, दान या फायदा दिया जाएगा, उसके लिए वचन दिया जाएगा या उसका प्रस्ताव किया जाएगा तो वह करार, ऐसे किसी आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त जो वे उपगत करें, रद्द कर दिया जाएगा और यदि ऐसे रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को कोई हानि होती है तो उसका संदाय नीलामकर्ता करेगा ।

11. **माध्यस्थम्**—यदि संविदा के पक्षकारों के बीच कोई विवाद (ऐसे विवाद को छोड़कर जिसकी बाबत स्वीकृति अधिकारी के या किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय को इस संविदा द्वारा अन्तिम और निश्चायक बना दिया गया है) उत्पन्न होता है तो, वह, संविदा के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना दे दी जाने के बाद, नीचे उल्लिखित प्राधिकारी* द्वारा नियुक्त इंजीनियर आफिसर के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

*मुख्य इंजीनियर द्वारा किए गए करार की दशा में प्रमुख इंजीनियर और कमाण्डर निर्माण कार्य इंजीनियर द्वारा किए गए करार की दशा में मुख्य इंजीनियर ।

यदि निर्देश पर विचार प्रारम्भ करने से पूर्व किसी समय, नियुक्त मध्यस्थ अपना पद त्याग देता है या किसी कारणवश इस रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

मध्यस्थ, उसे निर्देशित सभी विषयों पर, अपना अधिनिर्णय देगा और विवाद की प्रत्येक मद की बाबत अपने निष्कर्ष और अधिनिर्णीत राशि पृथक्-पृथक् उल्लिखित करेगा ।

मध्यस्थ द्वारा निर्देश के सम्बन्ध में कार्रवाई प्रारम्भ उस तारीख से की गई समझी जाएगी जिसको वह दोनों पक्षकारों को सुनवाई की तारीख नियत करने की सूचना जारी करता है ।

जब तक पक्षकारों के बीच अन्यथा कोई करार नहीं होता, ऐसा निर्देश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है या पूर्ति का अभिकथन नहीं किया जाता या संविदा समाप्त नहीं कर दी जाती ।

माध्यस्थम् की कार्रवाई ऐसे स्थान या स्थानों पर की जाएगी जो मध्यस्थ स्वविवेक से नियत करे ।

अधिनिर्णय अन्तिम, निश्चायक और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

इस दस्तावेज में————परिवर्तन किए गए हैं और इस बात के साक्ष्यस्वरूप, कि ये परिवर्तन इस करार के निष्पादन से पूर्व किए गए हैं, उन पर ठेकेदार और श्री———— ने हस्ताक्षर कर दिए हैं । उक्त आफिसर को इस करार के भागरूप दस्तावेजों पर मेरी ओर से हस्ताक्षर और आद्याक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री———— ने,

1————

2————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

————

(उक्त श्री———— के हस्ताक्षर)

तारीख————

नीलामकर्ता ने,

1————

2————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

————

(नीलामकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख————

87-M/P(N)227MofLJ&CA—11

पहली अनुसूची

नीलाम-विक्रय पर देय कमीशन

विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का वर्णन	पृथक्-पृथक् लॉट के कुल शुद्ध विक्रय-आगम पर कमीशन की प्रतिशत दर
नियुक्ति आफिसर या उसके प्रतिनिधि द्वारा सौंपी जाने वाली सभी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति, जैसे भूमि और भवन तथा उनसे संबंधित सामग्री ।	प्रथम———————रुपए पर प्रतिशत ——————— से ———————रुपए तक प्रतिशत ——————— से ———————रुपए तक प्रतिशत ——————— से ———————रुपए तक प्रतिशत ——————— रुपए से अधिक पर ——— प्रतिशत

ध्यान दें :—यदि इस संबंध में प्रयुक्त "पृथक्-पृथक् लॉट" पद की परिभाषा के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर नियुक्ति आफिसर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

दूसरी अनुसूची

प्रतिभूति निक्षेप की विशिष्टियां

रकम	निक्षेप के ब्यौरे	किसे पृष्ठांकित किए गए
		रक्षा लेखा नियंत्रक——————— कमान

निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार की जाएंगी, अर्थात् :—

(i) सरकारी प्रतिभूतियां

(ii) राज्य और नगरपालिका डिबैन्चर

(iii) पत्तन न्यास बन्धपत्र

(iv) भारतीय स्टेट बैंक की निक्षेप रसीदें

(v) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति बन्धपत्र; किसी अनुसूचित बैंक का प्रत्याभूति बन्धपत्र, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिहस्ताक्षर किए हों या स्वीकार किए जाने की भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की हो ।

(vi) बाजार कीमत पर डाकघर नकद प्रमाणपत्र

(vii) डाकघर बचत बैंक पास बुक

(viii) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

(ix) राष्ट्रीय योजना उधार ।

तीसरी अनुसूची

खण्ड 1—विक्रय की साधारण शर्तें

1. **बोली स्वीकार करने से इंकार**—(क) इस बात के अधीन रहते हुए कि गैरिजन इंजीनियर द्वारा नियत आरक्षित कीमत, यदि कोई हो, प्राप्त हो जाए, सभी विक्रय उच्चतम बोली लगाने वाले को किए जाएंगे । यदि बोली लगाने वालों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय विक्रय का अधीक्षण करने वाला अधिकारी करेगा अथवा उसके विवेकानुसार संबंधित सम्पत्ति पुनः नीलाम की जाएगी ।

(ख) नीलामकर्ता, नीलाम का अधीक्षण करने वाले गैरिजन इंजीनियर के परामर्श से, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की बोली, कोई कारण बताए बिना ही, स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा ।

2. सभी नीलाम-विक्रयों का पर्यवेक्षण निम्नलिखित अधिकारी करेंगे, अर्थात् :—

(i) गैरिजन इंजीनियर या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई राजपत्रित अधिकारी,

और

(ii) किसी अन्य स्थानीय यूनिट, या संगठन या कर्मचारिवृन्द के स्टेशन कमाण्डर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी ।

3. **अग्रिम धन**—धनपात होते ही बोली के 25 प्रतिशत का भुगतान 'अग्रिम धन' के रूप में किया जाएगा । शेष क्रय कीमत का भुगतान उस तारीख से सात दिन के भीतर किया जाएगा जिसको बोली स्वीकार करने की सूचना क्रेता को दी जाती है और ध्वस्त करने के लिए आस्तियां उसे सौंपी जाती हैं । यदि क्रेता विनिर्दिष्ट तारीख को क्रय पूर्ण करने में असफल रहता है तो सरकार अग्रिम धन समपहृत कर लेगी और सम्पत्ति का पुनः विक्रय कर सकेगी ।

4. **प्रतिभूति निक्षेप और परिदान आदेश**—क्रेता से अपेक्षा की जाएगी कि वह अग्रिम धन के अतिरिक्त, गैरिजन इंजीनियर,————————को समाधानप्रद रूप में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर आस्थियां ध्वस्त करने, सामग्री हटाने और स्थल साफ करने के लिए एक नकद प्रतिभूति जमा करे । ऐसी प्रतिभूति की रकम गैरिजन इंजीनियर नियत करेगा और वह इतनी होनी चाहिए कि यदि क्रेता विहित अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में असफल रहता है और ध्वस्त करने तथा स्थल-सफाई का काम सै०इं०से० को करना पड़ता है तो वह पर्याप्त हो जाए ।

प्रतिभूति निक्षेप के लिए अपेक्षित रकम और ध्वस्त करने तथा स्थल साफ करने के लिए नियत अवधि नीलाम के समय क्रेता को बता दी जाएगी । गैरिजन इंजीनियर द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने पर कि क्रेता ने विक्रय के अधीन अपनी सभी बाध्यताएं पूरी कर दी हैं, क्रेता के आवेदन पर उसका प्रतिभूति निक्षेप उसे लौटा दिया जाएगा ।

5. **भूमि के किराए के लिए निक्षेप**—अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त (उक्त पैरा 3 और 4), क्रेता प्रतिभूति निक्षेप के साथ ही ऐसी कोई रकम भी जमा करेगा जो नीलाम द्वारा विक्रय की गई आस्तियों के संबंध में, आस्तियां ध्वस्त करने और स्थल साफ करने के लिए नियत अवधि का भूमि का किराया पूरा करने के लिए पर्याप्त हो । किराए की गणना भूमि के बाजार मूल्य या अर्जन लागत से, इनमें से जो भी अधिक है, उसके छह प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से की जाएगी । यदि क्रेता मूलतः नियत समय के अन्दर समाधानप्रद रूप में स्थल साफ कर देता है तो यह रकम क्रेता को लौटा दी जाएगी किन्तु यदि स्थल मूलतः नियत या पैरा 6 के उपबन्धों के अधीन बढ़ाए गए समय के भीतर पूर्णतः और समाधानप्रद रूप में साफ नहीं किया जाता है तो यह रकम सरकार समपहृत कर लेगी ।

यदि स्थल साफ करने के लिए समय में कोई वृद्धि अनुज्ञात की जाती है तो क्रेता ऐसी वृद्धि के लिए भी उपरोक्त हिसाब से भूमि का किराया देगा । यह रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

6. **विनिर्दिष्ट समय के अन्दर स्थल साफ करने में असफलता की दशा में शास्ति**—यदि क्रेता विक्रय के अधीन अपनी बाध्यताओं की पूर्ति करने में असफल रहता है तो सरकार क्रय-कीमत, प्रतिभूति निक्षेप, भूमि का किराया और उसे विक्रय की गई ऐसी आस्तियां, जो स्थल से हटाई नहीं जाती हैं, समपहृत कर लेगी । उसे उन्हें पुनः विक्रय करने का अधिकार होगा ।

यदि क्रेता के नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण स्थल की सफाई के लिए नियत समय में वृद्धि आवश्यक हो जाती है तो क्रेता के लिखित अनुरोध पर गैरिजन इंजीनियर लिखित रूप में ऐसी वृद्धि मंजूर कर सकेगा । ऐसी वृद्धि बहुत कम और उचित परिस्थितियों में ही मंजूर की जाएगी । क्रेता वर्धित अवधि के लिए भूमि का किराया उक्त पैरा 5 में उल्लिखित दर पर देगा ।

7. **सम्पत्ति का परिदान**—(क) यदि किसी कारणवश क्रेता को कोई सम्पत्ति या उसका कोई भाग परिदत्त नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आफिसर या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के विवेकानुसार, सम्पूर्ण क्रय-धन या उसका कोई आनुपातिक भाग लौटाया जा सकेगा । अपरिदत्त सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में रकम लौटाने के दावे के अतिरिक्त कोई अन्य दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक दिन विक्रय समाप्त हो जाने पर, बोली लगाने वाला, दिए गए सभी धन की रसीद, नीलामकर्ता से ले लेगा ।

8. **नामनिर्देशितियों को परिदान**––(क) पुनर्विक्रय मान्य नहीं होगा और परिदान-आदेश वास्तविक क्रेता के नाम में ही तैयार किया जाएगा।

(ख) यदि कोई क्रेता, क्रय की गई सम्पत्ति का परिदान अपने किसी प्रतिनिधि की मार्फत लेना चाहता है तो वह ऐसे प्रतिनिधि को इस प्रभाव का एक प्राधिकार पत्र देगा। यह प्राधिकार पत्र उस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके भारसाधन में सम्पत्ति है, किन्तु किसी प्रतिनिधि को परिदान एक मात्र क्रेता की जोखिम और जिम्मेदारी पर किया जाएगा और यदि किसी गलत व्यक्ति को परिदान कर दिया जाता है तो सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं हो सकेगा।

9. **सम्पत्ति हटाना**––(क) यदि सम्पत्ति की कीमत दे दी गई है और उसे स्थल से गैरिज़न इंजीनियर के समाधानप्रद रूप में हटाने का दायित्व (यदि स्थल सहित वह बेची नहीं गई है) क्रेता का है तो क्रता को ऐसी सम्पत्ति, विक्रय के समय विनिर्दिष्ट की गई अवधि के अन्दर अपने ही व्यय पर, हटानी होगी। यदि क्रेता विनिर्दिष्ट समय के भीतर समाधानप्रद रूप में ध्वस्त करने, हटाने और स्थल साफ करने में असफल रहता है तो विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् स्थल पर शेष रही, ध्वस्त न की गई या भागतः ध्वस्त की गई संरचनाएं या बचे हुए सामान या अन्य सामग्री का गैरिज़न इंजीनियर अधिहरण कर सकेगा और उसे क्रेता के खर्च पर पुनः विक्रय कर सकेगा। पुनः विक्रय से प्राप्त रकम सरकार के खाते जमा कर दी जाएगी। यदि कोई क्रेता नहीं मिलता है तो गैरिज़न इंजिनियर को स्थल पर ध्वस्त न की गई विद्यमान संरचनाओं और/या किसी बचे हुए सामान या अन्य सामग्री का निपटारा कराने का अधिकार होगा और नीलमकर्ता की जोखिम और व्यय पर स्थल को ऐसी रीति में पुनर्व्यवस्थित करा सकेगा जैसी वह ठीक समझे। उक्त पुनर्विक्रय या पुनर्व्यवस्था पर उपगत खर्च संबंधित क्रेता के प्रतिभूति निक्षेप से काट कर वसूल किया जाएगा और क्रेता का पूर्वोक्त जैसी सामग्री की बाबत कोई दावा न होगा। यदि नियुक्ति आफिसर आवश्यक समझता है तो वह क्रेता के विरुद्ध वाद फाइल करके ऐसी रकम वसूल कर सकेगा। क्रेता क्रय की गई आस्तियों से अनुलग्न भूमि के लिए आवर्ती प्रतिकर तथा पहरा और निगरानी की बाबत ऐसे व्यय भी देने के लिए जिम्मेदार होगा जो अधिहरण की तारीख से आस्तियां पुनर्विक्रय करने या स्थल को अन्यथा सुव्यवस्थित करने की तारीख तक आस्तियों की रखवाली करने पर उपगत किया गया हो।

(ख) क्रेता ध्वस्त करने का कार्य क्रमिक रूप में करेगा, अर्थात्, ध्वस्त और स्थल साफ करने का कार्य साथ-साथ किया जाएगा। भूमि या अनुलग्न भवनों को कोई नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कार्य, स्थल के एक कोने से प्रारम्भ किया जाएगा जिससे कि स्थल की सफाई के पश्चात् भूमि समतल रूप में उपलब्ध हो सके। यदि क्रेता या उसके कर्मकार या सेवक किसी भूमि, सड़क, बाड़े, अहाते आदि के, जिस पर ध्वंस कार्य हो रहा हो, किसी भाग की ध्वस्त, विरूपित या नष्ट कर देता है तो क्रेता उसे अपने ही खर्च पर तथा गैरिज़न इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के समाधानप्रद रूप में ठीक करेगा। यदि क्रेता ऐसा करने में व्यतिक्रम करता है तो गैरिज़न इंजीनियर उसे ठीक करा सकेगा और उसका खर्च क्रेता के प्रतिभूति निक्षेप से कर सकेगा।

(ग) जिन परिसरों पर ध्वंस कार्य किया गया हो और जो इस प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप में क्रेता के कब्जे दिए गए हों उनसे वह सभी बांसबल्ली, शेष सामग्री और कूड़ा आदि हटाएगा तथा उन परिसरों पर तथा उनसे या उनके आसपास सभी गन्दगी और मलबे को भी हटाएगा। यदि क्रेता उक्त अवधि के समाप्त होने तक या उससे पूर्व उक्त बांसबल्ली, शेष सामग्री और कूड़ा करकट तथा गन्दगी और मलबा हटाने संबंधी इस शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो गैरिज़न इंजीनियर क्रेता के खर्च पर ऐसे बांसबल्ली, शेष सामग्री और कूड़े कर्कट को हटावा सकेगा और उसका ऐसे निपटारा कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे और उपरोक्त गन्दगी और मलबे को भी वहां से हटवा कर स्थल की सफाई करवा सकेगा और क्रेता इन सब का खर्च अपने प्रतिभूति निक्षेप से तुरन्त संदत्त करेगा और उसका ऐसे बांस बल्लियों या शेष सामग्री की बाबत कोई दावा नहीं होगा। साथ ही क्रेता क्रय की गई आस्तियों से अनुलग्न भूमि के लिए आवर्ती प्रतिकर तथा पहरा और निगरानी की बाबत ऐसे व्यय भी देने के लिए जिम्मेदार होगा जो स्थल की सफाई के लिए नियत तारीख से, स्थल वस्तुतः साफ किए जाने की तारीख तक आस्तियों की रखवाली करने पर उपगत किए गए हों।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप की रकम क्रेता के आवेदन पर तभी लौटाई जाएगी जब उसने अपनी उक्त सभी बाध्यताओं की पूर्ति कर दी हो और गैरिज़न इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि ने लिखित रूप में यह प्रमाणित कर दिया हो कि उक्त शर्तों की अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है। यदि गैरिज़न इंजीनियर ऊपर उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार क्रेता की ओर से कोई रकम खर्च करता है तो उसकी वसूली क्रेता के प्रतिभूति निक्षेप से कर ली जाएगी और ऐसे निक्षेप में शेष बची रकम उसे लौटा दी जाएगी।

(ङ) यदि विक्रय किए गए भवनों की संरचनाओं को ध्वस्त करने और मलबे आदि को हटाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है और उससे जन या सम्पत्ति की हानि होती है तो क्रेता ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले सभी दावों की बाबत सरकार, उसके सेवकों और अभिकर्ताओं की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा।

10. **परिदान का समय**—क्रेता को क्रय की गई प्रत्येक सम्पत्ति का परिदान सभी कार्य दिवसों पर कार्य-घंटों के दौरान किया जाएगा, किन्तु यह तब जब क्रेता ने क्रय की गई प्रत्येक सम्पत्ति की बाबत बिना शर्त भुगतान रसीद पेश कर दी हो। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो क्रेता को कोई सम्पत्ति या उसका कोई भाग हटाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। गैरिजन इंजीनियर या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता से नीलामकर्ता को लिखित अनुदेश प्राप्त हो जाने पर ही परिदान-आदेश जारी किए जाएंगे।

11. **विक्रीत सम्पत्ति क्रेता की जोखिम पर**—विक्रय की गई सम्पत्ति विक्रय पुष्ट होने के समय से क्रेता की एकमात्र जोखिम पर रहेगी।

12. **विक्रय रोकने का अधिकार**—यदि नीलामकर्ता की यह राय है कि बोली लगाने वालों ने कोई गुट बना लिया है और नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों के लिए उचित कीमत नहीं मिल पा रही है तो नीलामकर्ता, विक्रय का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी की सहमति से, विक्रय रोक सकेगा।

13. **बोली पुष्ट करना**—यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी सम्पत्ति के लिए लगाई गई उच्चतम बोली, नियुक्ति आफिसर या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता की अन्तिम मंजूरी के लिए उसे निर्देशित की जा सकती है।

14. **नीलाम से सम्पत्ति हटाने का अधिकार**—गैरिजन इंजीनियर को यह अधिकार है कि वह कोई कारण बताए बिना ही, ऐसी किसी भी सम्पत्ति को, जो सूचीपत्र में विज्ञापित की गई है और जिसके लिए नीलाम में लगाई गई बोली स्वीकार नहीं हो पाई है, नीलाम से हटा ले।

खण्ड 2—ऐसे विक्रय को, जिसमें भूमि में हक का अन्तरण होता है, लागू होने वाली अतिरिक्त शर्तें

15. **हक स्वीकार करना**—विक्रेता के रूप में सरकार को विक्रय की गई सम्पत्ति पर अपना हक साबित नहीं करना होगा और अन्तरण विलेख, क्रय-धन के भुगतान के बाद विहित प्ररूप में क्रेता के खर्च पर, तैयार, निष्पादित, रजिस्टर और स्टाम्पित किया जाएगा।

16. **भू-राजस्व आदि**—यदि विक्रय की गई सम्पत्ति पर कोई भू-राजस्व या अन्य संदाय देय है अथवा आगे देय हो जाता है तो उसका भुगतान क्रेता करेगा। विक्रय, विद्यमान अभिधृतियों और संविदा, रुढ़ि, कानून या अन्यथा द्वारा अभिधारियों के लिए सृजित अधिकारों तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सभी सुखाचारों और अधिकारों तथा दायित्वों के भी, अधीन होगा। विक्रय में, खानें और खनिज, तथा सार्वजनिक मार्गों, किनारों पर लगे वृक्षों तथा नालियों और पानी के पाइपों से संबंधित अधिकार, सम्मिलित नहीं हैं।

17. **रेखांक और विशिष्टियां**—विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का रेखांक, विक्रय स्थल के पास सुविधाजनक स्थान पर स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है। परिमाण या अन्यथा के बारे में रेखांक या विक्रय विज्ञापन में दिया गया विवरण सही माना जाएगा और यदि विशिष्टियों या इन शर्तों में कोई त्रुटि, लोप या गलत वर्णन हो जाता है तो उससे न तो विक्रय अविधिमान्य होगा और न उसके आधार पर प्रतिकर के लिए कोई दावा ही हो सकेगा।

18. **विक्रय पूरा किए जाने के लिए तारीख और स्थान**—क्रय की पूर्ति और बकाया क्रय-धन का भुगतान ऐसी तारीख और स्थान पर किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और उसके बाद ही क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा या वह उसका किराया और लाभ प्राप्त करेगा। यदि किसी कारणवश नियत तारीख तक बकाया क्रय-धन संदत्त नहीं किया जाता है तो क्रेता को उस पर, उस तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख तक का 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देना होगा।

19. **किराया और लाभों का प्रभाजन**—पूर्ति के लिए नियत तारीख तक विक्रीत सम्पत्ति से होने वाले सभी लाभ क्रेता के होंगे और उस तारीख तक होने वाले सभी व्यय (जिनमें उपगत किए गए किन्तु अनुन्मोचित सभी अभिनिश्चित दायित्व सम्मिलित हैं) क्रेता करेगा और इस प्रयोजन के लिए निलामकर्ता चालू किराया और व्यय आवश्यकतानुसार प्रभाजित करेगा और प्रभाजित रकम, क्रय की पूर्ति पर, यथास्थिति, या तो क्रय धन में जोड़ दी जाएगी या उसमें से घटा दी जाएगी।

20. **अपालन**—यदि क्रेता उपरोक्त किसी अनुबन्ध का पालन करने में असफल रहता है तो विक्रेता उसका निक्षेप समपहृत कर लेगा और वह सम्पत्ति को (कोई वचन दिए बिना) या तो लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा तथा ऐसे अनुबन्धों के अधीन पुनः विक्रय कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे। यदि पुनर्विक्रय या उसका प्रयत्न करने के परिणामस्वरूप प्रथम विक्रय से कम कीमत प्राप्त होती है या कोई व्यय करना पड़ता है तो उसकी पूर्ति और भुगतान व्यतिक्रमी क्रेता को करना होगा और उसकी वसूली विक्रेता परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में कर सकेगा। यदि पुनर्विक्रय के परिणामस्वरूप अधिक कीमत प्राप्त होती है तो वह विक्रेता की होगी।

विक्रय-ज्ञापन—विक्रय की तारीख को निम्नलिखित विक्रय-ज्ञापन भरना होगा, अर्थात् :—

ज्ञापन

इसके साथ संलग्न विक्रय की विशिष्टियों में उल्लिखित सम्पत्ति का तारीख————को नीलाम द्वारा विक्रय किया गया। ————के————ने उक्त सम्पत्ति उक्त शर्तों के अधीन————रुपए में क्रय की। क्रेता ने क्रय कीमत के ————में से————रुपए का भुगतान, विक्रय की शर्तों में उल्लिखित निक्षेप के रूप में, ————को, जो विक्रेता का अभिकर्ता है, कर दिया है तथा शेष क्रय-कीमत विक्रेता को दे देने का करार किया है। विक्रेता और क्रेता ने उक्त शर्तों के अनुसार विक्रय पूरा करने का करार किया है।

क्रय धन ————रुपए

निक्षेप ————रुपए

अतिशय————रुपए

क्रेता ने,

1.————

2. ————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————

(क्रेता के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

————ने,

1. ————

2. ————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————

(हस्ताक्षर)

सूचना और विज्ञापन का प्रारूप

नीलाम सूचना

यह अधिसूचित किया जाता है कि भूमि और/या भवन में, जो*————————————पर स्थित है और लगभग————————————एकड़ है और जिसे————————————कहते हैं तथा जिसके,—

उत्तर में————————————है

पूर्व में————————————है

दक्षिण में————————————है

पश्चिम में————————————है,

भारत सरकार के सभी अधिकारों, हक और हितों का, उस पर विद्यमान संरचनाओं और लगे हुए वृक्षों सहित,———— में तारीख————————————को निम्नलिखित शर्तों** पर लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया जाएगा।

————————————

(हस्ताक्षर)

*विक्रय संबंधी विषयों का संक्षिप्त वर्णन करें।

**शर्तें कहां देखी जा सकती हैं, उल्लेख करें।

नीलामकर्ता की नियुक्ति के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में———————————————————————, जो———————————पर मैसर्स————के नाम और अभिनाम से नीलामकर्ता के रूप में कारबार कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें आगे "नीलामकर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है) के बीच आज तारीख——————को किया गया :

पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :

1. **नीलामकर्ता के कर्तव्य**—नीलामकर्ता को आज तारीख——————से तारीख —————तक (या जब तक कि यह करार इसमें आगे उपबंधित रूप में पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता) नीलामकर्ताओं के पैनल का सदस्य नियुक्त किया जाता है और वह ऐसी सम्पत्ति का लोक नीलाम द्वारा विक्रय करेगा जिसे सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली [जिसे इसमें आगे "सचिव" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता (जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञात है, भी हैं], पार्श्व में वर्णित क्षेत्र में नीलाम द्वारा व्ययन के लिए, अपने विवेकानुसार, समय-समय पर उसे सौंपे/नीलाम स्वयं नीलामकर्ता या उसके स्थायी कर्मचारिवृन्द में से कोई कर्मचारी करेगा, जब तक कि नीलाम किसी अन्य सदस्य द्वारा कराए जाने के लिए सचिव की लिखित रूप से मंजूरी नहीं ले ली जाती। ऐसे सभी नीलामी में, नीलामी का पर्यवेक्षण करने के लिए और स्थल पर सबसे ऊंची बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय करने के लिए, सचिव या उसका सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। नीलामकर्ता, इस संविदा की विषयवस्तु के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बोली प्राप्त करने और ऐसी बोली सरकार की ओर से सचिव के प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किए जाने या न किए जाने के लिए उस पर छोड़ देने और बोली मंजूर कर ली जाने पर संविदा पूरी करने के लिए, सरकार का अभिकर्ता मात्र होगा। नीलामकर्ता किसी बोली की स्वीकृति या अभिस्वीकृति के बारे में, ऐसे प्रतिनिधि के विनिश्चय के अनुसार कार्य करने के लिए, आबद्ध होगा।

2. **विक्रय-विज्ञापन**—नीलामकर्ता, स्टाकधारक और पर्यवेक्षण अधिकारी से परामर्श करके, अपने खर्च पर, माल सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची की उपलभ्यता, उसे सौंपे गए नीलाम-विक्रय का समय और स्थान, पर्चों द्वारा और ऐसी सभी रीतियों से, जिनमें सामचारपत्रों के माध्यम से विज्ञापन भी सम्मिलित है, कम से कम 10 दिन पूर्व इस प्रकार विज्ञापित करेगा कि उसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित हो सके, और ऐसे नीलाम-विक्रय सभी तरह से ऐसी रीति से करेगा जो सरकार के सर्वाधिक हित में हैं। यदि सचिव को वांछनीय लगता है तो वह भी सरकार के खर्च पर, ऐसे नीलाम-विक्रय का सार्वजनिक समाचारपत्रों आदि में विज्ञापन दे सकेगा।

3. **विक्रय की शर्तों का अवधारण**:—(i) नीलामकर्ता उसे सौंपे गए सभी विक्रयों का संचालन, इस करार के निबन्धनों और इसकी तृतीय अनुसूची में उपवर्णित विक्रय की शर्तों और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा, जो सचिव या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि समय-समय पर विहित करें।

(ii) नीलाम पूरा होने पर या प्रत्येक दिन के विक्रय की समाप्ति पर (जब एक ही दिन में विक्रय पूरा नहीं होता है) नीलामकर्ता सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को, स्वीकार की गई बोलियों की सूची और विक्रय तथा क्रेताओं से संबंधित ऐसी जानकारी देगा जैसी अपेक्षित हो। नीलामकर्ता प्रतिदिन विक्रय के अन्त में, बोली लगाने वालों द्वारा दिए गए अग्रिम धन या विक्रय मूल्य निक्षेप मद्धे उसके द्वारा एकत्र की गई कुल रकम के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी से एक सेना प्रापक आदेश प्राप्त करेगा। वह सरकार की ओर से इस प्रकार संगृहीत पूरी धनराशि सरकारी खजाने में, यदि संभव हो तो उसी दिन या अधिक से अधिक अगले कार्य दिवस, तक, जमा कर देगा और खजाना रसीद सचिव के प्रतिनिधि को अग्रेषित कर देगा।

4. **अग्रिम धन संग्रहण**—घनपात हो जाने पर नीलामकर्ता, स्वीकार की गई प्रत्येक ऐसी बोली या बोलियों के लिए, जो अनुमोदन के लिए खुली हैं, बोली लगाने वाले से, उतनी रकम जो उसकी बोली की राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं है, नकद या मांगधन के रूप में, उसकी बोली और क्रय आशय की पुष्टि के रूप में, एकत्र करेगा। यदि उक्त बोली लगाने वाला अग्रिम धन का संदाय करके अपनी बोली पुष्ट करने में असफल रहता है तो उसकी बोली तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और संबंधित माल पुनः नीलाम किया जाएगा। यदि नीलामकर्ता, अग्रिम धन लिए बिना, कोई बोली अन्तिमतः स्वीकार करता है तो वह सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को, मांग की जाने पर और कोई आपत्ति किए बिना, उतनी रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा। इसका किसी ऐसे अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे भंग के कारण प्राप्त हो।

87-M/P(N)227MofLJ&CA—12

5. **विक्रय कर का संग्रहण और निक्षेप**—नीलामकर्ता को, माल के नीलाम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कमीशन के आधार पर, नीलाम करने के लिए केवल दलाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलामकर्ता का उस माल पर कोई प्राधिकार या कब्जा नहीं होगा जो सरकार की सम्पत्ति है और स्थल पर सचिव का उपस्थित प्रतिनिधि किसी बोली को अन्तिमत अनुमोदित या अननुमोदित कर सकेगा। उन परिस्थितियों में नीलामकर्ता नीलाम-विक्रय पर कोई विक्रय कर संगृहीत नहीं करेगा।

राज्यों में, जहां रक्षा सेवा प्राधिकारी व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और/या व्यौहारी के रूप में विक्रय-कर के लिए दायी है, किए गए सभी नीलाम विक्रयों पर क्रेताओं से विक्रय कर का संग्रहण, अतिशेष, अविक्रय-मूल्य, के साथ, इसके खंड 6 में विहित रीति से, किया जाएगा। अन्य राज्यों में नीलाम-विक्रय से उद्भूत विक्रय-कर के लिए स्टाकधारण दायी होगा और इस प्रयोजनार्थ नीलामकर्ता स्टाकधारक को ऐसी सभी युक्तियुक्त सहायता देगा जिसकी वह समय-समय पर मांग करे।

6. **अतिशेष का संग्रहण और निक्षेप**—(i) क्रेता विक्रय-मूल्य की बकाया रकम, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर, विक्रय के दिन से छह कार्य-दिवस के भीतर भारतीय स्टेट बैंक/सरकारी खजाने में सेना प्रापक आदेश पर संदत्त करेगा और संबंधित रक्षा लेखा के नियंत्रक के पक्ष में उसकी रसीद प्राप्त करेगा अथवा अपने विकल्पानुसार, नकद राशि नीलाम विक्रय के दौरान नीलामकर्ता को संदत्त कर देगा। विशेष मामलों में, जहां किसी नीलाम-विक्रय के पर्यवेक्षक अधिकारी की राय है कि खजाना रसीद प्राप्त करने में संभवतः क्रेता को इस कारण असम्यक् रूप से असुविधा होगी कि नीलाम-विक्रय स्थल से या क्रेता द्वारा दिए गए पते से निकटतम भारतीय स्टेट बैंक की शाखा/सरकारी खजाना काफी दूर है, ऐसा पर्यवेक्षक अपने विवेकानुसार, सेना प्रापक आदेश पर निकटतम खजाने में संदाय करने की अनुमति दे सकेगा। नीलामकर्ता, क्रेता से, अतिशेष रकम की बाबत खजाना रसीदें अनुबंधित अवधि के भीतर प्राप्त करके उन्हें सचिव के स्थानीय प्रतिनिधि को तुरन्त भेज देगा। नीलामकर्ता विक्रय के दौरान अपने द्वारा शोध्य अतिशेष रकम मद्दे संगृहीत नकद रकम, ऊपर पैरा, 3 (ii) के अनसार संगृहीत अग्रिम-धन की रकम के साथ, सरकारी खजाने में जमा कर देगा। नीलामकर्ता, स्वीकृत बोलियों की एक सूची और व्यतिक्रमों का ब्यौरा भी नीलाम-विक्रय के 6 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(ii) यदि किसी माल की बाबत बोलियां, सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि के विनिश्चय पर आश्रित हैं तो नीलामकर्ता खजाना रसीद, ऐसी बोली स्वीकार की जाने की सूचना की तारीख से छह कार्य-दिवस के भीतर क्रेता से प्राप्त करेगा।

(iii) सभी मामलों में नीलामकर्ता द्वारा वसूल किया गया धन, चाहे वह अग्रिम धन के रूप में हो या चाहे विक्रय मूल्य के पूर्ण संदाय के रूप में अथवा अन्यथा, भारत के राष्ट्रपति की ओर से उसके पास न्यास के रूप में रहेगा और वह उसके संबंध में, इस करार में वर्णित रीति से ही कार्यवाही करेगा।

7. **नीलामकर्ता का कमीशन और उसके संदाय का ढंग**—(i) नीलामकर्ता के कमीशन का अवधारण, सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि, नीलाम पूरा हो जाने के पश्चात् तथा विक्रय किए गए माल के विक्रय मूल्य के लिए नीलामकर्ता द्वारा सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को खजाना रसीद प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् करेगा, और वह अलग से संदेय होगा।

(ii) नीलामकर्ता वसूल किए गए धन पर कमीशन के लिए अपना दावा, सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेगा जो उसकी सावधानी से जांच करके आवश्यक प्रमाणन के पश्चात् उसे, संदाय के लिए, संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक को भेज देगा तथा उसकी सूचना नीलामकर्ता को देगा।

(iii) नीलामकर्ता विक्रय आगम पर कमीशन के लिए हकदार इसकी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ही होगा परन्तु सर्वदा यह कि जब कोई बोली स्वीकार कर ली जाती है और पूरा संदाय न किए जाने के परिणामस्वरूप अग्रिम धन सरकार के खाते जमा कर दिया जाता है तब नीलामकर्ता सरकार के खाते जमा अग्रिम धन की कुल रकम पर ही कमीशन का हकदार होगा। नीलामकर्ता ऐसे किसी माल पर, जो नहीं बिका है या जो भंडार में नहीं है, कोई कमीशन पाने का हकदार नहीं होगा और न ही वह ऐसे किसी विक्रय या विक्रय के भाग पर कमीशन का हकदार होगा जिसे किसी भी समय और किसी भी कारणवश इस बात का विचार किए बिना कि ऐसे विक्रय की बाबत उसका कमीशन उसे दे दिया गया है या नहीं, रद्द कर दिया जाता है, और इस प्रकार संदत्त कमीशन की वसूली सचिव या उसके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

8. **नीलामकर्ता बोली नहीं लगाएगा**—नीलामकर्ता, सचिव की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी नीलाम में, जो सरकारी नीलामकर्ताओं द्वारा किया जाता है, न तो स्वयं और न किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी माल के लिए बोली लगाएगा न उसे क्रय करेगा और न उसमें कोई हित प्राप्त या अर्जित करेगा।

8क. **नीलामकर्ता द्वारा सरकार की क्षतिपूर्ति**—नीलामकर्ता, इस करार के प्रोद्भूत कारबार के अनुक्रम में, नीलामकर्ता या उसके सेवक या अभिकर्ताओं द्वारा किए गए किसी दूर्व्यपदेशन या कपट के कारण सरकार द्वारा उपगत किसी खर्च और व्यय के लिए अथवा, उठाई गई किसी हानि और नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी और जिम्मेदार होगा। नीलामकर्ता यह करार और वचनबंध करता है कि वह उस सभी खर्च और व्यय के लिए अथवा हानि और नुकसान के लिए, जो नीलामकर्ता और/या उसके सेवक या अभिकर्ताओं की ओर से किए गए, दुर्व्यपदेशन या कपट के कारण या परिणामस्वरूप सरकार को, यथास्थिति, उपगत करना पड़ता है या उठाना पड़ता है, सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा तथा उसे हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा।

9. **प्रतिभूति निक्षेप**—नीलामकर्ता, ने इस विलेख के अधीन अपनी सभी बाध्यताओं की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में इसकी द्वितीय अनसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में 10,000 रु० सचिव के पास निक्षिप्त कर दिए हैं, जिसका पृष्ठांकन संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक को किया गया है। यह प्रतिभूति निक्षेप 2,00,000 रु० प्रतिमास तक के कारबार के लिए पर्याप्त होगी। यदि वस्तुतः वसूल किया गया धन इस रकम से अधिक होता है तो सचिव का स्थानीय प्रतिनिधि, अपने विवेकानुसार प्रति 1,00,000 रु० या उसके भाग के लिए 5,000 रु० की दर से अतिरिक्त रकम निक्षिप्त करने की मांग कर सकता है और नीलामकर्ता ऐसी किसी मांग की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होगा।

10. **संविदा भंग को जाने पर उपचार**—यदि नीलामकर्ता इस विलेख के अधीन अपनी किसी बाध्यता को पूरा नहीं करता है और/या संविदा के अधीन कोई धन नीलामकर्ता से वसूलनीय और उसके द्वारा संदेय रहता है तो भारत के राष्ट्रपति को, नीलामकर्ता की ओर से कोई कार्रवाई की जाने या न की जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाने के अधिकार पर, जिसमें ऐसे धन की बाबत नीलामकर्ता द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए उसे अभियोजित करना भी सम्मिलित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह भी अधिकार होगा कि वह ऐसे प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करे जिसके दौरान खजाने में कोई संदाय बकाया रहता है। ऊपर खंड 6 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन सम्मिलित नहीं हैं। भारत के राष्ट्रपति को पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग को विनियोजित करने और ऐसे सरकारी वचनपत्रों का, जो पूर्णतः, या भागतः ऐसी प्रतिभूति का गठन करते हों, विक्रय करने या उन्हें रद्द करने का भी हक होगा। यह कार्य सचिव या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नीलामकर्ता के पते पर लिखित रूप में सूचना भेज कर, कर सकेगा। नीलामकर्ता ऐसी सूचना को, इस खंड के अधीन भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित शक्ति के विधिमान्य प्रयोग के रूप में, स्वीकार करेगा। ब्याज का संदाय करने के इस करार से, नीलामकर्ता को कोई उधार या अग्रिम देना विकसित नहीं है।

11. **प्रतिदाय**—इस करार की समाप्ति और नीलामकर्ता द्वारा उसके सम्यक अनुपालन के पश्चात् और उसके द्वारा वे बाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर और सचिव या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि नीलामकर्ता से कुछ भी शोध्य नहीं है, प्रतिभूति की पूरी रकम या इसके अधीन किए गए समपहरण की रकम काट कर शेष बची रकम, उसे वापस लौटा दी जाएगी परन्तु सर्वदा यह कि सरकार की अभिरक्षा में रहते हुए उस पर ब्याज या उसकी किसी हानि या अवक्षयण की बाबत, सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

12. **करार की समाप्ति**—सचिव या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नीलामकर्ता को बिना, कोई कारण बताए एक मास की लिखित स्वहस्ताक्षरित सूचना देकर या यदि नीलामकर्ता, उसे सौंपे गए कारबार का संचालन, सचिव को पूर्ण समाधानप्रद रूप से नहीं करता है, जिसकी बाबत सचिव या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय अन्तिम होगा या यदि नीलामकर्ता के कारबार का अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा से परिसमापन हो जाता है या वह दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करता है या वह अपने लेनदारों से समझौता कर लेता है तो कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय, इस करार को समाप्त कर सकेगा। नीलामकर्ता भी सचिव को एक मास की लिखित पूर्व स्वहस्ताक्षरित सूचना देकर इस करार को किसी भी समय समाप्त कर सकेगा। यदि करार पूर्वोक्त में से किसी भी रीति में समाप्त कर दिया जाता है तो 40,000 रु० का उक्त निक्षेप (इसके खंड 9 की शर्तों के अधीन रहते हुए) नीलामकर्ता को, उसके लिखित आवेदन पर, वापस लौटा दिया जाएगा।

यदि संविदा की अवधि के दौरान स्वत्वधारी की या पूर्वोक्त भागीदारों में से किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है या भागीदारी विघटित कर दी जाती है तो सचिव को अपने व्यक्तिगत विवेकानुसार यह अधिकार होगा कि वह संविदा को ऐसी तारीख से समाप्त कर दे जो वह विनिर्दिष्ट करे और संविदा के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि के कारण या किसी अन्य आधार पर प्रतिकर का कोई दावा सचिव के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। जब तक सचिव संविदा को उस प्रकार विनिर्दिष्ट रूप से समाप्त नहीं करता, संविदा सभी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बनी रहेगी।

मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, उसके सह-स्वामी या सहभागीदार, स्वत्वधारी, या भागीदारों में से किसी की मृत्यु हो जाने की सूचना, उसकी मृत्यु होने के एक सप्ताह के भीतर, सचिव को देंगे।

13. **भंडार की देखभाल**—यदि नीलाम के लिए कोई सामान नीलामकर्ता के परिसर में है तो नीलामकर्ता उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, तब तक जिम्मेदार होगा जब तक वह सामान वहां रखता है, और ऐसी सभी हानि या नुकसान के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा जो उक्त माल को, उसकी अभिरक्षा के दौरान हो।

14. नीलामकर्ता को किसी नियत अवधि में नीलाम के लिए जो सामान सौंपा जाएगा उसके मूल्य या मात्रा के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जाएगी और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जाएगा कि नीलामकर्ता की सेवाओं का वास्तव में उपयोग नहीं किया गया है।

15. माध्यस्थम्—इस करार या इसकी विषय-वस्तु से या इसके संबंध में या इस करार के अधीन या उसके संबंध में पक्षकारों के अपने अपने अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें अभिव्यक्त रूप से उपबन्ध है) किसी ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे जो भारत सरकार के उस मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा जो ऐसे नामनिर्देशन के समय संविदा के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई करता है और यदि उस मंत्रालय का कोई सचिव नहीं है तो उस व्यक्ति को निर्देशित किए जाएंगे जो ऐसे नामनिर्देशिन के समय उस मंत्रालय का प्रशासनिक प्रधान है। ऐसी किसी नियुक्ति के संबंध में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कोई सरकारी सेवक है और यह कि उसे ऐसे विषयों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है तथा यह कि वह ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार प्रकट कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबंधन यह है कि यदि ऐसे मध्यस्थ का, जिसे मामला मूल रूप में निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरण हो जाता है या वह त्यागपत्र देकर या अन्यथा अपना पद छोड़ देता है या वह किसी कारणवश कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद रिक्त किए जाने या कार्य करने में असमर्थ हो जाने के समय उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान, इस करार के निबन्धनों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उक्त निर्देश के संबंध में कार्यवाही उस प्रक्रम से आगे करेगा जहां उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा है। इस करार का यह भी एक निबंन्धन है कि मंत्रालय के उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान द्वारा पूर्वोक्त रूप से नामनिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है तो मामला माध्यस्थम् के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। मध्यस्थ अधिनिर्णय देने का समय, पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर बढ़ा सकेगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसका कोई कानूनी उपान्तरण या पुर्नअधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियम, जो उस समय प्रवृत्त हों, ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे और यह विलेख ऐसे मध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

16. यदि ऐसी किसी सम्पत्ति के, जिसका व्ययन किया जाना वांछित है, प्राप्त करने के संबंध में या सचिव के साथ किए गए इस करार के या किसी अन्य करार के निष्पादन के संबंध में नीलामकर्ता या उसका भागीदार, अभिकर्ता या सेवक अथवा उसकी या उनकी ओर से कोई व्यक्ति (चाहे नीलामकर्ता की जानकारी से या उसके बिना) सरकार के किसी अधिकारी, सेवक, प्रतिनिधि या अभिकर्ता, और/या बोली लगाने वाले किसी व्यक्ति या सम्भावित किसी क्रेता को कोई रिश्वत, कमीशन, दान या फायदा देता/पहुंचाता है या उसके लिए वचन देता है या उसकी प्रस्थापना करता है तो नीलामकर्ता के ऐसे रिश्वत, कमीशन, दान या फायदे के कारण उपगत किसी दाण्डिक दायित्व के अतिरिक्त, यह करार भी रद्द किया जा सकेगा और नीलामकर्ता ऐसे रद्द किए जाने के कारण होने वाली किसी हानि के लिए सरकार को संदाय भी करेंगे।

17. पक्षकारों ने यह करार किया है कि इस दस्तावेज के स्टाम्प शुल्क का संदाय सरकार करेगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव ने—

1. ————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :

सचिव, रक्षा मंत्रालय

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से

नीलामकर्ता,————ने

1. ————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————(साक्षी के हस्ताक्षर)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

नीलामकर्ता (हस्ताक्षर)

पहली अनुसूची

नीलामकर्ता को देय कमीशन

विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का वर्णन	प्रत्येक कलैण्डर मास में शुद्ध विक्रय आगम के प्रतिशत के रूप में देय कमीशन की अनुसूची दर
सभी सामान जिनमें लोह और अलोह धातु, मशीनरी, एम० टी०यान, कपड़ा, टेक्सटाइल, टाट, पशु और अन्य सामान आदि सम्मिलित है ।	प्रथम————रुपए पर————प्रतिशत ————से————रुपए तक————प्रतिशत ————से————रुपए तक————प्रतिशत ————से अधिक रुपए पर————प्रतिशत

टिप्पण :—प्रत्येक मासिक विक्रय आगम पर, स्लैबवार कमीशन की गणना कर ली जाएगी और तत्पश्चात् समस्त मासों की ऐसी कमीशन को जोड़ कर कुल देय कमीशन निकाल ली जाएगी।

*दूसरी अनुसूची

प्रतिभूति निक्षेप की विशिष्टियां

रकम	प्रतिभूति का ब्यौरा	ब्याज की दर	किसे पृष्ठांकित की गई

*इसे तभी भरा जाए जब निविदा स्वीकार कर ली गई हो और प्रतिभूति जमा कर दी गई हो ।

तृतीय अनुसूची

विक्रय की शर्त

बोली लगाने के लिए प्राधिकार का होना अनिवार्य—जहां सचिव रक्षा मंत्रालय, जिसे इसमें आगे "सचिव" कहा गया है या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यकत: प्राधिकृत व्यक्तियों ने आरक्षित कीमत नियत की है वहां उस कीमत की वसूली अधीन रहते हुए सभी विक्रय, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को किए जाएंगे कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बोली लगाता है ऐसे अन्य व्यक्ति से ऐसा लिखित प्राधिकार पत्र लाएगा जो उसे नीलाम विक्रय से संबंधित सभी मामलों में ऐसे अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हो। ऐसे प्राधिकार के बिना यदि कोई बोली स्वीकार कर ली जाती है तो वह वास्तविक बोली लगाने वाले के नाम में रजिस्टर कर ली जाएगी और वह व्यक्ति ऐसी किसी हानि आदि के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा जो समुचित प्राधिकार के बिना उसकी कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकार को होती है। बोली लगाने वालों के बीच किसी विवाद की दशा में, विवाद का विनिश्चय विक्रय-पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाएगा और विवादग्रस्त वस्तुओं को, उसके विवेकानुसार पुन: नीलाम किया जाएगा। ऐसी स्वीकृति के बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम और नीलाम में बोली लगाने वाले सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

नीलामकर्ता, सरकार का अभिकर्ता मात्र होगा—नीलामकर्ता को जो ऊंची से ऊंची बोली प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता मात्र है, यह हक होगा कि वह नीलाम विक्रय का पर्यवेक्षण करने वाले सचिव के प्रतिनिधि के विनिश्चय के अनुसार, किसी व्यक्ति की किसी बोली को, कोई कारण बताए बिना, स्वीकार करने से इंकार कर दे।

2. **बोलियां स्वीकार कर ली जाने पर संदाय**—(क) धनपात के पश्चात् अग्रिम धन के रूप में बोली की रकम के कम से कम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) का नकद संदाय किया जाएगा। किन्तु नीलामकर्ता बोली समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् ही, बिना कोई कारण बताए, अग्रिम धन के रूप में बोली की रकम के 25 प्रतिशत से अधिक की भी मांग कर सकता है। ऐसी अधिक रकम बोली की पूरी रकम के बराबर तक हो सकती है। ऐसा करते समय वह सभी मामलों में, विक्रय पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगा।

(ख) **धनपात पर अग्रिम धन का तुरन्त संदाय**—धनपात होने पर, यदि बोली लगाने वाला संबंधित व्यक्ति अपेक्षित अग्रिम धन का तुरन्त संदाय करने में असफल रहता है तो विक्रय रद्द हो जाएगा और माल पुन: नीलाम किया जाएगा और ऐसा होने पर बोली लगाने वाला संबंधित व्यक्ति, माल की पुन: नीलामी के कारण उपगत सभी हानि और उठाए गए सभी खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा तथा ऐसे दायित्व का, विधि द्वारा प्राधिकृत कार्रवाई करने की बाबत सरकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) **बकाया विक्रय मूल्य का निक्षेप**—क्रेता नीलाम स्थल पर मंजूर की गई बोलियों के मूल्य की बकाया रकम का संदाय, भारतीय स्टेट बैंक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा सरकारी खजाने में संबद्ध नियंत्रक, रक्षा लेखा के पक्ष में, विक्रय के छह कार्य -दिवस के भीतर सैनिक प्रापक आदेश पर, करेगा या यदि वह चाहे तो ऐसी बकाया रकम का संदाय विक्रय के समय नीलामकर्ता को नकद कर सकेगा। यह क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह नीलाम-विक्रय के स्थान को छोड़ने के पूर्व बकाया विक्रय मूल्य जमा करने के लिए सचिव के स्थानीय प्रतिनिधि से सेना प्रापक आदेश प्राप्त कर ले । यदि क्रेता अनुबंधित तारीख तक विक्रय मूल्य की बकाया रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो संदाय करने की तारीख बढ़ाने के संबंध में और बढ़ाई जाने वाली अवधि के संबंध में विनिश्चय सचिव या उसका स्थानीय प्रतिनिधि स्वविवेकानुसार कर सकेगा। किन्तु ऐसा इस बात के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि क्रेता व्यतिक्रम वाले प्रत्येक दिन के लिए, विक्रय मूल्य के 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिकर का संदाय करे।

(घ) **विक्रय मूल्य के संदाय में असफलता के परिणाम**—यदि बोली लगाने वाला, क्रय किए गए किसी लाट के विक्रय-मूल्य की संपूर्ण बकाया रकम का अनुबंधित अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो उस लाट का विक्रय रद्द कर दिया जाएगा, अग्रिम धन, यदि उसका संदाय कर दिया गया है तो, समपहृत कर लिया जाएगा और जब भी सरकार ठीक समझे तब वह बोली लगाने वाले को कोई सूचना दिए बिना, ऐसे लाट का पुनर्विक्रय कर सकेगा; और ऐसे पुनर्विक्रय से हुई किसी हानि की वसूली बोली लगाने वाले से की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार माल के भंडारण, भांडागारकरण या हटाने का खर्च और उसके पुनर्विक्रय या पुनर्विक्रय के प्रयत्न में या इसके संबंध में हुए खर्च को बोली लगाने वाले से वसूल करने की हकदार होगी। इस पुन-र्विक्रय के कारण यदि कोई लाभ होता है तो वह सरकार का होगा।

(ङ) **क्रेता द्वारा करों का संदाय**—क्रेता, किसी प्रांतीय/स्थानीय विधि के अधीन देय सभी करों का संदाय, विक्रय मूल्य के अतिरिक्त, करेगा और क्रेता माल को तभी हटाने का हकदार होगा जब वह ऐसे करों के संदाय की रसीद बकाया कीमत की खजाना रसीद के साथ, प्रस्तुत कर देगा। यदि माल के विक्रय पर सरकार द्वारा कोई चुंगी शुल्क संदेय है तो क्रेता उसका संदाय, संदेय कीमत के अलावा करेगा। ऐसा संदाय विक्रेता की ओर से उसके द्वारा खजाने में किया जाएगा। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विक्रय की बाबत देय कोई अन्य कर भी क्रेता कीमत के अलावा, संदत्त करेगा।

(च) **प्रत्येक संदाय के लिए रसीद जारी करना**—नीलामकर्ता, प्राप्त किए गए सभी संदायों के लिए क्रेता को स्टाम्प लगी रसीद देगा और बोली लगाने वाली ऐसी रसीद, मांग की जाने पर, अवश्य प्रस्तुत करेगा।

3. **माल की दशा**—(क) माल जहां और जैसा पड़ा है वैसा ही बेचा जाता है। स्थल से संपूर्ण लाट या लाटों का माल चाहे उसके वर्णन में या अन्यथा कोई भी कमी या दोष हो, ले जाया जाएगा। सूचीपत्र में यथावर्णित परिमाण, क्वालिटी, आकार, माप, संख्या और भार अनुमानित हैं और उससे कोई गारंटी या वारंटी विवक्षित नहीं है। सामान इस उपधारणा के साथ विक्रय किया जाता है कि बोली लगाने वालों ने सामान का निरीक्षण कर लिया है और वे यह जानते हैं कि वे क्या क्रय कर रहे हैं, भले ही उन्होंने सामान का पहले निरीक्षण किया है या नहीं, तथा इस संबंध में क्रेता सावधान रहने वाला सिद्धान्त लागू होगा। इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी और किसी भी प्रकार के वर्णन पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) **भार, संख्या आदि के आधार पर विक्रय**—ऐसे विशेष मामलों में जिनमें सचिव का प्रतिनिधि सामान की किसी विशिष्ट मद या मदों का नीलाम, भार या संख्या के आधार पर, न कि लाट के आधार पर, करना चाहता है, वहां सामान नीलाम पर चढ़ाने से पूर्व इस आशय की घोषणा की जाएगी। ऐसे मामलों में बोलियां प्रत्येक नग, इकाई या भार के लिए लगाई जाएंगी। ली जाने वाली कीमत की संगणना, वस्तुतः परिदत्त भार या नगों पर आधार पर की जाएगी। किन्तु यह बात ऊपर पैरा (क) में यथा वर्णित लाटों से विक्रय को लागू नहीं होगा।

4. **जोखिम**—सचिव या उसके प्रतिनिधि द्वारा क्रेता का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की तारीख से माल सभी प्रकार क्रेता की जोखिम पर होगा और रहेगा और सरकार उस तारीख से उसके अन्तिम रूप से हटाए जाने की तारीख तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा या परिरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

5. **परिदान**—(क) नीलामकर्ता, बकाया देय रकम दर्शित करने वाली खजाना रसीद प्राप्त हो जाने पर क्रेता को के सचिव स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित विक्रय निर्मुक्ति आदेश देगा।

(ख) **माल का परिदान**—क्रेता विक्रीत माल को नीलाम के समय विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर उस स्थान से हटा लेगा जहां वह इकट्ठा किया गया था। परिदान सभी कार्य दिवसों पर केवल कार्य समय के दौरान किया जाएगा। स्टाकधारक द्वारा क्रेता को माल का परिदान तब किया जाएगा जब क्रेता स्टाकधारक को नीलामकर्ता की मार्फत जारी किए गए विक्रय निर्मुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत कर देगा और स्टाकधारक विक्रय निर्मुक्ति आदेश कीउक्त प्रति का मिलान विक्रय निर्मुक्ति आदेश की उस प्रति से कर लेगा जो उसे सीधे सचिव के स्थानीय प्रतिनिधि से प्राप्त हुई है। क्रेता परिवहन की स्वयं व्यवस्था करेगा और वह सचिव या उसके प्रतिनिधि या स्टाकधारक के परिवहन के लिए किसी सुविधा या सहायता का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(ग) यदि मूल क्रेता, क्रय किए गए सामान का परिदान किसी प्रतिनिधि की मार्फत लेना चाहता है तो उसे ऐसे प्रतिनिधि को एक प्राधिकार पत्र देकर प्राधिकृत करना होगा। यह प्राधिकार पत्र उस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके भारसाधन में उक्त सामान है। ऐसा अधिकारी अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसे प्राधिकार पत्र के आधार पर कार्रवाई करने से इंकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में क्रेता का यह काम होगा कि वह ऐसे अधिकारी का सभी प्रकार समाधान करे कि प्रस्तुत प्राधिकार पत्र असली है। यदि परिदान परोक्षी के माध्यम से लिया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी क्रेता की होगी और वह उसके जोखिम पर होगा और यदि गलत व्यक्ति को परिदान कर दिया जाता है तो किसी भी दशा में सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

6. **अपरिदान**—जहां माल लाट में विक्रय किया जाता है और संख्या या इकाईयों के रूप में नहीं वहां यदि कोई लाट उस परिमाण, क्वालिटी, आकार, माप, संख्या और भार से, जो सूची में बताया गया है, कम पाया जाता है तो क्रेता का पूर्ण विक्रय-धन या उसके किसी भाग के वापस लौटाए जाने के लिए अथवा फायदे की हानि, ब्याज, नुकसान या अन्यथा के लिए सरकार या नीलामकर्ता के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

जहां सामान भार या संख्या के आधार पर न बेचा जाकर लाटों के आधार पर बेचा जाता है और क्रेता, पूरे सामान का या उसके किसी भाग का परिदान प्राप्त करने में असफल रहता है वहां वह अपरिदत्त परिमाण के मूल्य के आनुपातिक प्रतिदाय से भिन्न कोई अन्य दावा करने का हकदार नहीं होगा। वह किसी अन्य लेखे किसी नुकसान, लाभ की हानि या ब्याज, या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

7. पुन: विक्रय को मान्यता नहीं दी जाएगी और निर्मुक्ति आदेश केवल वास्तविक क्रेता के नाम बनाया जाएगा।

8. **संदाय के पश्चात् परिदान लेने में असफलता**—जिन लाटों के लिए संदाय किया जा चुका है उन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, क्रेता के खर्च पर, पूर्णत: हटा लिया जाना आवश्यक है। यदि कोई लाट विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हटाया जाता है तो सचिव या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त लाट या लाटों अथवा उसके भाग को क्रेता की जोखिम और खर्च पर पुन: नीलाम कर सकता है और ऐसा करते समय वह ऐसी किसी हानि के अतिरिक्त, जो उसे ऐसा करने पर हो, उक्त लाट या लाटों या उसके भाग की मूल विक्रय कीमत के 1 प्रतिशत के 10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पुनर्विक्रय की तारीख तक (जिसमें पुनर्विक्रय की तारीख भी सम्मिलित है) प्रतिकर वसूल कर सकता है।

पुनर्विक्रय के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सचिव या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने विवेकानुसार, क्रेता को यह अनुज्ञा दे सकता है कि वह उक्त लाट या लाटों या उसके किसी भाग को बढ़ाई गई अवधि (अवधियों) के भीतर हटा ले किन्तु यह तब जब वह न हटाए गए लाट या लाटों अथवा उसके किसी भाग की विक्रय कीमत के एक प्रतिशत के 10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से प्रतिकर का, अन्तिम रूप से हटाए जाने की तारीख तक के लिए (जिसमें हटाने की तारीख भी सम्मिलित है), अग्रिम संदाय करे।

9. क्रेता परिसर को हुए ऐसे किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके द्वारा क्रय किए गए लाट या लाटों के वहां से ले जाए जाने या हटाए जाने के कारण हो। सचिव या उसका प्रतिनिधि अपने विवेकानुसार ऐसे नुकसान को ठीक करने की व्यवस्था करेगा और मांग की जाने पर क्रेता उसके लिए संदाय करेगा।

10. यदि नीलामकर्ता की यह राय है कि बोली लगाने वाले गुटबंदी कर रहे हैं और नीलाम में प्रस्थापित सामान के लिए उचित कीमतें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो नीलामकर्ता, विक्रय पर्यवेक्षण अधिकारी की सहमति से विक्रय बंद कर सकेगा।

11. नीलाम करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकृत सबसे ऊंची बोली की पुष्टि, भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में डिपो कमान्डेंट करेगा किन्तु उसे अपने विवेकानुसार उक्त सबसे ऊंची बोली अस्वीकार करने की शक्ति होगी।

12. सचिव को, सूची में विज्ञापित किसी लाट या किन्हीं लाटों को, कोई कारण बताए बिना, विक्रय से हटा लेने का अधिकार है किन्तु यह तब जब ऐसे लाट या लाटों के लिए नीलाम में कोई बोली स्वीकार न की जा चुकी हो।

13. यदि इस नीलाम-विक्रय से या उसके अधीन किसी धनराशि के संदाय का कोई दावा क्रेता के विरुद्ध उत्पन्न होता है तो किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार को यह हक होगा कि वह ऐसी धनराशि, इस संविदा के अधीन पुनः विक्रय के आगम में से या किसी ऐसी राशि में से काट ले जो सरकार के साथ की गई इस या किसी अन्य संविदा के अधीन क्रेता को उस समय देय है या तत्पश्चात् किसी समय देय हो जाए। यदि इस प्रकार काटी गई धनराशि वसूलीय पूरी रकम की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है तो क्रेता शेष शोध्य रकम, मांग की जाने पर, सरकार को देगा।

14. संविदा के अधीन ठेकेदार को शोध्य और संदेय कोई धनराशि (जिसमें उसे वापस करने योग्य प्रतिभूति निक्षेप भी सम्मिलित है) विक्रेता या सरकार द्वारा या सचिव की मार्फत संविदा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विनियोजित की जा सकेगी और विक्रेता या सरकार या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी ऐसे दावे के प्रति मुजरा की जा सकेगी जो विक्रेता या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा की गई किसी अन्य संविदा से या उसके अधीन प्रोद्भूत धनराशि के संदाय के लिए हो।

14क. नीलामकर्ता द्वारा और/या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा नीलाम के दौरान या उसके संबंध में किए गए किसी दुर्व्यपदेशन या कपट के लिए सरकार किसी भी प्रकार दायी नहीं होगी किन्तु नीलामकर्ता उसके लिए वैयक्तिक रूप से दायी और जिम्मेदार होगा।

15. **माध्यस्थम्**—इस करार या इसकी विषय-वस्तु से या उसके संबंध में या इस करार के अधीन या इसके बारे में पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें अभिव्यक्त रूप से उपबन्ध है) या किसी बोली की प्रस्थापना और उसके स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, संविदा से उत्पन्न होने वाले वे सभी प्रश्न, जिनके लिए पूर्ववर्ती खंडों में अभिव्यक्त रूप से कोई उपबन्ध नहीं है, या किन्हीं ऐसी विशेष शर्तों के संबंध में, जिनकी घोषणा नीलाम के समय और उससे पहले की जाती है, उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे जो भारत सरकार के उस मंत्रालय के सचिव द्वारा, और यदि उस समय उस मंत्रालय का कोई सचिव नहीं है तो उस मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा, नामित किया जाएगा, जो ऐसे नामनिर्देशन के समय संविदा के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई करता है। ऐसी किसी नियुक्ति के संबंध में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कोई सरकारी सेवक है और यह कि उसे ऐसे विषयों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है तथा यह कि वह ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार प्रकट कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबन्धन यह भी है कि यदि ऐसे मध्यस्थ का, जिसे मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरण हो जाता है या वह त्यागपत्र देकर या अन्यथा अपना पद छोड़ देता है या वह किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है तो उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान ऐसे स्थानान्तरण, पद रिक्त किए जाने या कार्य करने में असमर्थ हो जाने के समय इस करार के निबन्धनों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में कार्रवाई उस प्रक्रम से प्रारम्भ करेगा जहां उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा है। इस करार का एक निबन्धन यह भी है कि मंत्रालय के उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान द्वारा पूर्वोक्त रूप से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है तो मामला माध्यस्थम् के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसका कोई कानूनी उपान्तरण या पुनर्बंधि-नियमित और उसके अधीन बनाए गए नियम, जो उस समय प्रवृत्त हों, ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे और यह विलेख ऐसे माध्यस्थम के लिए एक निवेदन समझा जाएगा।

यूनिट कल्याण केन्द्र क्लिनिक चिकित्सक करार

1. प्रथम पक्षकार के रूप में कमान आफिसर,————————————(जिसके अन्तर्गत तत्समय कमान आफिसर के स्थान पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा आफिसर भी है, जिसे इसमें आगे "उक्त आफिसर" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में डा०————————————(जिसे इसमें आगे "चिकित्सक" कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसका अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख————————19————को किए गए करार का ज्ञापन ।

2. उक्त आफिसर इसमें आगे विनिर्दिष्ट अधिकार देने के लिए और चिकित्सक, कल्याण केन्द्र क्लिनिक स्थापित करने और संगठित करने के लिए सहमत हैं, अतः वे नीचे वर्णित शर्तों का पालन करने के लिए करार करते है :—

3. चिकित्सक उक्त आफिसर द्वारा बताए गए भवन में क्लिनिक स्थापित करेगा ।

4. डा०————————————को मास में मानदेय के रूप में————————रुपए और सवारी भत्ते के रूप में प्रतिमास————————रुपए दिए जाएंगे ।

5. कल्याण केन्द्र में चिकित्सक को कार्य-घंटें ग्रीष्म काल में————से————बजे तक और शीतकाल में————से———— बजे तक या रुग्णता रिपोर्ट प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो उस तक होगा ।

6. चिकित्सक सप्ताह में दो बार, अर्थात्————————और————————को यूनिट कल्याण केन्द्र जाएगा ।

7. चिकित्सक ऊपर पैरा 5 और 6 में उल्लिखित समय के अनुसार नियमित रूप में यूनिट कल्याण केन्द्र क्लिनिक जाएगा । यदि चिकित्सक अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी विशिष्ट अवसर पर यूनिट कल्याण केन्द्र क्लिनिक जाने में असमर्थ है तो ऐसी अनुपस्थिति को आगामी सप्ताह के दौरान क्लिनिक में अतिरिक्त बार जाकर पूरा किया जाएगा । ऐसा करनें में असफल रहने पर उस मास के लिए उसको संदेय मानदेय से प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए————रुपए की दर से कटौती कर दी जाएगी ।

8. चिकित्सक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे कार्मिकों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए, जो रोगग्रस्त पाए जाएं, दवाओं के नुस्खे लिखना ।

(ख) उन रोगियों को, जिन्हें विशेषज्ञ की राय/सलाह की आवश्यकता हो, सीधे सैनिक अस्पताल,....भेजना ।

9. चिकित्सक इस यूनिट के किसी भी व्यक्ति को न तो कोई दवा विक्रय करेगा और न किसी व्यक्ति से सिविल चिकित्सक के पास या किसी सिविल क्लिनिक में जाने को कहेगा ।

10. चिकित्सक,.....से संबंधित कार्मिकों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों से नुस्खा लिखने की कोई फीस नहीं लेगा ।

11. चिकित्सक कल्याण केन्द्र से संबंधित तथा समय-समय पर प्रकाशित सभी आदेशों का, जिनके अन्तर्गत यूनिट का दैनिक आदेश भाग I भी है, पालन करेगा ।

12. यह करार तारीख.....से.....तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि इसे नीचे बताई गई परिस्थितियों में पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता, अर्थात् :—

(क) दोनों में से कोई भी पक्षकार, कोई कारण बताए बिना दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में 30 दिनकी सूचना देकर यह संविदा समाप्त कर सकेगा ।

(ख) यदि वह क्षेत्र, जिसमें.....स्थित है, संक्रियागत घोषित कर दिया जाता है तो उक्त आफिसर चिकित्सक को कोई अग्रिम सूचना दिए बिना, यह संविदा समाप्त कर सकेगा ।

(ग) यदि यूनिट को उसके वर्तमान स्थान से बाहर चले जाने का आदेश दिया जाता है तो उक्त आफिसर चिकित्सक को कोई अग्रिम सूचना दिए बिना, यह संविदा समाप्त कर सकेगा ।

13. इसके साक्ष्यस्वरूप संविदाकारी पक्षकारों ने तारीख..... .....को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

.....
(कमान आफिसर के हस्ताक्षर)

पदनाम .....

तारीख .....

साक्षी

.....
(साक्षी क हस्ताक्षर)

पदनाम .....

तारीख .....

_____
(चिकित्सक के हस्ताक्षर)

पता _____

तारीख _____

H-87-M/P(N)227MofLJ&CA—13(a)

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

.... , अवयस्क को, जिसका मैं विधिक/नैसर्गिक संरक्षक हूं मेरे अनुरोध पर सेना के किसी अधिकारी या अन्य रैंक या भारतीय सेना के नियोजन में किसी अन्य व्यक्ति या सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति क भारसाधन में भारतीय सेना के यांत्रिक परिवहन में यात्री क रूप में ले जाने क प्रतिफलस्वरूप, मैं यह बचनबंध और करार करता हूं कि न तो मैं और न ही मेरे निष्पादक या प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि किसी हानि या, सपत्ति या व्यक्ति कोक्षति के, जिसके अन्तर्गत मृत्यु कारित करने वाली क्षति भी है, जो उक्त अवयस्क.....को उस समय हो जब उक्त अवयस्क को इस प्रकार ले जाया जा रहा हो या जब वह उक्त परिवहन पर चढ़ रहा हो या उससे उतर रहा हो, संबंध में सरकार या किसी आफिसर या अन्य रैंक या भारतीय सेना के किसी कर्मचारी के विरुद्ध या सरकार के सेवारत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा नही करूंगा और मैं यह समझता हूं और सहमत हूं कि किसी ऐसी हानि या क्षति के संबंध में सरकार या किसी आफिसर या अन्य रैंक या भारतीय सेना के कर्मचारी या सरकार के सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिकरसंद त्य नहीं किया जाएगा और मैं आपको, किसी आफिसर या अन्य रैंक या भारतीय सेना के कर्मचारी और सरकार के सेवारत किसी व्यक्ति को किसी दावे के विरुद्ध, जो आपके या उसके या उनमें से किसी के विरुद्ध किसी अन्य पक्षकार द्वारा किया जाए और जो भारतीय सेना के यांत्रिक परिवहन में ऐसी यात्रा के दौरान या उसके संबंध में उक्त अवयस्क की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुआ हो, क्षतिपूरित रखने के लिए स्वयं को अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों को आबद्ध करने के लिए भी करार करता हूं।

2. यह भी घोषणा की जाती है कि इस बचनबंध पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क आप द्वारा वहन किया जाएगा।

(संरक्षक के हस्ताक्षर)

.....तक विधिमान्य

साक्षी.....

पता.....

.....

.....

पता

गांव.....

डाकखाना .....

तहसील और जिला .....

.....

प्रतिहस्ताक्षर

यूनिट केन्टीन संविदा करार

1. यह करार, कमान अफिसर,————————,जिसे इसमें आगे उक्त आफिसर कहा गया है और मैसर्स/श्री——
————————, जिसे इसमें आगे 'ठेकेदार' कहा गया है, के बीच आज तारीख————————को किया गया ।

2. उक्त आफिसर ठेकेदार को नीचे विनिर्दिष्ट अधिकार देने के लिए और ठेकेदार निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिट जलपान केन्टीन चलाने के लिए सहमत हो गया है :—

(क) ठेकेदार, उक्त आफिसर द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य आफिसर द्वारा, इस करार के जारी रहने के दौरान, समय-समय पर जारी किए गए सभी शासकीय आदेशों और विनियमों का पालन करेगा ।

(ख) ठेकेदार अपना धन लगा कर यूनिट क्षेत्र में निम्नलिखित को चलाएगा :—

(i) जलपान केन्टीन

(ii) जनरल स्टोर (केन्टीन सामान विभाग से भिन्न मदें)

(iii) कपड़े की दुकान ।

3. उक्त आफिसर व्यापार की उक्त सूची में ऐसी मदें, जो वह आवश्यक समझे, सम्मिलित कर सकेगा या निकाल सकेगा । यदि यह करार, इसमें आगे विनिर्दिष्ट किसी सुसंगत खण्ड के अधीन, पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तो वह————————से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा । इस करार की अवधि बढ़ाई जा सकेगी परन्तु यह तब जब ठेकेदार की सेवाएं उक्त आफिसर को समाधानप्रद लगें ।

4. दरें, बाजार दरों पर 3 प्रतिशत अधिभार (जो समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा), के अधीन रहते हुए समय-समय पर कमान आफिसर द्वारा नियत की जाएंगी ।

5. ठेकेदार केन्टीन लेखा, समय-समय पर चालू अपेक्षाओं के अनुसार रखेगा और अनियमितताएं उक्त आफिसर के ध्यान में लाएगा । वह अपने उपयोग के लिए सभी लेखन-सामग्री की व्यवस्था करेगा । उक्त ठेकेदार निम्ननिखित करार करता है :—

(क) ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक पाए जाते हैं और जिनके चरित्र का पुलिस ने सत्यापन कर दिया हो । उक्त आफिसर को, केन्टीन के परिसर से ऐसे किसी कर्मचारी को हटाने का अधिकार है जिसे यह अवांछनीय समझे ।

(ख) अपने कब्जाधीन स्थान के लिए, सैनिक इंजीनियरी सेवा प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर किराए का और विहित नियमों के अधीन जल और विद्युत प्रभारों जैसे सहबद्ध प्रभारों का, संदाय करेगा ।

(ग) आस-पास के क्षेत्र सहित केन्टीन को सदैव पूर्णतया साफ-सुथरा रखेगा । वह यह भी देखेगा कि उसके कर्मचारियों को यूनिट द्वारा जारी किए गए पास, उनके पास हैं ।

6. केन्टीन ठेकेदार रिबेट के रूप में, यूनिट को प्रत्येक मास की पांच तारीख तक कुल————————रुपए (केवल ————————रुपए) का संदाय करेगा । इस रिबेट का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।

7. उक्त आफिसर निम्नलिखित किसी भी कारणवश यह करार, कोई सूचना दिए बिना, समाप्त कर सकेगा :—

(क) यदि उक्त क्षेत्र सैनिक संक्रियाओं से सम्बद्ध हो जाता है या ऐसे कोई अन्य सुरक्षा संबंधी कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जो ठेकेदार को प्रकट करना आवश्यक नहीं हैं ।

(ख) यदि ठेकेदार इस करार की किसी शर्त या नियम को भंग करता है । इस बाबत उक्त आफिसर का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा ।

(ग) यदि यूनिट को, किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करने का आदेश दे दिया जाता है और ठेकदार की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती है ।

(घ) यदि ठेकेदार, उक्त आफिसर से उसके द्वारा की गई इस संविदा के बारे में कपट का दोषी पाया जाता है ।

(ङ) यदि ठेकेदार उक्त आफिसर के लिखित अनुमोदन के बिना संविदा समनुदेशित कर देता है या उपपट्टे पर दे देता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है ।

(च) यदि ठेकेदार या उसके कर्मचारी यूनिट परिसर में अप्राधिकृत कारबार करते हुए या यूनिट लाइन्स में कोई अवांछनीय क्रियाकलाप करते हुए, जो सैनिक अनुशासन में बाधा पहुंचाते हैं, पाए जाते हैं ।

8. उक्त आफिसर द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य आफिसर द्वारा मौखिक या लिखित रूप में जारी किए गए आदेशों का, उक्त ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए उक्त ठेकेदार द्वारा संदेय जुर्माने की किसी रकम को उक्त आफिसर बढ़ा सकेगा ।

9. ठेकेदार को बैरकों और तम्बू में व्यापार करने के समस्त अधिकार होंगे । उक्त आफिसर, कारबार या व्यवसाय करने वाले उन अन्य लोगों को ऐसा कारबार/व्यवसाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो उसकी राय में ठेकेदार के विधि संगत कारबार में जो ठेकेदार उस संस्थान और उसे आबंटित दुकानों में कर रहा हो, बाधा नहीं डालेगा ।

करार : यूनिट केन्टीन प्रबन्ध

1. यह करार ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में कमान आफिसर———————— रेजीमेंट, जिसे इसमें आगे "उक्त आफिसर" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ———————————— जो, श्री———————————— का पुत्र है तथा जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उसके अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख ———————————— को किया गया।

2. उक्त आफिसर इसमें नीचे विनिर्दिष्ट एकल अधिकार देने के लिए सहमत हो गया है और ठेकेदार निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर एक आर्द्र बार (एलकोहल रहित), दर्जी की दुकान, साइकिल की दुकान, मोची की दुकान, मकान और स्थानीय रूप में क्रीत मदें [केवल सी. डी. एस. (मा०) मदों को छोड़कर], सिले-सिलाए वस्त्रों की दुकान का प्रबन्ध और उन्हें चलाने का वचनबंध करने का करार करते हैं, अर्थात् :—

(क) ठेकेदार, अपने करार के चालू रहने के दौरान, जारी किए गए और प्रवृत्त सभी आदेशों और विनियमों का पालन करेंगे।

(ख) वह क्षेत्र, जिसमें ठेकेदार अपना व्यापार करेंगे, ———————————— रेजीमेंट की यूनिट लाइनों तक सीमित रहेगा। इसे आगे "उक्त क्षेत्र" कहा गया है।

(ग) ठेकेदार केवल वे कीमतें प्रभारित करेंगे जो रेजीमेंट बाजार समिति के माध्यम से उक्त आफिसर समय-समय पर नियत करेगा।

(घ) स्थानीय रूप में क्रय की गई सभी मदों [सी. एस. डी. (मा०) से भिन्न] के लिए ठेकेदार द्वारा प्रभार्य विक्रय-दरें चालू बाजार दरों से अधिक नहीं होंगी।

3. कोई बाहरी फेरी वाले या व्यापार उक्त क्षेत्र में अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

4. ठेकेदार उक्त आफिसर द्वारा अधिकथित निम्न सीमाओं तक ही उधार दे सकेगा :—

	अकेला होने पर		कुटुम्ब के साथ होने पर	
	रु०	पै०	रु०	पै०
(क) मेजर				
(ख) कैप्टन/लेफ्टीनेंट				
(ग) कनिष्ठ आयुक्त आफिसर				
(घ) हवलदार/नायक				
(ङ) तोपची				

5. यूनिट का कोई भी व्यक्ति तब तक स्थानान्तरण, वार्षिक छुट्टी या पाठ्यक्रम पर जाने के लिए स्टेशन नहीं छोड़ेगा जब तक वह ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।

6. ठेकेदार, उक्त आफिसर के पास ————————————रुपए (केवल————————————रुपए) की राशि तुरन्त जमा करेगा। यदि उक्त आफिसर की राय में ठेकेदार संविदा में अधिकथित किसी शर्त के अतिलंघन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो यह रकम भागतः या पूर्णतः समपहृत की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में उक्त आफिसर का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी स्थिति में उसे विवादग्रस्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा जमा की गई उक्त रकम, संविदा समाप्त हो जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा उन्हें ब्याज के बिना, वापस कर दी जाएगी।

7. कोई भी पक्षकार, कोई कारण बताए बिना, दूसरे पक्षकार को 60 दिन की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा।

8. उक्त आफिसर यह करार, कोई सूचना दिए बिना, निम्नलिखित किसी भी कारण से समाप्त कर सकेगा :—

(क) यदि यूनिट भंग कर दी जाती है ;

(ख) यदि ठेकेदारों को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है,

(ग) यदि इसमें उल्लिखित किसी भी शर्त का ठेकेदारों द्वारा भंग किया जाता है ।

9. अनुज्ञात किए जाने पर ठेकेदार यूनिट के साथ अपनी कैन्टीन ले जाने के लिए तैयार हैं, परन्तु वह तब जब इसके लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक रेल व्यवस्था या परिवहन व्यवस्था कर दी जाए ।

10. यदि किसी भी कारणवश इस करार को समाप्त कर दिया जाता है तो ठेकेदार अपना भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति हटा लेंगे और उसका व्ययन कर देंगे ।

11. यदि ठेकेदारों द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई रिश्वत/परितोषण दिया जाता है, देने का वचन किया जाता है या उसकी प्रस्थापना की जाती है तो, ठेकेदारों के किसी आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त, यह संविदा रद्द की जा सकेगी ।

12. पैरा 1 में उल्लिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिफलस्वरूप, ठेकेदार रिबेट के रूप में प्रति मास ——— ——— रुपए (केवल ——— रुपए) की राशि उक्त आफिसर को संदत्त करने का करार करता है । जब यूनिट वास्तविक रूप से युद्धरत होगा तो युद्ध की अवधि और संघर्ष समाप्त होने के दस दिन बाद तक के लिए ठेकेदारों पर कोई रिबेट प्रभारित नहीं की जाएगी । किन्तु सेना की पिछली टोली के सम्बन्ध में ——— रुपए की दर से रिबेट संदेय होगा । यह रिबेट आगामी मास की दस तारीख तक उक्त आफिसर को संदेय होगी । यदि रिबेट का नियत तारीख तक संदाय नहीं किया जाता है तो सभी संस्थान, कमान आफिसर के आदेश से बन्द कर दिए जाएंगे । संस्थानों में किसी विक्रय की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ——— द्वारा ऐसी रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता ।

13. उक्त आफिसर, ऊपर उल्लिखित संस्थान से सामान क्रय करने के लिए अन्य रैंकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । अन्य रैंक कोई भी सामान, जो वे स्थानीय बाजार से क्रय करना चाहें, क्रय कर सकते है ।

14. उक्त आफिसर करार करता है कि उप यूनिट, अपनी पाकशालाओं के लिए अपेक्षित सभी मसाले ——— ——— से क्रय करेंगे । यदि मसालों की क्वालिटी अनुमोदित नमूनों से घटिया होगी तो क्रय करने वाले उप-यूनिट को, ऐसे मसाले क्रय करने से इन्कार करने और उक्त आफिसर की अनुज्ञा प्राप्त करके, स्थानीय बाजार से क्रय करने का अधिकार होगा । इसके अतिरिक्त ——— रुपए (केवल ——— रुपए) जुर्माना देने का करार करते हैं यदि यह पाया जाता है कि विक्रय के लिए रखे गए मसाले अनुमोदित नमूनों से घटिया हैं । मै० ——— रुपए (केवल ——— रुपए) जुर्माना देने का भी करार करते हैं, यदि कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त/अवमानक पाए जाते हैं ।

15. ——— यूनिट लाइन समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर, ऊपर उल्लिखित संस्थान में रखी गई सभी मदों की व्यवस्था करने का करार करता है । विक्रय की सभी मदों पर कीमत स्टाम्पित होगी और उन पर लाइन समिति के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे । यदि यह सम्भव नहीं है तो नमूने सीलबन्द करके यूनिट के ताले में रखे जाएंगे और उन पर कीमत लिखी होगी तथा लाइन समिति के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे । मै०——— ——— उक्त आफिसर को, नियमों और आदेशों के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, ——— ——— रुपए (केवल ——— रुपए) जुर्माना देने का करार करते हैं । उक्त आफिसर उक्त जुर्माने के आदेश किए जाने की बाबत विनिश्चय करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है और मै० ——— ऐसा विनिश्चय स्वीकार करने का करार करते हैं । यदि ठेकेदार उक्त आफिसर को जुर्माना देने में असफल रहता है तो उक्त आफिसर को उपर्युक्त सभी संस्थानों में विक्रय बन्द करा देने का अधिकार है ।

16. उक्त आफिसर, ठेकेदारों द्वारा संचालित सभी कारबार के लिए सैनिक इंजीनियरी सेवा में अधिकथित मापमान से अनधिक मापमान पर उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा । से०इंजी० सेवा, विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, किराया प्रभारित करेगी । ठेकेदार या उनके कर्मचारी निवासीय प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी स्थान का उपयोग नहीं करेंगे । ठेकेदार अपने कारबार के लिए अपेक्षित किसी फर्नीचर या फिटिंग की अपने खर्च पर व्यवस्था करेंगे ।

17. यह करार किया जाता है कि यूनिट द्वारा या यूनिट के किसी व्यक्ति द्वारा ठेकेदारों की किसी सम्पत्ति को जानबूझकर पहुंचाए गए किसी नुकसान या उसकी चोरी की बाबत दावा, जो साबित किया जाएगा, रिबेट की रकम के विरुद्ध दावे के रूप में मान्य होगा। हानि या नुकसान की रकम ठेकेदार और उक्त आफिसर मिलकर तय करेंगे।

18. यह भी करार किया जाता है कि यदि ठेकेदारों या उसके कर्मचारियों के अधिभोग वाले भवन को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि होती है तो उसके लिए ठेकेदारों के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा। ऐसे नुकसान/हानि की रकम सैनिक इंजी० सेवा द्वारा निर्धारित की जाएगी और ठेकेदार उसका संदाय उक्त आफिसर को करेंगे।

19. यह करार ———————— से प्रवृत्त होगा। ———————— ———को———————में साक्ष्यित।

1. साक्षी के हस्ताक्षर

————————

(नाम, पदनाम और पता)

2. साक्षी के हस्ताक्षर

————————

(नाम, पदनाम और पता)

————————

(कमान आफिसर के हस्ताक्षर)

————————

(के प्रबन्धक के हस्ताक्षर)

जलपान कैन्टीन चलाने के लिए करार

1. यह करार ज्ञापन, कमान आफिसर ———— रेजिमेंट और मै० ———— ———— जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है, के बीच आज तारीख ————को किया गया ।

2. कमान आफिसर ———— रेजिमेंट ———— से ————तक की एक वर्ष की अवधि के लिए कैन्टीन चलाने का अधिकार देने का करार करता है । ठेकेदार नीचे उल्लिखित व्यापार आगे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर, करने का करार करता है :—

(क) चाय की दुकान
(ख) मिठाई की दुकान
(ग) किराने की दुकान
(घ) होजरी का सामान
(ङ) सिगरेट/तम्बाकू/बीड़ी
(च) सिले सिलाए वस्त्र
(छ) बर्तन
(ज) साइकिल की दुकान
(झ) लेखन-सामग्री
(ञ) जूते बनाने वाले की दुकान
(ट) वनस्पति और मांस की दुकान
(ठ) दर्जी की दुकान

3. ठेकेदार, इस संविदा की विधिमान्यता के दौरान कमान आफिसर, ———— रेजीमेंट के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में व्यापार करेगा ।

4. ठेकेदार को ———— रेजिमेंट के सभी रैंकों के लिए व्यापार करने का अधिकार होगा ।

5. कैन्टीन चलाने के लिए कमान आफिसर, ————रेजीमेंट पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

6. ठेकेदार, कमान आफिसर, ————रेजीमेंट द्वारा बनाई गई लाइन समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर सभी वस्तुओं का विक्रय करेगा । ठेकेदारों लाइन समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित चालू अनुमोदित दर-सूची प्रदर्शित करेगा ।

7. ठेकेदार परिसर की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा ।

8. ठेकेदार, कमान आफिसर, ————रेजीमेंट के निदेशों के अनुसार कैन्टीन सजाएगा ।

9. यदि ठेकेदार कोई अपमिश्रित वस्तुएं या मद्यसारिक पेय विक्रय करता है तो कमान आफिसर, ———— रेजीमेंट, संविदा मनमाने ढंग से समाप्त कर सकेगा । लघु अपराधों के लिए शास्ति के रूप में ———— रुपए तक जुर्माना उद्गृहीत किया जाएगा ।

10. ठेकेदार, ———— रेजीमेंट के किसी व्यक्ति को कोई धन उधार नहीं देगा । किन्तु कोई अस्थायी ऋण जो आगामी मास की पहली तारीख तक चुका दिया जाएगा, दिया जा सकेगा किन्तु यह नीचे अधिकथित सीमाओं से अधिक का नहीं होगा :—

(क) अधिकारी ————रुपए
(ख) कनिष्ठ आयुक्त आफिसर ————रुपए
(ग) अनायुक्त आफिसर ————रुपए
(घ) सिपाही ————रुपए

11. जब तक पूर्ववर्ती मास का उधार चुकता नहीं हो जाता तब तक उत्तरवर्ती मास में कोई और उधार नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार संबंधित व्यक्ति से ऐसे उधार को रकम वसूल करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और कमान आफिसर,————रेजीमेंट यह रकम वसूल कराने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12. ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप के लिए कमान आफिसर,————रेजीमेंट के पक्ष में————रुपए (केवल————रुपए) जमा करेगा।

13. ठेकेदार कमान आफिसर,————रेजीमेंट द्वारा अधिकथित समय के अनुसार कैंटीन खुली रखेगा।

14. उधार-विक्रय के बारे में सही अभिलेख बनाए रखने के प्रयोजन के लिए ठेकेदार, कमान आफिसर———रेजीमेंट द्वारा यथा विहित प्ररूपों में उधार विक्रय रजिस्टर रखेगा। ठेकेदार रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के समर्थन में संबंधित व्यक्तियों से हस्ताक्षर कराएगा।

15. संविदा के अन्तर्गत समस्त क्रियाकलाप के बारे में अधिकारों और विशेषअधिकारों के प्रतिफलस्वरूप ठेकेदार——रुपए (केवल————रुपए) प्रतिमास की दर से बटालियन निधि में रिबेट का संदाय करने का करार करता है। ठेकेदार यह रिबेट, प्रत्येक मास की 5 तारीख तक बटालियन निधि जमा कर देगा।

16. कमान आफिसर,————रेजीमेंट, प्राकृतिक विपदाओं या चोरी के कारण ठेकेदार को हुई हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. यह करार दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने और केन्टीन चलाने के लिए ठेकेदार को अधिकार दिए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

18. दोनों में से कोई भी पक्षकार 30 कलैंडर दिन की लिखित सूचना देकर यह करार समाप्त कर सकेगा।

19. ठेकेदार कमान आफिसर,————रेजीमेंट द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी शासकीय आदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा।

20. यदि कैन्टीन में विक्रय की गई कोई मद कमान आफिसर————रेजीमेंट या उसके प्रतिनिधि द्वारा अपमिश्रित या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा और उस मद्दे कोई शिकायत या प्रतिकर कमान आफिसर,————रेजीमेंट द्वारा ग्रहण या मंजूर नहीं किया जाएगा।

21. सभी रेंकों को निदेश दिया जाएगा कि वे, छुट्टी पर जाने, स्थायी तैनाती या 30 दिन से अधिक की अवधि की अस्थायी ड्यूटी पर जाने से पूर्व ठेकेदार के बिल चुकता कर दें और उससे समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें।

22. सिविलियन कैन्टीन में विक्रय के लिए लाए गए सभी सामान की,विक्रय से पूर्व, लाइन समिति द्वारा जांच की जाएगी। ठेकेदार, लाइन समिति के अनुमोदन से कीमत नियत करेगा।

23. ठेकेदार, उप ठेकेदारों के समस्त क्रियाकलाप के लिए कमान आफिसर,————रेजिमेंट के प्रति जिम्मेदार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कमान आफिसर,————रेजीमेंट किसी मामले में उप-ठेकेदारों के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

24. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति सम्यक् रूप से सत्यापित और अच्छे आचरण के होंगे।

25. ठेकेदार को अपनी कैन्टीन में, सी०एस०डी० मूल की कोई मदें रखने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

H-87-M/P(N)227MofLJ&CA—14(a)

.....रेजीमेंट

जलपान कैन्टीन के लिए संविदा करार

यह करार ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में कमान आफिसर,————(जिसे इसमें आगे 'पहला पक्षकार' कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में ————, जो————का पुत्र और ————का निवासी है। (जिसे इसमें आगे 'दूसरा पक्षकार' कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख————को किया गया।

पहला पक्षकार इसमें नीचे विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करने के लिए सहमत है और दूसरा पक्षकार निम्नलिखित निबन्धनों पर,————————की रेजीमेंट के लिए जलपान कैन्टीन चलाने का करार करता है, अर्थात् :—

खण्ड सं० 1

(क) दूध, दही, मिठाइयां, मृदु पेय, शीतल पेय (मद्यसारिक पेयों को छोड़कर) का विक्रय।

(ख) कपड़ा विक्रय जो यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली सी०एस०डी० (भारत) के स्टाक से भिन्न है।

(ग) मसाले और अन्य सामान के, जो लाइन समिति की सिफारिशों पर कमान आफिसर द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, विक्रय के लिए किराना दुकान चलाना।

(घ) साइकिल और जूते बनाने वाले की दुकान चलाना।

खण्ड सं० 2

(क) दूसरा पक्षकार समय-समय पर प्रवृत्त सभी शासकीय आदेशों और विनियमों का अनुपालन करेगा।

(ख) आई कैन्टीन में विक्रय की जाने के लिए प्राधिकृत मदों का, यूनिट क्षेत्र में सैन्य दल और सिविलियनों को विक्रय करने का एकमात्र अधिकार दूसरे पक्षकार को होगा।

(ग) दूसरा पक्षकार यथा प्राधिकृत वस्तुएं ही रखेगा और सी० एस० डी० (भा०) कीमत सूची में सम्मिलित कोई मद न तो स्टाक में रखेगा और न विक्रय करेगा। वह ऐसी किसी मद का भी स्टाक नहीं रखेगा या उसका विक्रय नहीं करेगा जो सूची में सम्मिलित नहीं है और जिसकी कीमत लाइन समिति द्वारा नियत नहीं की गई है। ऐसी मदों की सूची किसी उचित स्थान पर टांगी जाएगी।

(घ) जलपान कैन्टीन सामान की सभी फुटकर कीमतें प्रथम पक्षकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली लाइन समिति द्वारा नियत की जाएंगी। ऐसी समिति प्रत्येक मद की कीमत ऐसे नियत करेगी कि दूसरे पक्षकार को प्रति रुपया दस पैसे का लाभ मिल सके। प्रथम पक्षकार द्वारा विनिश्चय किए जाने पर या दूसरे पक्षकार के अनुरोध पर, आई कैन्टीन सामान की फुटकर कीमतों का पुनर्विलोकन किया जाएगा : पहले पक्षकार द्वारा नियत की गई फुटकर कीमतें, दूसरे पक्षकार पर आबद्धकर होंगी। प्रथम पक्षकार द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित कीमत-सूची आई कैन्टीन में किसी सहज दृश्य स्थान पर सदैव रखी जाएगी।

(ङ) दूसरा पक्षकार आई कैन्टीन के लिए ऐसे फर्नीचर, क्राकरी, बर्तन और अन्य सामान की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा जो प्रथम पक्षकार पर्याप्त समझे।

(च) दूसरा पक्षकार स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुसार आई कैन्टीन चलाएगा और क्षेत्र को सदैव साफ-सुथरा रखेगा।

(छ) दूसरा पक्षकार प्रतिमास निम्नलिखित रूप में वस्तुएं उधार विक्रय कर सकेगा :—

(i) आफिसर ————रुपए

(ii) कनिष्ठ आयुक्त आफिसर ————रुपए

(iii) हवलदार/नायक ————रुपए

(iv) लान्सनायक/सिपाही ————रुपए

(ज) दूसरा पक्षकार ऊपर उपपैरा (छ) में नियत सीमा से अधिक उधार दे सकेगा किन्तु प्रथम पक्षकार ऐसे उधार की वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। स्थायी तैनाती या पेन्शन पर जाने वाले सभी कर्मचारी दूसरे पक्षकार से "बैबाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त करेंगे।

खण्ड सं० 3

(क) इस करार के अन्तर्गत समस्य क्रियाकलाप के संबंध में इसमें वर्णित अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति फल स्वरूप दूसरा रिबेट के रूप में, प्रतिमास————रुपए की राशि, पहले पक्षकार को देने के लिए करार करता है।

दूसरा पक्षकार प्रथम पक्षकार को बकाया के रूप में पूर्वोक्त रिबेट का संदाय प्रत्येक मास की दस तारीख तक का देने का करार करता है। संविदा समाप्त कर दी जाने की दशा में, बकाया रिबेट का संदाय आर्द्र केन्टीन से अपनी कोई भी सम्पत्ति हटाने से पूर्व कर दिया जाएगा।

(ख) दूसरा पक्षकार सैनिक इंजीनियरी सेवा (जिसे इसमें आगे 'सै० इंजी० से०' कहा गया है) द्वारा अभिनिर्धारित और बिल प्रस्तुत किए गए अनुसार किराया, सफाई प्रभार, जल और विद्युत प्रभार देने का करार करता है। दूसरा पक्षकार ऐसे बिलों की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर उनका भुगतान करने का करार करता है। इन बिलों से उत्पन्न सभी विवाद, उस समय प्रचलित सै०इंजी०से० नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

(ग) दूसरा पक्षकार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में————रुपए (केवल————रुपए) की राशि जमा करेगा। यह रकम भागतः या पूर्णतः समपहृत की जा सकेगी यदि पहले पक्षकार की राय में दूसरा पक्षकार संविदा के भंग से भिन्न किसी भी कारण संविदा के अतिलंघन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है अन्यथा दूसरे पक्षकार द्वारा जमा की गई ऐसी रकम, पहले पक्षकार द्वारा उसे वापस कर दी जाएगी।

खण्ड सं० 4

(क) दूसरे पक्षकार और उसके कर्मचारियों का नियोजन समाधानप्रद पुलिस सत्यापन के अधीन होगा। ऐसे सत्यापन के लिए कार्रवाई पहला पक्षकार प्रारम्भ करेगा।

(ख) दूसरा पक्षकार समय-समय पर प्रवृत्त सुरक्षा विनियमों का पालन करेगा।

(ग) दूसरा पक्षकार उन सुरक्षा पासों का खर्च संदत्त करने के लिए सहमत है जो इस संविदा के कार्यान्वयन के लिए उसे और उसके कर्मचारियों को जारी किए जाएंगे।

(घ) दूसरा पक्षकार, जहां कहीं यूनिट जाएगी वहीं जलपान केन्टीन ले जाएगा, यदि ऐसा क्षेत्र, संक्रियाक्षेत्र नहीं बन जाता और सिविलियन कर्मचारिवृन्द की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाती।

खण्ड सं० 5

(क) पहला पक्षकार जितनी बार चाहे, जलपान केन्टीन का निरीक्षण कर सकेगा/करवा सकेगा।

(ख) अनुशासन भंग किए जाने पर और सी०एस०डी० (भारत) कीमत-सूची में वर्णित सामान दूसरे पक्षकार के कब्जे में पाए जाने पर, पहले पक्षकार को किसी भी समय उतना जुर्माना उद्गृहीत करने का अधिकार होगा जितना वह ठीक समझे किन्तु किसी भी दशा में ऐसा जुर्माना ————रुपए (केवल————रुपए) से अधिक नहीं होगा।

(ग) दूसरा पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि यूनिट लाइन में अपेक्षित प्रसामान्य अनुशासन बनाए रखा जाए। दूसरे पक्षकार का कोई भी कर्मचारी, जो पहले पक्षकार की राय में अवचार का दोषी है या जिसका नियोजन अवांछनीय समझा गया है, तत्काल हटा दिया जाएगा।

खण्ड सं० 6

यह करार दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा, नीचे दिए गए अनुसार लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा किन्तु केन्टीन ठेकेदार को, अपना हिसाब साफ करने के लिए यूनिट लाइन में एक मास तक और ठहरने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(क) दोनों में से कोई भी, पक्षकार कोई कारण बताए बिना, अन्य पक्षकार को 60 दिन की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा।

(ख) पहला पक्षकार कोई सूचना दिए बिना, यह करार निम्नलिखित किसी भी कारणवश समाप्त कर सकेगा :—

(i) यदि उक्त क्षेत्र, संक्रिया-क्षेत्र बन जाता है या किसी भी कारणवश सरकार अपनी केन्टीन स्थापित करने का विनिश्चय करती है।

(ii) यदि नियमों में समाविष्ट शर्तों में से किसी का दूसरे पक्षकार द्वारा कोई भंग किया जाता है।

(iii) यदि कोई उच्चतर प्राधिकारी/पुलिस किसी भी कारणवश दूसरे पक्षकार को हटाने की अधिसूचना देने वाले कोई आदेश पहले पक्षकार को देता/दी है।

(iv) यदि दूसरा पक्षकार यह संविदा प्राप्त करने या उसे कार्यान्वित करने के संबंध में किसी आफिसर, कनिष्ट आयुक्त आफिसर, अन्य रैंक या संबद्ध कर्मचारिवृन्द को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रिश्वत के रूप में कोई चीज देता है। देने का वचन देता है या उसकी प्रस्थापना करता है तो दूसरे पक्षकार से यह संविदा उसके किसी अन्य दांडिक दायित्व के अतिरिक्त, समाप्त की जा सकेगी।

खण्ड सं० 7

(क) कोई भी व्यक्ति नकद या उधार के लिए ठेकेदार पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दबाव नहीं डालेगा।

(ख) यूनिट संस्थान संबंधी सभी बिल प्रत्येक मास की दस तारीख तक चुकता कर दिए जाएंगे।

खण्ड सं० 8

यह भी करार किया जाता है कि यदि यूनिट दूसरे पक्षकार की सम्पत्ति को जानबूझकर ऐसा नुकसान पहुंचाता है जो यूनिट के विरुद्ध साबित किया जा सकता है तो वह दूसरे पक्षकार द्वारा पहले पक्षकार को देय रिबेट की रकम में दावे के रूप में मान्य होगा। हानि या नुकसान की रकम वह होगी जिसके लिए पहले और दूसरे पक्षकार के बीच सहमति हो जाएगी। कमान आफिसर .....बी रेजीमेंट, ऐसी हानियों के निर्धारिण के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगा, जिसका विनिश्चय दूसरे पक्षकार पर आबद्धकर होगा।

खण्ड सं० 9

यदि पहले और दूसरे पक्षकार के बीच करार या उसकी विषय-वस्तु के संबंध में या उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है (जिसके निपटारे के लिए इसमें उपबन्ध नहीं है), तो उसके लिए कमान आफिसर,————————रेजीमेंट एकमात्र मध्यस्थ होगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा आबद्धकर होगा।

खण्ड सं० 10

यदि किसी भी कारणवश यह करार समाप्त कर दिया जाता है तो आगामी पैराओं में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :—

दूसरा पक्षकार निम्नलिखित को छोड़कर अपने सभी भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जो ठीक समझे, व्ययन करेगा :—

(i) यदि कोई भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति आने वाले ठेकेदार को व्ययनित की जाती है तो ऐसे भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति के मूल्य और दशा का निर्धारण प्रथम पक्षकार द्वारा नैनात अधिकारी बोर्ड द्वारा किया जाएगा और केवल ऐसा भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति, जो अच्छी दशा में होगी, आने वाले ठेकेदार को व्ययनित की जाएगी। शेष भंडार, फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति का दूसरे पक्षकार द्वारा व्ययन ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, किया जाएगा और प्रथम पक्षकार उसके लिए दायी नहीं होगा।

(ii) इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने यह विलेख निष्पादित किया।

पहले पक्षकार की ओर से श्री————दूसरे पक्षकार श्री————(आफिसर का नाम, (नाम और पता)

ने—

1.————साक्षियों के नाम, पते, व्यवसाय और	1.————साक्षियों के नाम, पते, व्यवसाय और
2.————हस्ताक्षर	2.————हस्ताक्षर
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
————————	————————
हस्ताक्षर	(हस्ताक्षर)
(आफिसर का नाम, पता और पदनाम)	(ठेकेदार का नाम और पता)
तारीख————	तारीख————

जलयान निर्माण करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है (जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स . . . . . जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . . में है, जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है (जिस पद के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख . . . . . को किया गया ।

सरकार . . . . . का, जिसे इसमें आगे "जलयान" कहा गया है, निर्माण करना चाहती है ।

ठेकेदारों ने अपनी कर्मशालाओं में जलयान का निर्माण करने की प्रस्थापना की है ।

सरकार ने उनकी प्रस्थापना स्वीकार कर ली है और वह इस बात के लिए सहमत है कि ठेकेदार अपनी कर्मशालाओं में जलयान का निर्माण करें ।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित रूप में करार किया जाता है :

खण्ड 1

कार्य का स्वरूप

ठेकेदार जलयान का निर्माण अपनी कर्मशालाओं में निर्माण विनिर्देश सं० . . . . . तथा नौ सेना मुख्यालय के तारीख . . . . . के पत्र सं० . . . . . के साथ सरकार द्वारा ठेकेदारों को अग्रेषित साधारण व्यवस्था रेखाचित्र स० . . . . . , के अनुसार और नौ सेना मुख्यालय के तारीख . . . . . के पत्र सं० . . . . . के साथ सरकार द्वारा ठेकेदारों को अग्रेषित रंग रोगन स्कीम और अनुदेशों के अनुसार और नौसेना मुख्यालय के तारीख . . . . . के पत्र सं० . . . . . के साथ सरकार द्वारा ठेकेदारों को अग्रेषित रेखाचित्र की अपेक्षाओं और उक्त सभी पत्रों के पश्चात्वर्ती संशोधनों के, यदि कोई हों, जो इस करार के उसी प्रकार भाग रूप होंगे मानो वे इस करार के साथ उपाबद्ध हों, के अनुसार करेंगे और सभी मशीनरी, उपस्कर, फालतू पुर्जों और रेखाचित्रों सहित उनका परिदान करेंगे । विनिर्देशों, रंगरोगन स्कीम, अनुदेशों और रेखाचित्र की अपेक्षाओं के अनुसार सभी मशीनरी, उपस्कर, फालतू पुर्जों और रेखा चित्रों को इसमें आगे सामूहिक रूप से "उक्त कार्य" कहा गया है ।

खण्ड 2

डिजाइन, समुद्र यात्रा योग्यता और स्थायीवत् के लिए जिम्मेदारी

यदि जलयान की डिजाइन ठेकेदार स्वयं या अन्य विदेशी सहयोग से तैयार करते हैं तो वे, सभी परिस्थितियों में जलयान की डिजाइन, समुद्र यात्रा योग्यता, स्थायितत्व और गति के लिए जिम्मेदार होंगे । यदि जहाज की डिजाइन नौ सेना मुख्यालय ने तैयार की है तो ठेकेदार जलयान के स्थायित्व, समुद्र यात्रा योग्यता और गति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे ।

खण्ड 3

पर्यवेक्षण

ठेकेदार उक्त कार्य, (i) नौसेनाध्यक्ष, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (जिसे इसमें आगे "नौ सेना मुख्यालय" कहा गया है) और (ii) यथा विनिर्दिष्ट . . . . . के सर्वेक्षक के अधीन और उनके पूर्ण समाधानप्रद रूप में करेगा ।

खण्ड 4

ठेकेदार यह कार्य तारीख . . . . . तक पूरा कर देगा । ठेकेदारों द्वारा कार्य की पूर्ति के लिए समय को संविदा का मर्म माना जाएगा । उक्त कार्य को पूरा करने में किसी विलंब के लिए ठेकेदार, नीचे खण्ड 5 में उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य के पूरा होने में विलंब होने के प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, कार्य की कुल संविदा कीमत के 2 प्रतिशत के बराबर राशि, करार पाई गई परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, न कि शास्ति के रूप में, सरकार को संदाय करने के लिए दायी होंगे, किन्तु यह राशि किसी भी दशा में, संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । परन्तु खंड 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह और कि यदि जलयान के परिदान में 6 मास से अधिक का विलंब होता है तो सरकार पक्षकारों के पहले ही प्रोद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक मास की सूचना देकर संविदा रद्द कर सकेगी ।

खण्ड 5

अपरिहार्य घटना

5.1. इसके पक्षकार इस करार के अधीन अपनी बाध्यताओं का अपनी ओर से पालन करने में किसी असफलता के लिए उस दशा में दायी नहीं होंगे जिसमें ऐसी असफलता अपरिहार्य घटना के कारण हो, जिसके अन्तर्गत कोई सरकारी नियंत्रण, हस्तक्षेप या अपेक्षाएं, युद्ध, बलवे, सिविल अशान्ति, अग्नि, दुर्घटनाएं, कर्मकारों की हड़ताल, तालाबंदी, कुशल श्रमिकों की कमी, उप ठेकेदारों या प्रदायकर्ताओं द्वारा सामग्री का देर से परिदान भी है, परन्तु यह तब जब ऐसे परिदान में विलंब, ऊपर वर्णित कारणों से और किसी भी अन्य ऐसे कारण से हो, जो संबंधित पक्षकार के नियंत्रण से परे हों।

5.2. ऐसी किसी घटना या कारण की सूचना उसके घटित होने पर ठेकेदार द्वारा सरकार को तुरन्त दी जाएगी और कार्य को पूरा करने की तारीख बढ़ाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए सरकार, ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उक्त कार्य को पूरा करने की अवधि को उतनी अवधि के लिए बढ़ा देगी जिसके दौरान ऐसी घटना या कारण बना रहता है और ठेकेदार इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी के संदाय से मुक्त होगा।

5.3. यदि ऐसी घटना या कारण बना रहता है या उसके छह मास से अधिक की अवधि तक बने रहने की संभावना है तो पक्षकार उक्त परिस्थितियों में की जाने वाली कार्रवाई के लिए परस्पर करार करेंगे।

खण्ड 6

निरीक्षण

6.1. उक्त कार्य की सामग्री और कार्य कुशलता का निरीक्षण युद्ध पोत ओवरसियर और/या किसी विशेष निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा किया जाएगा। ऐसे नियुक्त युद्धपोत ओवरसियर या सर्वेक्षकों को जलयान, पोत निर्माण यार्ड और उन कर्मशालाओं तक, जिनमें जलयान का निर्माण कार्य चल रहा हो, सभी कार्य दिवसों में काम के घंटों के दौरान, पहुंच प्राप्त होगी और ठेकेदार ऐसे निरीक्षण के लिए उन्हें सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध करेंगे।

खण्ड 7

क्वालिटी

7.1. ठेकेदार जलयान का निर्माण, खंड 1 में वर्णित विनिर्देशों के अनुसार और सर्वोत्तम सामग्री तथा कार्य कौशल करेगा तथा उसे प्रत्येक दृष्टि से पर्याप्त और कुशल रीति से परिरूपित किया जाएगा।

7.2. युद्ध पोत ओवरसियर और/या सर्वेक्षकों को ऐसे किसी कार्य या सामग्री की जाच करने और/या उसे अस्वीकार करने का अधिकार होगा जिसे वह, क्वालिटी, कार्य कौशल के आधार पर या अन्यथा अननुमोदित करे और अनुचित सामग्री के ऐसे अस्वीकृत कर दिए जाने के कारण अथवा त्रुटिपूर्ण या अनुचित कार्य कौशल को सुधारने में ठेकेदारों द्वारा उपगत व्ययों के कारण अतिरिक्त संदाय के लिए कोई दावा सरकार स्वीकार नहीं करेगी। ठेकेदार इसके खण्ड 14 में यथा वर्णित संविदा मूल्य की किसी किस्त के संदाय के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि युद्धपोत ओवरसियर यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य, इस करार के निबंधनों के अनुसार समाधानप्रद रूप से पूरा कर दिया गया है। युद्धपोत ओवरसियर, ठेकेदारों से लिखित रूप से यह सूचना प्राप्त होने पर कि कोई कार्य, जिसका प्रमाणीकरण किया जाना है, शीघ्र ही पूरा होने वाला है, उसकी जांच करेगा मजबूती, क्वालिटी, कार्य कौशल के संबंध में या अन्यथा अनुमोदन की अथवा अनुचित या त्रुटिपूर्ण सामग्री की अस्वीकृति की युक्तियुक्तता के बारे में और युद्धपोत ओवरसियर/नौ सेना मुख्यालय और ठेकेदारों के बीच असहमति होने की दशा में ठेकेदार मामले को सचिव, रक्षा मंत्रालय को निर्देशित करने के हकदार होंगे, जिसका इस संबंध में विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

खण्ड 8

परीक्षण

8.1. जलयान का निर्माण पूरा हो जाने पर ठेकेदार, नौ सेना मुख्यालय के पत्र सं० . . . . तारीख के साथ, जो इस करार का भाग रूप माना जाएगा, सरकार द्वारा जलयान के परीक्षण/जाच और निरीक्षण के लिए अग्रेषित ब्यौरों के अनुसार उसका श्रृंखलाबद्ध परीक्षण कराएंगे।

8.2. जब तक इसमें अन्यथा उपबंधित नहीं हो, ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर का इस बारे में समाधान करेंगे कि जलयान गति, क्षमता, स्थायित्व और डिजाइन संबंधी अन्य विशेषताओं की दृष्टि से पूर्ण कार्य सम्पादन के बारे में और मुख्य इंजन, आनुषंगिक मशीनरी, विद्युत मशीनरी और प्रतिष्ठापन तथा विविध उपस्करों के बारे में खंड i में यथा वर्णित विनिर्देशों और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार है। यदि उक्त परीक्षण-श्रृंखला के दौरान युद्धपोत ओवरसियर द्वारा कोई दोष पाया जाता है तो ठेकेदार अपने खर्च पर उसे दूर करेंगे और तत्पश्चात् भी यदि युद्धपोत ओवरसियर आवश्यक समझता है तो ठेकेदार युद्धपोत का पुनः परीक्षण कराएंगे।

8.3. सभी परीक्षणों के दौरान जलपोत संचालन, नौकर्षण, ईंधन, स्वच्छ जल, कर्षणनाव, स्नेहक तेल, और खपने वाले सामान का खर्च जलयान के अंतिम परिदान के समय तक ठेकेदार वहन करेगा। तथापि, सरकार तेल, स्वच्छ जल, स्नेहक तेल और खपने वाले सामान के लिए, जो जलयान के ग्रहण के समय बच जाता है, जलयान के ग्रहण के दिन प्रचलित दरों पर ठेकेदारों की प्रतिपूर्ति करेगी।

खण्ड 9

परिदान

9.1. जलयान का परिदान, नौसेना मुख्यालय या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खंड 8 में यथा वर्णित सभी परीक्षणों, जांचों और निरीक्षणों की सफल समाप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि के भीतर लिया जाएगा। नौसेना मुख्यालय जलयान के परीक्षणों, जांचों और निरीक्षणों के अपूर्ण रह जाने की दशा में भी उक्त जलयान का परिदान स्वीकार कर सकेगा और ठेकेदार उस दशा में, अपने स्वयं के खर्च पर नौसेना मुख्यालय के विनिर्देशों की अपेक्षाएं ऐसे समय के भीतर, जो नौसेना मुख्यालय विहित करे, पूरी करेंगे। जलयान में की सम्पत्ति, ऊपर अनुबंधित रूप में जलयान का परिदान कर दिए जाने के पश्चात् ही, सरकार को संक्रान्त होगी। नौसेना मुख्यालय द्वारा परिदान लिए जाने के समय तक जलयान, मशीनरी, उपस्कर, रेखांक, रेखाचित्र, फालतू पुर्जे और जलयान से संबन्धित अन्य सभी सामग्री ठेकेदार की जोखिम पर होंगी और यदि जलयान का ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर परिदान नहीं लिया जाता है तो जलयान, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा कोई करार नहीं किया जाता, सफल परीक्षणों के पूरा होने से दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति की तारीख को, सभी प्रयोजनों के लिए, सरकार द्वारा स्वीकार किया गया समझा जाएगा।

खण्ड 10

गारंटी

10.1. ठेकेदार, पूर्ण जलयान और उसके मुख्य इंजन, आनुषंगिक मशीनरी, पूर्ण विद्युत प्रतिष्ठापन उपस्करों, फिटिंगों पाईपिंगों और उनके द्वारा प्रयुक्त सभी अन्य मदों की, चाहे वे देशी हों या आयातित, कार्यकौशल और सामग्री की सभी त्रुटियों से मुक्त होने की और नौ सेना मुख्यालय द्वारा जलयान का परिदान लेने के पश्चात् से छह मास की अवधि तक उसके समाधानप्रद रूप में चलते रहने की गारंटी देते हैं।

10.2. ठेकेदार यह गारंटी भी देते हैं कि प्रारूप के खंड 2 में उपबंधों के अधीन रहते हुए जलयान का कार्य सम्पादन, उस करार के खंड I में वर्णित विनिर्देशों के "विभा" खंड के अधीन दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगा।

10.3. यदि गारंटी की अवधि के दौरान किन्हीं त्रुटियों का पता चलता है तो ठेकेदार अपने खर्च पर उनका सुधार करेंगे यदि ऐसी त्रुटियों का सुधार, किसी भी कारणवश सरकार करा लेती है तो ऐसे सुधार के खर्च का सदाय ठेकेदार करेंगे किन्तु ऐसा खर्च ठेकेदारों की कर्मशालाओं में कार्य करने के खर्च से अधिक नहीं होगा और सभी पारिणामिक नुकसानों के, जैसे जलयान का निरोध आदि, अतिरिक्त होगा। ठेकेदार छह मास की उक्त अवधि के पश्चात् होने वाले किसी नुकसान के लिए दायी नहीं होंगे।

10.4. ठेकेदार कार्य सम्पादन में कमियों के लिए परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में निम्नलिखित संदाय करने का करार करते हैं :–

(क) कुल भार में कमी के लिए

(i) जब खारे पानी में लायड मोल्डेड समर मीन ड्राफ्ट पर जलयान तिराता हो तब..... टन के कुल भार में .....टन का प्रति.....टन की कमी के लिए संविदा मूल्य का एक प्रतिशत कमी के .....टन के किसी भाग के लिए परिनिर्धारित नकसानी की आनुपातिक रूप में संगणना की जाएगी।

(ii) यदि कुल भार में कमी.....टन के अधिक होती है तो ठेकेदारों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे जलयान के विनिदेशों में दिए गए अनुसार कुल भार की अपने खर्च पर, पूर्ति करें और उसके कारणों को विचार में लाए बिना त्रुटि को सुधारें।

(ख) परीक्षण गति में कमी के लिए

(i) नेवर्ड माइल ट्रायल्स कन्डीशन्स के अधीन, जो . . . . . .समुद्री मील द्वारा इसमें इसके पूर्व खंड 8 में वर्णित परीक्षणों के ब्यौरों में विनिर्दिष्ट की गई हैं, ...समुद्री मील की गारंटीकृत परीक्षण गति में . . . .समुद्री मील तक की कमी के लिए संविदा कीमत का 1-1/2 प्रतिशत ।

(ii) ऊपर (i) में वर्णित शर्तों के अधीन गारंटीकृत परीक्षण गति में . . . . . .समुद्री मील से अधिक किन्तु . . . . .समुद्री मील से अनधिक की कमी के लिए संविदा कीमत का 3 प्रतिशत ।

(iii) यदि जलयान की गति, गारंटीकृत परीक्षण गति के . . . . . .समुद्री मील से भी कम है तो ठेकेदारों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे किसी भी कारणवश हुई त्रुटियों को अपने खर्च पर सुधार कर परीक्षण गति को, मापी गई मील शर्तों के अधीन समुद्री मील की गारंटीकृत परीक्षण गति तक लाएं ।

खण्ड 11

कीमत

11.1. उक्त जलयान की संविदा - कीमत . . . . . .रु० (केवल . . . . . .रुपए) है, जिसके अन्तर्गत . . . .रु० (केवल. . . . . .रुपए) की विदेशी मुद्रा तत्व भी है और इसमें डिजाइन फीस मशीनरी और उपस्कर का आयात भी सम्मिलित है ।

11.2. उपर्युक्त कीमत में कोई कर, जिनमें राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्ग्रहीत विक्रय-कर भी है, सम्मिलित नहीं हैं इन करों का प्रथमतः संदाय ठेकेदार करेंगे और यदि वे विधिक रूप से उद्ग्रहणीय हैं और उद्गृहीत किए गए हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति प्रदाय की तारीख को प्रचलित दरों पर, सरकार द्वारा ठेकेदारों को की जाएगी । केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन यथा उपबंधित प्ररूप "ग" और "घ" अनुरोध किए जाने पर, सरकार द्वारा सम्यकतः भरे जाएंगे और ठेकेदारों को दिए जाएंगे ।

11.3. खण्ड 11.1 में वर्णित संविदा-कीमतों में निम्नलिखित समायोजन किए जाएंगे—

(क) . . . . . .रु० प्रतिशत के अनुमानित/वर्तमान सीमाशुल्क में कोई परिवर्तन होने की दशा में सरकारी खाते में उसका समायोजन किया जाएगा ।

(ख) ऐसे सभी मामलों में, जहां विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से उन उपस्करों की मदों का, जो सामान्यतः आयात की जातीं और जिनको आयात करने का ठेकेदार का आशय था, सरकार के पूर्वानुमोदन से देशी विनिर्माण आरम्भ किया जाता है, वहां देशी विनिर्माण के परिणामस्वरूप खर्च में होने वाला कोई अन्तर (जिसके अन्तर्गत सामग्री की लागत में अन्तर भी है) कीमत में अन्तर के रूप में अनुज्ञेय होगा । ऐसे दावे के लिए आधार ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा प्रस्थापना प्रस्तुत करते समय विदेशी विनिर्माता (विनिर्माताओं) से प्राप्त कोटेशन और बीजक या देशी विनिर्माताओं द्वारा प्रदान की गई मदों की कीमत को दर्शित करने वाला बीजक या अन्य दस्तावेजें होंगी ।

(ग) खंड 11.1 में यथादर्शित प्राक्कलित विदेशी मुद्रा तत्व और उस पर किए गए वास्तविक व्यय के, जिसमे आवश्यकता पड़ने पर संपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बीजकों में यथादर्शित भाड़ा और सामुद्रिक बीमा खर्च सम्मिलित है, बीच अन्तर के कारण होने वाला परिवर्तन (जिसमें सामग्री की लागत में परिवर्तन भी सम्मिलित है) का सरकारी खाते डाला जाएगा ।

(घ) ऊपर खंड 11.1 में वर्णित कीमतों में स्वतः समायोजन, केवल निम्नलिखित कारणों के लिए, सरकार द्वारा ठेकेदारों को अनुज्ञात किया जाएगा :—

(i) कोटेशन प्रस्तुत करने की तारीख, और जलयान को पूरा करने की तारीख के बीच नियोजित कर्मकारों की मजदूरी दर में सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्तर ।

(ii) जलयान का निर्माण करने में ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त इस्पात जैसी नियंत्रित मदों की कीमतों में कोई काननी परिवर्तन किन्तु तब जब इसके लिए आवश्यक वाउचर प्रस्तुत किए जाएं ।

खण्ड 12

संदाय

जलयान की ऊपर खंड 11 1 में वर्णित संविदा कीमत का संदाय सरकार द्वारा ठेकेदार को निम्नलिखित रूप में किया जाएगा—

(क) विदेशी मुद्रा व्यय

(i) ठेकेदारों के प्रदायकर्ताओं के निरीक्षण प्रमाणपत्र और नौवहन दस्तावेजों की प्राप्ति पर मदों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 90 प्रतिशत।

(ii) ठेकेदारों द्वारा यह प्रमाण पत्र दिए जाने पर कि मद आ चुकी हैं और वे विनिर्देशों के अनुसार हैं, 10 प्रतिशत।

(ख) रुपया व्यय (देशी)

(i) ठेकेदारों को आदेश देने पर, 5 प्रतिशत।

(ii) इस्पात का आबंटन प्राप्त होने पर, 15 प्रतिशत।

(iii) जलयान का तल बिछाने पर या हल के, जब उसे बर्थ पर रखा जाए, 20 प्रतिशत के निर्माण पर 15 प्रतिशत।

(iv) जलयान की विरचना करने पर या हल के 40 प्रतिशत निर्माण पर, 15 प्रतिशत।

(v) जलयान पर पट्टियां लगाने पर या हल के 100 प्रतिशत निर्माण पर, 15 प्रतिशत।

(vi) जलयान के जलावतरण पर, 20 प्रतिशत।

(vii) जलयान का परीक्षण, समाधानप्रद रूप में, पूरा हो जाने और उसके सौंपे दिए जाने पर 15 प्रतिशत

टिप्पण I—ऊपर ख (ii) से ख (vii) तक के किसी भी प्रक्रम पर संदाय के लिए दावा करते समय ठेकेदार यह प्रमाणित करेंगे कि किसी पहले प्रक्रम पर उनके द्वारा प्राप्त किए गए संदाय तथा दावाकृत प्रक्रम पर का संदाय मिल कर, जलयान के सन्निर्माण के लिए उनके द्वारा उपगत किए जा चुके व्यय से अधिक नहीं है।

टिप्पण II—ऊपर (क) और (ख) के अधीन संदाय तभी किया जाएगा जब इसमें इसके पूर्व खंड 11.1 में यथादर्शित कुल संविदा कीमत का ऐसा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने और जलयान सौंपे जाने के पश्चात् छह मास के लिए विधिमान्य हो।

टिप्पण II—ऊपर उल्लिखित संदाय रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) द्वारा तभी किए जाएंगे जब स्टाम्प लगा हुआ और रसीद सहित ऐसा दावा प्राप्त हो जाएगा जिसके साथ युद्ध पोत ओवरसियर का यह कथन करने वाला प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि अनुबंध कार्य संविदा के अनुसार समाधानप्रद रूप में पूरा कर दिया गया है।

और/या उस प्रक्रम तक कार्य हो गया है तथा दावाकृत रकम का ठेकेदार को संदाय किया जा सकता है।

खण्ड 13

विनिर्देश में उपांतरण

सरकार को इसके खण्ड 1 में दिए गए उक्त कार्य के विनिर्देशों को उपान्तरित करने का हक होगा और इस आशय के अनुदेश नौसेना मुख्यालय द्वारा ठेकेदारों को जारी किए जाएंगे। ऐसे मामले में ठेकेदार इन उपान्तरों को कार्यान्वित करेंगे और खण्ड 11 1 में उल्लिखित कीमत ऐसे समायोजनों के अधीन रहते हुए होगी जो पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति से तय पाए जाएं।

H-87-M/P(N)227MofLJ&CA—15(a)

खण्ड 14

क्षतिपूर्ति

ठेकेदार ऐसे सभी दावों के संबंध में, जो ठेकेदारों के कार्य से संबंधित किसी प्रक्रिया में लगे हुए किसी व्यक्ति की, चाहे वह कर्मकार हो या नहीं, मृत्यु या उसे कारित क्षति के लिए हों, या किसी भी प्रकार की शोध्य राशियों के लिए हों, सरकार और सरकार के अधिकारियों और सेवकों की क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन लाए गए किसी दावे में या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 या किसी अन्य अधिनियम या उक्त कार्य को लागू और समय-समय पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शोध्य राशियों की बावत प्रतिवाद करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ऐसी राशि सरकार के पास पहले से निक्षिप्त न कर दें जो ऐसे किसी दायित्व को, जिसके लिए सरकार को इन कार्यवाहियों के संबंध में उपगत करना पड़े, पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

खण्ड 15

यदि इस करार के अधीन या इसके किसी निबंधन के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद या मतभेद (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें विशेष रूप से उपबंधित है) उत्पन्न होता है तो वह सचिव, रक्षा मंत्रालय या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे वह नियुक्त करे, एक मात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि मध्यस्थ कोई सरकारी सेवक है और यह कि उसने उन विषयों के संबंध में कार्रवाई की थी, जिनसे यह करार संबंधित है अथवा यह कि सरकारी सेवक के रूप में उसने अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। मध्यस्थ इसके पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर अपना अधिनिर्णय करने और उसे प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकेगा। यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा तत्समय प्रवृत्त उसके कोई कानूनी उपान्तर इस करार के अधीन माध्यस्थम् प्रक्रियाओं को लागू होंगे।

खण्ड 16

16.1 इस करार में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार द्वारा इसके अधीन की जाने वाली सभी कार्रवाइयां और दी जाने वाली सभी सूचनाएं, उसकी ओर से नौ सेनाध्यक्ष या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय उक्त नौसेनाध्यक्ष के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो इस संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, की या दी जा सकेंगी।

16.2 इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् इस करार के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों में ठेकेदार सीधे नौसेना मुख्यालय से सम्पर्क करेंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

.... के लिए और उसकी ओर से ....ने	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.......................ने
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
1. .... 2. .... } साक्षियों के नाम, पत्ते, व्यवसाय और हस्ताक्षर	1. .... 2. .... } साक्षियों के नाम, पत्ते, व्यवसाय और हस्ताक्षर

नौसेना पोतों की मरम्मत के लिए संविदा की साधारण शर्तें

परिभाषाएं

1. संविदा और इसे शासित करने वाली साधारण और विशेष शर्तों के निर्वचन में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "संविदा" शब्द से निविदा दस्तावेजें और इसमें आगे परिभाषित "विशिष्टियां" तथा वे साधारण और विशेष शर्तें, जो जोड़ी जाएं, अभिप्रेत हैं।

(ii) "ठेकेदार" शब्द से वह समुत्थान, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जिसे आर्डर दिया जाता है और इसके अन्तर्गत ठेकेदार के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी समझे जाएंगे।

(iii) "संविदा कीमत" से स्वीकार की गई राशि या सरकार द्वारा और उसकी ओर से स्वीकार की गई कीमतों के अनुसार संगणित राशि अभिप्रेत है।

(iv) "सरकार" शब्द से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत नौ सेनाध्यक्ष, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और/या पोतों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारी या इस संविदा के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी भी है।

(v) "परिदान" शब्द से युद्धपोत ओवरसियर को विनिर्दिष्ट स्वीकार्य दशा में परिदान अभिप्रेत है।

(vi) "रेखाचित्र" शब्द से इन शर्तों के साथ संलग्न रेखाचित्र, रेखांक या विनिर्देश अभिप्रेत हैं।

(vii) "परीक्षण" शब्द से ऐसी परीक्षा या ऐसे परीक्षण अभिप्रेत हैं, जो विनिर्देशों या सरकार अथवा युद्धपोत ओवरसियर के अन्य अनुदेशों द्वारा विहित किए गए हैं।

(viii) "सामग्री" शब्द से, मरम्मत में प्रयुक्त कोई भी वस्तु अभिप्रेत है।

(ix) "विशिष्टियां" शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :—

(क) विनिर्देश।
(ख) रेखाचित्र।
(ग) मुद्रांकित पैटर्न।
(घ) मुद्रांकित नमूना।
(ङ) व्यापार पैटर्न।
(च) साम्पत्तिक मेक।
(छ) मरम्मत से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा।

(x) "स्थल" शब्द से संविदा दस्तावेजों में नामित वह स्थान या वे स्थान अभिप्रेत हैं जहां कोई कार्य किया जाना है या जो स्थान सरकार अनुमोदित करे;

(xi) "युद्धपोत ओवरसियर" पद से कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करने के लिए अथवा सामग्री या उसके किसी भाग के विनिर्माण का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत ज्येष्ठ अधिकारी, युद्धपोत निरीक्षण दल भी समझा जाएगा।

(xii) "कार्य" शब्द से ऐसे सभी कार्य अभिप्रेत हैं, जो इससे संलग्न उक्त त्रुटि सूचियों/विनिर्देशों/रेखाचित्रों और अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट या उपवर्णित और उनमें तथा उनके द्वारा अपेक्षित हैं या उनसे विवक्षित या उनसे आनुषंगिक हैं अथवा ऐसे स्पष्टीकारक अनुदेशों और रेखाचित्रों में (जो उक्त मूल विनिर्देशों, रेखाचित्रों और अनुसूचियों के अनुरूप हैं) और ऐसे अतिरिक्त अनुदेशों तथा रेखाचित्रों में भी, जो यथापूर्वोक्त के अनुरूप नहीं है, अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिनका सरकार या युद्धपोत ओवरसियर द्वारा उस कार्य की, जिसके लिए संविदा की गई है, प्रगति के दौरान समय-समय पर प्रदाय किया जाए।

2. कार्य-विस्तार

2.1 ठेकेदार द्वारा निष्पादित और पूरे किए जाने वाले मरम्मत कार्य, उन त्रुटि सूचियों और/या विनिर्देशों और रेखाचित्रों में समाविष्ट होंगे जिन्हें युद्धपोत ओवरसियर, ठेकेदार को प्रारम्भिक अवस्था में और/या समय-समय पर लिखित रूप में, अग्रेषित करेगा।

त्रुटि-सूचियों या विनिर्देशों और रेखाचित्रों से कोई विचलन, जो कार्य की प्रगति के दौरान युद्धपोत ओवरसियरों या सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाता है, ठेकेदार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

2.2 यदि किसी सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि उक्त कार्य के कार्य विस्तार में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो सरकार ऐसा अपेक्षा-विवरण उपान्तरित कर सकेगी और सरकार अपेक्षा-विवरण का संशोधन करने वाले अनुदेश, कार्य पूरा करने की तारीख में तत्संबंधी आवश्यक परिवर्तनों सहित, ठेकेदार के परामर्श से जारी करेगी।

3. **संविदा को उपपट्टे पर देना**

3.1 ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर की लिखित अनुज्ञा के बिना संविदा या उसके किसी भाग को न तो उपपट्टे पर देगा, न अन्तरित करेगा और न समनुदेशित करेगा। किन्तु ये उपबन्ध संपीड़ित्र, झलाई सेट जैसे उपस्करों को भाड़े पर लेने के मामले में और ठेका श्रमिकों आदि के मामले में लागू नहीं होंगे, जिनके लिए अनुसूची 'ख' में बनूनी दरें दी गई हैं।

यदि उप-संविदा करने के लिए मंजूरी दे दी जाती है तो ठेकेदार और उप-ठेकेदार के बीच संव्यवहार, किसी भी दशा में सरकार का आश्रय लिए बिना दो प्रधानों के बीच संव्यवहार के रूप में क्रियान्वित किए जाएंगे और ठेकेदार अपने उप-ठेकेदारों को, उनके साथ कारबार का संव्यवहार करने के पूर्व, यह स्थिति पूर्णतः बता देगा।

3.2 ठेकेदार उप-ठेकेदारों के सभी दावों को पूरा करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य का कोई भाग प्रतियोगी निविदाएं मांगे बिना उप-ठेकेदारों को सौंपा जाता है तो सरकार को, उप-संविदा के अधीन कीमतों का अन्वेषण करने का अधिकार होगा और यदि ऐसे अन्वेषण के परिणामस्वरूप कीमतों में कोई कमी आती है तो वह सरकार को प्रोद्भूत होगी। ठेकेदार उप-संविदाओं के अधीन उसके द्वारा किए गए संदाय या किए जाने वाले संदायों के बारे में सरकार को, उसके द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी देगा।

4. **सामान/सामग्री का प्रयोग और ठेकेदार की सहायता**

4.1 मरम्मत/पुनः फिट करने के लिए अपेक्षित सभी सामग्री/सामान का ठेकेदार द्वारा प्रदाय किया जाएगा। प्रयुक्त सभी सामग्री/सामान सर्वोत्तम क्वालिटी का होगा और सभी प्रकार से संबंधित विनिर्देशों के अनुरूप होगा। किसी विनिर्दिष्ट सामान/सामग्री की अनुपलब्धता की दशा में, ठेकेदार उसकी बाबत विनिर्देशों से विचलन मंजूर किए जाने के लिए युद्धपोत ओवरसियर से लिखित रूप में संपर्क कर सकेगा और युद्धपोत ओवरसियर प्रस्तावित सामग्री/सामान और विनिर्देशों में वर्णित सामान/सामग्री को उपयोगिता के बारे में अपना पूर्ण समाधान कर लेने के पश्चात् अपेक्षित विचलन की अनुज्ञा देगा और ठेकेदार को ऐसे अवमानक सामान/सामग्री के प्रयोग के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा देगा। उस समय सामान/सामग्री के लिए प्रभारित की जाने वाली कीमत वही होगी, जो ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने के लिए अनुज्ञात अवमानक सामान/सामग्री की होगी।

यदि ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अवमानक सामग्री/सामान का उपयोग करता है तो ठेकेदार, ऐसी अवमानक सामग्री/सामान के बदले, मरम्मत चाहे किसी भी प्रक्रम पर हो, उन्हें युद्धपोत ओवरसियर द्वारा अनुमोदित सामग्री/सामान, अपने खर्च पर, देने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार न तो ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त अननुमोदित अवमानक सामान/सामग्री की कीमत का और न ही युद्धपोत ओवरसियर द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् बदली गई सामग्री/सामान की कीमत का, संदाय करेगी।

4.2 नौ सेना संबंधी सामान/सामग्री जो तुरन्त उपलब्ध नहीं है और जो सरकार द्वारा दी जा सकती हैं, जब तक कि अन्यथा करार न किया जाए, युद्धपोत ओवरसियर द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिए जाने पर सरकार द्वारा ठेकेदार को नौसेना सामान संगठन से निःशुल्क जारी की जाएगी।

4.3 पोत पर लगाए जाने के लिए, मरम्मत कार्य के निष्पादन के भागरूप, नौ सेना मुख्यालय उस मशीनरी और उपस्कर की भी, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध है, निःशुल्क व्यवस्था करेगा। ठेकेदार मशीनरी और उपस्कर को उसी दशा में रखने के लिए जिम्मेदार होगा जिस दशा में उसने उन्हें प्राप्त किया था और यदि मशीनरी तथा उपस्करों को, उसकी अभिरक्षा में रहने के दौरान किसी भी कारणवश कोई नुकसान पहुंचता है तो वह उसे पूरा करेगा।

4.4 ठेकेदार, उस सीमा को छोड़ कर जिस सीमा तक सरकार ने विनिर्दिष्टतः कोई करार किया है, संविदा की पूर्ति के लिए अपेक्षित अन्य सामग्री उपाप्त करने में या किसी अन्य रीति में कोई सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, परन्तु सर्वदा यह कि यदि ऐसी सहायता के परिणामस्वरूप ठेकेदार सामग्री, बाजार कीमत से कम कीमत में प्राप्त करता है या उसकी कीमत कम हो जाती है तो सरकार तैयार वस्तुओं की कीमत में ऐसी कमी की हकदार होगी।

4.5 ठेकेदार उक्त सामग्री मशीनरी और उपस्कर सरकार के लिए और उसकी ओर से धारण करेगा और ऐसी सामग्री का मितव्ययितापूर्वक और संविदा के केवल उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह दी गई है, उपयोग करेगा तथा सरकार की अनुज्ञा के बिना उसका व्ययन नहीं करेगा और यदि सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो वह सभी अधिशेष स्क्रैप या अनुपयोगी सामग्री, जो संविदा के पूरे होने के पश्चात् या किसी भी कारणवश उसके समाप्त कर दिए जाने पर उसके पास बच जाए, वापस कर देगा। सरकार सभी स्क्रैप और फालतू सामग्री का ठेकेदार द्वारा व्ययन प्राधिकृत कर सकेगी। उक्त दशा में स्क्रैप या फालतू सामग्री का विक्रय आगम सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा और उस विक्रय आगम के शुद्ध मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बराबर कमीशन ठेकेदार को संदत्त कर दी जाएगी।

4.6 सरकार या युद्धपोत ओवरसियर इस संविदा के निष्पादन के दौरान श्रम और सामग्री के मितव्ययी उपयोग के बारे में समय-समय पर ठेकेदार को अनुदेश दे सकेंगे तथा ठेकेदार ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा।

4.7 ठेकेदार की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण संविदा रद्द कर दी जाने की दशा में, सरकार के निदेशानुसार सामान की वापसी के लिए भाड़ा प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस बाबत सरकार का विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा।

5. **फिटिंगों आदि की सुरक्षा**

यदि मरम्मत के लिए ठेकेदार की अभिरक्षा में होने के दौरान पोत के फलक पर लगी मशीनरी, फिटिंग और उपस्करों को कोई नुकसान पहुंचता है तो ठेकेदार उसके लिए जिम्मेदार होगा परन्तु यह तब जब ऐसा नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किया गया हो।

6. **अतिरिक्त-पुर्जे-भंडार की स्थापना**

6.1 ठेकेदार अपने परिसर में अनुसूची 'ख' में यथा उपबंधित एक अतिरिक्त-पूर्जा-भंडार की मासिक किराए पर व्यवस्था करेगा जिससे पोत कक्षों को नष्ट करके उन्हें पुनः फिट किए जाने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया जा सके। ऐसा सामान सामान्यतः नौसेना कार्मिकों द्वारा पोत से अतिरिक्त पुर्जा भण्डार तक और वहां से पोत तक ले जाया जाएगा किन्तु युद्धपोत ओवरसियर द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर ठेकेदार भी सामान के परिवहन में सहायता देगा। ऐसा परिवहन सरकार के खर्च पर किया जाएगा।

6.2. ठेकेदार परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भंडार गृह के ताले में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी किन्तु वह भंडार गृह में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. **निरीक्षण**

7.1 ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर और उसके कर्मचारिवृन्द को, संलग्न अनुसूची के अनुसार किराए के संदाय पर कार्यालय स्थान और सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उन्हें अपना यह समाधान करने के लिए देगा कि जलयान मशीनरी और विद्युत अधिष्ठापनों की मरम्मत, कार्यकौशल और फिटिंग, विशिष्टियों और विनिर्देशों के अनुसार की जा रही है या की गई हैं और इस प्रयोजन के लिए, युद्धपोत ओवरसियर को ठेकेदार के संकर्म तक संविदा के दौरान किसी भी समय पूर्ण और अबाध पहुंच प्राप्त होगी और वह ठेकेदार से, उसके परिसर में या किसी अन्य स्थान पर, किसी भी वस्तु के निरीक्षण की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार किसी उप-संविदा के बारे में भी, जो वह इस संविदा के उपबन्धों के अधीन करता है, वैसा ही अधिकार आरक्षित करेगा।

7.2 ठेकेदार ऐसे परीक्षणों से संबंधित समस्त खर्च का संदाय करेगा और किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना ऐसी समस्त सामग्री, औजारों, श्रमिकों और प्रत्येक प्रकार की सहायता की व्यवस्था करेगा जिसे युद्धपोत ओवरसियर किसी जांच और परीक्षण के लिए आवश्यक समझे और जिसकी वह ठेकेदार के परिसर पर किए जाने की अपेक्षा करे तथा वह उससे संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगा। यदि ठेकेदार अपने खर्च पर परीक्षण के लिए इन सुविधाओं को जुटाने में असफल रहता है (जिसके बारे में युद्धपोत ओवरसियर एकमात्र निर्णायक होगा) तो ठेकेदार ऐसे परीक्षण अन्यत्र कराने का खर्च वहन करेगा।

7.3 युद्धपोत ओवरसियर को, ऐसे परीक्षणों के लिए सभी सामान या उसकी भागरूप सामग्री या उसका कोई भाग रखने का अधिकार होगा, जो वह यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे कि वह विनिर्देशों के अनुसार है या नहीं। युद्धपोत ओवरसियर की किसी सामान, सामग्री, कौशल या फिटिंगों को नामंजूर करने की शक्ति होगी और वह ठेकेदार को उसकी बाबत सभी सलाह और जानकारी भी देगा।

7.4 युद्धपोत ओवरसियर द्वारा सामान आदि नामंजूर कर दिए जाने की दशा में, ठेकेदार ऐसी नामंजूरी की तारीख से 14 दिन के भीतर उप-नौ सेनाध्यक्ष, नौ सेना मुख्यालय को अपील करने का हकदार होगा। सभी तकनीकी विषयों में उक्त नौ सेनाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

8. लेखा

8.1 ठेकेदार सरकार के लिए निष्पादित किए जाने वाले उक्त कार्य के प्रत्येक आदेश के लिए पृथक् लेखा रखेगा और उसे पृथक् कार्य संख्यांक आवंटित करेगा और वे कार्य संख्यांक इस संविदा से संबंधित सभी लेखाओं, बीजकों और अन्य दस्तावेजों में स्पष्टतः इस प्रकार दर्शित किए जाएंगे कि सरकार द्वारा यथा विहित कार्य की पृथक् मदों पर हुए व्यय का अलग-अलग पता लग सके।

8.2 ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर को उक्त कार्य से संबंधित प्रत्येक कार्य संख्यांक के लिए श्रमिकों और सामग्री के वास्तविक आवंटन दर्शित करने वाला एक विवरण नियमित अन्तराल पर, प्रस्तुत करेगा। तिरते हुए पोत और कर्मशाला के लिए आबंटित श्रमिकों का अनन्तिम विवरण युद्धपोत ओवरसियर को प्रतिदिन दोपहर में दिया जाएगा। ठेकेदार या उप-ठेकेदारों के और पोत, कर्मशालाओं या जल पर प्रति घंटा आधार पर काम पर लगाए गए उपस्करों (वायु सम्पीड़ितों, डीजल जनित्र, झलाई संयंत्र आदि) का दैनिक विवरण भी युद्धपोत ओवरसियर को अग्रेषित किया जाएगा।

8.3 ठेकेदार, जहां अपेक्षित हो, किसी लागत लेखा या अन्य लेखा या लेखा-बही, वाउचर, रसीद, पत्र ज्ञापन, लिखित कागज, या ऐसे किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि या सारांश को ऐसे किसी अधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा या कराएगा जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो और इस संविदा के निष्पादन से संबंधित या इस संविदा के निष्पादन का खर्च सत्यापित अथवा अभिनिश्चित करने के लिए यथा अपेक्षित रूप में सत्यापित, सुसंगत, जानकारी और विवरणियां देगा (किसी दस्तावेज, जानकारी या विवरणी की सुसंगतता के प्रश्न पर सरकारी अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा)।

8.4 इस खण्ड द्वारा अधिरोपित बाध्यता, ठेकेदार पर आबद्धकर किसी कानून, नियम या आदेश के अधीन ठेकेदार की बाध्यताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

8.5 यदि प्राधिकृत सरकारी अधिकारी (कीमतों के अन्तिम रूप से नियत कर दिए जाने के पूर्व या पश्चात्) ऐसी अपेक्षा करे तो, ठेकेदार संबंधित सरकारी अधिकारी को, विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने और वस्तुओं की उत्पादन लागत का परिकलन या अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, अपने (ठेकेदार के) संकर्मों का निरीक्षण करने की सुविधाएं प्रदान करेगा।

यदि कार्य के किसी भाग को उप-ठेकेदार द्वारा या किसी समनुषंगी या सहबद्ध फर्म या कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तो ठेकेदार प्रतियोगी कोटेशनें प्राप्त करेगा और प्रस्थापना का चयन, युद्धपोत ओवरसियर द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात् किया जाएगा। जहां तक संभव हो, ठेकेदार तीन कोटेशनें प्राप्त करेगा।

8.6 जब तक कि इस संविदा के अधीन शोध्य रकम के अन्तिम निपटारे के पश्चात् कम से कम दो वर्ष बीत नहीं जाते' ठेकेदार, प्राधिकृत सरकारी अधिकारी के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध कराए जाने के लिए ऊपर उल्लिखित अभिलेख अपने खर्च पर परिरक्षित रखेगा। इस प्रयोजन के लिए अभिलेख में, दैनिक समय-सूची सामान अध्यपेक्षापत्र और इसी प्रकार की अन्य दस्तावेजें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है, यदि अपेक्षित जानकारी को, खाते और अन्य लेखा बहियों में पहले ही उद्धृत कर दिया गया हो और सरकारी अधिकारियों द्वारा सम्यक्तः सत्यापित कर दिया गया हो।

8.7 इस संविदा के परिणामस्वरूप निकलने वाला सभी स्क्रैप सरकार का होगा। ऐसा सभी स्क्रैप ज्येष्ठ नौसेना भंडार अधिकारी, नौसेना भंडार डिपो, घाटकोपर, मुम्बई द्वारा हटा लिया जाएगा। ऐसा स्क्रैप, जो ज्येष्ठ नौसेना भंडार अधिकारी मुम्बई द्वारा हटाया नहीं जा सकता है और उसका व्ययन मै० मजगांव डाक लि० द्वारा किया जाता है, ठेकेदार द्वारा मरम्मत किए गए नौसेना के प्रत्येक पोत के संबंध में, नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार सरकार के जमा खाते किया जाएगा।

वर्ष के दौरान जलयान पर खपत की गई सामग्री की लागत — वर्ष के दौरान स्क्रैप का विक्रय

वर्ष के दौरान ठेकेदार द्वारा खपत की गई कुल सामग्री की लागत।

9. संदाय

9.1. ठेकेदार उक्त कार्य उसमें लगाए गए श्रम और सामग्री की वास्तविक लागत और इसके संलग्न अनुसूची 'ख' के पाद-टिप्पण के साथ पठित उसमें यथा उपवर्णित विभिन्न भत्तों, प्रभारों और लाभ पर करेगा, किन्तु उसमें इस संविदा में ठेकेदार के व्यय पर किए जाने के लिए अनुबंधित किसी कार्य की लागत सम्मिलित नहीं होगी।

9.2. श्रम, सामग्री की वास्तविक लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय तथा लाभ निम्नलिखित रूप में, अवधारित किए जाएंगे:—

(क) श्रम की लागत से, उत्पादन मजदूरी की वह वास्तविक रकम अभिप्रेत है जिसमें छुट्टी, उपदान और बोनस के, लिए समुचित रकम सम्मिलित है तथा जो ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य पर सीधे लगाए अपने कर्मचारियों को संदत्त की जाती है और उक्त कार्य के लिए समुचित रूप से प्रभार्य है। विशेष भत्तों और अतिकाल संदायों के बारे में पृथक् रूप से कथन किया जायेगा। यह लागत श्रम-घंटा दर के रूप में अभिव्यय की जाएगी।

(ख) सामग्री की लागत से उक्त कार्य में उपयोग की गई और उसके लिए उचित रूप से प्रभार्य सामग्री की भारित औसत कीमत अभिप्रेत है जिसमें से बट्टा, रिबेट और अन्य मोकों की, वे चाहे जो भी हों, कटौती कर दी गई है।

ठेकेदार समस्त नियंत्रित सामग्री नियंत्रित कीमतों पर प्राप्त करेगा किन्तु ठेकेदार को दी गई आयात अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित इस्पात के लिए संदाय उसी आधार पर किया जाएगा जिस पर अनियंत्रित सामग्री के लिए किया जाता है। अन्य सामग्री निम्नतम संभव कीमतों पर प्राप्त की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जब भी संभव हो, ठेकेदार बाजार के मान्यताप्राप्त अनुमोदित व्यौहारियों से कम से कम तीन प्रतियोगी निविदाएं प्राप्त करेगा। अस्वीकृत सामग्री, फिटिंगों और श्रम की लागत की बाबत ठेकेदार द्वारा प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम दावे या दावों में स्पष्टतः विनिर्दिष्ट की जाएगी और सरकार सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चित करेगी कि क्या सरकार द्वारा ऐसी लागत या उसके किसी भाग को वहन किया जाना चाहिए या नहीं।

(ग) प्रत्यक्ष व्यय, लागत, श्रम और सामग्री पर किए गए व्ययों से भिन्न वे व्यय हैं जो वास्तव में किए गए हैं और इस संविदा के लिए सीधे किए गए माने जा सकते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष व्ययों और उनकी दरों की सूची इस संविदा की अनुसूची 'ख' के रूप में संलग्न है। प्रत्यक्ष व्ययों की कीमत पृथक् कार्य संख्यांक के रूप में लगाई जाएगी और उसे त्रुटिपूर्ण सूची मदों में समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

(घ) अनुज्ञात लाभ प्रतिशतता से, इस संविदा के निष्पादन में उपगत कुल व्यय पर अनुज्ञातकुल 5प्रतिशत अभिप्रेत है और उसमें ऐसे समायोजन परिवर्तन किए जा सकते हैं जो सरकार पोतों के सभी मरम्मत कार्यों के लिए अन्तिम रूप से अवधारित करे। किन्तु इस प्रयोजन के लिए कुल व्यय की संगणना करने में, सरकार द्वारा या उसकी मार्फत ठेकेदार को प्रदाय किए गए उपस्कर, मशीनरी या सामान की लागत और इस संविदा के संबंध में सरकार द्वारामुफ्त प्रदाय किए गए ईंधन, तेल और स्नेहक की लागत, उप-संविदा कार्य की लागत, जिसके अन्तर्गत ठेका श्रम और उसपर पर्यवेक्षण प्रभार भी हैं, शुल्क डाक संपीड़ित, लांच और लारी के भाड़ा प्रभार, विद्युत ऊर्जा की लागत और विक्रय कर अपवर्जित कर दिए जाएंगे।

9.3. उप-संविदा की लागत वह है जो ऐसे श्रम, सामग्री या सेवा संबंधी, जो उक्त कार्य के लिए अनन्यतः उपलब्ध की गई हैं, उप—संविदा की वास्तविक लागत है जिसमें से भी प्रकार के बट्टों, रिबेटों और अन्य मोकों को निकाल दिया गया है।

9.4. ठेकेदार को उप-संविदा कार्य (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के लिए उप-संविदा कीमत के 2 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार का संदाय किया जाएगा। ठेकेदार को नौसेना प्रदाय मदों की बाबत सम्हलाई प्रभारों का भी, सिवाए उस दशा के जब ठेकेदार से ऐसी मदों का भण्डार करने या उनका अनुरक्षण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, संदाय किया जाएगा।

9.5. यदि किसी प्रक्रम पर अन्वेषण के पश्चात् सरकार द्वारा यह पाया जाता है कि लागत में सम्मिलित की गई कोई रकम सरकारी कार्य की वास्तविक लागत से अधिक है, तो ऐसी रकम या रकमों में ऐसी कटौती या कमी की जा सकेगी, जो परस्पर तय पाई जाए।

9.6. इस संविदा के लिए संदाय, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना), मुम्बई द्वारा ठेकेदार से बिल की प्राप्ति पर, निम्नलिखित रूप में किए जाएंगे :—

(क) पूर्ववर्ती मास के दौरान पूरे किए गए कार्य की लागत के संबंध में बिल प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह के भीतर 90 प्रतिशत, परन्तु यह तब जब कि युद्धपोत निरीक्षण दल के किसी जेष्ठ अधिकारी का निम्नलिखित प्रमाणपत्र बिल के साथ संलग्न हो :—

"प्रमाणित किया जाता है कि ठेकेदार द्वारा बिल सं० तारीख————————में दावा की गई रकम————से तक की अवधि के दौरान तथा————————को ठेकेदार द्वारा वास्तविक रूप से पूरे किए गए कार्य के संबंध में है जो नौ सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित त्रुटि सूची के अनुसार और/या जलयान की बाबत इस संगठन द्वारा लिखित रूप में दिए गए अनुदेशों के अनुसार है और दावा की गई रकम संविदा के निबन्धनों के अनुसार है"।

(ख) परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुल लागत का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत।

(ग) युद्धपोत निरीक्षण दल के ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा लागत विश्लेषण पूरा कर दिये जाने पर और उसके इस प्रमाणन पर कि श्रम और सामग्री की लागत का संबंध उसी श्रम और सामग्री से है जिसका उपयोग उक्त कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक रूप से उपयोग किया गया है और उसमें ऐसे किसी कार्य की लागत सम्मिलित नहीं है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या जिसके लिये ठेकेदार संविदा के निबन्धनों के अधीन किसी संदाय का हकदार नहीं है और यह कि परा कार्य, नौ सेना मुख्यालय द्वारा यथा अनुमोदित जलयान की त्रुटि-सूची में उल्लिखित है और या ज्येष्ठ अधिकारी, युद्धपोत निरीक्षण दल द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिये गये अनुदेशों के अनुसार है, समाधानप्रद रूप में पूरा कर दिया गया है, 5 प्रतिशत।

(घ) ठेकेदार के लेखाओं की जांच समाधानप्रद रूप में पूरी हो जाने पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत।

9.7. इस संविदा के अधीन ठेकेदार से शोध्य और उसे संदेय कोई धनराशि, इस संविदा या सरकार के साथ ठेकेदार द्वारा की गई किसी अन्य संविदा के अधीन या उससे प्रोद्भूत धनराशि के संदाय के लिये सरकार के किसी दावे की बाबत सरकार द्वारा, विनियोजित या मुजरा की जा सकेगी। इस संविदा के अधीन ठेकेदार से वसूलनीय कोई धनराशि सरकार द्वारा ऐसी किसी राशि से काटी जा सकेगी जो इस संविदा के या किसी अन्य संविदा के अधीन सरकार से ठेकेदार को उस समय शोध्य हो या तत्पश्चात् शोध्य हो जाए। यदि यह राशि संदेय पूरी रकम को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो ठेकेदार सरकार को, मांगकिये जाने पर, संदेय अतिशेष बिना किसी आपत्ति के संदाय करेगा।

10. परीक्षण

10.1. ठेकेदार विनिर्देशों में उपबंधित रीति से हल, मशीनरी, विद्युत प्रतिष्ठापन और अन्य प्रकीर्ण उपस्करों पर किये गये कार्य के लिये सामुद्रिक परीक्षण सभी प्रकार से अपने खर्च और जोखिम पर और युद्धपोत ओवरसियर या इस प्रयोजन के लिये नौ सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को समाधानप्रद रूप में कराएगा किन्तु सामुद्रिक परीक्षण प्रारम्भ होने तक सभी आधारिक परीक्षणों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

10.2. यदि परीक्षण की समाप्ति पर, ऐसी कोई मशीनरी, जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा की गई हो, युद्धपोत ओवरसियर द्वारा अपेक्षित रूप में परीक्षा के प्रयोजनार्थ खोली जानी है तो वह कार्य ठेकेदार द्वारा और उसके व्यय पर किया जाएगा।

10.3. ऐसे परीक्षणों में प्रयोग किये जाने वाले ईंधन और स्नेहक तेलों का प्रदाय सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाएगा (जिसका भण्डार ठेकेदार फलक पर रखेगा) किन्तु ऐसे परीक्षण के लये आवश्यक अन्य सामानों, औजारों और अन्य वस्तुओं का प्रदाय ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा।

10.4. परीक्षण का स्थान और उसकी रीति, उसी युद्धपोत ओवरसियर द्वारा लिखित और अग्रिम रूप में अनुमोदित की जाएगी, जो परीक्षण के दौरान जलयान के नौचालन की व्यवस्था करेगा।

10.5. ठेकेदार, नौ सेना मुख्यालय द्वारा प्रदाय की गई मदों में त्रुटिपूर्ण डिजाइन या त्रुटि के कारण किये गए पुनः परीक्षणों के खर्च के लिये दायी नहीं होगा, परन्तु यह तब जब ऐसे पुनः परीक्षण, ठेकेदार की ओर से ऐसी मदों की फिटिंग या देखभाल और दक्षतापूर्ण संरक्षण में की गई किसी उपेक्षा के कारण न हुए हों।

87-L/P(N)227MofLJ&CA—16

10.6. उपर्युक्त परीक्षणों के पश्चात् ऐसी किसी त्रुटि को, जो युद्धपोत ओवरसियर की राय में दिखाई देती हो, ठेकेदार युद्धपोत ओवरसियर को समाधानप्रदरूप में, अपने खर्च पर, यथासंभव शीघ्र सुधारेगा और युद्धपोत ओवरसियर को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि युद्धपोत ओवरसियर को समाधानप्रद रूप में उक्त त्रुटि सुधार दिये जाने के पश्चात् ठेकेदार के व्यय पर और परीक्षण किये जाएं। यदि किसी कार्य का नौ सेना स्थापनों में किया जाना अपेक्षित हो तो ठेकेदार सभी विषयों की बाबत इन स्थापनों में प्रवृत्त नियमों, विनियमों और अपेक्षाओं का पालन करेगा।

11. मरम्मत का पूरा किया जाना और जलयान ग्रहण करना

11.1. कार्य के लिये आदेश प्राप्त होते ही ठेकेदार अविलम्ब सरकार को वह तारीख सूचित करेगा जिसको कार्य पूरा होने की आशा है (यह तारीख नौ सेना द्वारा प्रदाय की जाने वाली मदों की प्राप्ति की तारीख और मदों की अन्तिम त्रुटि सूची के तैयार किये जाने की तारीख के अधीन रहते हुए होगी)। ठेकेदार इस तारीख का, यथासंभव पालन करेगा जब तक कि विलम्ब के कारण उसके नियंत्रण के परे न हो जिस दशा में सरकार कार्य के पूरा किये जाने के समय में वृद्धि मंजूर कर देगी।

11.2. यदि ठेकेदार की कार्य-प्रगति किसी भी कारणवश इतनी कम है कि सरकार की राय में, जो निश्चायक होगी, ठेकेदार कार्य या उसके किसी भाग को समय के भीतर पूरा करने में असमर्थ रहेगा या यदि वह यह कार्य इस संविदा के अनुसार पूरा नहीं करता है या यदि वह सरकार द्वारा उसे दिये गये किसी निदेश का पालन करने में उपेक्षा करता है या किसी भी प्रकार संविदा का पालन करने में असफल रहता है तो सरकार संविदा समाप्त होने की घोषणा कर सकेगी और तब ठेकेदार ऐसे किसी व्यय, हानि या नुकसान के लिये दायी होगा जो सरकार को ठेकेदार के व्यतिक्रम के कारण या उसके संबंध में उपगत करना या उठाना पड़े। इस बाबत सरकार का निनिश्चय अन्तिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

11.3. ठेकेदार परीक्षणों के दौरान और परीक्षा स्थल तक और वहां से जलयान के फलक पर आसुत और ताजा जल तथा अन्य उपभोज्य सामग्री का, संदाय किये जाने पर, प्रदाय करेगा।

11.4. विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिये जाने के और संविदा के सभी निबन्धनों का पालन कर दिये जाने के पश्चात् युद्धपोत ओवरसियर एक स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगा और जलयान सरकार द्वारा ठेकेदार से ग्रहण कर लिया जाएगा।

11.5. यदि उक्त कार्य के पूरा किए जाने में हड़ताल, तालाबंदी माल/सामग्री के परिदान में विलम्ब, युद्ध, अग्नि या ठेकेदार के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब होता है तो उक्त कार्य को पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया जाएगा ऐसी वृद्धि की सूचना, घटना के घटित होने से 7 दिन के भीतर ठेकेदार से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सरकार द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी।

12. गारंटी

ठेकेदार जलयान ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि तक ऐसी किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार होगा जो संविदा द्वारा उपबंधित परिस्थितियों में और उसके समुचित उपयोग के दौरान, खराब सामग्री के कारण (जो विनिर्देश के अनुसार नहीं है और जिसके लिए युद्धपोत निरीक्षण दल ने कोई छूट नहीं दी है) अथवा जब तक कि युद्धपोत ओवरसियर द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया गया है, ठेकेदार द्वारा कार्य के त्रुटियुक्त परिनिर्माण के कारण, उत्पन्न हो जाए और वह ऐसी त्रुटियों को सरकार द्वारा सूचित किए जाने पर और ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, बिना किसी प्रभार के दूर करेगा। यदि ठेकेदार के लिए इस खण्ड के अधीन कार्य के किसी दोषपूर्ण भाग का प्रतिस्थापन या नवीकरण आवश्यक हो जाता है तो इस खण्ड के उपबन्ध इस प्रकार प्रतिस्थापित या नवीकृत कार्य-भाग को ऐसे प्रतिस्थापन या नवीकरण की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक लागू होंगे।

13. क्षतिपूर्ति

13.1. ठेकेदार अपने कार्य से संबंधित किसी प्रक्रिया में लगे हुए किसी व्यक्ति की, चाहे वह कर्मकार हो या नहीं, मृत्यु या उसको कारित क्षति की बाबत सभी दावों के विरुद्ध या किसी भी प्रकार की शोध्य राशियों के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और सकरार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किए गए किसी दावे का या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 या समय-समय पर प्रवृत्त और उक्त कार्य को लागू किसी अन्य अधिनियम या विधि के अधीन लाए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार के पास ऐसी कोई पर्याप्त राशि जमा नहीं कर देता जो ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में सरकार को उपगत करनी पड़ सकती हो।

87-M/P(N)227MofLJ&CA—16(a)

13.2. ठेकेदार किसी सम्पत्ति को हुए किसी भी नुकसान की बाबत, जहां तक कि ऐसा नुकसान कार्य के निष्पादन से या उसके दौरान या उसके कारण हुआ हो, किसी दायित्व, हानि, दावे या कार्यवाही के लिए दायी होगा और उस बाबत सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा, परन्तु यह तब जब ऐसा नुकसान ठेकेदारों, उसके सेवकों या अभिकर्ताओं या किसी उप ठेकेदार की उपेक्षा, लोप अथवा व्यतिक्रम के कारण हुआ हो या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन किसी परिस्थिति के कारण हुआ हो।

14. माध्यस्थम्

यदि इन शर्तों के अधीन या इस संविदा के अथवा इस संविदा की किसी विशेष शर्त के संबंध में कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद (ऐसे विषयों को छोड़ कर जिनके विनिश्चय के लिए इन या विशेष शर्तों में विशेष रूप से उपबंध किया गया है) उत्पन्न होता है तो वह सचिव, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को उसके एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसको उन मामलों के संबंध में कार्रवाई करनी पड़ी है जो इस संविदा से संबंधित है अथवा यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी मामलों या किसी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अधिनिर्णय देने और उसे प्रकाशित करने के समय में, पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर वृद्धि कर सकेगा।

ऐसे प्रत्येक निर्देश में, निर्देश और अधिनिर्णय के आनुषंगिक खर्चों का निर्धारण, मध्यस्थ स्वविवेकानुसार करेगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम अधिनियम, 1940 और तद्धीन बनाए गए नियम तथा उसके कानूनी उपान्तरण, जो तत्समय प्रवृत हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

संविदा के अधीन कार्य, यदि संभव हो तो, माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और सरकार को शोध्य या उसके द्वारा देय कोई संदाय ऐसी कार्यवाहियों के कारण रोका नहीं जाएगा।

माध्यस्थम् का स्थल नई दिल्ली होगा।

15. प्रतिपूर्ति

15.1. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस संविदा के संबंध में किसी कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 से अवगत हैं और उन्होंने उसके उपबन्धों का पालन करने का वचनबंध किया है।

15.2. ठेकेदार जलयान की डिजाइन, सन्निर्माण, उपस्कर और पूर्ति के संबंध में भी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और इस बाबत सरकार द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा। यदि सकार ऐसे सुरक्षा उपायों को, जो पूर्ण सुरक्षा करने के लिए किए गए हैं या किये जा रहे हैं या किए जाएंगे, जांच करना चाहती है तो ठेकेदार उन्हें साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

15.3. उप ठेकेदारों को कोई जानकारी देते समय ठेकेदार, उप-ठेकेदारों को केवल ऐसी जानकारी देगा जो कार्य उन्हें सौंपे गए भाग को क्रियान्वित करने के लिए अत्यावश्यक हो सकती है और ऐसी जानकारी देने के पूर्व उनसे लिखित रूप में यह वचनबंध प्राप्त करेगा कि उनको दी गई जानकारी उनके द्वारा पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी रूप में प्रकट नहीं की जाएगी।

15.4. ठेकादार द्वारा उप ठेकेदारों को दिए गए सभी रेखाचित्र और विनिर्देश इस प्रकार बनाए जाएंगे कि उनसे संविदा में सम्मिलित कार्य के केवल ऐसे भाग की रूपरेखा उपदर्शित हो जो उप-ठेकेदारों के, अपने से संबंधित कार्य भागों को क्रियान्वित करने की बाबत, मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हो। ऐसे सभी रेखाचित्र/विनिर्देश सर्वप्रथम युद्धपोत ओवरसियर को, उसकी सहमति के लिए, निर्देशित किए जाएंगे और युद्धपोत ओवरसियर द्वारा लिखित रूप में उनका अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् वे उप ठेकेदारों को दे दिए जाएंगे।

16. सूचनाएं

इस संविदा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, सरकार द्वारा इसके अधीन की जाने वाली सभी कार्रवाइयां और दी या ली जाने वाली सभी सूचनाएं निदेशक, नौ सेना निर्माण कार्य, नौ सेना मुख्यालय द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय उक्त निदेशक के कृत्य, कर्तव्य, और शक्तियां सौंपी गई हों, इस निमित्त की जा सकेंगी और दी या ली जा सकेंगी।

इस संविदा के निष्पादन के पश्चात ठेकेदार, इस संविदा के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बातों के संबंध में नौ सेना निर्माण-कार्य के उक्त निदेशक से सीधे संपर्क करेगा।

17. **विशिष्टियों की वापसी**

ठेकेदार, जिसमें उसके उप ठेकेदार भी सम्मिलित हैं, सभी रेखाचित्रों और विनिर्देशों को अच्छी हालत में वापस करने के लिए जिम्मेदार है, जबतक कि सरकार द्वारा उसे विनिर्दिष्टतः यह सूचना नहीं दी जाती कि उनकी वापसी आवश्यक नहीं है। विनिर्देश और/या यह रेखाचित्र वापस करने में असफल रहने या उन्हें पूर्णतः अच्छी हालत में वापस न करने की दशा में ठेकेदार को, परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में सरकार को ऐसी रकम का तुरन्त संदाय करने के लिए दायी ठहराया जाएगा जो सरकार उचित समझे और ठेकेदार का उन विनिर्देशों और रेखाचित्रों के लिए, जिनके लिए उसे उक्त संदाय करना पड़ता है, कोई दावा नहीं होगा।

18. **रिपोर्टें और विवरणियां**

ठेकेदार ऐसी कालिक रिपोर्टें और विवरणियां देगा, जो कार्य की प्रगति या सरकार द्वारा उस पर किए गए व्यय को देखने के लिए, परस्पर तय पाई जाएं।

19. **छूट**

19.1. सरकार द्वारा ठेकेदार को दी गई किसी छूट या अनुग्रह का, इस संविदा के अधीन सरकार के अधिकारों पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19.2. ठेकेदार इसमें या सरकार द्वारा अधिकथित किन्हीं विशेष शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सभी प्रकार से संविदा के निष्पादन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है।

20. **विशेष शर्तें**

यदि इस संविदा से संबंधित किसी कार्य के किए जाने की बाबत कोई विशेष शर्तें विहित की जाती हैं और ऐसी शर्तें उन शर्तों से भिन्न हैं जो इसमें उल्लिखित हैं तो ऐसी विशेष शर्तें अभिभावी होंगी और इसमें उल्लिखित शर्तें अप्रभावी मानी जाएंगी।

विभिन्न सेवाओं के लिए ठेकेदार की प्रस्थापना

निविदा सं०————————————

ठेकेदार का तार का पता :

————————————

टेलीफोन सं०————————

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।

महोदय,

सेवाओं के लिए प्रस्थापना—मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है) इसके साथ संलग्न अनुसूची में प्रगणित सेवाएं, उसमें कथित दरों पर,————————के दौरान तारीख————————से प्रारम्भ होकर ——को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं। मैंने/हमने निविदा-आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश में यथा उल्लिखित अनुदेश और निविदा की शर्तों को तथा करार प्ररूप में जिसकी एक नमूना-प्रति निविदा आमंत्रण और निविदा-कारों को अनुदेश के साथ संलग्न है, उल्लिखित निबंधनों और शर्तों को भी, सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम पूर्वोक्त निविदा आमंत्रण और विनिविदाकारों को अनुदेश के उपबंधों तथा पूर्वोक्त करार-प्ररूप में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होने का करार करता हूं/करते हैं।

2. **प्रस्थापना खुली रहना**—मैं/हम प्रस्थापना को————————तक खुली रखूंगा/रखेंगे तथा उसे उक्त अवधि के दौरान न तो वापस लूंगा/लेंगें और न उसमें कोई संशोधन या उपान्तरण करूंगा/करेंगे। मैं/हम विहित समय के भीतर भेजे गए स्वीकृति पत्र से आबद्ध रहूंगा/रहेंगे। मैंने/हमने अग्रिम धन जमा कर दिया है। मैंने/हमने समझ लिया है कि मेरी/हमारी ओर से इस अनुबंध के प्रतिफलस्वरूप मुझे/हमें निविदा दस्तावेजें जारी किए गए हैं और निविदा करने की अनुज्ञा दी जा रही है कि निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं/हम निविदाओं के खोले जाने की तारीख से————दिन तक अपनी प्रस्थापना से पीछे नहीं हटूंगा/हटेंगे या उसके निबंधनों और शर्तों में उपांतरण नहीं करूंगा/करेंगे और यदि मैं/हम पूर्वगामी अनुबंध का पालन और अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा।

3. **अग्रिम धन का समपहरण**—मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि यदि मैं/हम स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर संविदा के अधीन कार्य स्वीकार करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जायेगा।

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर,
वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर करता है अर्थात्, एकमात्र स्वत्वधारी, आदि के रूप में

तारीख————————

पता————————

साक्षी :

नाम :————————

पता :————————

उपजीविका :————————

साक्षी :

नाम :————————

पता:————————

उपजीविका :————————

निविदा—अनुसूची

1. कार्य की प्रकृति :	जिल्द साजी का कार्य
2. निविदा किसे संबोधित की जानी है :	भारत के राष्ट्रपति
3. निविदा किसे भेजी जानी है :	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, ———————— ———————————— ————————————
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख :	————————————
5. निविदा खोले जाने का समय, तारीख और स्थान :	———————————— ————————————
6. स्वीकार की जाने के लिए निविदा किस तारीख तक खुली रहेगी :	————————————
7. निविदा दरें :	इस अनुसूची के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार
8. निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले की हैसियत :	फर्म का————————————
9. अग्रिम धन के————————————रुपए जमा कर दिए गए हैं	रसीद सं०———————————— तारीख————————————
10. निविदा आमंत्रण, निविदाकारों को अनुदेश और करार प्रारूप में उल्लिखित संविदा की वे शर्तें जो इस संविदा को लागू हैं।	

निविदाकार के हस्ताक्षर

साक्षी :

1. ———————— हैसियत————————————

2. ———————— तारीख————————————

जिल्दसाजी के कार्य के लिए करार

करार के पक्षकार—यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स ———— (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख———— को किया गया ।

सरकार द्वारा निविदा आमंत्रण के अनुसरण में ठेकेदार ने इसमें आगे उल्लिखित जिल्दसाजी के कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की है ।

सरकार ने ठेकेदार की उक्त निविदा को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया है कि पक्षकार निम्नलिखित रूप में एक औपचारिक करार निष्पादित करें ।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

1. **दरें**—ठेकेदार, ऐसे सभी जिल्दसाजी कार्य के लिए, जो इसकी अनुसूची में वर्णित हैं और जिनकी सेना मुख्यालय के कार्यालयों और आई. एस. ओ., दिल्ली और नई दिल्ली द्वारा अपेक्षा की जाए और जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मन्त्रालय द्वारा सौंपे जाएं, उक्त अनुसूची में वर्णित दरों पर करने का करार करता है ।

2. **अतिरिक्त कार्य के लिए दरें**—यदि ठेकेदार से कोई अन्य कार्य, जो उक्त अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, करने की अपेक्षा की जाती है तो ठेकेदार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लिखित अनुदेश प्राप्त होने पर, पहले करार की गई दरों पर करेगा ।

3. **नुकसान/हानि की पूर्ति करना**—ठेकेदार, करार के प्रयोजन के लिए उसे सौंपी गई सम्पत्ति को होने वाले ऐसे किसी नुकसान या हानि को पूरा करेगा जो उसके या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण होती है । सरकार ऐसे नुकसान या हानि की रकम, ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति से या इसमें आगे उल्लिखित उसके बिलों से या अन्यथा वसूल कर सकेगी ।

4. ठेकेदार सभी कार्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उसकी ओर से कार्यरत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पूर्ण कार्य-कौशल से करेगा ।

5. ठेकेदार, जिल्दसाजी कार्य का आदेश प्राप्त करने के लिए सप्ताह में तीन बार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होगा ।

6. **तत्काल कार्य**—परन्तु यदि ठेकेदार का विचार यह है कि कोई कार्य, जो "तत्काल" चिह्नित है या अन्यथा वह, यथास्थिति, उसी दिन या आदेश से दो दिन के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह यह बात तत्काल मु० प्र० अ०/सी एंड एस–1 के ध्यान में लाएगा, जो उस कार्य को ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर करा सकेगा ।

7. **बिल प्रस्तुत करना**—ठेकेदार अपने को सौंपे गए किसी विशिष्ट कार्य की समाप्ति के पश्चात् सम्बद्ध विभाग से समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित अपने बिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मन्त्रालय को प्रस्तुत करेगा । ऐसे बिल उस मास के, जिस मास में कार्य किया गया है, अन्तिम दिन के पश्चात् से एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । सरकार उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके बारे में यथापूर्वोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, किसी बिल को सामान्यतः न तो स्वीकार करेगी और न उसका संदाय करेगी ।

8. **भुगतान**—बिल प्राप्त हो जाने के पश्चात्, सरकार उनकी जांच करेगी और यदि बिल ठीक पाए जाते हैं, तो ऐसे बिलों के लिए भुगतान, उनकी प्राप्ति और जांच के पश्चात् से तीस दिन के भीतर ठेकेदार, उसके प्राधिकृत अभिकर्ता या उसके सम्यक् रूप से नियत अटर्नी के पक्ष में लिखी क्रास चैक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थानीय शाखा में, कर दिया जाएगा ।

9. **प्रतिभूति निक्षेप जमा करना**—ठेकेदार, अपने द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली———— रुपए (———— रुपए) की राशि रक्षा मुख्यालय डाकखाना, नई दिल्ली में जमा करा चुका है और पास बुक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मन्त्रालय के पास गिरवी रख दी गई है ।

10. **करार की अवधि**—यह करार, इसके आगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए ———————————————————————— को प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

11. **करार समाप्त करना**—दोनों में से कोई भी पक्षकार लिखित रूप में एक दूसरे को तीन मास की सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा, किन्तु इसका पहले से प्रोद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. **ठेकेदार की अपेक्षा आदि के परिणाम**—यदि सरकार की राय हो कि ठेकेदार, संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों या उनके अधीन जारी किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहा है या उसने उपेक्षा की है तो ऐसे मामले में सरकार को अधिकार और हक होगा कि वह इस संविदा के अधीन अपने किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या तो अपने एकमात्र विवेकानुसार, सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग समपहृत कर ले और संविदा, किसी प्रतिकर के लिए दायी हुए बिना, रद्द कर दे अथवा 14 दिन की लिखित सूचना देकर ठेकेदार से ऐसी असफलता या अपेक्षा का उपचार करने के लिए, कहे। यदि ठेकेदार द्वारा सरकार से लिखित सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर ऐसा उपचार नहीं करता है तो सरकार, ठेकेदार को कोई और सूचना दिए बिना, कोई अन्य व्यवस्था करने और ठेकेदार से सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय या सहन की गई कोई हानि वसूल करने की हकदार होगी। ठेकेदार सरकार द्वारा प्राप्त किसी लाभ का भी हकदार नहीं होगा। यदि पूर्वोक्त परिस्थितियों में संविदा रद्द कर दी जाती है तो ठेकेदार, सरकार द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाने पर, किसी भुगतान, की या ठेकेदार द्वारा पहले किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी दावे के तय होने की, प्रतीक्षा किए बिना, ऐसा सभी सरकारी सामान, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा में हो, तत्काल सरकार को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंप देगा। किन्तु ठेकेदार पूरे किए जा चुके कार्य के लिए, जो सरकार की राय में संविदा के निबंधनों के अनुरूप है, सरकार को शोध्य किसी रकम की कटौती के पश्चात् संविदा दरों पर भुगतान का हकदार होगा।

13. **सरकार द्वारा वसूली**—सरकार इस करार के अधीन या इस समय विद्यमान किसी अन्य संविदा के अधीन या ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो भविष्य में की जाए, ठेकेदार के बिलों की रकम में से, ठेकेदार द्वारा सरकार को संदेय कोई राशि, ठेकेदार से वसूल करने की हकदार होगी।

14. **उपहार आदि देने का प्रतिषेध**—ठेकेदार यह या कोई अन्य संविदा प्राप्त करने या उसके निष्पादन के सम्बन्ध में कोई कार्य करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या किए जाने या किए जाने से प्रविरत रहने के लिए या इस या किसी अन्य संविदा के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात करने या पक्षपात करने से प्रविरत रहने या अननुग्रह प्रदर्शित करने के लिए कोई उत्प्रेरण या इनाम के रूप में कोई उपहार या किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल, सरकार की सेवा में लगे किसी व्यक्ति को, न तो प्रस्थापित करेगा, न देगा और न देने के लिए करार करेगा।

15. यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति, चाहे ऐसे ठेकेदार की जानकारी में या उसके बिना, इस शर्त को भंग करता है तो सरकार, इस करार को तत्काल रद्द करने और, सरकार को उपलब्ध अन्य उपचारों के अतिरिक्त, ठेकेदार से ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप हुई कोई हानि या नुकसान वसूल करने की, हकदार होगी।

16. **ठेकेदार को विभिन्न नियमों की जानकारी**—ठेकेदार को रक्षा मुख्यालय के सुरक्षा नियमों से अवगत करा दिया गया है और वह सुरक्षा संगठन (सशस्त्र बलों के मुख्यालय) को लागू और उसके द्वारा प्रवर्तित सुरक्षा सावधानियों के बारे में सभी नियमों का अनुपालन करेगा। उक्त सुरक्षा नियमों में से किसी के भी भंग किए जाने पर सरकार, कोई सूचना दिए बिना, तत्काल यह संविदा समाप्त करने की हकदार होगी। यह उपचार उन अन्य उपचारों के अतिरिक्त होगा जो सरकार को विधि के अनुसार या इस करार के अधीन ठेकेदार के विरुद्ध उपलब्ध हों।

17. **माध्यस्थम् खंड**—यदि इस करार में उल्लिखित किसी बात के सम्बन्ध में इसके पक्षकारों के बीच कोई विवाद, प्रश्न या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह संयुक्त सचिव (स्था०) भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो वह नियुक्त करे, उसके एकमात्र माध्यस्थम् के लिए, निर्देशित किया जाएगा। यह आक्षेप नहीं किया जाएगा कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन विषयों की बाबत कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका सम्बन्ध इस करार से है और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में उसने ऐसे विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा तत्समय प्रवृत्त उनके कोई कानूनी उपान्तरण इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होंगे। मध्यस्थ अधिनिर्णय देने या उसे प्रकाशित करने के समय को, पक्षकारों की सहमति से, समय-समय पर बढ़ा सकेगा।

18. **प्राधिकृत अधिकारी**——इस करार के प्रयोजन के लिए, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, [illegible] के सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा और इस करार के निष्पादन के पश्चात् इस करार [illegible] कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी विषयों के बारे में ठेकेदार से व्यौहार करेगा ।

19. इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से

ठेकेदार

साक्षी :

1. ____________________

2. ____________________

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निविदा-आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश

(जिल्दसाजी का कार्य)

सं०———— तारीख ————

प्रेषक :

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

सेवा में,

मैसर्स————

————

विषय : **जिल्दसाजी का कार्य**

प्रिय महोदय,

संविदा-मूल्य—भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है ———— से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए पुस्तक-जिल्दसाजी कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करते हैं। एक वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए संविदा का अनुमानित मूल्य लगभग————रुपए (केवल————रुपए) है ।

2. **निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख**—प्रत्येक मद के लिए दरें दर्शित करने वाली सभी प्रस्थापनाएं, तारीख———— को————बजे तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पास अवश्य पहुंच जानी चाहिए और निविदाएं खोली जाने के पश्चात् से 90 दिन तक, जब तक कि यह अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ा नहीं दी जाती, विधिमान्य रहेंगी। प्रस्थापनाएं सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन पर निविदा का संख्यांक और निविदाएं खोले जाने की तारीख लिखी होनी चाहिए तथा उस पर "जिल्दसाजी कार्य के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए। लिफाफा, श्री————————————ए०सी०ए०ओ० (सी० एंड एस०), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को संबोधित होना चाहिए और निविदाओं की प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय से पूर्व रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजा जाना चाहिए (या कमरा नं०———— के बाहर सी-II, हटमैंट्स, उलहौजी रोड़, नई दिल्ली में रखे गए बक्से में डाल दिया जाना चाहिए। किन्हीं कारणों से, चाहे वे जो भी हों, देर से या अधूरी प्राप्त हुई या इसमें आगे उपबंधित प्ररूप में अग्रिम धन जमा किए बिना, प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. **निविदा प्ररूप भरना**—निविदा प्ररूप में कीमतों में कोई परिवर्तन, ऊपरिलेखन या उनका मिटाया जाना अनुज्ञात नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से ऐसे परिवर्तन अपरिहार्य हैं तो वे सुपाठ्य और निविदाकार द्वारा आद्यक्षरित होने चाहिए। निविदाकारों को अपनी प्रस्थापनाओं से पीछे हटने या उनके निबंधनों और शर्तों का उपान्तरण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी यदि निविदाकार उस तारीख से पूर्व, जिस तक निविदाकार द्वारा निविदा खुली रखी जानी है, निविदा वापस ले लेता है, उसमें संशोधन कर देता है या उसमें कोई और शर्तें जोड़ देता है, तो निविदाकार का अग्रिम धन समपहृत हो जाएगा और निविदाकार की ओर से ऐसे भंग के लिए सरकार के किन्हीं अधिकारी और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, उसका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से निकाल दिया जाएगा ।

4. **प्रस्थापनाओं का खोला जाना**—प्रस्थापनाएं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, कमरा नं०———— सी-II हटमेंट्स, नई दिल्ली के कार्यालय में तारीख————को————बजे खोली जाएंगी और सभी निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ऊपर उल्लिखित समय, तारीख और स्थान पर प्रस्थापनाओं के खोले जाने के समय उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

5. **निविदा पर हस्ताक्षर**—निविदाओं पर स्वयं निविदाकार या ऐसे किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर करने चाहिए जो निविदाकार/निविदाकारों को, चाहे वह व्यष्टि हों, फर्म हों या कम्पनी हों, आबद्ध करने के लिए सम्यक्तः प्राधिकृत हो और यदि जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था तो सरकार, अन्य सिविल और दांडिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निविदा रद्द कर सकेगी और खर्च तथा नुकसान के लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकेगी ।

6. **अग्रिम धन का जमा किया जाना**—निविदाकार, निविदा के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में अग्रिम धन की बाबत————————रुपए (————————रुपए) देगा, यह रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से "मांग पर जमा रसीद" के रूप में दी जा सकेगी। इस प्रकार जमा कराया गया अग्रिम धन किसी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् असफल निविदाकारों को तुरन्त वापस कर दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । वह अग्रिम धन, जो इस कार्यालय द्वारा किसी अन्य संविदा के लिए रखा गया हो, वर्तमान निविदा के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा और न ही अग्रिम धन नकद रूप में या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के पक्ष में किसी बैंक द्वारा, प्रत्याभूत चैक द्वारा, स्वीकार किया जाएगा । अग्रिम धन का कोई समायोजन किसी निविदाकार के ऐसे लंबित बिलों में नहीं किया जाएगा जो इस कार्यालय ने निविदाकार को भुगतान के लिए रख लिए हों ।

7. **निविदा-आमंत्रण का संविदा का भागरूप होना**—यह निविदा आमंत्रण संविदा का भागरूप होगा और वह संविदा के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा अनुबंधित शर्तों को निविदाकारों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के प्रतीकस्वरूप, निविदा दस्तावेजों के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करके, निविदाकारों द्वारा वापस कर दिया जाना चाहिए ।

8. **सरकार का निविदा-स्वीकृति संबंधी विवेकाधिकार**—सरकार निम्नतम या किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए या किसी निविदा को अस्वीकार करने के लिए कारण बताने के लिए, आबद्ध नहीं है ।

9. **निविदा-स्वीकृति पत्र**—सरकार द्वारा निविदा की स्वीकृति, एक औपचारिक "निविदा-स्वीकृति" द्वारा सफल निविदाकार को सूचित की जाएगी, किन्तु यदि अग्रिम स्वीकृति, तार या तुरन्त पत्र (एक्सप्रेस लैटर) द्वारा सूचित की जाती है, तो निविदाकार को निविदा की औपचारिक स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा किए बिना तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ।

10. **निविदा का उपपट्टे, आदि पर न दिया जाना**—निविदाकार, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, इस संविदा को किसी अन्य पक्षकार को उपपट्टे पर देने, समनुदिष्ट करने या न्यस्त करने का हकदार नहीं है ।

11. **निविदा-करार का निष्पादन**—ऐसे निविदाकार को, जिसकी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, निविदा की स्वीकृति प्राप्त होने के एक मास के भीतर, सरकार के साथ एक करार निष्पादित करना होगा, जिसका प्ररूप इसके साथ संलग्न है ।

12. **प्रतिभूति निक्षेप**—निविदाकार संविदा का समाधानप्रद निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में————रुपए (————————रुपए) की राशि निविदा-स्वीकृति की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर जमा करेगा । ऐसा प्रतिभूति निक्षेप किसी भी डाकखाने की बचत बैंक (प्रतिभूति निक्षेप लेखा) में जमा किया जा सकेगा और इसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के नाम गिरवी रखा जाएगा तथा पास बुक मु० प्र० अ० को सुपुर्द कर दी जाएगी । ऐसा करने में असफल रहने पर संविदा, आपकी जोखिम और खर्च पर और ऐसे अन्य उपचारों के अधीन रहते हुए, जो इस संविदा के निबंधनों के अधीन सरकार को उपलब्ध हों, रद्द कर दी जाएगी ।

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से ।

रबर स्टांप के लिए दर-संविदा

सं०———————— रजिस्ट्रीकृत

भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय,[1]
नई दिल्ली,

सेवा में,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली–110011

विषय :—सेना मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों के लिए रबड़ स्टांपों के प्रदाय के लिए दर संविदा ।

महोदय,

मंजूरी सूचित करना—मुझे मैसर्स————————से इस पत्र के————————में अधिकथित दरों और शर्तों पर "यथा अपेक्षित" आधार पर सेना मुख्यालय के कार्यालयों, अन्तर सेवा संगठनों और डी०जी०बी० आर० मुख्यालय में प्रयोग के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा रबड़ स्टांप बनवाए जाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित करने का निदेश हुआ है ।

2. **संविदा की विधिमान्यता की अवधि**—दर-संविदा, संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, या जब तक दिल्ली स्थित किसी फर्म से भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय कलकत्ता की नई चालू दर संविदा को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता, एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी ।

3. व्यय का विकलन, मुख्य शीर्ष 269–उपशीर्ष 11-आ(च)(2)(ख)-रक्षा सेवा लेखन सामग्री प्राक्कलन, से किया जाएगा ।

4. यह स्वीकृत वित्त सलाहकार की सहमति से जारी की गई है । उनका अशासकीय पत्र सं०———————— तारीख———————— देखिए ।

भवदीय,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

प्रति निम्नलिखित को :—

1.
2.
3.
4.
5.

संविदा की शर्तें

1. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को, कार्य के बारे में पूछताछ करने के लिए, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन जाना होगा ।

2. ठेकेदार को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर रबड़ स्टाम्प देनी होंगी । तत्काल प्रकृति की स्टाम्पें उसी दिन देनी होंगी तथा उसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।

3. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकेगा । इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा ।

4. यदि ठेकेदार, उसे समनुदिष्ट कार्य विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने में असफल रहता है तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वह कार्य, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, खुले बाजार से करवा सकेगा ।

Index—अनुक्रमणिका

A

Acceptance of Tender	निविदा स्वीकृति	15.11, 24, 66, 128.9
Accounts	लेखा	116.8
Acceptance of title	हक स्वीकार करना	83.15
Acceptance of lowest tender not necessary	निम्नतम निविदा की स्वीकृति आवश्यक नहीं	128.8
Acceptance of part tender	भाग निविदा की स्वीकृति	128.8
Acknowledgement of Acceptance Letter	स्वीकृति पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति	24
Additional Supply at the same rate	अतिरिक्त प्रदाय उसी दर पर	57.42
Agents and employees	अभिकर्ता और कर्मचारी	69.11
Agreement	करार	16.17
Agreement for running a cycle stand	साइकिल स्टैंड चलाने के लिए करार	50
Agreement to do all stitching for Civilian and Service personnel	सिविलियन और सेना अधिकारियों की खारी सिलाई का करार	46.2
Agreement for running Tailoring Shop	दर्जी की दुकान चलाने के लिए व्यवस्था	46
Agreement for collection and removal of garbage	कूड़ाकर्कट के संग्रहण और हटाने के लिए व्यवस्था	26
Agreement's Termination Notice	करार के पर्यवसान की सूचना	88.12
Alterations to be initialled	परिवर्तनों पर ठेकेदार के हस्ताक्षर	6.2
Apportionment of rents and profits	किराया और लाभों का विभाजन	83.19
Appropriation of Security Deposit for loss	हानि के लिए प्रतिभूति निक्षेप से विनिवोजन	123.3
Approval by warship overseer	युद्धपोत ओवरसीयर का अनुमोदन	115.7
Approved Rate List	अनुमोदित दर सूची	78.11, 89.15, 93, 126.14 125.17
Arbitration	**माध्यस्थम्**	
Arbitration, Time Extension	मध्यस्थता समय विस्तारण	74.36
Auction Advertisement	नीलामी विज्ञापन	76.2
Auctioneer's Commission	नीलामीकर्ता का कमीशन	77.6
Auction conditions	नीलाम की शर्तें	76.3
Auctioneer to deposit earnest money on the same day	नीलामीकर्ता अग्रिम धन उसी दिन जमा कराएगा	77.6
Auctioneer commission	नीलामकर्ता की कमीशन	77.6, 87.7
Auctioneer not to bid	नीलामीकर्ता बोली नहीं लगाएगा	78.7, 87.8
Auctioneer only a broker	नीलामकर्ता एक दलाल मात्र	87.5
Auction procedure etc.	नीलामी-प्रक्रिया आदि	77
Auctioneer a representative of the Govt.	नीलामकर्ता सरकार का प्रतिनिधि	90.1
Auctioneer responsible for fraud etc.	नीलामकर्ता, कपट आदि के लिए दायी	87.8क

Auctioneer's right to refuse any bid	किसी बोली को अस्वीकार करने का नीलामकर्ता का अधिकार 80.1
Auctioneer to be the member of the panel	नीलामकर्ता, पेनल का सदस्य 86.1
Auctioneer to indemnify the losses due to his frauds	नीलामकर्ता द्वारा उसके कपट से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति 87.8
Auctioneer to submit list of accepted bids within 6 days	नीलामकर्ता स्वीकृत बोलियों की सूची 6 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा . . . . . 77, 86(3)

B

Balance payment within seven days	शेष संदाय 7 दिन के भीतर 77.5, 91
Bankruptcy	दिवालापन 7.6
Best quality material to be used	सर्वोत्तम क्वालिटी सामग्री का उपयोग . 114.4
Bid to be confirmed by payment of 25%	बोली की पुष्टि 25% का संदाय करके की जाएगी 1.2, 90
Bidders to get receipts	बोली लगाने वालों को रसीदें 81.7
Bill and payment	बिल और संदाय 7.4, 117.9
Breakage and losses	टूट-फूट और हानियां 70.17
Bribery etc.	रिश्वत आदि . 7.5, 72.27, 78.10, 125.14
Board's proprietary right over garbage	कूड़ाकर्कट, बोर्ड की सम्पत्ति 26.4
Breach of contract	संविदा भंग 88.10
Buyer's Risk from the date of acceptance	स्वीकृति की तारीख से क्रेता का जोखिम . . . 91
Buyer to deposit sale money within 6 days	क्रेता द्वारा विक्रयधन का निक्षेप 6 दिन के भीतर 87.6

C

Cancellation on Breach	भंग पर रद्दकरण 3.13
Cancellation of Contract	संविदा का रद्दकरण 71.24
Capacity of the signatory	हस्ताक्षरकर्ता की हैसीयत . . . 15.6, 18.7
Cart for removal of Blood & Offals	रक्त और छीछड़ों का हटाना 56.33
Change of Arbitrator	मध्यस्थ का परिवर्तन . 78.11, 89.15, 120.14
Charges for rent, electricity and damage to buildings	किराया, विद्युत प्रभार और भवनों को क्षति का दायीत्व 8.16
Cleaning of site	स्थल की सफाई 72.28
Collection & Removal of garbage as per time schedule	कूड़ाकर्कट का संग्रहण और हटाना, समय-अनुसूची के अनुसार 26.5
Collection and disposal of garbage	कड़ाकर्कट संग्रहण और उसका व्ययन . 26.2, 26.4
Collection Delivery etc. of Books for binding	जिल्दसाजी के लिए पुस्तकों का संग्रहण और परिदान 35.6
Collection of balance	अतिशेष का संग्रहण 87.6
Commission only on sale proceeds	केवल विक्रय आगमों पर कमीशन . . . 87 7
Communication of acceptance	स्वीकृति की सूचना 129
Compensation for delay	विलम्ब के लिए प्रतिकर 71.22
Compensation for delay in clearance of site	स्थल साफ करने में विलम्ब के लिए प्रतिकर . 26.6

Compensation for forbidding the cutting	वर्जित क्षेत्र घोषित करने पर प्रतिकर . . 4.15
Competent Authority may object slaughtering	सक्षम प्राधिकारी द्वारा पशु-वध के प्रति आक्षेप 57.43
Complaints and Liability	शिकायतें और उनका दायित्व 60.8
Compliance of instruction	अनुदेशों का पालन 47.12
Compliance of official Secrets Act	शासकीय गुप्त बात अधिनियम का पालन . 11.1
Complaint Book	शिकायत पुस्तिका 50.8
Completion of repairs and taking over	मुरम्मत का पूरा किया जाना और जलयान ग्रहण करना 10.11
Conditions for delivery	परिदान की शर्तें 83.10
Conditions for Rate Contract	दर संविदा की शर्तें 129
Conditions of sale	विक्रय की शर्तें 80, 86.3, 90
Conditions to be signed and returned	हस्ताक्षर करके शर्तों की वापसी 16.19
Conservancy agreement	सफाई करार 11
Conservancy and Water Charges	सफाई और जल प्रभार 47.9
Consequences when signing without any authority	बिना प्राधिकार हस्ताक्षर करने के परिणाम . 42.7
Consideration or gifts for getting favours	पक्षपात के लिए प्रतिफल या उपहार. . . 7.5
Contractor bound by station authorities' order	ठेकेदार स्टेशन प्राधिकारियों के आदेश से आबद्ध 125.16
Contractor's Full Trading Rights	ठेकेदार के पूर्ण व्यापारिक अधिकार . . . 98.9
Contractor's responsibility	ठेकेदार का दायित्व 125.12
Contractor's responsibility for loss of parts etc. of cycles	साइकिलों के पुर्जों आदि की हानि के लिए ठेकेदार का दायित्व 51.21
Contractor's responsible for damage to premises	परिसरों को नुकसान के लिए ठेकेदार का दायित्व 51.15
Contractor responsible for Security of premises	परिसर की सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व . 61.17
Contractor to abide by Civil or Military Authorities Restrictions	सिविल या सेना प्राधिकारियों के निर्बन्धनों का ठेकेदार द्वारा पालन 50.7
Contractor to bear the Cost of Trials	परीक्षणों का खर्च ठेकेदार वहन करेगा . . 109.8
Contractor to follow all instructions	ठेकेदार द्वारा अनुदेशों का पालन . . 125.12
Contractor to collect skins within 24 hours	ठेकेदार 24 घंटों के भीतर खालें एकत्रित करेंगे . 69.4
Contractor to pay increased rent	ठेकेदार द्वारा परिवर्तित किराए का संदाय . 56.24
Contractor to pay for loss or damage to cycles etc.	साइकिलों आदि की हानि या क्षति के लिए ठेकेदार द्वारा संदाय 51.15, 51.21
Contractor to hold material for govt.	**ठेकेदार द्वारा सरकार के निमित सामग्री धारण करना**
Contractor to indemnify govt. against claims under workmen's compensation Act	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दावों की क्षतिपूर्ति 70.14
Contributor's liability for supervision, damage etc.	पर्यवेक्षण, नुकसान आदि के अंशदायी का दायित्व 70.14
Cost of skins to be deducted from the bill for dressed meat	प्रसाधित मास के लिए बिल से खालों की लागत की कटौती 59.5
Criminal liability for bribery	रिश्वत लेने पर आपराधिक दायित्व . . . 78.10
Cut grass to be removed same day	कटा घास उसी दिन हटाया जाएगा . . . 3.7

D

Damage of loss	नुकसान या हानि	7.2, 124.3
Daily Returns	दैनिक विवरणियां	69.12
Damages for Default	व्यतिक्रम के लिए पूर्ति	7.2
Damage or theft of the property and liability therefor	संपत्ति की क्षति या चोरी और उसका दायित्व	7.2
Death etc. of animals and liability therefor	पशुओं की मृत्यु आदि और उसका दायित्व	
Death of proprietor or partner to be reported within a week	स्वामी या भागीदार की मृत्यु की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर	78.9
Decisions by president or his representative	राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि द्वारा विनिश्चय	8.11
Deduction of dues from the bills	बिलों से शोध्यों की कटौती	11.11, 55.21
Deductions from Security Deposit	प्रतिभूति निक्षेप से कटौती	11.11
Definitions	परिभाषाएं	67.1
Description of Work	कार्य का वर्णन	7.1
Delivery	परिदान	91.5, 109
Delivery and payment for consignments	परेषणों का परिदान और उनके लिए संदाय	19.5
Delivery and Stacking	परिदान और चट्ठे लगाना	70.16
Delivery by proxy at purchaser's Risk	प्रतिनिधि को परिदान क्रेता के जोखिम पर	52.8
Delivery of Dressed Meat	प्रसाधित मांस का परिदान	88.46
Delivery of sold goods	विक्रीत माल का परिदान	81.7, 92
Delivery time	परिदान का समय	83.10
Delivery of the vessel	जलयान का परिदान	100.9
Deposit of Sale proceeds	विक्रय आगमों का निक्षेप	77.5
Designer's responsibility	डिजाइनर की जिम्मेदारी	107.2
Determination of agreement	करार की समाप्ति	88.12
Determination of contract	संविदा की समाप्ति	78.9
Determination of means, time and place of dumping	कूड़ाकर्कट फेंकने के साधन, समय और स्थान का अवधारण	26.5
Determination of the payment procedure	संदाय-प्रक्रिया का अवधारण	35.8, 35.9
Disputes	विवाद	59 8, 89.15
Doctor's honorarium and Conveyance Allowance	डॉक्टर को मानदेय और सवारी भत्ता	94.4
Doctor to obey all orders	डॉक्टर द्वारा सभी आदेशों का पालन	94 11
Duties of the Doctor	डॉक्टर के कर्त्तव्य	94.8

E

Earnest Money, collection, payment, deposit	अग्रिम धन का संग्रहण, संदाय, निक्षेप	8.14 77.4, 81.3, 86.4, 90.2, 128.6
Earnest Money to be forfeited on the withdrawal of Tender	निविदा वापस लेने पर अग्रिम धन का समपहरण	42.7
Earnest Money to be returned on non-acceptance	निविदा अस्वीकृति पर अग्रिम धन की वापसी	15.8
Emergency permit	आपातकालीन अनुज्ञापत्र	27.10
Employees to carry out all reasonable instructions	कर्मचारी सभी उचित अनुदेशों का पालन करेंगे	
Employment of Sikh/Hindu Butchers for dressed meat	प्रसाधित मांस के लिए सिक्ख/हिंदू कसाइयों का नियोजन	58.45
Enquiries, procedure for collection of skins	खाल संग्रहण के लिए पूछताछ और प्रक्रिया	58.2
Entry by passes	प्रवेश पास द्वारा	35.7
Equipment	उपस्कर	68.5
Estimated number or quantity	अनुमानित संख्या या मात्रा	8.9
Estimate not binding	अनुमान बाध्यकारी नहीं	8.9
Execution as per instructions	निष्पादन, अनुदेशों के अनुसार	50.7
Execution as per satisfaction of C.O.	निष्पादन, कमांडिंग आफिसर के समाधानप्रद रूप में	26.4
Execution under subletting is contractor's liability	उपपट्टे के अधीन निष्पादन, ठेकेदार का दायित्व	114.1
Extention of Time	समय-विस्तारण	68.6

F

Failure in payment and bidder's liability	संदाय न करना और बोलीकर्ता का दायित्व	91
Failure to take delivery	परिदान लेने में असफलता	92.8
Fair Wages	उचित मजदूरी	72.29
Fine	जुर्माना	1.12, 12.12
Fines for breach	भंग के लिए जुर्माना	1.12
Fit livers, not required for troops, returnable	सैनिकों के लिए अपेक्षित न होने पर उपयुक्त लिवर वापस किए जाएंगे	57.40
Fitness of animals in reserve	रिजर्व के पशुओं की स्वस्थता	55.14
Force Majeure	अपरिहार्य घटना	108
Forfeiture of Earnest Money	अग्रिम धन का समपहरण	45.3
Forfeiture of Security Deposit	प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण	48.24, 123.3
Forfeiture on default	व्यतिक्रम पर समपहरण	48.24
Free Access for inspection to Warship Overseer	युद्धपोत ओवरसीयर की निरीक्षण के लिए अबाध पहुंच	115.7

G

Grass cutting contract	घास-कटाई संविदा	1, 3
Garbage to be Contractor's property	कूड़ाकर्कट ठेकेदार की संपत्ति	26.4, 11.6
Garbage not to be put-on fire	कूड़ाकर्कट जलाया नहीं जाएगा	12.12, 77.9
Government cycles exempt from payment	सरकारी साइकिलों को संदाय से छूट	52.27

Grazing prohibited	घास चराई निषेध 3.5
Grounds for Termination	पर्यवसान के लिए आधार . . . 3.13
Govt. not bound to accept lowest contract, etc.	सरकार निम्नतम संविदा आदि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं 15.10, 128.8
Govt. not bound to accept the lowest Tender or the whole of it	सरकार निम्नतम निविदा या सम्पूर्ण निविदा स्वीकार करने को बाध्य नहीं 128.8
Govt. may investigate prices in case of sub-contractor	उपठेकेदार के मामले में सरकार द्वारा अन्वेषण 114.3(2)
Govt. not to assist procurement of materials	सामग्री के उपापन के लिए सरकारी सहायता नहीं . . . . . 114.4(1)
Govt. Notices to be given by Commanding Officer	सरकारी सूचनाएं कमान आफिसर द्वारा . . 48.29
Government not responsible for dues	शोध्यों के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं . . 46.6
Government Supply of Fuel etc. for Trials	परीक्षणों के लिए ईंधन आदि का सरकार द्वारा प्रदाय 109.8
Guarantee	गारण्टी 10, 109.10

H

Handling Charges	सम्हलाई प्रभार 61
Highest bidder to be recommended	सबसे ऊँची बोली वाले की सिफारिश . . 80.1
Hours of Work	कार्य के घण्टे 70.15
Hygiene Requirements	सफाई संबंधी अपेक्षाएं . . . 55.20, 97

I

In certain cases Conservancy Charges to be recovered from the residents	कुछ दशाओं में निवासियों से सफाई प्रभारों की वसूली 27.8, 30.9
Income Tax clearance certificate	आयकर समाशोधन-पत्र . . 8 15, 16.13
Indemnity Bond by contractor	ठेकेदार द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र . . 119.13
Indemnity for damage by negligence	उपेक्षा से कारित क्षति की क्षतिपूर्ति . . 33.15
Indemnity for damage or loss	नुकसान या हानि के लिए क्षतिपूर्ति . . 119.13
Official Secret Act to be observed	भारतीय गुप्त बात अधिनियम का पालन . . 1.11
Inducement or Reward prohibited	उत्प्रेरण या इनाम निषेध . . 78.10, 125.14
Inspection	निरीक्षण 108.6, 115.7, 68.4
Inspection by Local Veterinary Officer	स्थानीय पशु चिकित्सक द्वारा निरीक्षण 54.3, 54.10
Inspection of animals to be supplied	प्रदाय किए जाने वाले पशुओं का निरीक्षण . 54.4
Inspection of carcasses	पशुशवों का निरीक्षण 57.35
Inspection of Material & Workmanship	सामग्री और कारीगरी का निरीक्षण . 108.6
Inspection of site	स्थल-निरीक्षण 68.4
Issue of Meat in presence of supply officer	प्रदाय अधिकारी की उपस्थिति में मांस देना 57.39
Issue of Meat to troops in camps	कैम्पों में सैनिकों को मांस भेजना . . . 57.37
In the same station	उसी स्थान पर 59.5
Issue of Notice	नोटिस जारी करना . . . 74.35
Instructions to tenderers	निविदाकारों को अनुदेश . . . 14.27
Invitation to tender is the part of Tender	निविदा आमन्त्रण निविदा का भागरूप . 128.7

J

Job Requirement	कार्य-अपेक्षा	43.13

L

Labour and Wages	श्रम और मजदूरी	71.20
Land revenue	भूराजस्व	83.16
Last Date etc. for Tendering	निविदा की अन्तिम तारीख आदि	127.2
Laws governing the contract	संविदा को लागू विधियां	71.23
Lay apart stores	अतिरिक्त पुर्जा भण्डार की स्थापना	115.6
Liability for acceptance of illegal consideration and bribe etc.	अवैध प्रतिफल और रिश्वत आदि स्वीकार करने के लिए दायित्व	125.14
Licence fee for Cycle Stand	साइकिल स्टैंड के लिए अनुज्ञप्ति फीस	50.3
Licence fee payable in advance	अनुज्ञप्ति फीस अग्रिम में देय	47.8
Licence responsible for cleanliness and damage	स्वच्छता और क्षति के लिए अनुज्ञप्तिधारी जिम्मेदार	50.5
Licence responsible for damage to property	संपत्ति को हानि के लिए अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व	47.18
Loading and Unloading Railway Wagons	रेल वैगनों में लदाई और उतराई	70.18
Locks and Tokens	ताले और टोकन	51.17
Loss of Tokens	टोकनों का खोना	51.18

M

Maintenance of Accounts	लेखाओं का अनुरक्षण	73.33
Maintenance of Butchery Buildings	बूचड़खानों का अनुरक्षण	56.32
Maintenance of Cycle Stand	साइकिल स्टैंड का अनुरक्षण	50.2
Maintenance of Trough	नांद का अनुरक्षण	56.28
Memorandum of Sale	विक्रय ज्ञापन	84
Medical fitness of employees	कर्मचारियों की शारीरिक स्वस्थता	55.70
Mode of measurement	नाप का ढंग	73.31
Modification in specification	विनिर्देश में उपान्तरण	111
Municipal-by-laws to be binding	नगरपालिका उपविधियां आबद्धकर	47.11

N

Nature of work	कार्य की प्रकृति	107
Notices and actions	सूचनाएं और कार्यवाहियां	120 16
No Demand Certificate	बेबाकी प्रमाण-पत्र	48.23, 78.8 (ख)
No extra payment for rectification of faults etc.	दोष सुधार के लिए अतिरिक्त संदाय नहीं	108.7
No Liability for Force Majeure	अपरिहार्य घटना का दायित्व	108
No Liability for natural calamities or theft	प्राकृतिक विपत्तियों या चोरी का दायित्व	51.15

Non-delivery	अपरिदान	92
Non-performance	अपालन	83.20
No Compensation by Authority	प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकर नहीं	12.17
No Compensation for failure of grass	घास में कमी के लिए कोई प्रतिकर नहीं	7
No Compensation for Under/over drawn meat	कम/अधिक लिए गए मांस के लिए कोई प्रतिकर नहीं	57.42
No gifts etc. to govt. officials	सरकारी अधिकारियों को उपहार	7.5
No inflammable material to be brought near	ज्वलनशील वस्तु, क्षेत्र में वर्जित	12.12
No Notice or Advertisement to be displayed	किसी सूचना या विज्ञापन का संप्रदर्शन मना	51.12
No stoppage of Work during arbitration	माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान कार्य जारी	120
No Subletting of premises or benefits	परिसरों या फायदों का उपपट्टा नहीं	114.3
No Subletting without prior permission	पूर्व अनुज्ञा के बिना उपपट्टा नहीं	114.3
Notice Board at Cycle Stand	साइकिल स्टैंड पर सूचना पट्ट	51.10
Notice of Auction	नीलामी-सूचना	2, 85
Notice for Public Auction	लोक नीलाम की सूचना	2
Notice for Tender	निविदा की सूचना	5, 6
No Transfer of contract without permission	केवल अनुज्ञा से संविदा का अंतरण	15.12

O

Observance of Security Rules	सुरक्षा नियमों का पालन	125.16
Offer	प्रस्थापना	123
Offer for services	सेवाओं की प्रस्थापना	123
Outside Hawkers not allowed	बाहरी फेरीवाले अनुज्ञात नहीं	
Only approved items to be sold	केवल अनुमोदित मदों का विक्रय	104.2
Only Tenders with Earnest Money are to be considered	केवल अग्रिम धन सहित निविदाओं पर विचारण	
Opening of Tenders	निविदाओं का खोलना	127.4
Orders for Work	कार्यादेश	88.8

P

Parties to the Agreement	करार के पक्षकार	124
Passes for Employees	कर्मचारियों के पास	12.13
Payment of Bills	बिल संदाय	7.4, 73.33, 117.9
Payment by CDA on Satisfaction Certificate by Warship Oversear	युद्धपोत ओवरसीयर द्वारा समाधानप्रद प्रमाणपत्र, पर रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा संदाय	118
Payment for Completed Work	पूर्ण कार्य के लिए संदाय	118
Payment Time Schedule	संदाय समयसूची	12.10
Payment on accepted bid	बोली स्वीकार कर ली जाने पर संदाय	90.2
Payment of Bills	बिलों का संदाय	124.8
Payment of tax	करों का संदाय	91
Payment of Rent in Advance	अग्रिम किराए का संदाय	60.3

Payment for Water and Electricity Charges in advance and their rates	जल और विद्युत प्रभारों का संदाय और उनके दर	80.4
Payment Time Schedule	संदाय समय सूची	50.4
Payment to be in instalments	संदाय किस्तों में	50.4
Payment to be prorata	संदाय आनुपातिकता	35.8
Payment through cheques by post, etc.	संदाय, चेकों से, डाक द्वारा	36.9
Penalty	शास्ति	81.6
Period of agreements and compensation for breach of conditions of agreement	करार की अवधि और करार शर्तों के भंग के लिए प्रतिकर	125.10
Period of Agreement	करार की अवधि	
Period of contract	संविदा की अवधि	35.10
Power to accept portion of tender	निविदा का कोई भाग स्वीकार करने की शक्ति	8.12
Prescription Fee	नुस्खा लिखने की फीस	94.10
Place for keeping and grazing live stock	पशु रखने और चराने का स्थान	66.13
Premises may be inspected any time without Notice	परिसरों का किसी भी समय निरीक्षण	48.26
Price variation due to indigenous manufacture	देशी विनिर्माण से कीमत में अन्तर	110.11(3)
Pricing	कीमत नियतन	110.11
Profit percentage	लाभ की प्रतिशतता	117
Proportionate refund	आनुपातिक प्रतिदाय	48.25
Proprietery rights over garbage	कूड़ाकर्कट पर स्वामित्व	29.3
Provision of Cycle Stands	साइकिल स्टैंडों की व्यवस्था	50.5
Provision of Receptacles	आधानों की व्यवस्था	32.1
Provision of sufficient staff & instruments	पर्याप्त कर्मचारियों और उपस्करों की व्यवस्था	56
Provision receptacles for Collection and Removal of garbage	कूड़ा कर्कट के संग्रहण और हटाने के लिए पात्रों की व्यवस्था	32.1
Purchase of animals from outside	बाहर से पशुओं का क्रय	54.5
Provision of suitable accommodation	उपयुक्त आवास की व्यवस्था	46
Purchase of meat from outside	बाहर से मांस का क्रय	54.6

Q

Quality of material	सामग्री की क्वालिटी	43.13, 108 7, 114.4
Quotations to be inclusive of all charges	कोटेशनों में सभी प्रभार सम्मिलित	42.7

R

Rates	दर	124.1
Rates for Additional Work	अतिरिक्त कार्य के दर	73.32, 124.2
Rates payable to contractor	ठेकेदार को संदेय दर	6.5
Reauction and liability for losses	पुनः नीलामी और हानि के लिए दायित्व	77.4

Receipts for payments	संदाय की रसीदें	91
Receipts for skins	खालों के लिए रसीदें	68.3
Receptacles for conservancy job	सफाई कार्य के लिए पात्र	26.2
Records and Managements	अभिलेख और प्रजातंत्र	72.30
Recovery	वसूली	125.13
Recovery of sums due	शोध्य राशियों की वसूली	8.10
Recovery solely Contractor's Liability	वसूली स्वयं ठेकेदार की जिम्मेवारी	
Recovery from contractor	ठेकेदार से वसूली	74.34, 125.13
Rectification during guarantee period, etc.	गारंटी अवधि के दौरान त्रुटि सुधार	109.10
Rectification of defects etc.	दोष सुधार	109.10
Refund and Forfeiture of Security Deposit	प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय और समपहरण	42.12
Refund of the Security Deposit	प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय	69.10, 88.11
Refusal to acceptance of bid	बोली स्वीकार करने से इंकार	80.1
Rejection of Incomplete Tenders	अपूर्ण निविदाओं की अस्वीकृति	6.6
Relaxations not to prejudice the Govt. rights	सरकारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं	121.19
Remedy for default in removal of garbage	कूड़ाकर्कट हटाने में व्यतिक्रम के लिए उपचार	27.11
Remedy for failure to remove rubbish	कूड़ाकर्कट हटाने में असफलता पर उपाय	27 11
Removal of property in Specified Time	संपत्ति को विनिर्दिष्ट समय में हटाना	82.9
Removal or Destruction of meat unfit for Consumption	मानव उपभोग के अयोग्य मांस को हटाना या नष्ट करना	54.7
Removal of garbage to Receptacles	आधानों में कूड़ाकर्कट का हटाना	26.2, 26.3
Rent and Allied Charges	किराया और सहवद्ध प्रभार	8.16
Rental for lay-apart store	अतिरिक्त-पुर्जा-भण्डार का किराया	115.6
Rentals for Butchery	बूचड़खाने का किराया	56.24
Replenishment within 5 days	पांच दिन के भीतर प्रतिपूर्ति	55.17
Resale Expenses to be deducted from Security Deposit	पुनर्विक्रय व्ययों की प्रतिभूति निक्षेप से कटौती	82.9
Resale not to be recognised	पुनर्विक्रय मान्य नहीं	82.8
Reserves	रिजर्व	64.2
Reserve Price	आरक्षित कीमत	10.6, 76.3
Reserve to be maintained	रिजर्व का अनुरक्षण	54.2
Reserve to be replenished constantly	रिजर्व की निरन्तर प्रतिपूर्ति	54.10
Responsibility for Arrangements	व्यवस्थाओं का दायित्व	26.1
Responsibility of Contractor for Execution	निष्पादन के लिए ठेकेदार का दायित्व	121.19
Return of particulars	विशिष्टियों की वापसी	121 17
Rope hanging of carcases prohibited	पशुओं के शव लटकाने पर प्रतिषेध	56.31

S

Safety of stores	सामान की सुरक्षा	115.5
Sale, conditions etc.	विक्रय की शर्तें आदि	76, 83
Sale advertisement	विक्रय विज्ञापन	86.2
Sale by lot etc.	लॉट आदि में विक्रय	91
Sale proceeds of Zero Value Vehicles	शून्य मूल्य यानों के विक्रय आगम	77.5, 28.19
Sales tax	विक्रय कर	87.5
Sales Tax Collection	विक्रय कर संग्रहण	87.5
Sale to be stopped if mal-practice is done	कदाचार पर विक्रय बंद	83.12
Sale to the highest bidder	उच्चतम बोली लगाने वाले का विक्रय	80.1
Schedule to conservancy contract	सफाई करार अनुसूची	9, 10, 123
Sea Trials	समुद्री परीक्षण	118.10
Secrecy	गोपनीयता	67.3
Secrecy by subcontractors	उप-ठेकेदारों द्वारा गोपनीयता	120.15
Secretary or his delegate to supervise the auctions	सचिव या प्रतिनिधि द्वारा नीलाम का पर्यवेक्षण	86.1
Security	प्रतिभूति	8.13, 120.15, 124.9
Security and its forfeiture	प्रतिभूति और उसका समपहरण	78.8
Security appropriation and Refund	प्रतिभूति विनियोजन और प्रतिदाय	16.18
Security Deposit	प्रतिभूति निक्षेप	69.9, 80, 81.4, 88.9, 128.12
Security Deposit and its forfeiture	प्रतिभूति निक्षेप और उसका समपहरण	16.18
Security Deposit for Infringement	अतिलंघन के लिए प्रतिभूति निक्षेप	16.15
Security Deposit for satisfactory performance	संतोषप्रद निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप	16.16
Security Passes	सुरक्षा पास	1.4
Segregation of Selected animals	चयनित पशुओं का पृथक्करण	55.18
Service of the Notices	सूचना की तामील	126.16
Set-off	मुजरा	118
Setting-up of Welfare Clinic	कल्याण केन्द्र क्लीनिक की स्थापना	94
Sheets to cover Meat	मांस ढकने के लिए शीट	56.29
Signing of Tenders	निविदा पर हस्ताक्षर	128.5, 15.6
Signatories to the Contract	संविदा के हस्ताक्षरकर्ता	15.6, 15.7
Site exclusively for entrusted work	स्थल, केवल समनुदिष्ट कार्य के लिए	46.4
Six month's guarantee against Workmanship & material	कारीगरी और सामग्री की छः मास की गारन्टी	109.10
Skins & Offals to be government property	त्वचा और मांस सरकार की संपत्ति	55.19
Slaughter House, Hygine in	बूचड़खाने में सफाई	59
Slaughtering to be as per orders and religious customs	पशु-वध आदेश और धार्मिक प्रथा अनुसार	57.41
Special Conditions	विशेष शर्त	58, 121.20
Stores to remain at contractor's risk	सामान ठेकेदार की जोखिम पर रहेगा	70.19

Sub Contract	उपसंविदा	8.17
Subject of Sale	विक्रय सामग्री	83.11
Subletting	उप-पट्टे पर देना	13.21
Subletting, Assignment etc. of Contract	संविदा को उपपट्टे पर देना या समनुदिष्ट आदि करना	114.3
Subletting Prohibited	उप-पट्टे का निषेध	13.21, 128.10
Submission of Bills	बिल प्रस्तुति	12.19, 124.7
Submission of Bills and payment thereof	बिलों की प्रस्तुति और उनका संदाय	124.7
Submission of Statements to Warship Overseer	ठेकेदार द्वारा युद्धपोत ओवरसीयर को विवरण प्रस्तुति	116.8
Submission of quotations	कोटेशन प्रस्तुत करना	127.2
Supervision	पर्यवेक्षण	107
Supply as per ASC specification	सं० से० को विनिर्देश के अनुसार प्रदाय	54.1
Supply etc. of skins by Contractors	ठेकेदारों द्वारा खालों आदि का प्रदाय	55.19
Supply is subject to approval	प्रदाय, अनुमोदनाधीन	54.3
Supply may be stopped if Reserve falls below prescribed Limit	विहित सीमा से कम रिजर्व पर प्रदाय बन्द	54.10
Supply of Uniforms on Contractors Cost	ठेकेदार के खर्च पर वर्दियों का प्रदाय	55.25

T

Tender Forms	निविदा प्ररूप	6, 127.3, 127
Tenders, incomplete	अपूर्ण निविदा	6.6
Tender Invitation	निविदा आमन्त्रण	14, 127
Tender Invitation for carpentry jobs	बढ़ई-कार्य के लिए निविदा आमंत्रण	41
Tender to be signed by competent person	निविदा पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	42.8
Tender to be signed by Tenderor(s) constituted Attorney	निविदा पर निविदाकार या नियुक्त अटर्नी के हस्ताक्षर	15.7
Tenderers to execute agreement	करार निष्पादन की निविदा	43.27, 128.11
Termination by notice	सूचना द्वारा पर्यवसान	7.7
Termination of Agreement	करार का पर्यवसान	96.7
Termination of agreement and forfeiture of security Deposit	करार का पर्यवसान और प्रतिभूति निक्षेप का समापहरण	48.24
Termination of Agreement in certain circumstances	कतिपय परिस्थितियों में करार का पर्यवसान	97.6
Termination of Contract	संविदा का पर्यवसान	7.7, 72.26, 72.26
Termination of agreement for breach of Conditions & Compensation therefor	शर्तों के भंग पर करार पर्यवसान और उसके लिए प्रतिकर	125.11
Termination of contract on breach of conditions	शर्तों के भंग पर संविदा पर्यवसान	7.7, 126.11
Time	समय	68.6
Time and place of Auction	नीलामी का समय और स्थान	76.3
Timings of canteen	कैंटीन का समय	103.13

17-M/P(N)227MofLJ&CA—5,000—24-1-91—G PS

Time to be essence of the contract	समय, संविदा का सार . . .	68.6, 107(4)
Token number, register & Staff	टोकन संख्या, रजिस्टर और कर्मचारिवृन्द .	51.9
Transfer under Government Grants Act, 1895	सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन स्थानान्तरण	37
Transportation of stores is contractor's Liability	सामग्री वहन ठेकेदार का दायित्व . . .	14.2
Trials of the Vessels	जलयानों का परीक्षण . .	108.8, 118.10

U

Unbranded or Unpassed Animals not to be kept	अचिह्नित या अस्वीकृत पशु नहीं रखे जाएंगे .	55.16
Use of stores and assistance to contractor	सामान का प्रोग्राम और ठेकेदार को सहायता	114.4

V

Validity period of rate contract	दर संविदा की विधिमान्यता की अवधि . .	129.2
Variations in Custom Duty	सीमाशुल्क में परिवर्तन . . .	110.11(3)
Variation in estimated and actual foreign exchange	प्राक्कलित और वास्तविक विदेशी मुद्रा में अन्तर	110.11(3)
Vessel Acceptance Certificate	जलयान स्वीकृति प्रमाणपत्र . .	119.11(4)
Vessel to be as per specifications	जलयान, विनिर्देशों के अनुसार . . .	115.7(1)

W

Warranty	वारंटी	119.12
Warship overseer to be given office accommodation on rent	युद्धपोत ओवरसीयर को कार्यालय-स्थान किराए पर	115.7
Water	जल	70.13
Water, Electricity & Caretaking Charges	जल, विद्युत और रखवाली प्रभार . . .	47.9
Withdrawal of Lots from Sale	विक्रय से लॉटों का हटाना	83.14
Work as per Special Conditions	कार्य, विशेष शर्तों के अनुसार	7.1
Work as per Specifications	कार्य निर्देशों के अनुसार	109
Working hours	कार्य के घण्टे	94
Work reserved	आरक्षित कार्य	68.5
Work to be done	कार्य	7.1, 62

एच-87-एम/पी(एन)227एम ऑफ एल जे एन्ड सी ए—5000—20-2-91—जी आई पी एस
H-87-M/P(N)227MofLJ&CA—5000—20-2-91—GIPS

विक्रेता : (1) प्रकाशन नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली–110054
(2) प्रकाशन और विक्रय प्रबन्धक, साहित्य विधि प्रकाशन, भारत सरकार,
भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास मार्ग नई दिल्ली–110001